वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण

2016-17

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी)

मिनी रत्न कंपनी (कैट-II)

गोन्दवाना प्लेस, काँके रोड
राँची – 834 031

सीआईएन : यू14292 जेएच1975जीओआई 001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

विजन

बढ़ते भू–संसाधन के क्षेत्र तथा संबंधित क्रिया–कलापों में वैश्विक बाजार का नेतृत्व करना

मिशन

भारत तथा अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में प्रमुख परामर्शदाता के रूप में कोयला गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा प्रदान करना

कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर होल्डरों के लिए सामान्य नोट

सीएमपीडीआई की वार्षिक लेखा जाँच के लिए मुख्यालय में रखा रहेगा कोल इंडिया लिमिटेड के किसी भी शेयर होल्डर के माँगने पर जानकारी देने के लिए उपलब्ध रहेगा।

विषय -सूची

क्रम सं	विषय	पृष्ठ
1.	2016-2017 के दौरान प्रबन्धन	1
2.	06.07.2017 के अनुसार बोर्ड के सदस्य	2
3.	बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय	3
4.	42 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना	4
5.	अध्यक्ष का कथन	7
6.	उपलब्धि एक नजर में	17
7.	वित्तीय सांख्यिकी एवं पर्यवेक्षण	18
8.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट	20
9.	निदेशक-मंडल की रिपोर्ट की अनुसूची	115
10.	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण पत्र	124
11.	निगमित शासकीय प्रमाण-पत्र	131
12.	सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर तथा सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन का उत्तर	132
13.	धारा 143 (6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	147
14.	लेखे का अंकेक्षित विवरण	152
15.	कैशफ्लो विवरण के साथ लेखे पर टिप्पणी	157
16.	महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा खण्डवार विवरण सहित लेखे पर टिप्पणी	196

31.03.2017 के अनुसार निदेशक मंडल

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन

श्री वी.के. सिन्हा

श्री बिनय दयाल

श्री ए.के. चक्रवर्ती

अंशकालिक सरकारी निदेशक

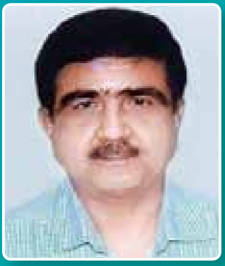

श्री सी.के. डे

श्री डी.एन. प्रसाद

स्वतंत्र निदेशक

डा. देबाशीष गुप्ता

श्री राजेन्दर प्रसाद

स्थाई आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार

वर्ष 2016-2017 के दौरान प्रबंधन

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.01.2016 से)

कार्यकारी निदेशक

श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी) (08.01.2014 से)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी) (01.12.2015 से)
श्री ए.के.चक्रवर्ती	:	निदेशक (तकनीकी) (03.08.2016 से)
श्री बी.एन.शुक्ला	:	निदेशक (तकनीकी) (16.08.2016 तक)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री देवुलापल्ली नरसिंम्हा प्रसाद	:	सलाहकार (परियोजना), कोयला मंत्रालय (27.1.2010 से)
श्री चन्दन कुमार डे	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (19.12. 2016 से)
श्री नागेन्द्र कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया लिमिटेड (17.10.2016 तक)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक

श्री राजेन्दर प्रसाद	:	निदेशक (17.11.2015 से)
डा. देबशीष गुप्ता	:	निदेशक (17.11.2015 से)
श्री राकेश कुमार मित्तल	:	निदेशक (31.10.2016 तक)

स्थायी आमंत्रित सदस्य

श्री पीयूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (06.05.2015 से 8.6.2017 तक)

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	(18.02.2016 से)

06.07.2017 के अनुसार बोर्ड के सदस्य

कार्यकारी निदेशक

श्री शेखर सरन	:	अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक
श्री वी.के. सिन्हा	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री विनय दयाल	:	निदेशक (तकनीकी)
श्री ए.के. चक्रवर्त्ती	:	निदेशक (तकनीकी)

अंशकालिक सरकारी निदेशक

श्री चन्दन कुमार डे	:	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
श्री पियूष कुमार	:	निदेशक (तकनीकी), कोयला मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेन्दर प्रसाद	:	स्वतंत्र निदेशक
डा. देबाशीष गुप्ता	:	स्वतंत्र निदेशक

कम्पनी सचिव

श्री अभिषेक मुँधड़ा	:	कम्पनी सचिव

बैंकर्स, अंकेक्षक तथा पंजीकृत कार्यालय

बैंकर्स

स्टेट बैंक आफ इंडिया

केनरा बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया

आईडीबीआई बैंक

एक्सिस बैंक

अंकेक्षक

मेसर्स के.सी. टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
1, न्यू अनन्तपुर, राँची-834002

निबंधित कार्यालय

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि0,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची- 834 031, झारखण्ड, भारत

CIN : U14292JH1975GOI001223

वेबसाइट : www.cmpdi.co.in

42 वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के सभी सदस्यों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित कारोबार के संचालन के लिए कंपनी की 42वीं वार्षिक आम बैठक कंपनी के निबंधित कार्यालय में दिनांक 6 जुलाई, 2017 दिन वृहस्पतिवार को पूर्वाहन 11.30 बजे आयोजित की जाएगी।

क. सामान्य कार्य :

1. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण के साथ–साथ भारत के सांविधिक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट पर विचार करना तथा अंगीकार करना।
2. श्री विनय दयाल, (डीआईएन–0736625) पूर्णकालिक निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम (रोटेशन) की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हो रहे हैं एवं पुनर्नियुक्ति के योग्य है तथा अपने आपको प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।
3. श्री ए.के. चक्रवर्त्ती, (डीआईएन–07601841) पूर्णकालिक निदेशक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के चक्रानुक्रम की शर्तों के अनुसार सेवा–निवृत्त हुए हैं, जो पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं तथा अपने आपको इसके लिए प्रस्तावित करते हैं, के बदले एक निदेशक नियुक्त करना।

ख. विशेष कार्य :

1. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित या संशोधन के बिना पारित करना :

   संकल्प किया गया कि दिनांक 2.9.2016 को आयोजित बोर्ड की 197वीं बैठक में बोर्ड द्वारा कास्ट आडिटर्स मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता को अंकेक्षण एवं ऊपरी जेब खर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित परिलब्धि 98,440 रू. प्रति वर्ष एवं लागू कर कास्ट आडिट शुल्क के 50 प्रतिशत तक सीमित को एतद् द्वारा संशोधित किया गया है।

   उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न किया जाता है।
2. यदि विचार किया गया तथा उपयुक्त पाया गया तो निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना :

   संकल्प किया गया कि दिनांक 24.5.2017 को अपनी 204वीं बोर्ड बैठक में बोर्ड द्वारा कास्ट आडिटर्स मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता को अंकेक्षण एवं ऊपरी जेब खर्च हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए अनुमोदित परिलब्धि 1,47,650 प्रति वर्ष के साथ–साथ लागू कर जो कास्ट अंकेक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत तक सीमित था को एतद् द्वारा संशोधित किया जाता है।

   उपर्युक्त विशेष व्यवसाय के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण को इसके साथ संलग्न किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते– सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

दिनांक : 23.06.2017

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

ध्यातव्य :

1. वैसा सदस्य जो बैठक में भाग लेने तथा मत डालने का हकदार है, अपने बदले बैठक में भाग लेने तथा मत डालने के लिए किसी एवजी या एवजियों को नियुक्त कर सकता है तथा उक्त एवजी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसे लागू करवाने के लिए विधिवत् भरा हुआ एवजी (प्रॉक्सी) फार्म वार्षिक आम बैठक होने की निर्धारित तिथि से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के निबंधित कार्यालय में जमा करा दिया जाना चाहिए।
2. सदस्यों से अनुरोध है कि कंपनी अधिनियम की धारा 101(1) के प्रावधान के अनुसार अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करवाने की अपनी सहमति दी जाए।
3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में तथा 26 सितम्बर, 2002 को आयोजित 27वीं वार्षिक आम बैठक में कंपनी के सदस्यों के संकल्प (डिटरमिनेशन) के अनुसार निदेशक मंडल को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के पारिश्रमिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के तहत निर्धारित किया जाता है।

प्रति :

सभी शेयर धारक,

कम्पनी के सभी निदेशकगण ,

अंकेक्षण समिति के अध्यक्ष,

मनोनीत एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष,

कंपनी के सांविधिक अंकेक्षक तथा

कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षक

कंपनी के कॉस्ट आडिटर

महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक वक्तव्य

1. वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक में संशोधन

कंपनी (कॉस्ट आडिट रिपोर्ट) नियम 2011, 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया। ये कंपनी अधिनियम द्वारा जारी शक्तियों का कार्य रूप में लाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा जारी किया गया था। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 और इसके आगे से कॉस्ट आडिट रिपोर्ट के लिए अनुपालन रिपोर्ट (कमप्लीएन्स रिपोर्ट) बनाना अनिवार्य कर दिया है।

सीएमपीडीआईएल की इस कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड के समग्र कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी का भाग रहा है। दिनांक 02.09.2016 को आयोजित इसकी 197वीं बैठक में ऑडिट कमिटि की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए कॉस्ट आडिट शुरू करने के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट कोलकाता की नियुक्ति को अनुमोदित कर दिया है।

वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कास्ट आडिटर के रूप में मेसर्स डीजीएमएंड असोसिएट कोलकाता की नियुक्ति और अनुमोदन पर उसके बैक ग्राउंड और अनुभव के आलोक में विचार किया गया। बशर्ते की 98,440/–रू.

प्रति वर्ष प्लस लागू होने योग्य कर और कॉस्ट आडिट फी के 50 प्रतिशत पाकेट खर्च पर वर्ष 2016–17 के लिए कास्ट आडिटर के पारिश्रमिक में, और आम बैठक में नियुक्ति में संशोधन न हो।

कंपनी (आडिट एंड आडिटर) नियम 2014 के नियम 14 के साथ गठित कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 148 के अनुसार कॉस्ट आडिटर्स के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट, कोलकाता की उपर्युक्त नियुक्ति का अनुमोदन दिनांक 02.09.2016 को आयोजित 197वीं बैठक में किया गया और कंपनी की आम बैठक में इसे संशोधित किया जाना है।

न तो कोई भी निदेशक और न की मैनेजेरियल पर्सनल या उनके रिश्तेदार इस संकल्प से जुड़े हुए हैं और न ही इसमें उनकी रूचि है।

सदस्यों के अनुमोदन के लिए बोर्ड ने संकल्प को अनुशंसित किया है।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक में संशोधन

कंपनी (कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट) रूल 2011 को 3 जून, 2011 को अधिसूचित किया गया। यह कंपनी अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। एमसीए ने वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 का कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट और इसके आगे के रिपोर्ट का अनुपालन रिपोर्ट की फाइलिंग (भरना) अनिवार्य कर दिया है।

सीएमपीडीआईएल की यह कॉस्ट एकाउन्टिंग पॉलिसी कोल इंडिया लिमिटेड के समग्र कॉस्ट एकाउन्टींग पॉलिसी का भाग है।

दिनांक : 02.09.2016 को आयोजित अपनी 197वीं बैठक में ऑडिट कमिटि की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2018–19 के लिए कॉस्ट आडिट शुरू करने के लिए सीएमपीडीआईएल अनुमोदित कर दिया गया है।

मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट ने वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कॉस्ट ऑडिट शुरू कर दिया है तथा उनके द्वारा किए गए कार्य संतोशजनक पाया गया। मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट के कार्य निश्पादन और बैक ग्राउन्ड, अनुभव के आलोक में निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट, कोलकाता की नियुक्ति को अनुामोदित किया, बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए 446,650 रू. प्रति वर्ष के साथ लागू कर और कॉस्ट आडिट फी का 50 प्रतिशत की सीमा तक पाकेट खर्च के लिए कॉस्ट आडिटर के पारिश्रमिक पर, आम बैठक में नियुक्ति पर कोई संशोधन न हो।

कंपनी (ऑडिट एंड ऑडिटर) नियम 14 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की सेक्शन 148 के अनुसार कॉस्ट ऑडिटर के रूप में मेसर्स डीजीएम एंड असोसिएट्स, कोलकाता की उपर्युक्त नियुक्ति को दिनांक : 24.05.2017 को आयोजित 204वीं बैठक में अनुमोंदित किया गया तथा कंपनी की आम बैठक में अनुसमर्थन किया जाना है।

इस संकल्प में निदेशक, की मैनेजेरियल पर्सनल या उनके निश्तेदान या संबंधित की रूचि नहीं है।

बोर्ड ने सदस्यों के अनुमोदन के लिए संकल्प की अनुशंसा की

निदेशक मंडल के आदेश से
वास्ते, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

(अभिषेक मुंधड़ा)
कंपनी सचिव

श्री शेखर सरन
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष का कथन

प्रिय शेयरधारक,

सीएमपीडीआई की 42वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 की कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि की निदेशक मंडल की रिपोर्ट, अंकेक्षित (ऑडिट) लेखे की रिपोर्ट के साथ–साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा समीक्षा पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को दी जा चुकी है।

1. विकास की रूप–रेखा :

भारतीय खनन उद्योग को एक ही छत के नीचे विस्तृत प्लानिंग सेटअप के रूप में सीएमपीडीआई की स्थापना का विचार एवं प्रस्ताव मूलतः 1972 में पोलैंड के विशेषज्ञों वाली संयुक्त अध्ययन दल द्वारा आया। इसके बाद सीएमपीडीआई की स्थापना 1 नवम्बर, 1975 को की गई।

आपकी कंपनी कोयले के गवेषण, खान आयोजन एवं अभिकल्पन, पर्यावरण अभियांत्रिकी, कोयले का परिष्करण एवं उपयोग, संबंधित अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) सेवाएँ, क्षेत्र सेवाएँ इत्यादि के क्षेत्रों में सीआईएल तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों को घरेलू परामर्शी सेवा प्रदान करती रही है। सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के अलावे धात्विक खनन (मेटल माइनिंग) क्षेत्रों के ग्राहकों को भी इस तरह की सेवाएँ प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, सीएमपीडीआई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा कोयला मंत्रालय को भी गैर सीआईएल ब्लॉक, सीबीएम एवं शेल गैस इत्यादि से संबंधित इसी प्रकार सेवाएँ भी दे रहा है।

सीएमपीडीआई के गठन के बाद के वर्षों के दौरान बड़ी खुली खान तथा भूमिगत खान परियोजना के लिए संयुक्त प्लानिंग कार्य करने हेतु पूर्ववर्ती यूएसएसआर के जिप्रोशाख्त, पोलैंड के कोपेक्स तथा ब्रिटेन के ब्रिटिश माइनिंग कन्सल्टेंट जैसे उन्नत (अग्रणी) कोयला खनन वाले देश के संस्थानों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए अपने योजनाकारों एवं अभियंताओं की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाया गया। इसके कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढ़ाने के अतिरिक्त कम्प्यूटर एवं प्रयोगशाला सुविधा स्थापित कर आधारभूत सुविधा का निर्माण कर सीएमपीडीआई ने अपने कार्मिकों की विशेषज्ञता के स्तर को बढाया है। इन सब उपायों ने सीएमपीडीआई को खनिज एवं खनन के

क्षेत्र में संपूर्ण समाधान करने वाला अद्वितीय कंपनी बना दिया है। फिर भी, विश्वव्यापी व्यावसायिक वातावरण में आए बदलाव के कारण 1990 के दशक में इस तरह के द्विपक्षीय समझौते महत्वहीन हो गए एवं अपनी गति खो चुके हैं। कर्मियों की सेवा–निवृत्ति, कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों में स्थानान्तरण तथा युवा अभियंताओं की बहाली नहीं होने के कारण 90 के दशक में कार्यकुशल श्रमशक्ति के मामले में कंपनी की शक्ति में कमी आने लगी जो काफी समय तक चली।

कुल मिलाकर खनन उद्योग से संबंधित साफ्टवेयर के प्रयोग, विशेषकर पर्यावरण सुविधा, कोयले के गुण निर्धारण (कैरेक्टराइजेान) से संबंधित कुछ उपकरणों में वृद्धि तथा किए गए आईएसओ मानक के समाधान से कंपनी अपनी सेवाओं एवं सुविधाओं को उन्नयन कर उत्कृष्टता के स्तर तक पहुँचाने के प्रति समर्पित है।

सीएमपीडीआई के प्रमुख क्रिया–कलापों में से एक ड्रिलिंग की क्षमता, जिससे भावी कोयला उत्पादन की आवश्यकता के लिए कोल ब्लॉक के अनुमान करने में मदद मिलती है, ने लगभग 2 लाख मीटर प्रतिवर्ष (04–05 में 2.02 लाख मीटर से 07–08 में 2.09 लाख मीटर) के आस–पास थी तथा टर्न ओवर लगभग 150 से 200 करोड़ रूपये (2004–05 में 151 करोड़ रूपए तथा 2007–08 में 196 करोड़ रूपए) था। ड्रिलिंग में योगदान सिर्फ विभागीय तौर पर ही थी। 11वीं योजना के प्रारंभ में यह विचार आया कि संसाधनों को तेजी से प्रमाणित करने की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, खासकर गवेषण के क्षेत्र में सीएमपीडीआई की भूमिका में काफी वृद्धि करने की जरूरत होगी। तद्नुसार, विभागीय क्षमता को बढ़ाने के अलावा एमईसीएल सहित अन्य एजेंसियों की ड्रिलिंग क्षमता का उपयोग कर इसकी क्षमता में वृद्धि पर बल दिया गया तथा निजी एजेंसियों को ड्रिलिंग कार्य का कुछ भाग आऊटसोर्स कर ड्रिलिंग शुरू किया गया। इसी के साथ–साथ सीएमपीडीआई की कोयला कोर जाँच की क्षमता भी बढ़ाई गई। कुल मिलाकर स्वदेशी तथा आयातित उपकरणों के जरिए अन्य प्रयोगशालाओं जैसे पर्यावरण, खनन प्रौद्योगिकी आदि की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में एक कोल बेड मिथेन प्रयोगशाला की भी स्थापना की गई है। इसके बाद प्रशासकीय मंत्रालय यानि कोयला मंत्रालय भी सीएमपीडीआई की उस जगह गवेषण क्षमता बढ़ाने के लिए एक योजना लेकर आया है जहाँ 2015–16 तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता 4 लाख मीटर सहित कुल ड्रिलिंग क्षमता 15 लाख मीटर तक बढ़ाई जानी थी।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उतरी तथा हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल, श्रमशक्ति में वृद्धि आदि जैसे कई कदम उठाकर इसने वर्ष 2016–17 के दौरान 4.41 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। इस तरह निर्धारित विभागीय ड्रिलिंग क्षमता पार गई। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई, जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग की गई, जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग कमुलेटिव अनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 18.5 प्रतिशत से अधिक थी। कुल मिलाकर कंपनी की निबल बिक्री वर्ष–दर–वर्ष बढ़ती गई तथा अब 2016–17 में बढ़कर यह 930.52 करोड़ रू. हो गई है।

आपकी कंपनी इन चुनौतियों पर खरी उतरी तथा हाइड्रोस्टैटिक ड्रिल, श्रमशक्ति में वृद्धि आदि जैसे कदम उठाकर इसने वर्ष 2016–17 के दौरान 4.08 लाख मीटर तक विभागीय ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाई है। इस तरह निर्धारित विभागीय ड्रिलिंग क्षमता पिछे छूट गई। वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 11.26 लाख मीटर ड्रिलिंग की गई जो वर्ष 2006–07 (10वीं योजना के अंत तक) 2.06 लाख मीटर की उपलब्धि सहित ड्रिलिंग कमुलेटिव एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट 18.5 प्रतिशत से अधिक थी। कुल मिलाकर कंपनी की निबल बिक्री वर्ष दर वर्ष बढ़ती गई तथा अब 2016–17 में बढ़कर यह 920.52. 27 करोड़ रूपए हो गई है तथापि, विगत के वर्षों में किए गए सभी प्रयास कंपनी के उच्च स्तर एवं निचले स्तर पर सही ढंग से दिखलाई नहीं पड़ते, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशिलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। फिर भी, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने (फोरे) हेतु सीएमपीडीआई के लिए संभव अवसरों तथा कोयला क्षेत्र में भावी मार्केट परिदृश्य को उचित अध्ययन आवश्यकता है। इस विचार से कंपनी का

मूल्यनिर्धारण मेकानिज्म तथा पुनरावलोकन किया जा रहा है। कोयला सेक्टर के अलावा अन्य खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्र कोयला आधारित ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विकास आदि में विविधिकरण के जरिए बिक्री में वृद्धि सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसी के समानान्तर विविधिकरण से कंपनी की विशिष्टता को कोयला क्षेत्र की संपूर्ण हित के लिए बचाया जाएगा।

घात्विक खनन कंपनी जैसे टाटा स्टील, सेल, एमओआईएल लि., हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हुट्टी गोल्ड माइन, एनएमडीसी आदि को खनन के संबंध में परामर्शी सेवाएँ दी गई।

तथापि, विगत के वर्षों में किए गए सभी प्रयास कंपनी के उच्च स्तर एवं निचले स्तर पर सही ढंग से दिखलाई नहीं पड़ते, इसलिए सीएमपीडीआई की व्यापार गतिशीलता पर पुनरावलोकन करने की आवश्यकता है। फिर भी, अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करने (फोरे) हेतु सीएमपीडीआई के लिए संभव अवसरों तथा कोयला क्षेत्र में भावी मार्केट परिदृश्य को उचित अध्ययन आवश्यक है। इस विचार से कंपनी का मूल्यनिर्धारण में कानिज्म तथा पुनरावलोकन किया जा रहा है। कोयला सेक्टर के अलावा अन्य खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण क्षेत्र, कोयला आधारित ऊर्जा के अन्य स्रोतों में विकास आदि में विविधिकरण के जरिए बिक्री में वृद्धि सहित वैल्यू टर्म में बाहरी कार्य (गैर–सीआईएल) की मात्रा में वृद्धि हेतु संभावित रणनीति का अध्ययन किया जा रहा है। इसी के समानान्तर विविधिकरण से कंपनी की विशिष्टता को कोयला क्षेत्र की संपूर्ण हित के लिए बचाया जाएगा।

2. वित्तीय उपलब्धि :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने कर के पहले 65.53 करोड़ रू. (2.70 करोड़ रू. के अन्य विस्तृत हानि पर विचार करने के बाद पीवीटी 62.83 करोड़ रू. होगा) लाभ के साथ–साथ 930.52 करोड़ रू. का अधिकतम टर्न ओवर हासिल किया है। आपकी कंपनी का निबल मूल्य (नेटवर्थ) 31.3.16 के अनुसार 215.25 करोड़ रू. से बढ़कर 31.3.2017 के अनुसार 255.70 करोड़ रू. हो गया। इस वित्तीय वर्ष में प्रति शेयर उपार्जन पिछले वर्ष 480.04 से बढ़कर 2131.83 रू. हो गया।

3. ड्रिलिंग उपलब्धि :

जैसा कि ऊपर दिया गया है, आपकी कंपनी ने वर्ष 2015–16 के दौरान की गई 9.94 लाख मी. ड्रिलिंग की तुलना में वर्ष 2016–17 में विभागीय संसाधन तथा आउटसोर्सिंग के जरिए गत वर्ष की ड्रिलिंग में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर 11.26 लाख मी. ड्रिलिंग की है। वर्ष 16–17 के लिए कोयला मंत्रालय ने लक्ष्य में पर्याप्त वृद्धि कर इसे 12.50 लाख मीटर कर दिया है। इसके कारण ड्रिलिंग के लिए पर्याप्त संख्या में कोयला ब्लॉक के आउटसोर्सिंग पर बल देना आवश्यक हो गया है। सीएमपीडीआई ने विभिन्न कोयला ब्लॉकों में प्रतिवर्ष एक लाख मीटर तक गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए 6 जनवरी, 2009 को एमईसीएल के साथ दीर्घकालीन समझौता किया है। ड्रिलिंग में वार्षिक सीमा 4.00 लाख मीटर तक पुनः बढ़ा दी गयी है। वर्ष 2007–08 से अब तक 9 दौर की राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा तथा 11 दौर की ई–टेंडरिंग की जा चुकी है और 81 ब्लॉकों में 31.59 मीटर के लिए कार्यादेश जारी किया जा चुका है।

4. परियोजना रिपोर्ट :

12वीं योजना के लिए 129 परियोजनाओं की पहचान की गई, परिणामस्वरूप लगभग 517 एमटी क्षमता में वृद्धि हुई जिसके मुकाबले 456 एम टी अतिरिक्त क्षमता वाली 105 परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त,31 मार्च, 2017 तक 198 मी.ट. क्षमता वृद्धिवाली 77 परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है। विवेच्य वर्ष के दौरान 55 एमटीवाई क्षमता वृद्धि सहित 26 परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई।

5. प्रयोगशालाओं का उन्नयन :

सीएमपीडीआई की सभी प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। परिश्कृत आयातित उपकरणों से रासायनिक एवं पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला को सुसज्जित कर इन प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ा दी गई है। अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित कर वर्तमान प्रयोगशाला की क्षमता बढ़ा दी गई है। सीएमपीडीआई (मुख्यालय), क्षेत्र संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान की पर्यावरण प्रयोगशाला को नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन (एनएबीएल) द्वारा पुनः मान्यता दी गई है। विवेच्य वर्ष के दौरान एनएबीएल द्वारा निगरानी (सर्विलांस) की गई। वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण प्रयोगशाला की सीपी की मान्यता मिली जो 5 वर्ष तक वैध रहेगा। सर्टिफिकेशन इन्टरनेशनल (सीआई) द्वारा सीएमपीडीआई (मुख्यालय), क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 में स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला को ओंएचएसएएस 18001–2007 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्राप्त हुआ है। सीबीएम तथा शैल गैस संबंधी अध्ययन रिजवायर गुणनिर्धारण तथा सीबीएम एवं भोल गैस संसाधन के मूल्यांकन से संबंधित सभी पारामेट्रिक डाटा के सृजन को सरल बनाने के लिए सीएमपीडीआई में एक अत्याधुनिक सीबीएम प्रयोगशाला कार्यरत है। सीएमपीडीआई की क्षमता एवं दक्षता को और बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई तथा सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वित्त प्रदत्त परियोजना कार्यान्वयनाधीन है।

6. श्रमशक्ति की भर्ती :

गवेषण, आयोजना एवं अभिकल्पन (प्लानिंग एंड डिजाइन) के साथ–साथ सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं की श्रमशक्ति की आवश्यकता पर विचार किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान विभिन्न विधाओं (डिसिप्लिन) के 73 प्रबंधन प्रशिक्षुओं को सीएमपीडीआई में बहाली एवं स्थानांतरण के जरिए पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार कोल इंडिया लिमिटेड की अन्य अनुषंगी कंपनियों से कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) को बहाली/अनुकंपा के आधार पर नियोजन/स्थानान्तरण पर मंगाया गया है तथा श्रमशक्ति को और बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है।

7. भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग तथा भू-उपयोग/ वनस्पति आच्छादन :

वर्ष 2008 से प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोयला़ओबी) से अधिक उत्पादन करने वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खानों में भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग के लिए प्रति वर्ष उपग्रह निगरानी प्रणाली की शुरूआत की गई है। इसके बाद 2011 से तीन वर्ष के अंतराल पर प्रतिवर्ष 5 मिलियन घन मीटर से कम उत्पादन क्षमता वाली कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों की भी भूमि पुनरूद्धार मानिटरिंग का कार्य शुरू किया गया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान हाई रिज्योल्यूशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित कोल इंडिया लिमिटेड की 82 खुली खान परियोजनाओं की भूमि पुनरूद्धार मानिटनिंग की जा चुकी है। 6 कोयला क्षेत्रों यानिझरिया, तालचर, विश्रामपुर, वर्धा, कम्पटी तथा माकुम में वनआच्छादन मैपिंग की गई।

8. कोल वाशरी की स्थापना में सहायता :

कोयला वाशरी की स्थापना में सहायता वाशरी की स्थापना में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी की सहायता दी गई। रिकार्ड समय में ई–रिजव्र ऑक्शनिंग प्रक्रिया के आधार पर निविदा दस्तावेज का निमार्ण करो–चलाओ–रख–रखाव करो (बीओएम) तथा निर्माण करो–मालिक बना–चलाओ (बीओओ) पर कस्टमाइज किया गया। सीआईएल के अधीन परिचालित कोकिंग कोल वाशरी के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी सहायता भी दी गई है। डिटेल डिजाइन ड्राईंग की संवीक्षा तथा अनुमोदन कर नई वाशरियों के निर्माण में सहायता दी जा रही है। आरओएम कोयला नमूनों तथा बोर कोर कोयला नमूनों की धोवन क्षमता अध्ययन भी किया जा रहा है।

9. पर्यावरणिक सेवा :

वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड को दी जा रही पर्यावरणिक सेवा के तहत 15 फार्म–1 की तैयारी सहित 37 ईएमपी तैयार की गई है। आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत, भुवनेश्वर, तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशालाओं के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड की 433 परियोजनाओं/संस्थानों की पर्यावरणिक मानेटरिंग (वायु, हवा एवं ध्वनि) की गई। कोयला मंत्रालय द्वारा 2013 में जारी संशोधित दिशा–निर्देश के अनुसार सीमएपीडीआई द्वारा विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल के लिए 7 माइन क्लोजर प्लान तैयार किए गए। विवेच्य वर्ष के दौरान 17 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार कर कोयला मंत्रालय को भेज दी गई। इस वर्ष में 58 माइन क्लोजर स्टैंटस रिपोर्ट (एमसीएसआर) तैयार की गई। तथापि, भावी पर्यावरणिक सेवाओं की आवश्यकता तथा कोयला मंत्रालय द्वारा और कड़ी शर्त लगाने की संभावना विचार कर हमारे द्वारा नियमित आधार पर सेवाएँ दी जानी आवश्यक होगी। खनिजों के खनन के साथ–साथ खुली खनन, भूमिगत खनन क्षेत्र, थर्मल एवं कोल वाशरी क्षेत्र के लिए क्वालिटी कॉसिल आफ इंडिया (क्यूसीआई) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेसी) द्वारा सीएमपीडीआई को पर्यावर्णिक प्रभाव मूल्यांकन परामर्शदाता संगठन के रूप में पुनः मान्यता दी गई है।

10. कोयला आधारित ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत :

कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधन के व्यावसायिक विकास को आसान बनाने के लिए सीएमपीडीआई ने अपना प्रयास जारी रखा और यह राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर व्यावसायिक तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

सीएमपीडीआई ओएनजीसी तथा सीआईएल के कंसोर्टियम को आवंटित दो ब्लॉकों झरिया तथा रानीगंज नार्थ में सीबीएम के विकास के लिए किए जा रहे कार्यो का अनुसरण कर रहा है तथा प्रशासनिक और संविदात्मक एवं परिचालानात्मक जैसे अन्य मुद्दों पर कोल इंडिया लिमिटेड को सहायता दे रहा है। कोयला मंत्रालय ने सीएमपीडीआई को सीएमएम के विकास के लिए नोडल एजेंसी बनाया है।

कोयला मंत्रालय ने 29 जुलाई, 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड को आवंटित कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्र से सीबीएम का पता लगाने तथा इसके दोहन का अधिकार कोल इंडिया लिमिटेड को दे दिया है। सीआईएल के क्षेत्र में सीएमएम के विकास के क्षेत्र का पता लगाने के लिए सीएमपीडीआई द्वारा ''सीआईएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीएमएम का मूल्यांकन'' के लिए और अध्ययन किया गया है, तथा बीसीसीएल के अधिकार वाले क्षेत्र में सीबीएम ब्लॉक/सीएमएम ब्लॉक एवं ईसीएल के रानीगंज सीएमएम (दो ब्लाकों) ब्लॉक की कार्य शुरू करने के लिए पहचान की गई है। (क) रानीगंज कोलफील्ड्स (ईसीएल) तथा झरिया कोल फील्ड (बीसीसीएल) में सीबीएम ब्लॉक के लिए खनन लीज होल्ड क्षेत्र के भीतर ''कोल माइन मिथेन (सीएमएम)/ कोल बेड मिथेन (सीबीएम) के व्यावसायिक विकास के लिए रिजरवायर माडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक अध्ययन'' की शुरूआत वैश्विक बोली के जरिए चयनित अन्तराष्ट्रीय परामर्शदाता के जरिए की गई है।

मार्च, 2017 में राँची में जीओआई–एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल–सीएमपीडीआई, जीओआई–यूएसईपीए द्वारा ''बेस्ट प्रैक्टिसेज इन मिथेन ड्रेनेज एंड यूज इन कोल माइन्स'' पर संयुक्त रूप से राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

सीएमपीडीआई क्षेत्रीय रूप से गवेषित क्षेत्रों में ड्रिल किए जा रहे बोर होलों में ''असेसमेंट आफ कोल बेड मिथेन गैस इन प्लेस रिसोर्स ऑफ इंडियन कोलफील्ड्स/लिग्नाइट'' से संबंधित अध्ययन कर रहा है।

सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीआईएल (आरएंडडी) तथा भारत सरकार से नेशनल क्लीन एनर्जी फंड (एनसीईएफ) के तहत मुनिडीह (झरिया कोल्डफील्ड्स) शुरू किया जाने वाला वेन्टिलेशन एयर मिथेन के

प्रमोशन/उपयोग पर एक परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसमें सीएमपीडीआई प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी तथा बीसीसीएल उप कार्यान्वयक एजेंसी है। इस परियोजना को सीआईएल बोड्र द्वारा सिद्धांत रूप में अनुमोदित कर दिया गया तथा सरकार के समक्ष अनुामोदन पर शुरू किया जाएगा। कोयला मंत्रालय ने दिए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान नामांकन के आधार पर पीएसयू को बोली लगाने/दिए जाने के लिए ब्लॉकों के बारे में निर्णय लेने वाली लगाने की प्रक्रिया (बिडिंग प्रोसेस) तथा अन्य संबंधित मामले के मेकानिज्म के प्रस्ताव देने के लिए एक अंतर मंत्रालयी समिति का गठन किया है। कोयला मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है। ''यूसीजी के विकास के लिए बिड दस्तावेज तथा माडल कान्ट्रेक्ट दस्तावेज तैयार'' करने के लिए परामर्शदाता नियुक्त किया गया है। मार्च, 2017 में दिल्ली में'' भारत में यूसीजी (डीप सीटेड कोल) के विकास के लिए चुनौति एवं अवसर'' पर कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें भारतीय भू–खनन स्थिति में यूसीजी के विकास के लिए निर्धारित करने हेतु निर्णय के लिए कोयला मंत्रालय, डीजीएच सीआईएमएफआर आईआईटी तथा राष्ट्रीय विशेष शामिल हुए।

11. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

आपकी कंपनी कोयला मंत्रालय के एसएंडटी अनुदान तथा सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा निधिकृत अनुसंधान क्रिया–कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। अनेक शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा किए जा रहे अनुसंधान एवं विकास कार्यों के समन्वयन के अलावा सीएमपीडीआई अपने पूर्णतः संस्थापित प्रयोगशाला की सहायता से खनन, कोयला गवेषण, साफ कोयला प्रौद्योगिकी यानि कोल बेड मिथेन (सीबीएम), कोल माइन मिथेन (सीएमएम), भोल गैस मूल्यांकन, कोयले से तरल (सीटीएल), कोयला परिष्करण एवं उपयोग तथा खान पर्यावरण से संबंधित मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में अनुसंधान कार्य भी करता है।

अनेक वर्षों से इनमें से कई अनुसंधान परियोजनाओं से काफी लाभ मिला है, जिसके फलस्वरूप परिचालनात्मक सुधार, अपेक्षाकृत सुरक्षित कार्य स्थिति, बेहतर संसाधन प्राप्ति तथा पर्यावरण का संरक्षण हुआ। यद्धपि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं के कारण उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है, तथापि कुछ अन्य परियोजना ऐसी है जिनसे चालू खानों तथा भावी खनन योजनाओं दोनों के लिए अपेक्षित खान आयोजन, डिजाइन एवं तकनीकी सेवाएँ सशक्त हुई हैं। भारतीय भू–खनन स्थितियों के लिए खास तौर से विकसित डिजाइन्ड टूल्स, भूमिगत कोल पिलर डिजाइन रूफ कैवेब्लिटी का विश्लेषण, ओपेनकास्ट स्लोप स्टेब्लिटी, सतह धँसान का पूर्वानुमान, रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इंस्टैंट कोल ऐश एंड मोआइ चर अनालाइजर, रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग कर कोल ड्राई बेनिफिसिएशन सिस्टम, भिन्न–भिन्न रॉक कंडिशन के लिए अनुकूलतम विस्फोटन डिजाइन आदि जैसे कई समस्याओं के लिए अब यह उपलबध है।

1. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबोटिक एवं रिमोट परिचालन प्रौद्योगिकी का विकास।
2. कोयला से तरल (सीटीएल) (रूपान्तरण) परिवर्त्तन प्रौद्योगिकी का पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वेदेशी उत्प्रेरक का विकास।
3. नैनो क्रिस्टलाइन सर्फेस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट की सहायता से इरोजन–कोरोजन को रोकर कोयला/लिग्नाइट खानों में जल निकास पाइपलाइन के जीवन (टिकाउपन) को बढ़ाना।
4. विस्फोटन डिजाइन तथा विखंडन नियंत्रण।
5. रेलवे ट्रक/वैगन से स्थल पर तत्काल कोल ऐश एंड मोआइश्चर अनालाइजर के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन एवं विकास।
6. लैब स्केल कोल विनोविंग सिस्टम (फेज–।।) के विभिन्न पारामीटरों का ऑप्टीमाइजेशन।
7. रानीगंज कोलफील्ड्स की मोटी सीम में सुरक्षित तरलीकरण की पद्धति का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी (ईसीएल) में डिजाइन एवं विकास तथा शॉ–केसिंग डेमोन्स्ट्रैटिव ट्रायल।

8. रेडियोमेट्रिक का प्रयोग कर कोल ड्राई परिष्करण पद्धति का प्रदर्शन।

9. शॉवल डम्प डम्प तथा ड्रैगलाइन डम्प दोनों को सुरक्षित तथा किफायती डिजाइन के विचार से शॉवेल डम्प डम्प के टो तथा ड्रैगलाइन डम्प के टो के बीच की दूरी का पूर्वानुमान करने के लिए दिशा–निर्देश का विकास/कोयला/लिग्नाइट उद्योगों को अधिक–से–अधिक अनुसंधान शामिल करने के लिए सीएमपीडीआई सभी संभव प्रयास कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों के साथ मिलकर 25 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ कार्यान्वयनाधीन है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत मोडिफायड रेडियो मेट्रिक डिटेक्शन एंड न्यूमौटिक रिमुवल टेक्नोलॉजी के आधार पर कोयले के ड्राई डिशेलिंग के लिए एक डिमॉन्स्ट्रेशन संयंत्र विकसित किया गया है।

रेडियोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का स्पष्ट लाभ यह है कि साफ कोयले को अपेक्षित गुण या रिजेक्शन के लिए थ्रेसहोल्ड/वैल्यू की योजना बनाई जा सकती है। तथा आवश्यकतानुसार सेट किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी प्रभावकारी, धूल रहित तथा ऊर्जा के अनुकूल भी है।

अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की ड्रैगलाइन संचालित 11 खानों के अध्ययन के आधार पर ड्रैगलाइन डम्प तथा शॉवेल डम्पर डम्प के टो के बीच की अनुकूलतम दूरी के लिए सामान्य दिशा–निर्देश विकसित किया गया है इसमें विभिन्न भू–अमियंत्रण पारामीटर के अनुसार संपूर्ण ऊँचाई ढाल का पूर्वानुमान किया जा सकता है। उपर्युक्त अध्ययन से यह निष्कर्श निकाला गया है कि शॉवेल डम्पर का टो ड्रैगलाइन डम्प के टो से कम–से–कम 110–180 मीटर (आकार पर निर्भर) बनाया जाता है ताकि फ्रेस डम्पिंग डम्पर के पहले ड्रैग लाइन डम्पर को स्थिर होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। जल तालिका (वाटर टेबुल) में वृद्धि के कारण डम्प स्थायित्व में कमी आ सकती है।

12. ई–प्राप्ति तथासंविदा प्रबंधन :

15.01.2016 से 1.00 करोड़ रू. एवं उससे अधिक मूल्य वाली सभी निविदाओं में रिवर्स ऑक्शन की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई है। आरएपी के जरिए सुरक्षा प्रहरी को हायर करने के लिए इस तरह की निविदा प्रकाशित करने वाली यह कोल इंडिया लिमिटेड की पहली कंपनी है। ईएमडी की प्राप्ति, वापसी तथा सामजस्य की ऑफ लाइन प्रक्रिया को कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक : 29.07.2016 के आदेश के अनुसार रोक दिया (डिसकंटीन्यू) है तथा ऑन लाइन प्राप्ति एवं वापसी के लिए नया माड्यूल कार्यान्वित किया है। इस पद्धति में एक्सीस बैंक में कोल इंडिया लिमिटेड तथा अनुषंगी कंपनियों द्वारा रखे गए सेंट्रल पुल अकाउन्ट में नेट बैकिंग या एनईएफटी/आरटीजीएस के जरिए ईएमडी की रीसिट पर विचार किया गया। किसी बिल की अस्वीकृति तथा किसी निविदा को अंतिम रूप देने (फाइनलाइज) पर अस्वीकृत/ विडर के ईएमडी को बिडर के उस लेखा में स्वतः वापस मान लिया गया जहाँ यह प्राप्त हुआ था तथा सफल बिडरों की ईएमडी सीआईएल/सहायक कंपनियों के संबंधित नामित खाते में स्थानांतरित कर दिया गया। ऐसी स्थिति में, लक्षित बैंक एक्सिस बैंक था वहाँ लेन–देन के सामांजस्य (रिकॉसिलिएशन) में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई, इसे क्योंकि प्रत्येक ट्रान्जक्शन की रेमिट रेफरेंस नम्बर के जरिए पहचान की जा सकी। यह नम्बर पुल अकाउन्ट के साथ–साथ डेस्टिनेशन अकाउन्ट में प्रतिबिम्बित हो रहा था। जिस मामले में लक्ष्यित (डेस्टिनेशन) अकाउन्ट एक्सिस बैंक के अलावा कोई बैंक था, वहाँ ईएमडी को बिना किसी पहचान संदर्भ (आईडेन्टीफिकेशन रेफरेंस) के स्थानांतरित किया जा रहा था,जिसके कारण वित्त विभाग के लिए ट्रान्जक्टेड रकम का समान्जस्य रिकॉन्सिलिएशन) तथा कैश रीसिट जारी करना कठिन हो रहा था। यह मामला सीआईएल तथा एक्सिस बैंक के समक्ष उठाया गया और सीएमपीडीआई के ई–पीएंडएम विभाग द्वारा एक समाधान सुझाया गया। हमारे द्वारा दिए गए सुझाव को अपना लिया गया। तद्नुसार प्रणाली सृजित मेल अलर्ट वित्त विभाग के कार्मिकों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो सफल बिड्डरों के ईएमडी से संबंधित लेन–देन की पहचान करने में सक्षम है तथा

कैश रीसिट जारी कर रहे हैं। अब इस प्रणाली का उन सभी सहायक कंपनियों/क्षेत्रों (एरिया) में अनुसरण किया जा रहा है, जहाँ नामित बैंक एक्सिस बैंक से अलग है।

परार्मशदाता को हायर करने उदाहरणार्थ सीएमपीडीआई के लिए रणनीतिक व्यावसायिक योजना, अप्रत्यक्ष कर परामर्शदाता को लगाने, यूसीजी के विकास के लिए विकासत्मक एवं मॉडेल कान्ट्रैक्ट डोक्यूमेंट आदि जैसी निविदाओं में मूल्य बोली को खोलने के पहले कुछ क्रेडेन्सियल का मूल्यांकन करना आवश्यक है, जो सीआईएल के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के वर्त्तमान स्वरूप (फार्म) में संभव नहीं था। सीएमपीडीआई ने इस मुद्दे पर सीआईएल के साथ विचार–विमर्श किया और इस प्रकार की निविदा के लिए पृथक संगठनात्मक चेन से ''क्रिटिकल टेंडर'' के तहत निविदा की दूसरी प्रणाली (मोड) अंगीकार की गई। संयुक्त गुणवत्ता–सह–लागत आधारित प्रणाली पर आधारित इस प्रकार का ई–प्रोक्योरमेंट अब तक सीएमपीडीआई द्वारा किया गया है। सीएमपीडीआई सीक्यूसीसीबीएस पर परामर्शदाता को हायर करने के लिए तथा सीसीएल एवं एनसीएल में यूएवी के विकास करने के लिए निविदा को अंतिम रूप देने में सक्षम रहा है।

13. निगमित सामाजिक दायित्व तथा सस्टेनेब्लिटी :

आपकी कंपनी ने लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सीएसआर के सुस्पष्ट बास्केट के जरिए आस–पास के समुदायों तथा व्यापक समाज के साथ मजबूत संबंध बनाई है। सीएसआर एवं सस्टेनेब्लिटी के तहत सीएमपीडीआई सतत् (टिकाऊ) विकास पर बल देता रहेगा तथा कार्य करता है। वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए कार्य–कलापों में विद्यालय/गाँवों में आधारभूत संरचना का विकास, विद्यालय जाने वाले गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को शैक्षणिक सहायता, आर.के.मिशन को वित्तीय सहायता, चिकित्सीय उपकरणों की खरीद के लिए टीबी सैनेटोरियम, तुपुदाना, राँची को वित्तीय सहायता, कौशल विकास/महिला सशक्तिकरण, महाराष्ट्र के गाँवों में एलईडी सोलर लाइट का संस्थापन, गाँवों में ड्रिलिंग द्वारा पेयजल तथा बोरहोल कुआँ की स्थापना का प्रावधान इत्यादि शामिल है।

14. प्रबंधन प्रणाली मानक में परामर्शी सेवा :

कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन में सीएमपीडीआई नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई आईएसओ 9001, आईएसओ14001, आईएसओ 5001, आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए अपनी परामर्शी सेवा देता है। हम संस्थापन, प्रलेखन, जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षकों को प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, इन प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन तथा प्रमाणन के लिए कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के साथ–साथ प्रमाणोत्तर सहायता में दिशा–निर्देश तथा सहायता देते हैं।

हमारी दो सहायक कंपनियाँ एमसीएल तथा एनसीएल को कंपनी व्यापी समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सात क्षेत्रीय संस्थानों ने भारतीय मानक ब्यूरो से गया आईएसओ 9001 : 2015 मानक के लिए लाइसेंस प्रापत कर लिया है। हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता से सीआईएल मुख्यालय को आईएसओ 9001 तथा आईएसओ 50001 के लिए प्रमाणित किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों की 32 प्रयोगशालाओं को एनएबीएल मान्यता प्राप्त है। सीआईएल की सभी सहायक कंपनियाँ की 56 विभिन्न ईकाइयाँ आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओवचएमएएस 18001 तथा आईएसओ 27001 के लिए प्रमाणित है। हमारे मार्गदर्शन एवं सहायता के तहत कोयला मंत्रालय भी आईएसओ 9001 के लिए प्रमाणित है।

हमने ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल तथा बीसीसीएल में कंपनी वाइड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी सेवाएँ दी है। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा

ओएचएसएएस 18001) के लिए ईसीएल का कंपनी वाइड सर्टिफिकेशन जल्द अपेक्षित है। हम कोल इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय को आईएसओ 14001:2015 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली) के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन के लिए सहायता उपलबध करा रहे हैं और यह प्रमाणन जल्द ही दिए जाने की संभावना है।

15. कोल इंडिया से बाहर की कम्पनियों को सहायता :

वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर के 26 संगठनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 35 बाहरी परामर्शी कार्य किया गया है। इनमें से प्रमुख ग्राहक/संगठन है : एनएमडीसी, एमओआईएल लि, एमएएचएजीईएनसीओ, टाटा स्टील, डीवीसी, सेल, यूसीआईएल, वेस्ट बंगाल पावर डॅपलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (डब्ल्यूबीपीडीसीएल), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड इत्यादि

वर्त्तमान में कंपनी लिमिटेड इत्यादि सीएमपीडीआई द्वारा, ओसीपीएल, एनएमडीसी, नाल्को, एनटीपीएस, नाल्को, एनटीपीसी लिमिटेड, एमएएचएजीईएनसीआ, सेल, ओडिसा माइनिंग काारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 19 संगठनों के लिए 25 आउटसाइड सीआईएल परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों से 141.38 करोड़ रूपए मूल्य के 43 आउट साइड सीआईएल कार्य किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में अब तक प्राप्त किए गए कार्यों से सर्वाधिक मूल्य का कार्य है।

एनएमडीसी से ''मोजाम्बिक के टेटे राज्य में स्थित मेसर्स आईसीवीएल की बेंगा कोयला परियोजना के लिए संभाव्यता रिपोर्ट की तैयारी'' का एक समुद्र पार कार्य भी प्राप्त किया गया है।

16. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सेवाएँ:

वर्ष 2016–17 के दौरान अनेक समीक्षा बैठकों तथा बेहतर समन्वयन के लिए समय की बचत कराते हुए सीएमपीडीआई, मुख्यालय को देश के 6 राज्यों में स्थित इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों के साथ संयोजन कर कन्फ्रेसिंग सुविधा लागू कर कार्यालय क्षमता को उन्नत बनाने हेतु कदम उठाए गए। सीएमपीडीआई मुख्यालय तथा अपने सभी क्षेत्रीय संस्थान ई–ऑफिस का पूर्णतः पेपरलेस रीसिट मॉड्यूल की ओर अग्रसर हैं, जिसके परिणामस्वरूप कागज की बचत तथा कार्यालय दक्षता में सुधार आया है। सीएमपीडीआई पूरे सीआईएल में ई–आफिस के कार्यान्वयन कार्य का मूल्यांकन करता रहा है। यह कार्यएडवांस स्टेज में है।

ठेका श्रमिकों की मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता को बनाए रखकर सीएमपीडीआई में कान्ट्रॉक्ट लेबर इन्फोर्मेशन पोर्टल (क्लीप) विकसित किया गया है। खान क्षमता मूल्यांकन रिपोर्ट की समय पर तैयारी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की खुली तथा भूमिगत खानों से आँकड़ा जुटाने हेतु पोर्टल विकसित किया गया है।

17. मान्यता एवं पुरस्कार :

भारत सरकार ने सीएमपीडीआई के योगदान तथा इसकी प्रासंगिता को पहचाना तथा वर्ष 2009 में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टप्राइजेज (डीपीई) के प्रावधान के अनुसार इसे मिनी रत्न कंपनी (कैट–।।) से नवाजा है। डीपीई के दिशा–निर्देश में उपक्रमों को और अधिक दक्ष एवं स्पर्धात्मक बनाने के नीतिगत उद्देश्य से लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसई) को और अधिक स्वायत्ता एवं अधिकार देने का प्रावधान है।

वर्ष 2007–08 से (2010–11 को छोड़कर) डीपीई द्वारा उत्कृष्ट एमओयू (कोल इंडिया लिमिटेड तथा सीएमपीडीआई के बीच) प्राप्त करने से सीएमपीडीआई की आकर्षक उपलब्धि प्रतिविम्बित होता है। सीएमपीडीआई

ने कोलकाता में 1 नवम्बर, 2016 को आयोजित 42वां कोल इंडिया स्थापना दिवस, 2016 के अवसर पर सीएसआर व्यय पर निगमित पुरस्कार (विशेष सम्मान पुरस्कार) प्राप्त किया। सीएमपीडीआई ने वर्ष 2016–17 के लिए उत्कृष्ट एमओयू रेटिंग भी प्राप्त किया।

18. निगमित शासन :

भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई द्वारा निगमित शासन की शर्तों को पूरा किया गया है। निर्देशक मंडल की रिपोर्ट में निगमित शासन पर एक अलग खंड (सेक्शन) जोड़ा गया है तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट में कंपनी से सांविधिक अंकेक्षकों से निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट में एक परिशिष्ट लगाया गया है।

आभारोक्ति :

ये सभी उपलब्धियाँ आपकी कंपनी के सामूहिक प्रयास, श्रमिक संगठनों तथा ऑफिसर्स असोशिएशन के सदस्यों के साथ–साथ कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए सहयोग से प्राप्त हो सकीं। मुझे विश्वास है कि कर्मचारियों की संलिप्तता, समर्पण तथा कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता भावी कार्य के प्रति समर्पण दिलासा का बड़ा स्रोत होगा। मुझे विश्वास है कि हम भविष्य में और ऊँचाई प्राप्त करने का प्रयास जारी रखेंगे तथा पहले की तरह हर स्तर पर इसके समर्पित प्रतिबद्धता तथा उपलब्धियों के साथ शेयर होल्डर की चुनौतियों एवं आकांक्षाओं को पूरा करेंगे।

मैं सभी शेयर होल्डर, कोयला मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों तथा विभागों, राज्य सरकारों, सभी कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, ग्राहकों एवं विक्रेताओं (वेन्डरों) को उनकी हार्दिक सहायता तथा अनवरत सहयोग के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक)

स्थान : राँची
दिनांक : 06.07.2017

उपलब्धि एक नजर में

क्रम सं.	विवरण	इकाई	2016-17 IndAS के अनुसार	2015-16 Restated IndAS के अनुसार	2015-16 GAAP के अनुसार	2014-15 GAAP) के अनुसार
1	सेवाओं की बिक्री (निबल बिक्री	₹ करोड़ में	930.52	759.27	759.27	726.72
2	कर के पहले लाभ	₹ करोड़ में	62.83	38.03	42.54	39.33
3	कर के बाद लाभ	₹ करोड़ में	38.82	23.97	28.48	25.04
4	धारित (रिटेन्ड) लाभ	₹ करोड़ में	38.82	23.97	28.48	25.04
5	निबल ब्लॉक	₹ करोड़ में	135.19	100.26	99.99	81.58
6	नेट वर्थ	₹ करोड़ में	255.7	215.25	214.98	182.84
7	चालू परिसम्पत्त	₹ करोड़ में	820.03	799.38	688.23	791.28
8	चालू देयताएँ	₹ करोड़ में	602.09	612.45	550.27	575.89
9	कार्यशील पूँजी [(7)-(8)]	₹ करोड़ में	217.94	186.93	137.96	215.39
10	नियोजित पूँजी	₹ करोड़ में	353.13	287.19	237.95	296.97
11	सकल मार्जिन	₹ करोड़ में	83.40	50.66	50.66	49.90
12	नियोजित पूँजी पर रिटर्न	₹ करोड़ में	17.79	13.24	17.88	13.24
13	प्रति शेयर उपार्जन	₹ करोड़ में	2131.83	480.04	1496.00	1315.13

नेट वर्थ = प्रदत्त पूँजी + आरक्षित एवं अधिशेष – संचित हानि एवं आस्थगित राजस्व व्यय

सकल मार्जिन = निबल लाभ + मूल्य ह्रास + ब्याज + पीपी समायोजन + कर व्यय

नियोजित पूँजी = निबल ब्लॉक + कार्यशील पूँजी

टिप्पणी : वर्तमान अवधि के साथ तुलनात्मक बनाने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक हुआ है, गत वर्ष के अंकों को पुनर्व्यवस्थित/पुनर्समूहत/पुनवर्गीकृत किया गया है।

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

बिक्री विवरण 2016-17

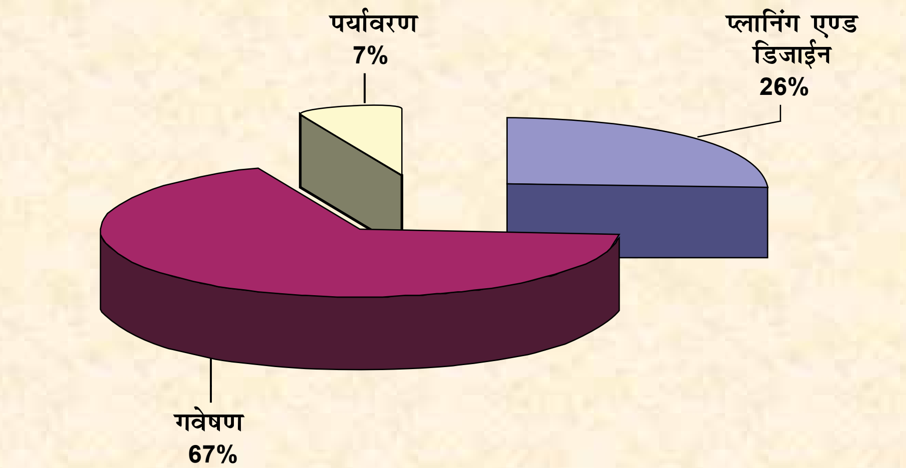

2016-17 के सेगमेन्ट के आधार पर व्यय का सारांश

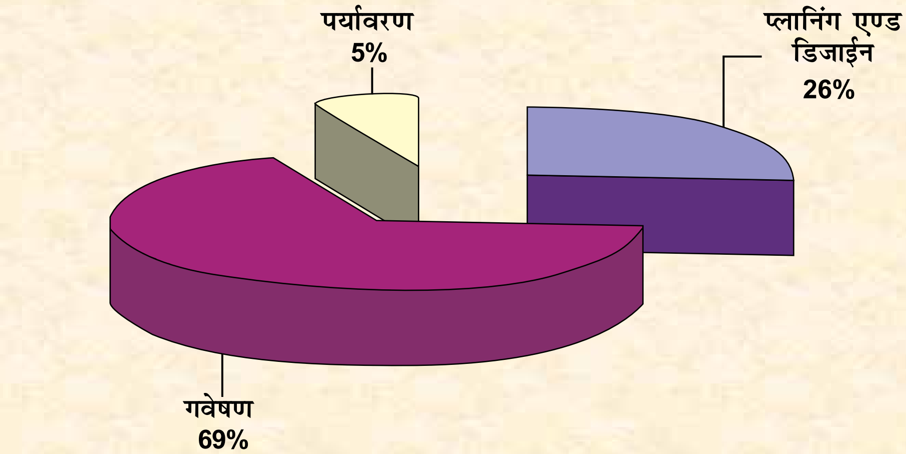

वर्ष 2016-17 के मुख्य व्यय का सारांश

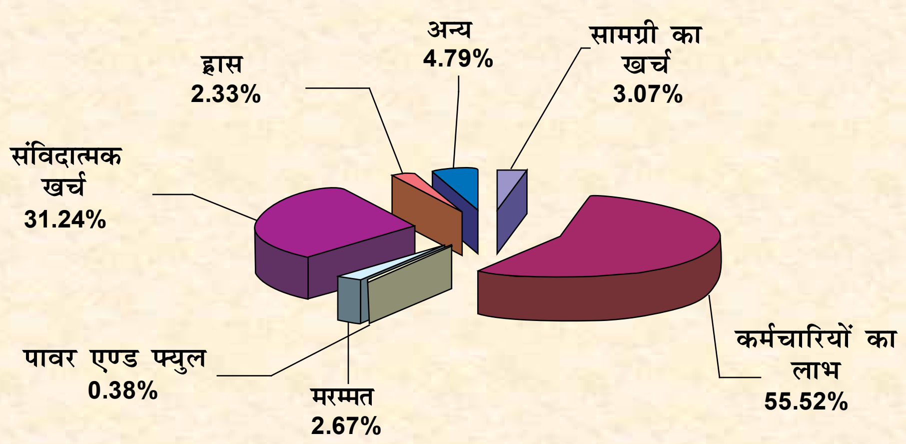

सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यवलोकन

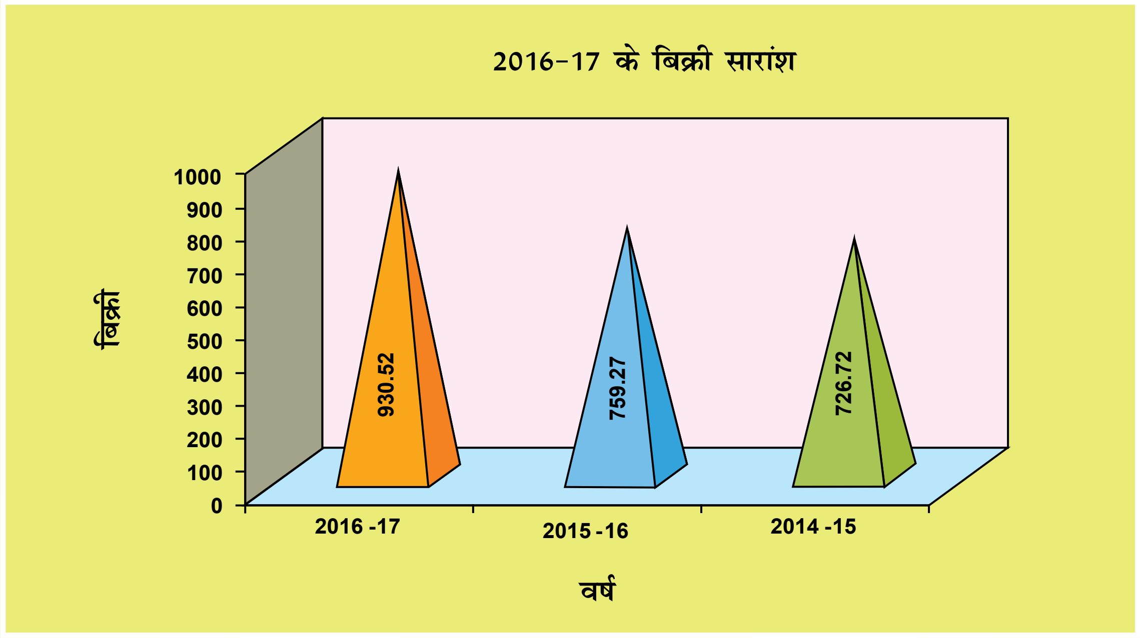

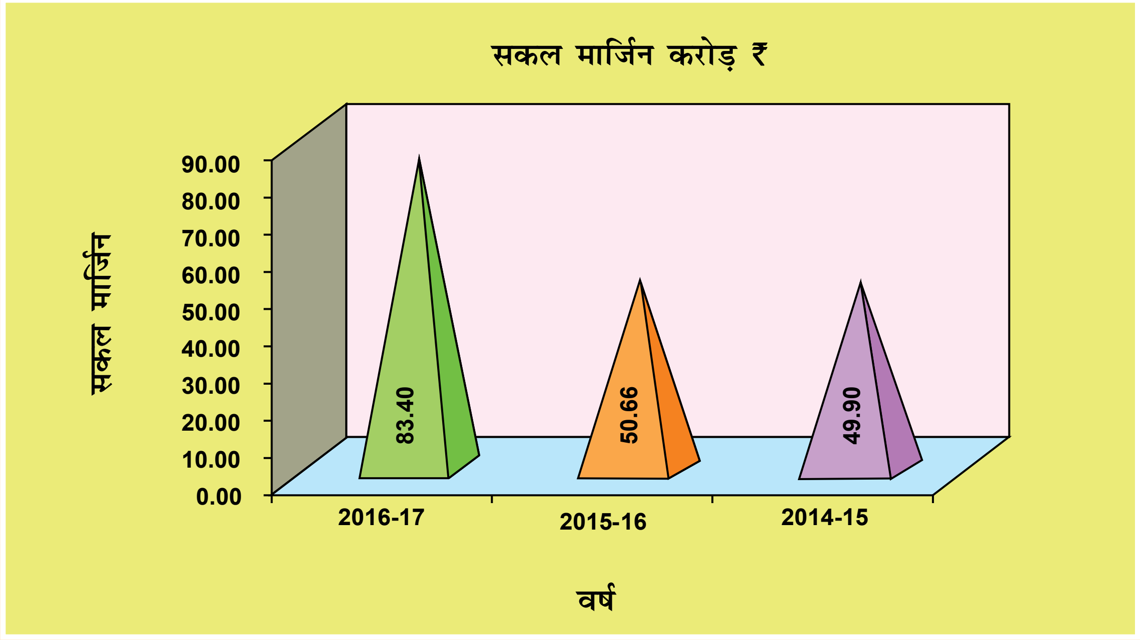

निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सज्जनों,

मुझे निदेशक–मंडल की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हिसाब–किताब तथा उस पर सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन और उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन सहित आपकी कम्पनी के क्रिया–कलापों पर आधारित 42वाँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

भाग : क

1.0 निगमित पर्यवलोकन

आपकी मिनी रत्न (कैट–।।) कंपनी (गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची स्थित अपने मुख्यालय तथा आसनसोल, धनबाद, राँची, नागपुर, बिलासपुर, सिंगरौली तथा भुवनेश्वर स्थित सातो क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कार्य जारी रखी । सातो क्षेत्रीय संस्थानों को क्षेत्रीय संस्थान–1 से क्षेत्रीय संस्थान–7 तक का नाम दिया गया जो कोल इंडिया लिमिटेड की 7 संगत अनुषंगी कोयला उत्पादक कंपनियों जैसे ईसीएल (क्षे.सं.–1) बीसीसीएल (क्षे.सं.2), सीसीएल (क्षे.सं.3), डब्ल्यूसीएल (क्षे.सं.–4), एसईसीएल (क्षे.सं.5), एनसीएल (क्षे.सं.–6) तथा एमसीएल, भुवनेश्वर, (क्षेत्रीय संस्थान–7) को अपनी समर्पित सेवाएँ देती रही हैं।

हाइड्रो कार्बनमहानिदेशालय, मैगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि., नेशनल अल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि., नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि.,दामोदर वैली कारपोरेशन, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन, महान कोल लिमिटेड, कर्नाटका पावर कारपोरेशन लि. आदि जैसे गैर सीआईएल ग्राहकों एवं कोल इंडिया, (मु) एनईसी को मुख्यतः सीएमपीडीआई, मुख्यालय के जरिए परामर्शी सेवाएँ दी जा रही है। इन परामर्शी सेवाओं के अलावे, सीएमपीडीआई कोयलामंत्रालय द्वारा दिए गए विशेषीकृत कार्यो को भी करता है।

वर्त्तमान में ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनसीपीसी लि., महाजेनको, सेल, उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटी कारपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जैसे 19 संगठनों के लिए 25 आऊटसाइड कंसलटेंसी जॉब हाथ में है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों को 141.38 करोड़ रूपये की लागत वाली 43 बाहरी परामर्शी कार्य प्राप्त किए गए । यह सीएमपीडीआई द्वारा अब तक प्राप्त किए गए सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है।

1.1 प्रदत्त प्रमुख सेवाएँ

- **भू-वैज्ञानिक गवेषण एवं ड्रिलिंग**

  कोल बेड मीथेन संसाधनों का जल भू–वैज्ञानिक अन्वेशण एवं पहचान, हाई रिजोल्यूशन शेलो सिस्मिक सर्वेक्षण, मल्टी–प्रोब जियोफिजिकल लॉगिंग के जरिए भू–वैज्ञानिक सर्वेक्षण, खनन परियोजना रिपोर्ट की तैयारी के लिए स्वःस्थाने कोयले के भंडार का मूल्यांकन करने तथा जियो इंजीनियरिंग एवं विश्वसनीय भू–वैज्ञानिक डाटा बनाने के आलोक में क्षेत्रीय रूप से गवेषित खनिखंडों का विस्तृत भू–वैज्ञानिक गवेषण।

- **परियोजना आयोजन एवं डिजाइन**

  भूमिगत और खुली खदान खानों, कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान, कोल और मिनरल बेनीफिशिएशन तथा यूटिलाइजेशन प्लांट, कोयला निपटान संयंत्र, वर्कशॉप और अन्य सहायक ईकाइयाँ तथा निवेश निर्णय के लिए परियोजना रिपोर्ट एवं विभिन्न योजनाओं का तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन सहित आधारभूत सुविधाओं के लिए परियोजना रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं विस्तृत अभियांत्रिकी ड्राईंग की तैयारी

- **अभियंत्रण सेवाएँ**

  खानों, परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन प्लांट्स, कोल हैंडलिंग प्लांट्स, विद्युत आपूर्ति प्रणाली, वर्कशॉप एवं अन्य इकाइयाँ, वास्तुशील्पीय प्लानिंग एवं डिजाइन के लिए सिस्टम और सब–सिस्टम का विस्तृत डिजाइन

- **अनुसंधान एवं विकास**

  कोल इंडिया की आरएंडडी द्वारा निधित आरएंडडी योजना और कोयला मंत्रालय द्वारा निधित सभी एसएंडटी योजना के लिए नोडल एजेंसी के रूप में सेवा दे रहा है। सीएमपीडीआई, स्वंय के बल पर परिश्करण, खनन, यूटिलाइजेशन, पर्यावरण गवेषण आदि के क्षेत्र में एप्लायड रिसर्च और विकास का कार्य भी शुरू किया है।

- **प्रयोगशाला सेवाएँ**

  सुसज्जित स्टेट ऑफ द आर्ट प्रयोगशालाएँ, संस्तर का भौतिक–यांत्रिक बल, पेट्रोग्राफिक, कोयले की वायु, जल, धोवन क्षमता गुण–निर्धारण, गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), कोल कोर सैम्पल, खान गैसों का गुणवत्ता विश्लेषण उपलब्ध करा रहा है।

  पर्यावरणिक सेवाएँ

  पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी, इसका कार्यान्वयन तथा क्षेत्रीय संस्थानों एवं मुख्यालयों के जरिए मॉनीटरिंग और घरेलू सीपीसीबी अनुमोदित प्रयोगशालाओं में वायु, जल, ध्वनि नमूनों का विश्लेषण, संपूर्ण कोल इंडिया के खानों के लिए लैंड यूज मॉनीटरिंग हेतु रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट का उपयोग भी शुरू कर दिया गया है।

- **सूचना प्रौद्योगिकी**
- **मानव संसाधन विकास**
- **विशेषीकृत सेवाएँ**
  - ❖ रिमोट सेंसिंग सहित जियोमेटिक्स
  - ❖ खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण
  - ❖ नियंत्रित विस्फोटन
  - ❖ नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
  - ❖ खनन इलेक्ट्रानिक्स
  - ❖ खान की क्षमता का मूल्यांकन
  - ❖ खान सपोर्ट का डिजाइन; रॉक मास रेटिंग (आरएमआर)
  - ❖ अनाशक परीक्षण (एनडीटी)
  - ❖ प्रबंधन प्रणाली परामर्श
  - ❖ कोयला एवं ओबीआर की माप

1.2 वित्तीय कार्यकारी परिणाम

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने 40. 59 करोड़ रूपए निबल लाभ अर्जित किया है। कंपनी का कार्यकारी परिणाम नीचे दिया गया है :

विवरण	31.3.17 को समाप्त वर्ष	31.3.15 को समाप्त वर्ष (इंड एएस के अनुसार पुनर्कथित	परिणाम 31.3.15–16 को समाप्त वर्ष (इंड एएस के कार्यान्वयन के पहले)
निबलबिक्री	930.52	759.27	759.27
कुल व्यय	880.46	749	726.59
कर के पूर्व लाभ	65.53	15.35	42.54
कर व्यय	24.94	6.21	14.06
कर (क) के बाद लाभ	40.59	9.14	28.48
अन्य कम्प्रहेंसिव इनकम (ओसीआई)'	(2.70)	22.68	इंडएस जो कार्यान्वित नहीं किया गया।
आयकर	(0.93)	7.85	
कुल अन्य कम्प्रहेंसिव आय (ख)	(1.77)	14.83	
कुल कम्प्रहेंसिव आय (क)+(ख)	38.82	23.97	

1.3 प्रबंधन विवेचन एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के प्रबंधन का कार्यनिष्पादन और आऊटलुक सहित महत्व के विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए अपने विचार–विमर्श तथा विश्लेषण प्रस्तुत किया है।

1.3.1 सीएमपीडीआई का विजन :

अर्थ रिसोर्स सेक्टर तथा संबंधित प्रोफेशनल गतिविधि में वैश्विक बाजार का लीडर होना।

1.3.2 सीएमपीडीआई का विजन

भारत तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अग्रणी परामर्शदाता के रूप में कोयला एवं खनिज गवेषण, खनन, अभियंत्रण तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में संपूर्ण परामर्शी सेवा देना।

1.3.3 उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए निगमित उद्देश्य की ओर अग्रसर होना (स्थापित करना)

सीएमपीडीआई के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है

1. भूवैज्ञानिक, भूभौतिकीय, जल–भूवैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक आंकड़ा प्रतिपादन सहित कोयले तथा खनिज गवेषण में परामर्शी सेवा सहायता प्रदान करना।
2. अनुकूलतम खान प्लानिंग के लिए भूवैज्ञानिक मूल्यांकन पर भरोसा के स्तर को ऊँचा कर गवेषण तथा संभाव्यता रिपोर्ट की गुणवत्ता में सुधार करना।
3. निवेश आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाह्य संसाधन को पर्याप्त रूप से मोबलाइज करने तथा वेस्टेज को रोकने, संसाधनों की उत्पादकता में सुधार लाकर आंतरिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रतिपादन।
4. कोयला खानों, कोयला परिष्करण तथा यूटिलाइजेशन संयंत्र आदि के लिए परियोजना की प्लानिंग एवं डिजाईनिंग।
5. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास योजना के तहत कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलाप को प्रोत्साहित करना, समन्वय करना तथा प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।
6. कोयला खनन और संबंधित परियोजनाओं के लिए पर्यावरणिक प्रबंधन योजना, पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और माइन क्लोजर प्लान के फार्मूलेशन को शुरू करना।
7. भूमि पुनुरूद्धार मानिटरिंग, पर्यावर्णिक आंकड़ा सृजन, वनाच्छादन मानचित्रण, कोयला खान अग्नि मापन, कोयला क्षेत्रों का वृहद पैमाने पर टोपोग्राफिकल मानचित्रण, टीपीएस के चयन सहित आधारभूत संरचना का आयोजन तथा वाशरी स्थल आदि के लिए सुदूर संवेदन सेवाओं में वृद्धि
8. कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला उत्पादक सहायक कंपनियों को क्षेत्र एवं प्रयोगशाला सेवा मुहैया कराना।
9. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों के अतिरिक्त इससे इतर के संगठनों का परामर्शी सेवा मुहैया कराना।

1.3.4 सीएमपीडीआई के क्रिया-कलापों का संक्षिप्त विवरण

सीएमपीडीआई के सभी कार्यों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है :

क) भू–वैज्ञानिक गवेषण एवं सहायता सेवा–यह सीएमपीडीआई का कोर फंक्शन है और शुरूआत से ही है, जो खनिज डिपोजिट (खनिज भंडार) के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है

- गवेषण की प्लानिंग तथा कार्यान्वयन
- निवेश तथा दोहन निर्णय के लिए संसाधन मूल्यांकन तथा प्रलेखन और
- सम्बद्ध क्षेत्र परीक्षण तथा प्रयोगशाला सहायता

ख) प्लानिंग, डिजाइन तथा सहायता सेवाएँ–सीएमपीडीआई के शुरूआत से ही अन्य कोर फक्शन होने के कारण, खनन के निर्माण एवं संचालन, परिश्करण, यूटिलाइजेशन और अन्य आधारभूत तथा अभियांत्रिकी परियोजनाएँ के लिए निम्नलिखित सेवाओं का प्रस्ताव करता है :

- वैचारिक / पूर्व–संभाव्यता / संभाव्यता अध्ययन / परियोजना रिपोर्ट और मूल एवं विस्तृत अभियांत्रिकी डिजाइन का सूत्रीकरण और / अथवा मूल्यांकन
- अभियंत्रण एवं अन्य संबंधित परामर्श तथा सहायता और
- संबंधित क्षेत्र परीक्षण एवं प्रयोगशाला सहायता।

ग) पर्यावरणिक प्रबंधन सेवाएँ– माइन क्लोजर प्लानिंग, लेबोरेटरी तथा टेस्ट सपोर्ट सहित उनके प्लानिंग और आपरेशन के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन के लिए खनन एवं खनिज उद्योग को सभी प्रकार का सपोर्ट 1992 से ही दे रहा है। वार्षिक आधार पर सेटेलाइट सर्वेलांस द्वारा प्रति वर्ष 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाली खानों की भूमि पुनद्धार मॉनीटरिंग की जा रही है। जबकि 2011 से प्रतिवर्ष 5 मि.घ.मी. (कोयला+ओबी) से कम उत्पादन वाली खानों भूमि पुनद्धार मानिटरिंग तीन वर्षों तक के अंतराल पर की जाती है।

घ) प्रबंधन प्रणाली सेवाएँ : 1997 से यह क्रिएशन, डक्यूमेंटेशन, कार्यान्वयन तथा विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानकों का प्रशिक्षण अर्थात् आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 14001 (पर्यारणित प्रबंधन प्रणाली), ओएएसएएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन), एसए 8000 (सोशल एकांडटेबिलिटि प्रबंधन), आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) तथा आईएसओ 27001 (सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) पर सेवाएँ देता आ रहा है।

ड.) मानव संसाधन विकास : 1976 से इन सेवाओं में निम्नलिखित शामिल है : बाजार के ग्राहकों विशेषकर खनिज एवं खनन सेक्टर को प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी प्रबंधकीय प्रबंधन प्रणाली।

च) विशेषज्ञता प्राप्त सेवाएँ :सुदूर संवेदन, खानों में संवातन एवं गैस सर्वेक्षण, नियंत्रित विस्फोटन, नए विस्फोटकों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन, खनन इलेक्ट्रानिक्स, खान क्षमता मूल्यांकन, खान थम्हाल डिजाइन, रॉक मास रेटिंग (आरएमआर), अनाशक परीक्षण, प्रबंधन प्रणाली परामर्श, ओबीआर चेक आदि की मॉंप सहित जियोमेटिक्स के क्षेत्र में विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी दी जा रही है।

1.3.5 उद्योग की संरचना तथा विकास

अप्रैल 2017 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश द्वारा जारी वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के अनुसार वित्तीय बाजार और मैनुफेक्चरिंग और व्यवसाय में दीर्घ प्रतीक्षित साइकल रिकवरी का अनुमान किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2016 में 3.1 प्रतिशत से 2017 में 3.5 प्रतिशत ओर 2018 में 3.6 प्रतिशत वृद्धि को प्रोजेक्ट किया है। यह चेतावनी दी गई है कि स्ट्रोंगर रिकवरी को होल्ड बैक के लिए बाइन्डिंग स्ट्राक्चरल इम्पेडीमेंटस जारी रहेगा। शेष जोखिम डाउन साइड, विशेषकर मीडियम टर्म तक जारी रहेगा। लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और हाई इनकम इन इक्विलिटी जैसे परसिसटेंट स्ट्रक्चरल प्राब्लम सहित एडवांस इकोनोमिक्स में बढ़ती इनवार्ड–लुकिंग पॉलिसी के लिए प्रेशर बढ़ रहा है। यह वैश्विक आर्थिक इंटीग्रेशन की चेतावनी देता है और को–आपरेटिव ग्लोवल इकोनोमिक ऑर्डर जो विश्व आर्थिक विशेषकर उभरती बाजार और विकसित आर्थिक विश्व इकोनोमिक को सर्व किया है। इस बैक ड्राप के अगेंस्ट में आर्थिक नीति डाउन साइड जोखिम और रिकवरी को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि घरेलू मार्चे पर नीति का उद्देश्य माँग और रिपेयर तुलन–पत्र जहाँ आवश्यकत हो तथा संभावित, वुस्ट प्रोडक्टीविटि, लेवर आपूर्ति और संरचनात्मक सुधार के जरिए निवेश तथा आपूर्ति अनुकूल फिसकल उपाय, सार्वजनिक आधारभूत संरचना को अपग्रेड करना तथा तकनीकी परिवर्त्तन और वैश्विकरण जैसे संरचनात्मक ट्रांसफार्मेशन द्वारा डिस्प्लेस किए गए सहायता, लोवर कोमोडिटि रेवेन्यू को एडजस्ट करने तथा वित्तीय वलनरेविलिटि को एड्रेस कर अनेक उभरती बाजार और विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्त्तन मुख्य है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के फलैगशिप वार्षिक दस्तावेज की दो प्रमुख मेजर डोमेस्टिक पॉलिसी डेवलपमेंट, संवैधानिक संशोधन, ट्रांसफोरमेशनल गुड्स और सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के लिए रास्ते, दो हाइएस्ट डिनोमिनेशन नोट्स को डिमोनेटाइज का

कार्य करने के लिए वर्ष को चिन्हित किया गया था। जीएसटी सामान्य भारतीय बाजार का सृजन करेगा, टैक्स कंपनियाँ से और गवर्नेस को इम्प्रूव करेगा तथा निवेश ओर वृद्धि को बुस्ट करेगा। यह इंडिया के कोआपरेटिव फेडरलिज्म के गवेर्नेस में एक बोल्ड नया प्रयोग भी है। डिमोनेटाइजेशन अल्पकालीन लगता है परंतु दीर्घकालीन लाभ की संभावना बनी रहती है। जीएसटी में रियल स्टेट और ब्रिगिंग भूमि सहित आगे कर में सुधार तीव्र, डिमांड ड्राइवेन, रूमोनेटाइजेशन सहित अधिकतम लाभ और न्यूनतम लागत पर कार्य करेगा तथा ओवर जिलियस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ऐले एनेक्जाइटीज के लिए कार्य और स्टाम्प तथा कर दर में कमी होगी। इस कार्य से वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रवृत्ति के रिटर्न में वृद्धि होगी, तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में अस्थायी कमी होगी। आगे की ओर देखें तो आइडियाज और नरेटिव सोसाइटेल शिफ्ट को तीन स्टैण्डिंग मेटा चैलेजेज से उभरना होगा : इनइफिशिएंट रीडिस्ट्रीब्यूशन, प्राइवेट सेक्टर का एमबिवालेंस तथा प्रोपर्टी अधिकार और इम्प्रुविंग लेकिन स्टील चैलेंज्ड स्टेट केपेसिटि। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर परब्रेक्जिट और यूएस चुनाव टेक्टोनिक शिफ्ट को हेराल्ड कर सकता है। वैश्विक, यहाँ तक कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फोर बोडिंगली लेउेन डार्कर संभावनाओं से भरा होगा।

भारत में खनन एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जिसका भारत के अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योग देता है। ऊर्जा के क्षेत्र में 70 प्रतिशत से अधिक पावर जेनरेशन देश में होता है। 12वीं योजना के लिए कोल एवं लिग्नाइट पर वर्किंग दल ने वर्ष 2021–22 में 273 मिलियन टन की ट्यून के लिए माँग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को बताया है।

सरकार ने देश में अगले 5 वर्षों में राउन्ड द क्लॉक विद्युत आपूर्ति का महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरूआत की है। इससे और अधिक आधारभूत संरचना एक अन्य प्रमुख क्षेत्र सरकार के लिए है, जो सीमेंट और स्टील की माँग में सकारात्मक पहल होगी। इस प्रकार बिजली में वृद्धि से सीमेंट और स्टील सेक्टर में कोयले की मांग में भारी वृद्धि की संभावना है। इसी प्रकार सरकार के ग्रोथ प्लान पर अमल करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2019–20 तक 908 मिलियन टन के कोयला उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार किया है।

सीएमपीडीआई के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए विस्तृत वेधन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 11.26 लाख मीटर की उपलब्धि स्तर से 12.50 लाख मीटर के स्तर को सेट किया है। कानून एवं व्यवस्था तथा वन स्वीकृति की कमी के कारण ड्रिलिंग में एमओसी द्वारा 11 प्रतिशत वृद्धि निर्धारित की गई है। हालांकि सीएमपीडीआई सीआईएल द्वारा कोयला उत्पादन के 908 मी.टन की आवश्यकता वाली विभिन्न रिपोर्ट की तैयारी के लिए शिड्यूल बनाया है। भविश्य में उत्पादन में ससटेनेनस और वृद्धि के लिए निरंतर आधार पर कोल इंडिया द्वारा गवेषण और प्लानिंग सपोर्ट जरूरी होगा। यह सीएचपी, वाशरी आदि सहित आधारभूत संरचनाओं के लिए भी सत्य होगा। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई की विशेषज्ञ सेवाओं की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में अन्य कोल उत्पादक कंपनियाँ द्वारा माँग है। कोल कंपनी के स्ट्राइड मुख्यतः कोल इंडिया लिमिटेड स्वदेशी आपूर्ति से कोयले की माँग पूरा करने के प्रति सीएमपीडीआई सेवाओं में सपोर्ट करना होगा। सीएमपीडीआई टाटा स्टील, सेल, एमओआईएल, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, हुट्टी गोल्ड माइन, एनएमडीसी आदि जैसे मेटल माइनिंग कंपनियों के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।

आगे और कोल बेड मीथेन/कोल माइन मीथेन, अंडरग्राउंड कोल गैसीफिकेशन, भोल गैस आदि जैसे नन–रीन्यूववल एनर्जी जेनरेशन पर आधारित कोयले के वैकल्पिक स्रोत को अपनाने पर कोल इंडिया और अन्य कंपनियाँ के लिए सीएमपीडीआई हेतु परामर्श कार्य का स्रोत होगा। इसके अतिरिक्त कोयला क्षेत्र में इंफार्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलॉजी उभरता हुआ क्षेत्र है, जो सीएमपीडीआई के लिए एक वर्तमान अतिरिक्त अवसर भी है, जिसमें आने वाले वर्षों में और वृद्धि होगी।

हालॉकि विगत वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए सभी प्रयास टॉप और बॉटम में दिखलाई नहीं पड़न्रे है। इस प्रकार सीएमपीडीआई के गतिशील व्यवसाय के लिए इसकी आवश्यकता ओर अधिक बढ़ जाती है। तथापि कंपनी द्वारा कई वर्षों से किए जा रहे प्रयास इसके ऊपरी एवं निचले स्तर पर प्रतिबिम्बित नहीं हुए। इसलिए सीएमपीडीआई की व्यावसायिक गति पर पुनरावलोकन करना जरूरी है। इससे बड़े कोयला क्षेत्र में भावी बाजार परिदृश्य तथा अन्य क्षेत्रों के दूसरे क्रिया–कलापों में संभावित अवसरों का पर्याप्त व्यापक अध्ययन शामिल है। कुल मिलाकर यद्धपि देश में कोयला ईंधन की प्रमुखता बनी रहने तथा कम–से–कम आगामी 8–10 वर्षों तक स्थानीय लोगों के लिए सस्ता एवं प्रचुर ऊर्जा उपलब्ध कराने वाला वास्तविक विकल्प बने रहने की संभावना है, तथापि लंबे समय–सीमा तक भारत की थर्मल कोल तथा कोयले की माँग में कमी पर भी होने लगी है। सीआईएल तथा एसईसीएल द्व ारा कोयले के उत्पादन में वृद्धि के कारण वर्ष 2016–17 में थर्मल कोल के आयात में आई गिरावट से इस विचार की पुष्टि होती है। तथापि बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के दोहन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता कोयला क्षेत्र के भावी विस्तार कार्यक्रम पर प्रभाव डाल सकती है। वातावरण से कार्बन डायक्सायड को हटाने के लिए विद्युत उत्पादन तथा वृक्षाच्छादन एवं वनाच्छादन सहित कार्बन सिंक मिलाकर स्वच्छ ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाने के अलावा 2005 की तुलना में 2030 तक 33–35 प्रतिशत उत्सर्जन घनत्व कम करने के लिए भारत के 2020 के बाद ''जलवायु कार्य योजना'' में यह वादा किया गया है। उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर तथा सीएमपीडीआई के बिजनेस डोमेन में गतिशीलता लाने के लिए उत्पादन में और वृद्धि तथा खासकर 2डी सिसमिक एवं अन्य भू–भौतिक प्रणाली के जरिए गवेषण क्षमता में वृद्धि, जहाँ जरूरी हो वहाँ वर्तमान सुविधाओं तथा आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण, श्रमशक्ति उपयोग का वैज्ञानिक पुनर्गठन एवं अधिकारियों की बहाली, कोयला के अलावा अन्य क्षेत्रों में खनिज, खनन तथा सम्बद्ध इंजीनियरिंग के सेक्टर में नए क्षेत्रों में प्रवेश, मूल्य के रूप में बाहरी कार्य (गैर सीआईएल) में मात्रात्मक वृद्धि, कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग के जरिए ड्रिलिंग एवं इन्वेन्टरी सिस्टम सहित कोर क्षेत्र में प्रभावकारी मॉनिटरिंग स्थापित करना, कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के विकास के लिए प्रौद्योगिकी स्थापित करना आदि सुनिश्चित करेगा। इसके अलावे, कंपनी के प्राइसिंग मेकेनिज्म कंपनी के ऊपरी और निचले स्तर में सुधार करने के लिए संपूर्ण रीलूक किया जा रहा है।

1.3.6 उपर्युक्त उद्देश्य एवं विजन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई रणनीति :

सीएमपीडीआई के बाजार में स्थान तथा गहरी जानकारी के साथ सीएमपीडीआई ने खनिज, खनन ओर संबंद्ध सेक्टर में उपर्युक्त के अनुसार अपने निगमित उद्देश्य और विजन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित नीतियाँ और बिजनेस प्लान अपना रहा है :

i. दक्ष श्रमशक्ति, उपकरण, संयंत्र और मशीनरी आदि के अतिरिक्त गवेषण क्षमता में वृद्धि करना।

ii. कोयले के अतिरिक्त, खनिज, खनन तथा सम्बद्ध अभियंत्रण सेवाओं के नए क्षेत्रों में विविधिकरण ।

iii. बाहरी ग्राहकों के लिए मार्केट शेयर बढ़ाना।

iv. देश के बाहर तथा भीतर रणनीतिक साझेदारों के साथ टाई–अप।

v. वर्तमान सुविधाओं एवं आधारभूत संरचनाओं का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण।

vi. बढ़ी हुई संचालन क्षमता तथा कार्य की गुणवत्ता ।

vii. निगमित कार्य संस्कृति तथा आंतरिक पद्धति में सुधार।

viii. कोयला उद्योग को सतत् प्लानिंग एवं विशेषज्ञ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए श्रमशक्ति का युक्तिसंगत उपयोग

तथा अधिकारी श्रमशक्ति को बढ़ाना।

ix. बेहतर लागत नियंत्रण उपाय एवं मानिटरिंग तथा,

x. कोयला आधारित ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत तथा शेल गैस का विकास।

1.3.7 सामर्थ्य एवं कमजोरी :

सामर्थ्य

- सीएमपीडीआई वास्तव में अपने प्रकार का एक बहु–अनुशासनिक संगठन होने के कारण एक ही छत के नीचे खनन से पूर्व, खनन परिचालन के दौरान, और खनन परिचालन के बाद सभी सेवाएँ उपलब्ध कराता है।
- यह नीति के तहत स्थापित क्षेत्रीय संस्थानों के साथ कोल इंडिया की अनुशंगी कंपनियों को डोर–स्टेप सेवाएँ उपलब्ध कराने में सक्षम है।
- इसके पास कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कोलफील्डस के अनुसार/खान के अनुसार मजबूत डाटा बेस है।
- इसके पास 1400 से अधिक बहुअनुशासनिक (मल्टीडिसिप्लिनरी) कौशलयुक्त श्रमशक्ति का मजबूत आधार है।
- बड़ी संख्या में आधारभूत सुविधाओं, 70 मि. ट.प्र.व.खुली खदान खान तथा 3.5 मी.ट. प्र.व. भूमिगत खान तक के निजी परियोजना क्षमता सहित 1000 खनन परियोजना रिपोर्टों से अधिक की 1300 समेकित कोल गवेषण परियोजना, प्लानिंग को क्रियान्वित करने का व्यापक अनुभव है।
- 8 राज्यों में फैले जियोग्राफिकल स्प्रेड वाले कोयला गवेशण प्रयोगशाला सुविधाएँ, बेसलाइन डाटा जेनरेशन क्षमता आदि के लिए व्यापक आधारभूत संरचना है।

कमजोरियाँ (कमियाँ)

- अधिकारी तथा कर्मचारी संवर्ग में कुशल एवं योग्य कार्मियों की कमी।
- कंपनी छोड़ने का दर अधिक होना (नव–नियुक्त कर्मी को प्रशिक्षित होने के बाद कंपनी छोड़ना)

1.3.8 अवसर एवं आशंकाएँ

अवसर

कोयले की माँग कम–से–कम 8 से 10 वर्षों तक जारी रहने की संभावना है, जिससे सीएमपीडीआई की सेवाओं की संभावना बनी रहेगी।

कोयला क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ाने की आवश्यकता।

गैर कोयला क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विविधिकरण।

सीबीएम/सीएमएम/यूसीजी/शेल गैस, जियोमेटिक्स, एनडीटी आदि से संबंधित विशेषज्ञ सेवा देने में दक्षता।

आशंकाएँ

12वीं योजना बाद क्षेत्रीय गवेषण में आनुपातिक वृद्धि की अनुपस्थिति (कमी) तथा वर्तमान विस्तृत ड्रिलिंग क्षमता की पुष्टि।

बोरहोल डेनसिटि की अपेक्षित संख्या सहित वेधन परिचालन के लिए वन–स्वीकृति प्राप्त करने में अनपेक्षित विलंब।

वन क्षेत्र में गवेषण में प्रतिबंध से एक्पेंशन प्रोग्राम में समस्या हो सकती है।

विभिन्न राज्यों में कमजोर कानून एवं व्यवस्था से बाधा।

कोयले क्षेत्र को और खोलने से अन्य घरेलू अथवा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्श सेवाओं को उपलब्ध कराने वालों से बाजारू प्रतियोगिता।

भविष्य में लाँगर टाइम हॉरिजन से कोयले की माँग में सस्टीमांस (पुष्टि) तथा थर्मल कोल के लिए भारत की घटती कोयले की माँग से कुछ आशंकाएँ उत्पन्न हो सकती है।

1.3.9 मूल्य निर्धारण :

गवेषण, खान योजना/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं का मूल्य निर्धारण ग्राहकों की श्रेणी के आधार पर किया जाता है। कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों को दी जाने वाली सेवाओं के लिए विभागीय ड्रिलिंग सेवाओं के लिए 7.5 प्रतिशत तथा पीएंडडी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सेवा शुल्क + लागत को जोड़कर दर पर मूल्य निर्धारित किया जाता है। हालाँकि कंपनी के टॉप तथा बॉटम लाइन तथा अन्य बिजनेस डायनेमिक्स को बढ़ाने के लिए मूल्य नीति की समीक्षा की जा रही है। दिनांक : 31.01. 2017 को हुई सीएमपीडीआई बोर्ड की 201वीं बैठक में पर्यावरणिक मॉनीटरिंग के रिवीजन के लिए अपने अनुमोदन को पहले ही दे चुका है और इसका कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 के विगत तिमाही से किया गया है। इंटरनल कंसलटेसी कार्य से संबंधित रोक कर रखे गए सेवा शुल्क को दिनांक : 10.03.2017 की इसकी 202वीं बैठक में दे दी गई और 1 अप्रैल, 2017 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

1.3.10 बाजार नीति :

सीएमपीडीआई प्राथमिकता के आधार पर कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा सभी संभावित क्षेत्र में जब और जहाँ आवश्यक हो परामर्श सेवाएँ मुहैया कराने के प्रति वचनबद्ध है।

1.3.11 दृष्टि एवं तैयारी :

11वीं और 12वीं योजना अवधि के दौरान सीएमपीडीआई के गवेषण क्रिया–कलाप बहुत उत्साहवर्द्धक रहा। विभागीय ड्रिलों और आउटसोर्सिंग के जरिए 10वीं योजना अवधि (2000–07) के दौरान कुल वेधन 10 लाख मीटर तथा 11वीं योजना अवधि (2007–12) के दौरान लगभग 19.41 लाख मीटर वेधन की तुलना में 12वीं योजना अवधि (2012–17) के दौरान 42.08 लाख मीटर वेधन सीएमपीडीआई द्वारा किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2016–17 की अवधि के दौरान सीएजीआर 18 प्रतिशत से अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के दौरान 2.07 लाख मीटर उपलब्धि अधिक थी। विभागीय वेधन को आधुनिकीकरण, न्यू हाइयर केपेसिटि मेकेनिकल का इंडक्शन तथा हाइड्रोस्टेटिक वेधन, हाई परफार्मेंस बिट्स जिसके परिणाम स्वरूप उच्च उत्पादकता, आधुनिक मड टेक्नोलॉजी को अपनाना, ड्रिलिंग संबंधी उपकरणों का पुख्ता प्रबंधन और श्रम शक्ति आदि सीएमपीडीआई के ड्रिलिंग क्षमता को बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है।

भारत सरकार कोयला गवेषण को फास्ट ट्रैक पर रखा है। 5 वर्षों में विस्तृत गवेषण और जीएसआई, सीएमपीडीआई आदि द्वारा तीन वर्षों में देश के क्षेत्रीय गवेषण बढ़ाया है। यह केवल आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर संभव हो सका है, जो क्वांटम ऑफ ड्रिलिंग में कमी लाएगा और भूवैज्ञानिक मॉडल को अधिक विश्वसनीय बनाएगा। सिस्मिक सर्वे का प्रयोग वृहद रूप से ऑयल सेक्टर में होता है जिसे कोयला सेक्टर के लिए बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि यह फलदायक हो। इसके अलावे कोल बेल्ट के एक्सटेंशन एरिया में कनसील्ड कोल वियरिंग सेडिमेंटरी बेसिन की पहचान करने में एरियल जियोफिजिकल सर्वेक्षण अगुवाई करेगा। सीएमपीडीआई गवेशण और उन्हें मिक्स करने में ऐसे प्रौद्योगिकी पर भूवैज्ञानिक रिपोर्ट की तैयारी करने में इसे अंगीकार करने पर विचार करेगा। यह भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तेजी से तैयार करने में मदद करेगा तथा ब्लॉकों के भूवैज्ञानिक मॉडल के लिए बेहतर आत्मविश्वास बढ़ाने वाला होगा। अन्य भाब्दों में, भूभौतिकी संबंधी कार्य कोयला गवेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग गहनता से किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा 12.50 लाख मीटर बढ़ाकर रखा गया है, जो वेधन के लिए कोयला ब्लॉकों का पर्याप्त संख्या में आऊटसोर्सिंग करने की आवश्यकता पर बल

दिया है। विभिन्न कोयला ब्लॉकों में एमईसीएल के लिए प्रति वर्ष गवेषणात्मक वेधन 1 लाख मीटर तक के लिए सीएमपीडीआई एमईसीएल के साथ दिनांक 6 जनवरी, 2009 में एक दीर्घकालीन एमओयू किया था, जिसे बढ़ाकर 4.00 लाख मीटर प्रति वर्ष कर दिया गया है। राष्ट्रीय/वैश्विक निविदा सिक्स राउण्ड एवं 11 राउण्ड ई–टेंण्डरिंग वित्तीय वर्ष 2007–08 (2016–17 तक) किया गया है तथा 31.95 लाख मीटर सहित 81 ब्लॉकों के लिए कार्यादेश दिया जा चुका है। हालॉकि विपरीत कानून एवं व्यवस्था तथा वन क्षेत्र में ड्रिलिंग के लिए स्वीकृति नहीं मिलने के कारण ड्रिलिंग में अवरोध आया। इसके लिए सीएमपीडीआई, सीआईएल और एमओसी द्वारा, एमओईएफ और संबंधित राज्य से गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया जा रहा है।

12वीं योजना के लिए कुल 129 परियोजनाएँ चिन्हित किए गए जिसके परिणामस्वरूप लगभग 517 मी.ट.प्र.व. अतिक्ति वृद्धि क्षमता में होगी, जिसकी तुलना में लगभग 456 मी.ट.प्र. अतिरिक्त क्षमता में वृद्धि होगी, जिसे पहले ही सूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त 198 मी.ट.प्र.व. की क्षमता वृद्धि सहित 77 परियोजना रिपोर्ट 12वीं योजना अवधि के दौरान 31 मार्च, 2017 तक बनाया गया। फिर भी 2019–20 तक 908 मी.ट. कोयला उत्पादन के कोल इंडिया के कार्यक्रम के संबंध में सीएमपीडीआई विभिन्न रिपोर्ट की तैयारी के लिए कार्यक्रम के अनुसार तैयार है।

सीएमपीडीआई में सभी प्रयोगशालाओं की क्षमताओं को अपग्रेड किया गया है। सोफिस्टीकेटेड आयातित उपकरण सहित रासायनिक और पेट्रोग्राफिक प्रयोगशालाओं को उन्नत किया गया है। वर्तमान पर्यावरणिक प्रयोगशाला को स्टेट ऑफ द आर्ट उपकरण से सुसज्जित किया गया है। सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 को एनएवीएल द्वारा री–एक्रीडिटेड किया गया है। प्रयोगशालाओं के परीक्षण और केलिब्रेशन के लिए नेशनल एक्रीडिटीशन बोर्ड द्वारा सर्वेलांस एसेसमेंट वर्ष के दौरान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण प्रयोगशाला के सीपीसीवी मान्यता मिली है, जो पाँच वर्षों के लिए वैद्य है। सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल (सीआई) द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 में र्प्यावरणिक प्रयोगशाला को ओएचएएस–18001–2007 के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया। अध्ययन, रिजरवायर कैरेक्ट्रीस्टिक और सीबीएम एवं भोल गैस रिसोर्स के मूल्यांकन से संबंधित सीवीएम/सेल गैस से संबंधित सभी पारामीटर के जेनरेशन में सीएमपीडीआई में कार्यरत सीबीएम प्रयोगशाला सुविधा प्रदान कर रहा है। आगे और सीएमपीडीआई की क्षमता और कैपेबिलिटि को बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआई और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया द्वारा एसएंडटी निधित परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

सम्बद्ध अभियांत्रिकी सेवाओं के साथ–साथ गवेषण, प्लानिंग और डिजाइन में श्रमशक्ति की आवश्यकता का पता लगा लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान भरती और स्थानान्तरण के जरिए सीएमपीडीआई में 73 अधिकारियों को पदस्थापित किया गया है। इसी प्रकार, भर्ती/क्षतिपूर्ति नियोजन अन्य अनुषंगी कंपनियों श्रमशक्ति में वृद्धि की गई है और श्रमशक्ति में वृद्धि की प्रक्रिया जारी है।

2008 से अब तक 5 घन मिलियन मीटर (कोल+ओबी) से अधिक उत्पादन वाले सीआईएल के सभी खुली खदान कोयला खान के भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलॉस वार्षिक रूप से शुरू कर दिया गया था। इसके आगे, 5 मिलियन घन मीटर (कोल+ओबी) से कम उत्पादन वाले सीआईएल के खुली खदान कोयला खानों का भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग वर्ष 2011 से भी तीन वर्ष के अंतराल पर शुरू किया गया था। खान अग्नि मानचित्रण, वनाच्छान मानचित्रण आदि जैसी अन्य सेवाएँ सीएमपीडीआई द्वारा शुरू की गई है और जियोमेटिक्स के क्षेत्र में अतिरिक्त सेवाओं को उपलब्ध कराने में सक्षम है।

वाशरियों की स्थापना में में कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनियों को तकनीकी सहायता मुहैया कराई गई। रिकार्ड टाइम में ई–रिर्वस आक्सनिंग प्रोसेस पर बिल्ड आपरेट–मेनटेन और बिल्ड–आन–ऑपरेट कंसेप्ट पर निविदा दस्तावेज को कस्टोमाइज्ड किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड के तहत संचालित कोकिंग कोल वाशरियों के आधुनिकीकरण में तकनीकी सहायता भी उपलब्ध किया गया है। कोल इंडिया लिमिटेड आरएंडडी योजना के तहत ड्राई कोल बेनिफिशिएशन प्लांट को भी क्रियान्वित किया गया है। स्क्रूटनाइजिंग और एप्रोविंग डिटेल डिजाइन ड्राईंग द्वारा नई वाशरियों के निर्माण में सहायता दी गई है। प्रयोगशाला क्रियाविधि के तहत आरओएम कोल सैम्पल और बोर कोल कोल सैम्पल की धोवन क्षमता अध्ययन बाहरी ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया लि./ अनुशंगी कंपनियों के लिए सम्पन्न किया गया। भविष्य में कोयला वाशरियों की स्थापना करने में सक्रिय जारी रहेगा।

सीएमपीडीआई कोयला आधारित गैर–परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के व्यावसायिक विकास की सुविधा देने तथा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ व्यावसायिक और अनुसांधन एवं विकास के लिए अपना प्रयास जारी रखा है। सीएमपीडीआई ओएनजीसी कोल इंडिया के कंसोरटियम को आवंटित दो ब्लॉक मुख्यतः झरिया और रानीगंज नार्थ में कोल बेड मीथेन के लिए कोल इंडिया की ओर से सीएमपीडीआई विचार कर रहा है। और प्रशासनिक और अन्य मुद्दों अर्थात् संविदात्मक, परिपालन आदि को शुरू करने में कोल इंडिया को सहयोग देकर रहा है। कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी बनाया है।

कोयला मंत्रालय ने ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक–29 जुलाई, 2015 में कोल इंडिया को आवंटित कोल माइनिंग लीज के तहत इसके क्षेत्रों से सीबीएम को गवेषित और दोहन करने के लिए अनुमति दी है। कोल इंडिया के क्षेत्रों में विकास की संभावना को बढ़ाने के लिए ''सीआईएल के कमांड क्षेत्र में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन'' के लए सीएमपीडीआई द्वारा अध्ययन शुरू किया जा चुका है, शुरू में दो सीएमएम ब्लॉक मुख्यतः ईसीएल में रानीगंज सीएमएम ब्लॉक तथा बीसीसीएल में झरिया सीबीएम/सीएमएम ब्लॉक को शुरू किया गया है (क) रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल क्षेत्र) और (ख) झरिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल) में सीएमएम ब्लॉक के लिए खनन पट्टे वाले क्षेत्रों के भीतर ''कोल माइनमीथेन (सीएमएम)/कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के व्यावसायिक विकास के लिए रीजरवायर मॉडलिंग एंड टेक्नो–इकोनोमिक संभाव्यता अध्ययन'' वैश्विक डाक बोली के जरिए चयनित अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी संगठन के जरिए शुरू किया जा चुका है। ''बेस्ट प्रैक्टिसेस इन मीथेन ड्रेनेज एंड यूज इन कोल माइन्स पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन जीआईआई–एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल सीएमपीडीआई, जीएमआई यूएस ईपीए, और यूनीसेफ के द्वारा संयुक्त रूप से मार्च, 2017 में, राँची में किया गया।

सीएमपीडीआई ने ''भारतीय कोयला क्षेत्र/ लिग्नाइट क्षेत्र के कोल बेड मीथेन गैस इन प्लेस रिसोर्स'' से संबंधित अध्ययन किया है। रिजनली एक्सप्लोर्ड एरिया में चयनित बोर होल का ड्रिल किया जा रहा है। एमओसी ने बिडिंग प्रोसेस और अन्य संबंधित मामले के लए मेकेनिज्म का प्रस्ताव नामांकन आधार पीएसयू को कार्य प्रदान करने या बिडिंग के लिए ब्लॉकों का निर्णय, प्रसतावित किए जाने वाले चिन्हित क्षेत्रों के क्रम में सीबीएम विकास की वर्त्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान के लिए इन्टर मिनिस्ट्रीयल कमिटि का गठन किया है। एमओसी ने इस उद्देश्य के लिए सीएमपीडीआई को नोडल एजेंसी के रूप में बनाया है। ''यूसीजी के विकास के लिए मॉडल कंट्रेक्ट डाक्यूमेंट एवं बिड डाक्यूमेंट के फार्मूलेशन'' के लिए एक कंसलटेट की नियुक्ति की है। मसौदा दस्तावेज

सौंप दिया गया है जो आईएमसी द्वारा डेलिब्रेशन के तहत है। ''भारत में यूसीजी (डीप सीटेट कोल) के विकास के लिए चुनौतियाँ एक अवसर'' पर भारतीय जियो माइनिंग स्थिति में यूसीजी के विकास के लिए रास्ता तलाशने के लिए मार्च, 2017 में दिल्ली में एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था।

मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सीएमपीडीआई और उप–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में और सीएसआईआरओ, आस्ट्रेलिया सहित कोल इंडिया लिमिटेड (आरएंडडी) और नेशनल क्लीन एनर्जी फुड, भारत सरकार के तहत मूनीडीह (झरिया कोयला क्षेत्र) में शुरू किए जाने वाले वेंटीलेशन एयर मीथेन के प्रशमन एवं उपयोग की एक परियोजना पर विचार किया जा रहा है। परियोजना को सीआईएल (आरएंडडी) बोर्ड द्वारा सिद्धांततः अनुामेदित किया जा चुका है और सरकार के सक्षम अधिकारी से अनुमोदन लिया जाएगा।

वर्षों से इन अनुसंधान परियोजनाओं से परिचालन में सुधार, सुरक्षित वर्किंग स्थिति, बेहतर रिसोर्स रिकवरी और पर्यावरण संरक्षण पर महत्वर्पूण लाभ हुआ है जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाओं से उद्योगों पर टैन्जीवल, प्रभाव पड़ा है, वहीं अन्य से भावी खनन योजनाओं और आपरेटिंग खान दोनों द्वारा अपेक्षित तकनीकी सेवाओं एवं माइन प्लानिंग, डिजाइन को मजबूती मिली है। रेडियोमेट्रिक टेकनीक का उपयोग कर कोल ड्राई बेनीफिशिएशन सिस्टम, रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इनस्टांट कोल ऐश एंड मोयसचर विश्लेषक, ओपेन कास्ट स्लोप स्टेबिलिटि, वेरियस रॉक कंडीशनस के लिए आपटीमम ब्लास्ट डिजाइन, सर्फेस सबसीडेंस का पूर्वानुमान, रूफ केवेबिलिटि का विश्लेषण, भूमिगत कोल पिलर्स डिजाइन आदि जैसे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम के लिए डिजाइन्ड टूल विकसित किए गए हैं, जो विशेष कर भारतीय भू–खनन परिस्थितियों के लिए उपलब्ध है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 9 अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है। पूरी की गई परियोजनाएँ निम्नलिखित है : 1. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेलीरोबिटिक्स और रिमोट आपरेशन टेक्नोलाजी का विकास 2. कोल टू लिक्विड कनवर्सन टेक्नोलाजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास 3. नैनो–क्रिस्टेलाइन सर्फेस इंजीनियरिंग ट्रीटमेंट के साथ इरोजन कोरोजन को संरक्षित कर कोल /लिग्नाइट खानों में डी–वाटरिंग पाइप की जीवन अवधि को बढ़ाना 4. विस्फोटन डिजाइन और फ्रेगमेंटेशन नियंत्रण 5. रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल में इंस्टांट कोल ऐश और नमी विश्लेषण के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन और विकास 6. लैब स्केल कोल विनोविंग सिस्टम (चरण–।।) के विभिन्न पारामीटरों का आप्टीमाइजेशन 7. रानीगंज कोयला क्षेत्र के थीक सीमों में सुरक्षित लिक्विडेशन के मेथेडोलॉजी का पता लगानाः कोट्टाडीह कोलियरी ईसीएल में डिजाइन एंड डेवलपमेंट एंड भाो–केसिंग प्रदर्शन परीक्षण 8. रेडियोमीट्रिक टेकनीक का प्रयोग कर कोल ड्राई बेनीफिसिएशन सिस्टम का डिमांस्ट्रेशन 9. शॉवेल डम्पर डम्प और ड्रैगलाइन डम्प दोनों के सेफ्टी और इकोनोमिकल पर विचार के साथ ड्रैगलाइन डम्प और शॉवेल–डम्पर डम्प के टो के बीच अनुमानित दूरी के लिए दिशा–निर्देश का विकास/सीएमपीडीआई कोल/लिग्नाइट उद्योग के लिए आवश्यकता आधारित अनुसंधान कार्य बेनीफिशियल के लिए सभी अनुशंगी कंपनियों के लिए अधिक से अधिक अनुसंधान और शैक्षणित संस्थानों को शामिल करते हुए सभी तरह के प्रयास कर रही है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न संगठनों के सहयोग से 25 एसएंडटी और आरएंडडी परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इसी समय कोल इंडिया आरएंडडी क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास भी कर रही है।

सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुशंगी कंपनियों में प्रबंधन प्रणाली मानक के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। सीएमपीडीआई आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 5001 तथा आईएसओ 27001, ओएचएसएएस 18001 आदि जैसे विभिन्न मैनेजमेंट सिस्टम स्टैण्डर्ड के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए परामर्शी सेवाएँ प्रदान करता है। हम इन प्रबंधन प्रणाली मानकों के कार्यान्वयन और प्रमाणन के लिए पोस्ट सर्टिफिकेशन सहायता के साथ–साथ संस्थापन, प्रलेखन जागरूकता प्रशिक्षण, आंतरिक अंकेक्षण प्रशिक्षण, अंकेक्षण सहायता, कार्यान्वयन, प्रमाणन सहायता के लिए गाइडेन्स और सहायता प्रदान करते हैं।

कोल इंडिया की दो अनुशंगी कंपनियों एमसीएल और एनसीएल को उनके कंपनीवार समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईसओ 9001, आईएओ 14001 और ओएचएसएएस 18001) के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआई, मुख्यालय और इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों ने भारतीय मूनक ब्यूरो से नए आईएसओ 9001 : 2015 मानक के लिए लाइसेंस प्राप्त किया गया है। हमारे दिशा–निर्देश और सहायता से कोल इंडिया मुख्यालय की आईएसओ 9001 और आईएसओ 5001 से प्रमाणित किया गया है। कोल इंडिया के विभिन्न अनुशंगी कंपनियों की 32 प्रयोगशालाओं को एनएवीएल (नेशनल एक्रीडीटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरी) से मान्यता मिली है। कोल इंडिया की सभी अनुशंगियों के 56 विभिन्न इकाइयों को आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, और ओएचएसएएस 18001 एवं आईएसओ 27001 से प्रमाणित किया गया है।

हम ईसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल में कंपनी–वार–समेकित प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में परामर्श उपलबध कराते हैं। समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस 18001) के लिए ईसीएल की कंपनी–वार–प्रमाणन जल्द ही किए जाने की संभावना है। सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और बीसीसीएल के लिए समेकित प्रबंधन प्रणाली के तहत डाक्यूमेंटेशन कार्य पूरा किया गया है। डब्ल्यूसीएल के आईएमएस मैनुअल को संशोधित स्टैण्डर्ड के अनुसार अपग्रेड किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया से बाहर के 26 संगठनों के लिए सीएमपीडीआई द्वारा 35 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक / संगठन है एनएमडीसी एमओआईएल लि., महाजेन को, टाटा स्टील, डीवीसी सेल, यूसील, डब्ल्यूबीपीडीसीएल, सीएसपीजीसीएल आदि। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा 29 संगठनों से 141.38 करोड़ रूपये वाली 43 आउट साइट सीआईएल परामर्शी कार्य हासिल किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक मूल्य वाले कार्य प्राप्त किए गए। एनएमडीसी ''सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में सबसे अधिक मूल्य वाले कार्य प्राप्त किए गए। एनएमडीसी'' मोजाम्बिक के टेटे प्रोविंस में मेसर्स आईसीवीएल के बेंगा कोल प्रोजेक्ट के लिए संभाव्यता अध्ययन की तैयारी'' नामक विदेशी कार्य हासिल किए गए है। वर्तमान में, ओसीपीएल, एनएमडीसी, नालको, एनटीएमसी लि., महाजेनको, सेल, ओएमसी, पीएफसी कंसल्टिंग लि, जीएसईसीएल आदि जैसे 19 संगठनों के लिए कोल इंडिया से बाहर के 25 परामर्शी कार्य किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान देश के छह राज्यों में स्थित सीएमपीडीआई मुख्यालय सहित इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों को बीडियो कांफ्रेंसी फेसिलिटि से जोड़कर ऑफिस की दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं, इससे विभिन्न संवीक्षा कदम उठाए गए हैं, इससे विभिन्न संवीक्षा बैठक में समय की बचत और बेहतर समन्वय होता है।

सीएमपीडीआई पूर्णतः पेपरविहीन रिसिप्ट मॉडयूल को अपने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय संस्थानों में किया है जिसके परिणामस्वरूप पेपर की बचत होती है और कार्यालयीन कार्यों में दक्षता भी बढ़ी है। सीएमपीडीआई ई–आफिस के

कार्यान्वयन का कार्य पूरे कोल इंडिया में प्राप्त किया है और कंट्रेक्ट लेबर इनफोर्मेशन पोर्टल को विकसित किया है और कंट्रेक्ट वर्कर्स के मजदूरी के भुगतान में पारदर्शिता लाने के लिए सीएमपीडीआई में इसे कार्यान्वित किया गया है। माइन केपेसिटि असेसमेंट रिपोर्ट के समय पर तैयारी के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की सभी खुली खदान खान और भूमिगत खानों से डाटा को कैप्चर करने केलिए पोर्टल विकसित किया गया है।

1.3.12 सीएमपीडीआई और कोल इंडिया के बीच एमओयू :

सीएमपीडीआई फिजिकल और वित्तीय कार्य निशपादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कोल इंडिया के साथ एमओयू करता है। उपलब्धियों को 1–5 स्केल पर ग्रेडित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 तक उत्कृष्ट 1.0 से 1.5 तथा निकृष्ट 4.51 से 5.0 रहा है। वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए सीएमपीडीआई को डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्टरप्राइजेज द्वारा उत्कृष्ट (1.002) रेटिंग दी गई जो सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम था और अपने सिंडिकेट में सर्वोत्तम है। वित्तीय वर्ष 2015–16 और आगे ग्रेडिंग का सिस्टम बदल दिया गया है और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 87.5 से 100 से कंपोटिज एमओयू स्कोर सहित सीपीएसई के लिए ''उत्कृष्ट' रेटिंग होगी जबकि 12.5 से कम सीपीएसई स्कोर वाले को निकृष्ट (पुअर) रेटिंग मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2015'16 के लिए सीएमपीडीआई को 89.60 कम्पोजिट स्कोर के साथ एक्सीलेंट (उत्कृष्ट रेटिंग दी गई है।

1.3.13 जोखिम और चिन्ताएँ

- बोर होल में सधनता में वृद्धि के साथ वन क्षेत्र में वेधन के लिए अनुमति प्राप्त करना और कानून एवं व्यवस्था की समस्या वेधन के रास्ते में बड़ी रूकावट है।
- क्षेत्रीय गवेशण में आनुपातिक वृद्धि के अभाव में 12वीं योजना के लिए विस्तृत गवेषण क्षमता की पुश्टि में बाधा प्रतीत होता है। वन क्षेत्र में गवेशण के प्रतिबंधित होने से बिस्तार कार्यक्रम में समस्या आ सकती है।
- कोयला क्षेत्र को खुले बाजार में लाने से अन्य स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी सेवा प्रदाताओं के साथ बाजारू प्रतिस्पर्द्धा हो सकती है
- कंपनी अधिनिमय के तहत प्रावधानों के अनुपालन तथा जोखिम प्रबंधन से संबंधित कोल इंडिया के दिशा–निर्देशों के अनुसार बोर्ड स्तर के सदस्य तथा इसके प्रमुख सहित जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सीएमपीडीआई में किया गया है।

1.3.14 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- सीएमपीडीआई के पास व्यवसाय को सहज एवं प्रभावकारी ढंग से तथा प्रचलित नियमों एवं विनियमों के अनुसार चलाने के लिए आंतरिक नियंत्रण पद्धति तथा प्रक्रिया काफी सशक्त है।
- सहज रूप से निर्णय लेने के लिए व्यापक अधिकार रहता है।
- समरूप अनुपालन के लिए लेखा–जोखा तेयार करने हेतु दिशा–निर्देशों का लगातार अनुसरण किया जाता है।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अनुपालन पर निगरानी करने के लिए एक अंकेक्षण समिति गठित की गई है।
- आंतरिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/ कोस्ट एकाउंटेन्ट फर्म द्वारा किया जाता है।
- आंतरिक अंकेक्षण द्वारा डिजाइन की कंट्रोल की परिचालन दक्षता के पर्यवेक्षण तथा मुख्य नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण को पहचानकर आंतरिक नियंत्रण फ्रेमवर्क विकसित किया गया है।
- विसिल ब्लोअर नीति अपनाई गई है तथा इसका अनुसरण किया जा रहा है।

1.3.15 मानव संसाधन में भौतिक विकास :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने के कारण सीएमपीडीआई भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, मजदूरी तथा लाभ को अपने कर्मचारियों को देता है और कोयला कामगारों के लिए 5 वर्ष में एक बार तथा अधिकारियों केलिए 10 वर्ष में एक बार निर्धारित किया जाता है। सीएमपीडीआई अपने कर्मचारियों, मध्यम और वरीय प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों तथा प्रबंधन प्रशिक्षु के लिए सतत् प्रशिक्षण और विकास के अवसर उपलबध करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारत से बाहर अन्तराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र की व्यवस्था कराता है। इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट को संबंधित भाग में शामिल किया गया है।

1.3.16 परिचालन कार्य निष्पादन से संबंधित वित्तीय उपलब्धि पर विचार-विमर्श :

कंपनी की कुल आय में कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य कंपनियों को दी गई परामर्शी सेवा से प्राप्त आय एवं अर्जित ब्याज भी शामिल है। गत वर्ष की 759.27 करोड़ रू. की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल आय 930.52 करोड़ रू. है, इस प्रकार 22.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। कुल व्यय 864.99 करोड़ रू. है।

संशोधनानुसार, आईटी अधिनियम से संबंधित प्रावधान के अनुसरण में गणना किए गए चालू कर व्यय तथा आस्थगित कर व्यय अथवा क्रेडिट शामिल है। आईटी एक्ट के अनुसरण में भत्ता और छूट के लिए आकलित कर देयता पर आधारित चालू कर के लिए प्रावधान को माना गया है। आस्थगित कर परिसंपत्ति और देयताओं को टाइमिंग डिफरेसेस के लिए फ्यूचर टैक्स कांसीक्यूएनसेस एंट्रीव्यूटेबल हेतु माना गया है। तुलन पत्र की तिथि तक टैक्स रेट और टैक्स रेगुलेशन एनेक्टेट का उपयोग कर मापा जाता है। रेट में परिवर्तन के वित्तीय वर्ष के संबंध में वित्तीय विवरण में टैक्स रेट में परिवर्तन के कारण प्रभाव को माना गया है। कैरी फॉरवार्ड लॉस के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्ति को उस सीमा तक ऐसे आस्थगित कर परिसंपति के विरूद्ध उपलब्ध पर्याप्त भावी कर योग्य आय की वर्चुअल सर्टेनिटि तक माना गया है।

गत वर्ष में 15.35 करोड़ रू. (आईएनडीएएस के अनुसार पुनर्कथित) की तुलना में 65.53 करोड़ रू. कर से पूर्व लाभ हुआ जो बढ़कर 50.18 करोड़ रू. हुआ। गत वर्ष के लिए 9.14 करोड़ रू. की तुलना में कर पश्चात् लाभ 31.45 करोड़ रू. तक बढ़कर 40.59 करोड रू. है।

1.4.0 सीएमपीडीआई का वित्तीय पर्यावलोकन :

वर्ष के दौरान कंपनी को 40.59 करोड़ रू. कर पश्चात् लाभ हुआ। विगत तीन वर्षों का कार्यकारी परिणाम इस प्रकार है :

	योग्यता मानदण्ड	सीएमपीडीआई की स्थिति		
		वित्तीय वर्ष 2015-16 (आईएनडीएएस के कार्यान्वयन से पूर्व)	वित्तीय वर्ष 2015-16 (आईएनडीएएस के अनुसार पुनर्कथित)	वित्तीय वर्ष 2016-17
1.	कर पूर्व लाभ (करोड़ रू. में)	42.54	15.35	65.53
2.	कर बाद लाभ (करोड़ रू.में)	28.48	9.14	40.59
3.	टर्नओवर (करोड़ रू. में)	759.27	759.27	930.52
4.	टर्न ओवर के लिए कर के बाद लाभ (प्रतिशत)	5.60	2.02	7.04
5.	प्रतिशेयर अर्जन (रूपये में)	1496	480.04	2131.83

1.4.1 सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा सचिवीय अंकेक्षक रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी

सांविधिक अंकेक्षक द्वारा किए गए प्रत्येक विपरीत रिर्माक (टिप्पणी) अथवा आरक्षण, योग्यता पर बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण अथवा टिप्पणी तथा सांविधिक अंकेक्षक की रिपोर्ट को परिशिष्ट–5 के रूप में संलग्न किया गया है।

सचिवीय अंकेक्षकों द्वारा किए गए रिर्माक (टिप्पणी) पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण और सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–6 में दिया गया है।

1.4.2 कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के तहत ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 186 के अनुसार कंपनी को दिए गए ऋण, किए गए निवेश अथवा की गई गारंटी अथवा उपलबध कराए गए सिक्युरिटी तथा ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी में रेसिपिएंट द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रस्तावित ऋण अथवा गारंटी अथवा सिक्युरिटी के उद्देश्य के पूरे विवरण को वित्तीय विवरण में सदस्यों के लिए प्रकट करना चाहिए।

किसी व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी को कोई ऋण नहीं दिया गया, निवेश नहीं किया गया या गारंटी नहीं दी गई अथवा सिक्युरिटी मुहैया नहीं कराई गई। इसका ब्यौरा वित्तीय विवरण में दिया गया है।

1.4.3 कंपनी मामले की स्थिति

कंपनी की अधिकृत पूंजी 50.00 करोड़ रू. की तुलना में प्रदत्त शेयर पूंजी 19.04 करोड़ रू. है। पूंजीगत भंडार 19.80 करोड़ रू., सामान्य रिजर्व 5.77 करोड़ रू. तथा पी/एल एकाउन्ट में सरप्लस 211.09 करोड रू. एवं शेयर होल्डर को कुल कंस्टीच्यूएटिंग 236.66 करोड़ रू. की निधि है। गैर चालू देयताएँ 273.78 करोड़ रू. तथा चालू देयताएं 602.09 करोड रू. है।

कंपनी की अपना स्वयं का अचल परिसंपत्ति 132.95 करोड़, आस्थगित कर परिसंपत्ति 115. 62 करोड़ दीर्घकालीन ऋण और अग्रिम 0.02 करोड़, अन्य गैर चालू परिसंपत्ति 13.03 करोड़ और चालू परिसंपित्त 820.03 करोड़ रू. है।

परिचालन से कुल राजस्व और अन्य आय 945. 99 करोड़ रू. तथा सभी व्यय एवं कर को पूरा करने के बाद निबल लाभ 40.59 करोड़ रू. है। प्रति शेयर अर्जन 2131.83 (1000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य) है।

1.4.4 31 मार्च, 2017 तक का पूँजीगत व्यय :

	(करोड़ रू. में)
भवन	10.22
प्लांट एवं मशीन	24.82
कार्यालय उपकरण	0.41
फर्निचर	0.62
टेलीकाम	0.05
वाहन	1.37
सॉफ्टवेयर	1.31
कुल	**38.80**

1.4.5 राशि, यदि कोई हो, जिसे किसी भंडार में लाए जाने का उद्देश्य हो

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 38.82 करोड़ रू का कुल कन्प्रेंहसिव आय को रिटेंड अर्निंग्स/रिजर्व एवं सरप्लस में स्थानांतरित किया गया है।

1.4.6 राशि, यदि हो, जिसे डिविडेंट के रूप में देने की अनुशंसा की गई हो।

कंपनी के शेयर होल्डरों को डिविडेंअ के रूप में देने के लए किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है। कंपनी का परिचालन तथा सेवाओं का प्रावधान लागत+सेवा शुल्क के आधार पर दिया जाता है, क्योंकि कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों को घरेलू सेवा प्रदाता के रूप में माना जाता है। नीतिगत मामलों में कोल इंडिया तथा शेयर होल्डर कोई डिविडेंट की मांग नहीं कर सकता है।

1.4.7 31.3.2017 के बाद मेटेरियल परिवर्त्तन

मेटेरियल में कोई परिवर्त्तन नहीं जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला कुछ नहीं पता लगा है, जो रिपोर्ट की तिथि तथा वित्तीय विवरण से संबद्ध हो।

1.5.0 निगमित शासन

निगमित शासन कंपनी के प्रबंधन, इसके बोर्ड, इसके शेयर होल्डर तथा अन्य स्टेक होल्डरों के बीच संबंधों का एक सेट है। यह कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन तथा कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग की पद्धति का एक सेट है।

अंकेक्षक द्वारा किए गए रिमार्क पर प्रबंधन द्वारा स्पष्टीकरण तथा कारपोरेट गवर्नेंस सर्टिफिकेट के रिपोर्ट को रिपोर्ट के परिशिष्ट–4 में संलग्न किया गया है।

1.5.1 कंपनी का दर्शन

निगमित शासन के संबंध में कंपनी का दर्शन, पारदर्शिता, इंटीग्रिटि, विश्वसरीयता, कंफीडेंसियलिटि, नियंत्रण, सामाजिक उत्तरदायित्व, डिसक्लोजर और रिपोर्टिंग जो नियम, अधिनियम विनियमन और दिशा–निर्देश का पालनकर्त्ता हो, को सुनिश्चित करना है।

निगमिक शासन दैनंदिन कार्यव्यवहार के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने निम्नलिखित को शामिल करते हुए सुस्पष्ट नीति फ्रेमवर्क तैयार किया है :

निदेशकों तथा वरीय प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहित (कोड आफ कंडक्ट)

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा आंतरिक ट्रेडिंग के संरक्षण के लिए आचार संहिता

विसिल ब्लोअर पालिसी

जोखिम प्रंधन योजना

1.5.2 निदेशक मंडल

कंपनी का कार्य व्यापार निदेशक मंडल द्वारा चलाया जाता है। कंपनी के निदेशकों की संख्या को समय–समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। निदेशकों के लिए क्वालिफिकेशन शेयर को रखने की जरूरत नहीं होती है। राष्ट्रपति द्वारा चेयरमैन, कार्यकारी निदेशक, अंशकालिक सरकारी निदेशक और गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति आदेश के अनुबंध एवं शर्तों तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, बैठक, शुल्क आदि दिए जाते हैं।

क). निदेशक मंडल का आकार

कंपनी के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के संदर्भ में हमारे निदेशक मंडल में कम–से–कम तीन (3) निदेशक और पन्द्रह (15) निदेशक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये निदेशक पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी निदेशक/कार्यकारी अथवा सरकारी अंशकालीक निदेशक या गेर–सरकारी अंशकालिक निदेशक/स्वतंत्र निदेशक हो सकते हैं।

ख). निदेशक-मंडल का कोटिवार गठन

31 मार्च, 2017 के अनुसार सीएमपीडीआई के निदेशक मंडल में 8 निदेशक हैं, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक सहित चार(4) पूर्णकालिक निदेशक दो (2) अंशकालिक सरकारी निदेशक तथा 2 अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक हैं। कार्यकारी अध्यक्ष श्री शेखर सरण इस बोर्ड के अध्यक्ष है। कंपनी के बोर्ड में केवल तीन स्वतंत्र निदेशक हैं। पूर्व में नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशकों के पद से मुक्त होने के बाद कोयला मंत्रालय, भारत सराकर द्वारा शेष 3 स्वतंत्र निदेशकों की अभी नियुक्त की जानी हैं। बोर्ड के गठन के संबंध में निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुसार ही स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जा सकेगी।

31 मार्च, 2017 के अनुसार निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है :

i. **पूर्णकालिक निदेशक**

क). अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

1. श्री शेखर सरन

ख). कार्यकारी निदेशक

2. श्री वी.के.सिन्हा
3. श्री विनय दयाल
4. श्री ए.के.चक्रवर्ती

ii. **सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री चंदन कुमार दे
2. श्री देवुलापल्ली नरसिम्हा प्रसाद

iii. **गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक**

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद
2. डा. देवाशीश गुप्ता

iv. स्थायी आमंत्रित सदस्य

1. श्री पियुष कुमार

ग). बोर्ड की बैठक की संख्या तथा तिथि

कंपनी का सर्वोच्च निकाय (बाडी) निदेशक मंडल होता है, जो कंपनी के संपूर्ण कार्यो की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान नौ (9) बोर्ड बैठकें आयोजित की गई थी, जो इस प्रकार है :

क्रम संख्या	बैठक की संख्या	तिथि	दिन	स्थान
1.	194वीं	25.05.2016	बुधवार	कोलकाता
2.	195वीं	28.05.2016	मंगलवार	नई दिल्ली
3.	196वीं	02.08.2016	मंगलवार	नई दिल्ली
4.	197वीं	02.09.2016	शुक्रवार	होटल कैपिटल हिल, राँची
5.	198वीं	28.10.2016	शुक्रवार	नई दिल्ली
6.	199वीं	16.11.2016	बुधवार	कोलकाता
7.	200वीं	29.12.2016	वृहस्पतिवार	सीएमपीडीआईएल, राँची
8.	201वीं	30.01.2017	सोमवार	नई दिल्ली
9.	202वीं	10.03.2017	शुक्रवार	सीएमपीडीआईएल, राँची

घ). 1. निदेशक-मंडल की बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति :

प्रत्येक निदेशक द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या का विवरण इस प्रकार है :

क्र.सं.	निदेशक	उनके कार्यावधि में हुई बोर्ड बैठक की संख्या	बोर्ड की बैठक में उपस्थिति की संख्या	अंतिम एजीएम में उपस्थिति
कार्यकारी निदेशक				
1.	श्री शेखर सरन	9	9	हाँ
2.	श्री वी.के.सिन्हा	9	9	हाँ
3.	श्री विनय दयाल	9	7	नहीं
4.	श्री ए.के.चक्रवर्ती	6	6	नहीं
5.	श्री बी.एन.शुक्ला	3	3	हाँ
अंशकालीन सरकारी निदेशक				
6.	श्री डी.एन.प्रसाद	9	8	नहीं
7.	श्री सी.के.डे	3	3	नहीं
8.	श्री एन.कुमार	4	3	हाँ
अंशकालीक गैर-सरकारी निदेशक				
9..	श्री राकेश कुमार मित्तल	5	5	हाँ
10.	श्री राजेन्दर प्रसाद	9	9	हाँ
11.	डा. देबाशीष गुप्ता	9	9	नहीं

क्रम संख्या 4, 03.08.2016 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त हुए। क्रम संख्या 7, 19.12.2016 से नामित निदेशक नियुक्त हुए।

घ). 2. रूचि का प्रकटीकरण

क्र. सं	निदेशक	जिस कंपनी के लिए वे इच्छुक हैं	रूचि की प्रकृति यानि अध्यक्ष, निदेशक प्रबंधक एवं सचिव
1.	श्री शेखर सरन	1. कोल इंडिया लि. 2. बीसीसीएल	निदेशक (तक.)अतिरिक्त प्रभार निदेशक
2.	श्री वी.के.सिन्हा	कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटेड	निदेशक
3.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	शून्य	–
4.	श्री बिनय दयाल	शून्य	–
अंशकालीन गैर सरकारी			
5.	श्री डी.एन.प्रसाद	सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	सरकारी नामित निदेशक
6.	श्री सी.के.डे	1.कोल इंडिया लि. 2.इस्टर्न कोलफील्डस लि. 3.साऊथ ईर्स्टन कोलफील्ड्स लि. 4.कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा 5.हिन्दुस्तान उर्वकर एंड रसायन लिमिटेड 6.तालचर फर्टिलाइजर लि.	निदेशक निदेशक निदेशक सदस्य/शेयर होल्डर अध्यक्ष, निदेशक और शेयर होल्डर सदस्य/शेयर होल्डर
अंशकालीन गैर सरकारी			
7.	श्री राजेद्रर प्रसाद	शून्य	–
8.	डा. देबाशीष गुप्ता	शून्य	–

ङ). बोर्ड की मीटिंग के समक्ष रखी गई सूचना

कंपनी बोर्ड के भीतर की किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है। बोर्ड के समक्ष दी जाने वाली सूचनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- पूँजीगत एवं राजस्व बजट
- कंपनी का त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम
- कंपनी के कार्यनिष्पादन की आवधिक संवीक्षा
- भारी मशीनों की उपलब्धता एवं उपयोग की सार्वाधिक समीक्षा
- प्रयोज्य नियमों के अनुपालन पर आवधिक समीक्षा
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल की रिपोर्ट इत्यादि
- अंकेक्षक समिति, सीएसआर समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति और जोखिम प्रबंधन समिति के बैठक का कार्यवृत
- बड़े कंट्रेक्ट/एग्रीमेंट को देना
- अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारित स्थिति और डायरेक्टरशिप के बारे में निदेशकों की रूचि का प्रकटीकरण
- स्वतंत्र निदेशक द्वारा स्वतंत्र की घोषणा
- श्रमशक्ति बजट
- कोई अन्य मैटेरियली महत्वपूर्ण सूचना

च). निदेशकों का संक्षिप्त प्रोफाइल :

श्री शेखर सरन (डीआईएन 06607551) सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड जो पूरे देश में कोयला और खनिज गवेषण तथा परामर्शी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, के अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक हैं। उन्हें 31.10.2016 के तत्काल प्रभाव से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) का अतिरिक्त प्रभार भी मिला तथा सीआईएल और बीसीसीएल के बोर्ड सदस्य भी हैं। श्री सरन उत्पादन और उत्पादकता में नए मानकों की स्थापना में खानों के परिदृश्य को यंत्रीकृत खान डेवलपर और स्वरूप बदलने वाले के रूप में उद्योग को अपने अपूर्व सहयोग और नए रास्ते तलशेन वाले के रूप में जाने जाते हैं।

उन्होंने जून, 2013 में निदेशक (तकनीकी) के रूप में सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण किया और कोल रिसोर्स डेवलपमेंट के कार्यों की देख–रेख की। उसके बाद दिसम्बर, 2015 तक प्लानिंग एंड डिजाइन का कार्य संभाले। 1 जनवरी, 2016 को उन्होंने सीएमपीडीआई के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।

1981 बैच के श्री सरन ने डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग इंजीरियरिंग, इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) वर्तमान में आईआईटी (बीएचयू) से स्नातक है। अपने बैच के टॉपर होने के कारण उन्हें बीएचयू के गोल्ड मेडल के साथ–साथ एमजीएमआई से राबर्टन मेडल से नवाजा गया। तदनन्तर वर्ष 2013–15 के दौरान, उन्होंने आईआईएम, राँची से अधिकारियों (पीजीईएक्सपी) के लिए प्रबंधन में पोस्ट–ग्रेजुएट प्रोगाम की डिग्री भी ली।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने जेट से सब एरिया मैनेजर के रूप में एसईसीएल के सोहागपुर, हसदेव और विश्रामपुर क्षेत्र, एजेंट और सीजीएम के रूप में ईसीएल के कुनुस्तोरिया, सतग्राम और सोदेपुर क्षेत्र तथा अंत में सीजीएम (पीएंडपी) के रूप में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, मुख्यालय में कार्य किया। उन्हें विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में बड़ी खुली खदान और भूमिगत खदान के प्रबंधन का व्यापक अनुभव है। जब वे एसईसीएल में कार्यरत थे तब उन्होंने रूफ बोल्टिंग/स्टील सपोर्ट का प्रयोग कर मैनुअल भूमिगत खान को यंत्रीकृत खान में बदला। उन्होंने विभिन्न सेमिनारों/कार्यशाआलों में बहुत सारे तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे 26 वर्षों से अधिक समय तक रेस्क्यू प्रशिक्षित सदस्य भी रहे तथा भूमिगत खानों में रेस्क्यू और रिकवरी आपरेशन में भी भाग लिया।

उन्होंने यू.के., जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, यूएस, कनाडा एवं स्वीटजर लैंड आदि जैसे देशों का अनेकों बार भ्रमण किया है। वे एक एनसीसी प्रमाण पत्र धारक और अच्छे खिलाड़ी भी हैं। उन्हें कोल माइनिंग प्रोडक्शन में इनोवेटिव टेक्नीक और अनोखे विचार वाला जाना जाता है। उन्हें कारपोरेट लाइफ और मानव संसाधन के विकास में इसकी सर्वोतमता में विश्वास है। उनकी पसंद में कोल इंडिया इस तरह समाहित है कि कोल इंडिया में निदेशक मंडल की बैठक में हमेशा उनकी उपस्थिति रहती है।वे 01.01.2016 से अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक है।

श्री विनोद कुमार सिन्हा (डीआईएन 06793778) उनिदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) सीएमपीडीआई,भारतीय खनि विद्यापीठ, धनबाद से माइनिंग इंजीनियरिंग (1978) में स्नातक हैं। इन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

इन्होंने वर्ष 1978 में जेट के रूप में सीसीएल में पदभार संभाला तथा 2001 तक विभिन्न पदों पर कार्य किया। इसके बाद इन्होंने परियोजना पदाधिकारी/एजेंट के रूप में बीसीसीएल में पदभार ग्रहण किया तथा कुसुण्डा क्षेत्र में अपर महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वर्ष 2006 से 2008 के दौरान वेर्स्टन झरिया एरिया, सुदामडीह के महाप्रबंधक के रूप में कार्य किया। वे मुनिडीह में एमएल 4 पावर्ड सपोर्ट रि–कमिशण्ड करने में विशेष योगदान दिया और खानों के विस्तार के

लिए भू–अर्जन जैसे चुनौती भरे कार्य में सहयोग किया। इन्हें मुरलीडीह 20/21 पीट में साइड डिस्चार्ज लोडर एसडीएल शामिल करने का भी श्रेय प्राप्त है। बीसीसीएल में मुख्य महाप्रबंधक (विक्री एवं विपणन) के रूप में अपनी सेवा अवधि के दौरान नई कोयला वितरण नीति के तहत कोल आफर तथा आवंटन में सुधार तथा नियमितीकरण, ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए), कोयले के अंतिम उपयोग में सुधारात्मक कार्य तथा नन–कोल सेक्टर उपभोक्ताओं के मामले में रिफंड मैकेनिज्म तथा उसके बाद उपभोक्ताओं सहित स्टेक होल्डरों के लिए वैल्यू को बढ़ाने में इनका काफी योगदान रहा है। अपने प्रोफेशनल कार्य से इन्होंने चीन, तुर्की और स्विटजरलैंड का भी दौरा किया है।

सीएमपीडीआई में पदभार ग्रहण करने से पूर्व ये बीसीसीएल में सीजीएम (कंट्रक्ट एंड मैनेजमेंट सेल) के पद पर थे। तथा समय पर विभिन्न करारों को निष्पादिन करने में अपनी मूल्यवान सेवाएँ प्रदान कीं। इन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस जैसे देशों का भी दौरा किया है।

वे 08.01.2014 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/अनुसंधान, विकास एवं प्रौद्योगिकी) हैं।

श्री बिनय दयाल (डीआईएन 07367625) सीएमपीडीआई के निदेशक तकनीकी (अभियांत्रिकी सेवाएँ) है। श्री दयाल 1983 में भारतीय खनि विद्यापीठ (आईएसएम), धनबाद से खनन इंजीनियरिंग में स्नातक है। उन्होंने डीजीएमएस, धनबाद से प्रथम श्रेणी में माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट ऑफ कंपीटेंसी भी प्राप्त किया है।

उन्होंने कोल इंडिया में कनीय अधिकारी (प्रशिक्षु) के रूप में ज्वाइन किया और उन्हें 1983 में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के सेंट्रल सौदा कोलियरी, बरकाकाना क्षेत्र में पदस्थापित किया। सीएमपीडीआई (मुख्यालय) में तकनीकी सेवाओं तथा जनसंपर्क प्रमुख, क्षेत्रीय निदेशक, सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट्स एंड प्लानिंग सर्विसेस) जैसे विभिन्न पदों पर कार्य किया। 01.12.2015 को उन्होंने निदेशक तकनीकी (इंजीनियरिंग सर्विसेज), सीएमपीडीआई का प्रभार ग्रहण किया।

श्री दयाल को कारपोरेट प्लानिंग तथा पब्लिक रिलेशन्स एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के मेगा प्रोजेक्ट के प्लानिंग, अनुमोदन तथा कार्यान्वयन एवं कोरबा एवं मांद रायगढ़ कोयला क्षेत्र में विस्तृत गवेषण के लिए हाई–टेक ड्रिलों को लगाकर उत्पादकता में वृद्धि का श्रेय उन्हें ही जाता है। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड के महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एवं प्लानिंग सर्विसेज) के रूप में उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा किए जाने वाले 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के कार्य का रोड मैप भी तैयार किया है।

उन्हें मॉंद रायगढ़, कोरबा कोयला क्षेत्र से कोयले के निकास (ढुलाई) के लिए रेल कॉरीडोर हेतु साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (एसईसीएल, इरकान तथा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार सहित) जैसे संयुक्त उद्यम वाली कंपनी के बोर्ड में एसईसीएल का प्रतिनिधित्व भी किया।

श्री दयाल ने वर्ष 2007 के दौरान आस्ट्रेलिया में आयोजित "इंडिया–आस्ट्रेलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एनर्जी एंड मिनरल" की 5वीं बैठक में भारतीय सदस्य के रूप में भाग लिया। उन्होंने सितम्बर, 2010 में एडवांस्ड मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रतिभागी के रूप में चाइनीज कोल इंडस्ट्रीज का दौरा किया। वर्ष 2011 एवं 2012 में एबानडेंड कोलसीम के खान से ऊर्जा में बदलने तथा ग्रीन हाऊस जैसे रिकवरी पर ईयू रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए सीएमपीडीआई की ओर प्रशासनिक प्रमुख भी थे। उन्होंने इस्तांबुल, तुर्की में 2011 में आयोजित 22वीं वर्ल्ड माइनिंग कॉंग्रेस एंड एक्सपो 2011 में भाग लिया तथा तकनीकी

आलेख भी प्रस्तुत किए। उन्होंने कोयला उद्योग से संबंधित अनेकों तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए। वे एमजीएमआई तथा कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया (सीएसआइ) के आजीवन सदस्य हैं।

वे 01.12.2015 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी, प्लानिंग एंड डिजाइन) हैं।

श्री असीम कुमार चक्रवर्ती (डीआईएन 07601841) ने दिनांक 3 अगस्त 2016 को निदेशक (तकनीकी) का प्रभार लिया। श्री चक्रवर्ती इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) धनबाद से खनन इंजीनियरिंग (1982 में) स्नातक किया। उन्होंने बीआईटी, मेसरा, राँची से एमबीए डिग्री (1982 में) प्राप्त किया।

उन्होंने 1982 में ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के नार्थ सियर सोल कोलियरी, कुनुस्तुरिया एरिया से कोयला उद्योग में पदार्पण किया। सीएमपीडीआई में निदेशक (तकनीकी) के रूप में प्रभार लेने से पूर्व वे क्षेत्रीय निदेशक और महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट अप्रेजल डिवीजन) के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री चक्रवर्ती को प्रोजेक्ट प्लानिंग एक्टिविटि में व्यापक अनुभव है। उन्हें एमसीएल के सियरमल ओसीपी जैसे बड़े क्षमता वाले खान (40 मि.ट.प्र.व. क्षमता) के प्लानिंग का श्रेय जाता है। महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट एप्रेजल डिवीजन) के रूप में उन्होंने सीआईएल द्वारा 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लिए सीआईएल से संबंधित रोडमैप बनाने में अपना सहयोग दिया। सीआईएल ब्लॉकों पर यूएनएफसी पर कार्य में भी सहयोग किया। वे सीआईएल से बाहर के ग्राहकों के साथ–साथ कोल इंडिया के खानों के लिए परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणिक प्रबंधन योजना खनन योजना, माइन क्लोजर प्लान, आपरेशनल प्लान और अन्य विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए उत्तरदायी रहे हैं।

वे 03.08.2016 से सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी, इंजीनियरिंग सेवाएँ) सीएमपीडीआई हैं।

श्री डी.एन.प्रसाद (डीआईएन 00119593) ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कॉलेज आफ इंजीनियरिंग से पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम क्षेणी से पास हुए हैं (खनन अभियंता, स्नातक) तथा वे फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर्स सर्टिफिकेट आफ कंपीटेंसी धारक भी हैं। साथ ही उन्होंने यूके से एमबीए किया है तथा भारत के कोयला एवं ऊर्जा सेक्टर में लगभग 32वर्षों का अनुभव उनके पास है। उनको पब्लिक सेक्टर कोल कंपनियों, कोल इंडिया लिमिटेड एवं सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में कोयला खानों के परिचालन और प्रबंधन का 11 वर्षों का अनुभव तथा योजना आयोग एवं कोयला मंत्रालय भारत सरकार के ऊर्जा विभाग में एनर्जी फियूएल कोल एवं लिग्नाइट के लिए विकास नीति के आयोजन का लगभग 21 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वर्त्तमान में वे कोयला मंत्रालय, भारत सरकार में निदेशक (तकनीकी) के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके व्यापक अनुभव में कोयला खनन परियोजनाओं का विकास, निवेश निर्णय के लिए कोयला खनन परियोजनाओं का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, कोयला एवं लिग्नाइट, सीबीएम, सीएमएम आदि के लिए गवेशण, कैपिटल बजटिंग, पर्यावरणिक प्रभाव, मूल्यांकन, क्लाइमेंट चेंज से संबंधित मुद्दे, कोयला एवं लिग्नाइट के लिए भावी योजनाओं का विकास, कोल वाशिंग, कोयला गैसीसकरण, यूसीजी सहित क्लीन कोल टेक्नोलॉजी का विकास, कोयला निर्गमन के लिए आधारभूत संरचना का विकास आदि शामिल है। कोयले के विकास से संबंधित विभिन्न कमिटियों पर योजना आयोग एवं कोयलामंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया तथा प्रोफेशनल कार्य से उन्होंने आस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, यूके, यूएसए, बेल्जियम, फ्रांस, चीन, तुर्की, स्वीटजरलैंड आदि देशों का दौरा किया। उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय फोरम में कोयला सेक्टर के मुद्दों और नीति पर अनेकों पेपर प्रस्तुत किया है। वे इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), माइन्स, मेटल एवं जियोलॉजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडिया (एनएमजीआई) आदि जैसे व्यावसायिक निकायों

के सदस्य भी है। साथ हीवे सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड में डायरेक्टर भी है।

वे 27.01.2010 से सीएमपीडीआई के सरकारी अंशकालीन निदेशक हैं।

श्री चंदन कुमार डे (डीआईएन 03204505) निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड का जन्म दिनांक 10 सितम्बर, 1958 को कोलकाता में हुआ था। श्री डे ने 01.02.2013 से 28.02.2015 तक ईसीएल के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दी।

श्री डे ने 1975 में केंद्रीय विद्यालय से अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त की । और वर्ष 1978 में एकाउंटेंसी में कॉमर्स में आनर्स के साथ कलकत्ता यूनिवर्सिटी से स्नातक हैं। श्री डे चार्टर्ड एकाउंटेंट और कॉस्ट एकाउंटेंट हैं।

श्री डे को 34 वर्षों से अधिक लेवेस, डनलप इंडिया लिमिटेड, एनआईसीसीओ ग्रुप, बालमेर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड तथा ऑयल इंडिया लिमिटेड सहित कई प्रतिष्ठित संगठनों में अपनी सेवाएँ दी हैं।

श्री डे को उनके प्रोफेशनल कैरियर के दौरान एकाउन्ट्स, ट्रेजरी, टैक्ससेसन ओर इंटरनल ऑडिट फंग्शन के हेड रहे और उन्होंने मुख्य वित्त अधिकारी के रूप में सेवाएँ दी। यूनाइटेड किंगडम में चीफ आपरेटिंग ऑफीसर के रूप में बालमेर लॉरी (यूके) लिमिटेड के आपरेशनस श्री डे ने आफिसियल असाइनमेंट पर यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्वीटजरलैंड, यूएसए, हांगकांग, यूएई और सेंट्रल एि ायन रिपब्लिक जैसे विदेशों और भारत के भीतर यात्राएँ की हैं। श्री डे की रूचि पुस्तकें पढ़ने और गाने (म्यूजिक) में है।

वे दिनांक : 19.12.2016 से सीएमपीडीआई में सरकारी अंशकालीक निदेशक हैं।

श्री राजेन्दर प्रसाद (डीआईएन 07355787) वर्ष 1971 में सोनीपत के हिन्दु कॉलेज से स्नातक है। 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय से एलएलबी करने के बाद से अगस्त, 1975 में वकालत शुरू की। उन्होंने सिविल, क्रिमिनल, मैक्ट, रेवेन्यू और लेबर लॉ की प्रैक्टिस की एव बीएसटी गनौर रंग उद्योग जैसे जिला और राज्य स्तर के विभिन्न औ़द्योगिक संगठनों के ट्रेड तथा लेबर यूनियन के लिए अपनी सेवाएँ दी। उन्होंने प्रशासन के समक्ष गरीब, वंचित समाज के नीचे तबके के लोगों के अधिकारों और हक के लिए जोरदार आवाज उठाई तथा समुचित लीगल फोरम के समक्ष कानूनी सहायता भी दिया।

वर्ष 1981 में उनका चयन हरियाणा जुडिशियल सेवा के लिए हो गया और उन्होंने सब जज कम जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में ज्वाइन किया। फरवरी, 1988 में हरियाणा हायर जुडिशियल सर्विस में उनकी प्रोन्नति हुई तथा 06.03.2009 तक आडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज के रूप में पदस्थापित हुए। जुडिशियल सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम, कुरूक्षेत्र के प्रेसीडेंट के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इस पद पर वे 05.03.2014 तक रहे। कुछ समय के लिए उन्हेंने प्रेसीडेंट डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिसप्यूट रेड्रेसल फोरम, करनाल में भी अपनी सेवाएँ दी।

उन्होंने ईमानदारी और निश्पक्ष रूप से न्याय प्रदान करते हुए 35 वर्षों से अधिक की सेवा जुडिशियल डिपार्टमेंट में दी। अपने जुडिशियल कैरियर के दौरान पूरे हरियाणा में विभिन्न जिलों में अपनी सेवाएँ दी। आपने सेवा अवधि के दौरान उन्हें माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अनेकों प्रशंसा–पत्र मिला है। नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी और फारेसिंक साईंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (2003 तथा 2006) में क्रिमिनोलॉजी तथा फोरेंसिक साईंस (1994), मानव अधिकार में कोर्स पूरा कर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है।

डिस्ट्रीक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल फोरम के प्रेसीडेंट के रूप में उन्हें स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमीशन, हरियाणा, पंचकुला द्वारा वर्ष 2011 में विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र प्रदान

किया गया। पंचकुला में दिनांक– 09.01.2013 को आयोजित इनफोर्समेंट ऑफ कंज्यूमर एक्ट, 1986 के सिल्वर जुबिली सेलिब्रेशन के अवसर पर उन्हें विशिष्ट सेवा प्रमाण–पत्र पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिश ए.के.सिकरी द्वारा दिया गया। 2015 में, उन्हें स्टूडेंट इलेक्शन 2015 का न्यायिक जाँच के लिए हेमवती नंदन बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर गढ़वाल (उत्तराखंड) द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्हें दिनांक 17.11.2015 को सीएमपीडीआई के बोर्ड में गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

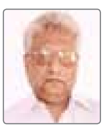

डा. देबाशीष गुप्ता (डीआईएन 03572010) कलकता विश्वविद्यालय से केमेस्ट्री में पीएचडी पूरा करने के बाद 1978 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए। उन्हें बिहार कैडर मिला। उन्होंने तत्कालीन बिहार और झारखंड में विभिन्न पदों पर रहकर कार्य किया तथा टेक्सटाइल मंत्रालय में भारत सरकार के साथ कार्य किए। उन्हें नेशनल जूट मैन्यूफेक्चरर कारपोरेशन लिमिटेड तथा जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया में अ.स. प्र. निदेशक (सीएमडी) के रूप में कारपोरेट का अनुभव है। उन्हें बिहार सरकार के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों में सीएमडी तथा प्रशासक का भी कार्यानुभव है। वे डेवलपमेंट कमीशनर, झारखंड सरकार के पद से सेवा–निवृत हुए। सेवा–निवृत्ति के बाद वे वर्ष 2013–15 तक अध्यक्ष झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन रहे।

सीएमपीडीआईएल बोर्ड में उनकी नियुक्ति दिनांकः 17.11.2015 को गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक के रूप में हुई है।

श्री पीयूष कुमार (डीआईएन 07201444) ने 1993 में इंडियन स्कूल ऑफ माइन, धनबाद से रजत पदक के साथ खनन अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त किया है। इन्होंने डीजीएमएस से प्रथम श्रेणी खान प्रबंधन प्रमाण–पत्र प्राप्त किया है और आईटी, बीएचयू से खान में रॉक मैकेनिक्स एवं पर्यावरण प्रबंधन में शॉट–टर्म पाठ्यक्रम भी किया है। अभी ये आईएसएम, धनबाद से पार्ट टाइम अनुसंधान कार्य कर रहे हैं।

इन्होंने विभिन्न क्षमताओं में सीसीएल के विविध खुली खदान तथा भूमिगत कोयला खान में कार्य किया है। वे सीबीएम, सीएमएम, वीएएम तकनीक अध्ययन हेतु यूएसए के लिए सीआईएल प्रतिनिधि–मण्डल के हिस्सा थे। ये जापान में वाशरी टेक्नोलॉजी एवं लॉग–वाल माइनिंग और जेनेवा, स्वीटजरलैंड में कोयला संसाधन के यूएनएफसी वर्गीकरण पर प्रशिक्षण भी लिया है। ये जापान, ईयू, रूस, बेलारूस, यूएस के साथ विविध कार्य समूह बैठकों और ऑस्ट्रेलिया में जी–20 बैठक में भारतीय दल के हिस्सा थे।

अभी ये कोयला मंत्रालय में निदेशक तकनीकी के पद पर हैं, जो कोल माइनिंग के सभी तकनीकी मामलों और संबंधित नितियों के लिए जिम्मेवार हैं तथा खनिज अन्वेशण निगम लिमिटेड के बोर्ड के सदस्य भी हैं।

ये 06.05.2016 से 18.6.2017 तक सीएमपीडीआई के बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए थे। उन्हें 5.8.2016 से 08.06. 2017 तक बीसीसीएल के बोर्ड में अंशकालीक सरकारी निदेशक भी नियुक्त किए गए थे। कोयला मंत्रालय द्वारा 9.6.2017 से सीएमपीडीआई के बोर्ड में अंशकालीन सरकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं।

छ). सेक्शन 149 के उप-धारा (6) के तहत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा किए गए घोषणा पर विवरण

श्री राजेदर प्रसाद और डा. देबाशीष गुप्ता कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। दोनों स्वतंत्र निदेशक अपनी डॅयूटि करते हैं और घोषणा करते हैं कि वे वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अनुसार वे स्वतंत्र निदेशक के मापदंड को पूरा करते हैं।

1.5.3 क). अंकेक्षण समिति :

अंकेक्षण समिति का मुख्य कार्य वित्तीय रिपोर्ट, वित्त से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की कंपनी की प्रणाली, लेखा तथा कंपनी का अंकेक्षक लेखा एवं वित्तीय रिपोर्टिंग प्रोसेस का पुनरीक्षण करते हुए इसकी ओवर साइट उत्तरदायित्व पूरा करने में निदेशक मंडल को सहायता प्रदान करना है।

अंकेक्षण समिति अतिरिक्त अंकेक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से मिलती है तथा उनकी उपलब्धियों, सुझावों और अन्य संबंधित विषयों पर विचार विमर्श करती है एवं कंपनी द्वारा अपनाई गई मुख्य लेखा नीतियों की समीक्षा करती है।

ख). विचारार्थ विषय :

अंकेक्षण समिति की विचारार्थ विषय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177के अनुसार है तथा भारी उद्योग मंत्रालय तथा पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा जारी किये गए सीपीएसईएस के कारपोरेट–गवर्नेन्स पर आधारित दिशा–निर्देश के अनुसार है।

अंकेक्षण समिति का विचारार्थ विषय अन्य बातों के साथ–साथ संगठन के सभी व्यावसायिक पहलूओं को कवर करेगा।

i. बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के पहले वितीय विवरणों की समीक्षा करना।

ii. आंतरिक प्रणाली का नियतकालिक पुनरीक्षण।

iii. शासकीय अंकेक्षण तथा सांविधिक अंकेक्षण की रिपोर्ट का पुनरीक्षण।

iv. मानक पारामीटरों के साथ–साथ संचालनीय कार्य निष्पादन का पुनरीक्षण।

v. परियोजनाओं तथा अन्य पूँजीगत योजनाओं का पुनरीक्षण।

vi. आंतरिक अंकेक्षण उपलब्धि/अवलोकन का पुनरीक्षण।

vii. आनुपातिक तथा प्रभावी आंतरिक अंकेक्षण कार्य का विकास।

viii. बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए गए मुद्दों सहित किसी भी विषय का विशेष अध्ययन/जाँच।

ग). अंकेक्षक समिति का कार्य क्षेत्र :

अंकेक्षण समिति का कार्य क्षेत्र/भूमिका इस प्रकार है :

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा वित्तीय संरचनाओं का प्रकटीकरण, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय है।

2. ऑडिट फीस को निर्धारित करने के लिए बोर्ड को अनुशंसा करना।

3. सांविधिक अँकेक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गए अन्य सेवाओं के लिए अंकेक्षक, सांविधिक अंकेक्षकों के भुगतान का अनुमोदन करना है।

4. विशेष संदर्भ के साथ अनुमोदन हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ पुनरीक्षण करना।

   क) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) और 134(5) के संदर्भ में शामिल किए जाने वाला डायरेक्टर्स रिस्पांसबिलिटी स्टेटमेंट में शामिल होने वाले अपेक्षित मामले।

   ख) लेखा नीतियों तथा प्रैक्टिसेस में यदि कोई परिवर्त्तन हो तो उसका कारण।

   ग) प्रबंधन द्वारा निर्णय पर आधारित आकलन से जुड़े मुख्य लेखा प्रविश्टि (इन्ट्री)।

   घ) अंकेक्षण निश्कर्श से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन।

   ङ) वित्तीय विवरणों से संबंधित कानूनी आवश्यकताओं (प्रयोज्य नियम, अधिनियम तथा कंपनी नीतियाँ) का अनुपालन।

   च) किसी भी संबंधित पार्टी मामलों का प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर) तथा

छ) मसौदा अंकेक्षण रिपोर्ट में योग्यता।

5. अनुमोदन हेतु बोर्ड में प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय विवरणों का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

6. आंतरिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता का प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

7. आंतरिक अंकेक्षण विभाग, ऑफिशियल होल्डिंग डिपार्टमेंट का स्टाफिंग तथा वरीयता रिपोर्टिंग संरचना कवरेज एवं आंतरिक अंकेक्षण की आवृति सहित, यदि कोई हो तो आंतरिक अंकेक्षण कार्य की उपयुक्तता की समीक्षा करना।

8. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धियों तथा उससे संबंधित अनुवर्ती कार्रवाई हो तो आंतरिक अंकेक्षण तथा/अथवा अंकेक्षक के साथ विचार विमर्श करना।

9. ऐसे मामले जहाँ संदिग्ध, धोखाघड़ी अथवा अनियमितता अथवा आर्थिक प्रकृति के (मेटिरियल नेचर) के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता है तथा बोर्ड को रिपोर्टिंग करने के मामले में आंतरिक अंकेक्षकों/अंकेक्षकों एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच की उपलब्धियों की समीक्षा करना।

10. अंकेक्षण की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र के बारे में तथा इससे संबंधित किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए पोस्ट ऑडिट विचार–विमर्श, ऑडिट कामनसेंस के पहले सांविधिक अंकेक्षण के साथ विचार–विमर्श करना।

11. व्हिसिल ब्लोअर मैकेनिज्म की क्रियाशीलता की समीक्षा करना।

12. सीएजी ऑडिट के अंकेक्षण अवलोकन पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

13. स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक तथा बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के बीच सम्पर्क हेतु खुला मंच उपलब्ध कराना।

14. कंपनी के सभी संबंधित पार्टी मामलों की समीक्षा करना तथा अनुमोदित करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समित एक सदस्य को नामित कर सकता है, जो इन्स्टीच्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेंड आफ इंडिया द्वारा जारी एकाउटिंग स्टैंडर्ड 18 में वर्णित पार्टी ट्रांजेक्शन से संबंधित पुनरीक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

15. कवरेज, अनावश्यक प्रयास में कमी तथा सभी आडिट संसाधनों के प्रभावी इस्तेमाल की संपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु ऑडिट प्रयासों के स्वतंत्र ऑडिटर समन्वयन के साथ पुनरीक्षण करना।

16. कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली नियंत्रण तथा सुरक्षा एवं संबंधित उपलब्धियों तथा स्वतंत्र अंकेक्षकों की अनुशंसाएँ तथा प्रबंधन प्रत्युत्तर के साथ अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिए अथवा गतिविधियों के कार्यक्षेत्र पर किसी भी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण के दौरान सामना की गई कठिनाइयों, महत्वपूर्ण उपलब्धियां एवं आंतरिक अंकेक्षक सहित इसका दायित्व प्रबंधन पर भी है।

17. अपेक्षित सूचना की अधिकता या क्रिया–कलापों की संभावना पर किसी प्रतिबंध सहित अंकेक्षण कार्य के दौरान पायी गई किसी कठिनाइयों तथा पूर्व के अंकेक्षण की अनुशंसाओं की स्थिति सहित विवेच्य वर्ष के दौरान महत्वपूर्व निष्कोर्शों के लिए प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षण तथा स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ विचार–विमर्श करना तथा समीक्षा करना।

18. डिपोजिटर्स, डिबेंचर धारकों, शेयर होल्डरों (घोषित लाभांश के नन पेमेंट के मामले में) को भुगतान में पर्याप्त त्रुटि के कारणों का पता लगाना।

19. पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट (कोपू) पर गठित कमेटी की अनुशंसाओं पर की गई कार्रवाई का अनुसरण कर समीक्षा करना।

20. अंकेक्षण कमेटी के विचाराधीन विषयों में उल्लिखित किसी अन्य कार्य को सम्पादित करना।

घ). अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ :

अंकेक्षक समिति की शक्तियाँ निम्नलिखित के अनुरूप होगी :

i. विचारार्थ विषय के अंतर्गत किसी भी गतिविधियों की जाँच करना।

ii. किसी भी कर्मी से सूचना माँगना।

iii. बाह्य कानूनी तथा व्यावसायिक सलाह प्राप्त करना।

iv. यदि विचार करना आवश्यक हो तो संबंधित विशेषज्ञता के साथ बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

v. व्हिसिल ब्लोअर्स की रक्षा करना।

vi. अंकेक्षकों की स्वतन्त्रता पर बल देते हुए हितों के टकराव को रोकना।

vii. आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंधन की प्रभावकारिता सुनिश्चित करना।

ङ). अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना की समीक्षा :

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचनाओं की समीक्षा करेगीः

i. वित्तीय स्थिति तथा कार्य के परिणामों पर प्रबंधन के साथ मिलकर विचार–विमर्श तथा विश्लेषण।

ii. प्रबंधन द्वारा सुपुर्द पार्टी लेनदेन से संबंधित विवरण।

iii. सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी कमियों पर आंतरिक नियंत्रण का पत्र/प्रबंधन का पत्र।

iv. इंटरनल कंट्रोल विकनेसेज से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्ट।

v. मुख्य आंतरिक अंकेक्षकों की नियुक्ति तथा पदच्युति को अंकेक्षण समिति के समक्ष रखना तथा,

vi. मुख्य कार्यकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरण का प्रमाणन/घोषणा।

च). गठन :

अंकेक्षण समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

क्र. सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (01.11.2016 से तथा 30.12.2015 से 31.10.2016 तक सदस्य	स्वतन्त्र निदेशक
2	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री आर. प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
4.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (28.01.2011 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
5.	श्री सी.के.डे	सदस्य – (10.01.2017 से)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
6.	श्री एन.कुमार	सदस्य – (04.09.2013 से 17.10.2016 तक)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
7.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य – (29.10.2015 से)	निदेशक (तकनीकी)

महाप्रबंधक (वित्त), मुख्य प्रबंधक (आंतरिकअंकेक्षण) तथा सांविधिक अंकेक्षक को आडिट कमिटि की बैठक में आमंत्रित किया जाता है। कंपनी सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। समिति को आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए, जब और जहाँ जरूरत हो, वरीय कार्यकारी अधिकारी को भी बुलाया जाता है। अंकेक्षण विभाग आडिट कमिटि की बैठक को आयोजित और संपन्न करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध करता है।

छ). बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान छह बैठकें आयोजित की गई। ये बैठकें क्रमशः दिनांक : 25.05.2016, 02.09. 2016, 28.10.2016, 16.11.2016, 29.12.2016 तथा 30.01.2017को आयोजित की गई थी। सदस्यों द्वारा भाग लिए गए अंकेक्षण समिति की बैठक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र.सं.	निदेशक के नाम	स्थिति	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (01.11.2016 से तथा 30.12.2015 से 31.10.2016 तक सदस्य थे)	6
2.	श्री आर.के.मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	3
3.	श्री आर. प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	6
4.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (28.01.2011 से)	3
5.	श्री सी.के.डे	सदस्य – (10.01.2017 से)	1
6.	श्री एन.कुमार	सदस्य – (04.09.2013 से 17.10.2016 तक)	2
7.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य – (29.10.2015 से)	6

1.5.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

निगमित शासन के सर्वोत्तम कार्य करने तथा कारपोरेट गवर्नेन्स के गाइड लाइन को पूरा करने एवं स्टॉक एक्सचेंज के साथ कोल इंडिया लिमिटेड करार की लिस्टिंग करवाने के लिए दिनांकः 30.12.2015 को आयोजित बोर्ड की 191वीं बैठक में सीएमपीडीआईएल के नामांकन एवं पारिश्रमिक कमिटि का गठन किया गया।

क) गठन

नोमिनेशन एंड रिमुनरेशन कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री डी.एन.प्रसाद	सदस्य – (30.12.2015 से)	सरकार द्वारा नामित निदेशक
3.	श्री एन. कुमार	सदस्य – (30.12.2015 से 17.10.2016 तक)	सरकारी अंशकालीन निदेशक
4.	श्री राकेश कु. मित्तल	सदस्य – (30.12.2015 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
5.	डा. देबाशीष गुप्ता	सदस्य – (30.12.2015 से)	स्वतन्त्र निदेशक
6.	श्री विनय दयाल	स्थायी आमंत्रित (30.12.2015 से 28.10.2016 तक)	निदेशक (तकनीकी)
7.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	स्थायी आमंत्रित (28.10.2016 से)	निदेशक (तकनीकी)

कंपनी सचिव इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे तथा विभागाध्यक्ष (पीएंडए) कमिटि को सभी सेवाएँ प्रदान करने के लिए नोडल अधिकारी हैं।

(ख) बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई।

1.5.5 सीएसआर कमिटी

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेनेबिलिटि कंपनी की अपने स्टेक होल्डरों के लिए वचनबद्धता है, जिसमें कंपनी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणिक रूप से सस्टेनेबल तरीके से व्यापार सम्पन्न करने से संबंधित है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक हो। स्टेक होल्डरों में कर्मचारी, निदेशक, शेयर होल्डर, ग्राहक, बिजनेस पार्टनर, सिविल सोसायटी ग्रुप, सरकार तथा गैर–सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं बड़े पैमाने पर समाज शामिल है।

प्रत्येक सीपीएसईएस में बोर्ड स्तर की एक समिति होनी चाहिए जिसकी अध्यक्षता या तो अध्यक्ष तथा/अथवा प्रबंध निदेशक अथवा एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं और ये 1.4.2013 के तत्काल प्रभाव से डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार इच्छित दिशा में कंपनी–बोर्ड के इस एजेंडा को लागू करने और नीति तथा रणनीति बनाने के लिए निदेशक मंडल को सहयोग एवं कंपनी के सीएसआर तथा सस्टेनेबल नीति को कार्यान्वित करते हैं। दिशा–निर्देशों में, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सस्टेबिलिटि, एमओयू में गैर–वित्तीय परामीटरों के तहत एक आवश्यक घटक के रूप में शामिल किया जा चुका है।

इसी दिशा–निर्देशों के अनुरूप बोर्ड ने दिनांक 10.5.2013 को आयोजित अपनी 172वीं बैठक में सीएसआरएंड सस्टेनेबिलिटी कमिटि का गठन किया है।

गठन :

सीएसआर कमिटि में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं तथा इसकी अध्यक्षता एक गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) करते हैं।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री राकेश कु. मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य– (30.12.2015 से 16.08.2016 तक)	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य– (30.12.2015 से)	निदेशक (तकनीकी)
5.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	सदस्य– (28.10.2016 से)	निदेशक (तकनीकी)

बैठक एवं उपस्थिति

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 24.05.16 तथा 16.11.2016 को दो बैठकें आयोजित की गई।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठकों की संख्या
1.	श्री आर. प्रसाद	अध्यक्ष (01.11.2016 से)	1
2.	श्री राकेश कु. मित्तल	अध्यक्ष (27.01.2014 से 31.10.2016 तक)	1
3.	श्री बी.एन. शुक्ला	सदस्य– (30.12.2015 से 16.08.2016 तक)	शून्य
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य– (30.12.2015 से)	2
5.	श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	सदस्य– (28.10.2016 से)	1

1.5.6 निदेशकों का पारिश्रमिक

सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पूर्णकालिक निदेशकों का अनुबंध एवं शर्त तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संस्था संलेख (आर्टिकल आफ असोशिएशन) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

क) कार्यकारी निदेशक

कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :–

नाम	पदनाम	छूट्टी नकदीकरण सहित कुल वेतन एवं भत्ता	पर्क्स	एचआरए	सीएमपीएफ नियोजक का अंशदान	पीआरपी की अग्रिम	कुल	एलटीसी एवं चिकित्सा खर्च
श्री शेखर सरन	अ.स.प्र.निदेशक	2104336.00	418463.00	0.00	252014.00	1698282.00	4473095.00	224597.00
श्री वी.के.सिन्हा	निदेशक (तक)	2345340.00	401703.00	0.00	281622.00	1451723.00	4480388.00	339969.00
श्री बिनय दयाल	निदेशक (तक)	2134770.00	409500.00	180000.00	234090.00	1620227.00	458587.00	73439.00
श्री ए.के.चक्रवर्त्ती	निदेशक (तक)	1531931.85	237736.00	0.00	183538.00	1573282.00	3526487.85	31807.00
श्री बी.एन. शुक्ला	निदेशक (तक)	803953.00	163540.00	0.00	96254.00	0.00	1063747.00	76929.00

ख) अंशकालिक सरकारी निदेशक :

सीएमपीडीआईएल द्वारा अंशकालिक सरकारी निदेशकों को किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। श्री डी.एन.प्रसाद, सलाहकार (परियोजना) कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से मनोनीत निदेशक हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा उन्हें पारिश्रमिक दिया जा रहा है। श्री सी.के.डे, निदेशक (तकनीकी), कोल इंडिया, कोलकाता द्वारा 29.12.2016 से 17.10.2016 तक नामित किया गया था तथा उनका पारिश्रमिक क्रमशः कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिया जा रहा है।

ग) अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक :

कंपनी के गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों को बोर्ड में उपस्थित होने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित सीलिंग के भीतर कोल इंडिया बोर्ड द्वारा निर्धारित दर पर दिया जाने वाला सीटिंग फीस को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकों के लिए भुगतान किए जा रहे सिटिंग फीस का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र. सं.	नाम	उपस्थिति के लिए भुगतान किया गया फिस		कुल (₹)
		बोर्ड की बैठक (₹)	समिति की बैठक (₹)	
1.	श्री आर.के.मित्तल	95,0000.00	1,10,000.00	2,05,000.00
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	1,75,000.00	2,15,000.00	3,90,000.00
3.	डा. देबाशीष गुप्ता	1,75,000.00	1,95,000.00	3,70,000.00

1.5.7 (1) वार्षिक आम बैठक :

विगत तीन वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक आम बैठक का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण	वर्ष 2013-14 39वीं एजीएम	वर्ष 2014-2015 40वीं एजीएम	वर्ष 2015-2016 41वीं एजीएम
तिथि	10.6.2014	22.06.2015	27.06.2016
समय	11.00 पूर्वाह्न	11.30 पूर्वाह्न	10.30 पूर्वाह्न
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची–834031, झारखंड
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	शून्य

1.5.7 (2) असाधारण आम बैठक

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17
तिथि	27.3.2015	शून्य	शून्य
समय	11.00 बजे पूर्वाह्न		
स्थान	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031		
विशेष संकल्प	नहीं		

1.5.7 (3) स्वतंत्र निदेशकों की बैठक :

कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों को निम्नलिखित पर विचार–विमर्श करने के लिए वर्ष में कम–से–कम एक बैठक में भाग लेने की अपेक्षा की जाती है :

क) गैर–स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड का संपूर्ण रूप से कार्य निशपादन की संवीक्षा करना।

ख) कार्यकारी निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशक से कंपनी के चेयरपर्सन के बारे में विचार लेके संवीक्षा करना।

ग) कंपनी प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और टाइम लाइन का मूल्यांकन करना जो कि बोर्ड के लिए प्रभावपूर्ण और समुचित अपनी डयूटी कर सके, के लिए आव यक है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की दो बैठकें दिनांक 27.06.2016 तथा 28.10.2016 को हुई। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा बैठक में भाग लेने का विस्तृत विवरण इस प्रकार है

क्र.सं.	निदेशक का नाम	बैठकों में भाग लेने की संख्या
1.	श्री आर.के. मित्तल	2
2.	डा. देबाशीष गुप्ता	2
3.	श्री राजेन्दर प्रसाद	2

1.5.8 प्रकटीकरण (डिस्क्लोजर)

- **मैटेरियली सिग्नीफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रान्जेक्शन :**

कंपनी ने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों अथवा वरीय प्रबंधन कर्मियों या उनके संबंधियों के साथ किसी भी पार्टी मामलों (ट्रांजेक्शन) से संबंधित किसी भी विषय की दृष्टि से (मेटेरियली

सिग्नीफिकेंट) में प्रवेश नहीं किया है, जिससे कि बड़े पैमाने पर कंपनी की संभावित रूचि हो।

सम्बद्ध पार्टी सहित किसी संविदा या व्यवस्था के संबंध में वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठक में कोई एजेंडा पेश नहीं किया गया।

संबंधित पार्टी के लेन–देन संबंधी नीति के अनुसार किसी भी दो सरकारी कंपनी तथा नियंत्रक कंपनी एवं उसकी अनुशंगी कंपनी के बीच लेन–देन में छूट है।

धारा 188(।) के तहत पार्टी से संबंधित कंट्रेक्ट या एरेंजमेंट को परिशिष्ट–viii में संलग्न किया जाता है।

- **कंपनी द्वारा नियमों/कानून के अनुपालन का विस्तृत विवरण**

कंपनी के लिए लागू विभिन्न प्रकार के नियमों के अनुपालन की यह कम्पनी मानिटरिंग कर रही है तथा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों से संबंधित किसी भी विषय पर किसी भी ऑथरिटी द्वारा कंपनी पर आरोपित संरचना तथा वर्त्तमान में कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन के लिए कोई भी विपरीत मामला नहीं है।

- **व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार अंकेक्षण समिति तक पहुँच**

यह नीति प्रबंधन तथा अंकेक्षण समिति को गैर–नीतिपरक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध, धोखाघड़ी, अथवा कंपनी के कोड आफ कंडक्ट का उल्लंघन के उदाहरण की रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर उपलब्ध कराती है।

व्हिसिल ब्लोअर नीति के अनुसार किसी भी कर्मी द्वारा अंकेक्षण समिति तक पहुँच को नकारा नहीं गया है। विवेच्य वर्ष के दौरान व्हिसिल ब्लोअर नीति के अंतर्गत कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है।

- **कॉरपोरेट गवर्नेंस पर दिशा-निर्देशों का अनुपालन**

निदेशक मंडल, अंकेक्षण समिति, प्रकटीकरण, कोड आफ कंडक्ट इत्यादि के संबंध में इन दिशा–निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, पारिश्रमिक समिति, अनुषंगी कंपनियों, प्रशिक्षण नीति इत्यादि पर दिशा–निर्देशों का अनुपालन कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कम्पनियों द्वारा किया जाता है, इसका अनुपालन सीएमपीडीआई द्वार भी किया जाता है। कारपोरेट गवर्नेन्स की शर्तों के अनुपालन के संबंध में पूर्णकालिक कंपनी के अंकेक्षक से एक प्रमाण–पत्र इसके साथ परिशिष्ट–iv में संलग्न है। तीन स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्तिएमओसी द्वारा किया जाना है। सीएमपीडीआईएल ने कोल इंडिया/एमओसी को स्वतंत्र निदेशकों की लंबित नियुक्ति की स्थिति से अवगत करा दिया है।

- **इन्टीग्रिटी पैक्टएवं आईईएम**

कंपनी के पास अपने व्यापारिक ट्रान्जेक्शन, संविदा, प्राप्ति प्रक्रिया में प्रबंधन में पारदर्शिता संवृद्धि पर जोर देते हुए इंटिग्रिटि पैक्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ समझौता संलेख (एमओयू) किया हुआ है। इस समझौता संलेख (एमओयू) के अंतर्गत कंपनी अपने सभी प्राप्ति (प्रोक्यूरमेंट) तथा वर्क कांट्रेक्ट कार्यों में इंटिग्रीटि पैक्ट कार्यान्वित करने हेतु वचनबद्ध है। दो स्वतंत्र बाह्य मोनिटर्स केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से ही टीआईआई द्वारा नामजद व्यक्ति इसकी गतिविधियों का मॉनीटर करते हैं। इन्टीग्रेटी पैक्ट ने ट्रस्ट स्थापित कर स्थापना प्रणाली एवं प्रक्रिया को सशक्त किया है तथा जिसे सीवीसी का पूरा सर्पोट है।

- **सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण**

कंपनी के अध्यक्ष तथा महाप्रबंधक (वित्त)/ सीएफओ द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी

के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर को ''सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण'' प्रदान कर दिया है जिसे डाईरेक्टरों की रिपोर्ट के परिशिष्ट–।। के रूप में लगाया गया है।

- **निदेशकों तथा वरीय अधिकारियों के लिए आचार संहिता (कोड ऑफ कंडक्ट)**

कंपनी के निदेशकों तथा वरीय अधिकारियें के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई है, जिसे सभी संबंधित व्यक्तियों के मध्य परिचालित कर दिया गया है, तथा कंपनी के वेबसाइट www.cmpdi.co.in में भी डाल दिया गया है। 31 मार्च, 2017को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निदेशक तथा वरीय प्रबंधन कार्मिक ने कंपनी के आचार संहिता के प्रावधानों के अनुपालन का समर्थन किया है।

- **किए गए खर्च का व्यौरा**

बुक आफ एकाउन्ट में व्यय के किसी वैसे मद को डेबिट नहीं किया गया है जो निजी प्रकृति के हैं तथा निदेशक–मंडल और भीर्शं प्रबंधन पर खर्च किया गया है।

- **राष्ट्रपति का निर्देश**

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआईएल के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई प्रेसिडेसियल निर्देश जारी नहीं किया गया है।

- **वार्षिक रिटर्न**

वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक रिटर्न आरओसी के पास दिनांक 09.08.2016 को भरा गया तथा वर्तमान वर्ष 2016–17 का आरओसी के पास जमा किया जा रहा है। फार्म नंबर एमजीटी–9 में वार्षिक रिटर्न का सारांश इस रिपोर्ट के परिशिष्ट–III के रूप में दिया गया है।

1.5.9 संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट आम बैठक तथा डिसक्लोजर अपने वेबसाइट, कार्यालयी पत्रिका गोंदवाना भारती, माइनटेक, प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्रों तथा स्थानीय दैनिक के माध्यम से अपने शेयर होल्डरों के साथ संप्रेषण करती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वार्षिक रिपोर्ट एवं कंपनी का तिमाही परिणाम तथा महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट यानि www.cmpdi.co.in पर उपलब्ध करा दिया गया। कंपनी से संबंधित अद्यतन जानकारी तथा घोषणाएँ कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। कंपनी की उपलब्धियों से आम लोगों को अवगत कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जा रही है।

1.5.10 अंकेक्षण योग्यता

कंपनी का प्रयास हमेशा से अनक्वालिफायड वित्तीय विवरण पेश करने का रहा है। 31 मार्च, 2017को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के लेखे पर सांविधिक अंकेक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट–vii के रूप में दी गई है।

1.5.11 बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण

कंपनी के व्यवसाय से संबंधित सभी मामले, इसके संबंधित जोखिम तथा कंपनी की भावी रणनीति आदि के सार (संक्षिप्त विवरण) से निदेशक–मंडल को पूर्णतः अवगत करा दिया जाता है।

सभी कार्यकारी निदेशक संबंधित क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता तथा अनुभव के आधार पर संबंधित कार्य क्षेत्र के प्रमुख होते हैं। वे कंपनी के बिजनेस माडल तथा जोखिमों से अवगत होते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों को निगमित शासन के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया जाता है। सभी सरकारी निदेशकों की कोल इंडिया लिमिटेड की पॉलिसी के अनुसार भारत और विदेश दोनों के लिए स्पांसर किया जाता है। कंपनी में नव–नियुक्त निदेशकों को कंपनी

के कंस्टीच्यूशन, विजन एवं मिशन स्टेंटमेंट, मुख्य क्रिया–कलाप, बोर्ड की प्रक्रिया/पद्धति, रणनीतिक दिशा–निर्देश के विस्तृत प्रजेन्टेशन, विचार–विमर्श आदि के माध्यम से पूर्णतः अवगत कराया जाता है।

1.5.12 व्हिसिल ब्लोअर नीति

कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक आचरण को सशक्त करने तथा विभिन्न स्टेक होल्डरों के हितों को प्रोत्साहित करने के लिए सीएमपीडीआई में 2011–12 में व्हिसिल ब्लोअर नीति लागू की गई तथा दिनांक 8.11.2011 को आयोजित 163वीं बैठक में बोर्ड को इससे अवगत करा दिया गया।

यह नीति वास्तविक या संदिग्ध अनैतिक आचरण, कंपनी की आचार संहिता के साथ धोखाघड़ी या इसका उल्लंघन के मामले को प्रबंधन के पास रिपोर्ट करने के लिए कर्मचारियों को अवसर प्रदान करता है। सूचीबद्ध कंपनी तथा स्टाक एक्सचेंज के बीच लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 में संशोधन किया गया है तथा यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हो गया है। खंड 49 में अन्य बातों के साथ–साथ ''व्हिसिल ब्लोअर नीति'' नामक मेकानिज्म स्थापित करने के लिए सभी सूचीबद्ध कंपनियों को नन मेंडेटरी रिक्वायरमेंट प्रदान करता है। यह प्रतिशोध या उत्पीड़न से कर्मचारियों को बचाने में आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। तथापि, इस नीति के अंतर्गत व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए खराब कार्य निष्पादन या कदाचार, जो व्हिसिल ब्लोअर द्वारा किए गए स्पष्टीकण से अलग हो, के विरूद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई को इसके तहत संरक्षण नहीं दिया जाएगा।

आंतरिक अंकेक्षण विभाग द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र दिया गया कि अंकेक्षण समिति के समक्ष पहुँच से व्हिसिल ब्लोअर को रोका नहीं गया।

1.5.13 जोखिम प्रबंधन प्रणाली

जोखिम प्रबंधन कमिटि का गठन दिनांक : 02.02.16 को आयोजित सीएमपीडीआईएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक में किया गया है।

क). गठन :

जोखिम प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता गैर–सरकारी अंशकालीन निदेशक करते हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)	स्वतन्त्र निदेशक
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	स्वतन्त्र निदेशक
3.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य (02.02.2016 से प्रभावी)	निदेशक (तकनीकी)
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	निदेशक (तकनीकी)

ख). बैठक एवं उपस्थिति :

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान दिनांक 02.09.2016 और 10.03.2017 को दो बैठकें हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक में उपस्थित सदस्य निम्नलिखित हैं :

क्र.सं.	निदेशक का नाम	स्थिति	बैठक में उपस्थिति की संख्या
1.	डा. देबाशीष गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2016 से प्रभावी)	2
2.	श्री राजेन्दर प्रसाद	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	2
3.	श्री वी.के.सिन्हा	सदस्य (02.02.2016 से प्रभावी)	2
4.	श्री विनय दयाल	सदस्य (28.06.2016 से प्रभावी)	2

जोखिम प्रबंधन समिति ने जोखिम उप–समिति का गठन किया है और उप–समिति का गठन 31 मार्च, 2017 को

1. मुख्य जोखिम अधिकारी :

श्री पराग मजुमदार, महाप्रबंधक (ईएंडएम)

2. जोखिम उप-समिति (आरएससी) अर्थात्- सीआरओ का दलः

क) श्री बी. भट्टाचार्य, विभागाध्यक्ष (एमएसडी)

ख) श्री आनन्दजी प्रसाद, मुख्य प्रबंधक (खनन/यूएमडी)

ग) श्रीमती सुचन्द्रा सिन्हा, वरीय प्रबंधक (ईएंडएम)

घ) श्री यू.चटर्जी, वरीय प्रबंधक (वित्त) और

ड.) श्रीमती स्वाति, वरीय अधिकारी (कार्मिक/पीएंडए)

1.5.14 इनसाइडर ट्रेडिंग से बचाव के लिए आंतरिक प्रक्रिया और आचार संहिता का कोडः

नियंत्रक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड ने अप्रकाशित मूल्य संवेदी जानकारी के आधार पर किसी इनसाइडर द्वारा कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरों की खरीद और/या बिक्री को रोकने के उद्देश्य से इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने तथा कोल इंडिया लिमिटेड की प्रतिभूति से डील करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया को कोड संहिता को अपनाया है। यह संहिता (केस) सीएमपीडीआई द्वारा भी अपनाई गई है। इस संहिता के तहत वैसे इनसाइडरों को डिजिग्नेटेड कर्मचारी का नाम दिया गया है, जो ट्रेडिंग बिन्डों के बंद होने के दौरान सीआईएल के शेयरों से डील करने से रोके जाते हैं। विहित सीमा से अधिक प्रतिभूति डील करने के लिए अनुपालन अधिकारी की अनुमति आवश्यक है। जैसा कि संहिता में परिभाषित है, सभी डिजिंग्नेट कर्मचारी को नियमित रूप से संबंधित जानकारी प्रकट करना आवश्यक है। इस कोड के लिए कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नामित किया गया है। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रिया तथा आचार संहिता को भी सीएमपीडीआई के वेब साइट के इन्ट्रानेट पर डाल दिया गया है।

1.5.15 निदेशकों का दायित्व

आगामी वित्तीय वर्ष आरंभ होने के पहले डीपीई दिशा–निर्देश में दिए गए प्रावधान के अनुसार सीएमपीडीआई के प्रबंधन तथा कोल इंडिया/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के बीच समझौता संलेख (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौता के अंतर्गत यह कंपनी वर्ष के प्रारंभ में सेट किए गए टारगेट को हासिल करने के लिए वचनबद्ध है तथा इसमें निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले वर्ष के अंत में सीएमपीडीआई के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना निहित है। यह ''फाइव प्वाइंट स्केल'' तथा ''क्राइटेरिया वेट'' की पद्धति को अपनाकर कार्य करता है, जिसके परिणामस्वरूप ''कम्पोजिट स्कोर'' की गणना की जाती है। ''कम्पोजिट स्कोर'', कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से डीपीई तथा प्रशासनिक मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा जाता है।

समझौता संलेख सिस्टम दक्षतापूर्वक काम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वित्तीय एवं गैर–वित्तीय दोनों प्रकार के (डायनेमिक, क्षेत्र विशिष्ट तथा उद्यम विशिष्ट पारामीटर) पारामीटरों की विविधता है। इस प्रक्रिया से दीर्घकालीन उद्देश्य तथा संपूर्ण विकास प्राप्त करने में अधिक मदद मिलती है। संपूर्ण प्रक्रिया से स्टेक होल्डरों के प्रति पारदर्शिता तथा उत्तदायित्व भी सुनिश्चित किया जाता है।

1.5.16 निगमित शासनके अनुपालन की त्रैमासिक रिपोटिंग पद्धति

अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को सीपीएसई द्वारा रिपोर्ट करने के लिए मंत्रालय द्वारा एक त्रैमासिक रिपोर्टिंग पद्धति का विकास किया गया है। इसके अनुपालन में सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय को नियमित रूप से तथा समय पर तिमाही रिपोर्ट भेजी जाती रही है।

1.5.17 की-मैनेजेरियल पर्सनल

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 203 के प्रावधान के अनुसार निम्नलिखित की–मैनेजेरियल पर्सनल हैं :

श्री शेखर सरन, सीईओ

श्री डी.के.राव, मुख्य वित्त अधिकारी

श्री अभिषेक मुंधड़ा, कंपनी सचिव

1.6.0 सीएमपीडीआई में सीएसआर इनिसियेटिव

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनेब्लिटी आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरण के अनुकूल ढंग से कार्य, जो पारदर्शी तथा नैतिक हो, करने के लिए अपने स्टेक होल्डरों के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्षमता निर्माण, सामुदायिक

अधिकारिता, समावेशी, सामाजिक आर्थिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन, पिछड़े क्षेत्रों का विकास, तथा समाज के सीमांत तथा अर्ध–सुविधायुक्त तबकों की उन्नति आदि पर विशेष जोर देता है।कंपनी ने दिनांक : 27.02.2014 को मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन तथा डीपीई की गाइड लाइन और कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 135 तथा उसके तहत बने नियम के अनुसार स्वयं की सीएसआर नीति बनाई है।

सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी खनन उद्योग के लिए न सिर्फ जोखिम लाता है बल्कि यह अवसर का समूह भी सृजित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी कंपनी को परिचालन, सस्टेनेबुल डेवलोपमेंट में सार्थक योगदान सुनिश्चित करता है। सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी के प्रति सामाजिक दायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दुहराता है। नीतियों एवं कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई में ''टू–टीयर डिसिजन मेकिंग कमिटि'' का गठन किया गया है।

अपने व्यापार की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर, सीएमपीडीआई ने वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर तथा सस्टेनेब्लिटी क्रिया–कलाप प्रारंभ किया है, जिसे रिपोर्ट के भाग ''ख'' में देखा जा सकता है।

1.7.0 वार्षिक रिटर्न का सार

धारा 92 (3) के अनुसार वार्षिक रिटर्न का सार विस्तृत विवरण के साथ फार्म सं.–एमजीटी–9 में कंपनी निबंधक (आरओसी) के पास जमा किया जा रहा है, जिसे इस रिपोर्ट को परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट–III)

1.8.0 ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा में आय एवं व्यय को निदेशक मंडल की रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया गया है। (परिशिष्ट– I)

1.9.0 बोर्ड की समिति तथा निदेशकों के कार्य-निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन

सूचीबद्ध कंपनी या गत वर्ष के अंत में परिकलित प्रदत्त पूँजी 25 करोड़ रू. या उससे अधिक रखने वाली अन्य सार्वजनिक कंपनी के मामले में कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 8 तथा धारा– 134 (3) (पी) के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में एक विवरण के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उस ढंग को दर्शाया गया है, जिसमें बोर्ड द्वारा अपनी उपलब्धि तथा इसकी समिति की उपलब्धि तथा प्रत्येक निदेशक की उपलब्धि को दर्शाया गया है।

सीएमपीडीआईएल की प्रदत्त शेयर पूँजी 19.04 करोड़ रू. है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में दर्ज की है तथा किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है एवं तद्नुरूप कंपनी को अपने निदेशक मंडल, समिति तथा प्रत्येक निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करना आवश्यक नहीं है।

बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन तथा अपना एवं प्रत्येक निदेशकों का कार्य निष्पादन कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के तीन महीने से अधिक की अवधि तक तीन नियुक्ति न होने के कारण नहीं किया जा सका। हालाँकि, नियंत्रक कंपनी तथा इसकी अनुषंगी कंपनी के लिए कोल इंडिया द्वारा बनाई जाने वाली नीति के आधार पर वार्षिक मूल्यांकन किया जाएगा।

भाग : ख

वार्षिक उपलब्धि का पर्यवलोकन :

1.0 भूवैज्ञानिक गवेषण एवं वेधन :

1.0.1 सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया तथा गैर–सीआईएल वशवर्त्ती खनन ब्लॉकों में मुख्य रूप से वर्ष 2016–17 में भी कोयला गवेषण की गतिविधियों को जारी रखा। कोल इंडिया के ब्लाकों में प्रोजेक्ट प्लानिंग / कोल इंडिया की सहायक कंपनियों में उत्पादन सपोर्ट की आवश्यकताओं का प्रबंधन करने के लिए कार्य किया गया वहीं दूसरी ओर गैर कोल इंडिया / वशवर्त्ती खनन ब्लॉकों में प्रोसपेक्टिव उद्यमियों के लिए कोयला आवंटन को सरल बनाने हेतु गवेषण का कार्य किया गया।

1.0.2 सीएमपीडीआई ने XIवीं (ग्यारहवीं) तथा XII (बारहवीं) योजना अवधि के दौरान ड्रिलिंग क्षमता लगातार विकसित की है। वर्ष 2007–08 में 2009 लाख मीटर उपलब्धि के मुकाबले सीएमपीडीआई ने विभागीय संसाधनों तथा आउट सोर्सिंग के माध्यम से वर्ष 2011–12 में 4.98 लाख मीटर वर्ष 2012–13 में 5.63 लाख मीटर, वर्ष 2013–14 में 6.57 लाख मीटर, वर्ष 2014–15 में 8.28 लाख मीटर वर्ष 2015–16 में 9.94 लाख मीटर तथा वर्ष 2016–17 में 11.26 लाख मीटर (13 प्रतिशत) की वृद्धि के लक्ष्य हासिल कर लिया है। वर्ष 2008–09 में विभागीय ड्रिल्स के आधुनिकीकरण के माध्यम से क्षमता बढ़ाने के लिए 39 नये यांत्रिकी ड्रिल उपलब्ध कराये गए हैं, जिसमें से 12 अतिरिक्त ड्रिल के रूप में तथा 39 प्रतिस्थापन ड्रिल के रूप में लगाए गए हैं। सीएमपीडीआई में भी विगत 7 वर्षों में 57 मड पम्प, 74 ट्रक, तथा 17 बहु उपयोगी क्रय केब प्रतिस्थापित किया है।

1.0.3 बाह्‌य स्रोतों :

बाह्‌य स्रोतों के अंतर्गत 31.59 लाख मीटर ड्रिलिंग को शामिल करते हुए 81 ब्लॉकों का कार्य वर्ष 2008–09 से निविदा के माध्यम से प्रदान किया गया, सिजमें से 35 ब्लॉकों में ड्रिलिंग का कार्य संचालित किया जा चुका है।

वर्ष 2016–17 में आउट सोर्सिंग के माध्यम से (कुल 17 प्रतिशत की वृद्धि की दर से) लगभग 6.84 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया गया, जिनमें से 3.27 लाख मीटर निविदा के माध्यम से 3.56 लाख मीटर एमसीएल के साथ एमओयू के माध्यम से तथा राज्य सरकार के माध्यम से 0.005 लाख मीटर ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

1.1 वर्ष 2016-17 में ड्रिलिंग कार्य निष्पादन :

1.1.1 सीएमपीडीआई ने सीआईएल / गैर–सीआईएल ब्लाक का विस्तृत गवेषण के लिए विभागीय ड्रिलों को लगाया, जबकि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य सरकारों ने केवल सीआईएल ब्लॉकों में भी अपना संसाधन लगाया है। इसके अतिरिक्त कोल इंडिया लिमिटेड / गैर–सीआईएल ब्लाकों में आठ (8) अन्य संविदात्मक एजेंसियों में अपना संसाधन लगाया। वर्ष 2016–17 में कुल 140 से 160 ड्रिल लगाए गए हैं,जिनमें से 64ड्रिल विभागीय वेधन के माध्यम से किया गया।

सीएमपीडीआई 7 ब्लाकों में कोल सेक्टर (सीआईएल एवं एससीसीएल क्षेत्र) में एमईसीएल द्वारा शुरू किए गए प्रोमोशनल गवेषण के कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण करना जारी रखा। इसके अतिरिक्त डीजीएम (नागालैंड) ने एमओसी की ओर से कोल इंडिया सेक्टर के 1 ब्लॉक में प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन का कार्य किया। प्रमोशनल गवेषण का कार्य एमईसीएल द्वारा 13 ब्लॉक लिग्नाइट सेक्टर तथा जीएसआई के 1 ब्लॉक में किया गया। वर्ष 2016–17 में सीएमपीडीआई के माध्यम से (कोयला 0.490 लाख मीटर) तथा लिग्नाइट (0.555 लाख मीटर) कुल 1.046 लाख मीटर प्रमोशनल ड्रिलिंग का कार्य किया गया।

1.1.2 वर्ष 2016–17के दौरान सीएमपीडीआई तथा इसके संविदात्मक एजेन्सियों ने 6 राज्यों में स्थित 22 कोयला क्षेत्रों के 122 ब्लॉकों / खानों में गवेषणात्मक ड्रिलिंग का कार्य किया। 122 ब्लॉकों / माइन्स

में से 35 गैर–सीआईएल/वशवर्त्ती ब्लॉक तथा 87 सीआई ब्लाक्स/माइन्स थे। ये कोयला क्षेत्र रानीगंज (9ब्लाक/खान), राजमहल (5), झरिया (1 ब्लाक), औरंगा (1), ईस्ट बोकारो (4), वेस्ट बोकारो (3), नार्थ कर्णपुरा (5), वर्धा वैली (2), पेंचकान्हा (3), सोहागपुर (13), मांद रायगढ़ (18), कोरबा (2), विश्रामपुर (8 ब्लॉक/9 माइन्स), सोनहाट (2), टाटापानी–रामकोला (5), सिंगरौली (7), तालचर (10), ईब वैली (4) एवं गोदाबरी घाटी (3) थे। सीएमपीडीआई के विभागीय ड्रिलों द्वारा 56 ब्लाक/खदानों में गवेषणात्मक कार्य शुरू गया है, जिसमें से संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 65 ब्लाकों/खानों में वेधन का कार्य किया गया।

1.1.3 प्रोमोशनल (क्षेत्रीय) गवेषण कार्यक्रम के अंतर्गत एमईसीएल ने 7 कोयला खनिखंडों (मांद रायगढ़ 3,बंदेर–1 एवं सिंगरौली–1) में प्रमोशनल ड्रिलिंग शुरू किया है।डीजीएम (नागालैंड) ने कोयला सेक्टर में प्रमोशनल के लिए । खनि खंड को भी लिया है।

वर्ष 2016–.2017के दौरान गवेषणात्मक ड्रिलिंग की विस्तृत उपलब्धि नीचे दी गई है :

(आँकड़े लाख मी. में)

एजेंसी	2016–17 का लक्ष्य	वर्ष 2016–17 में गवेषणात्मक ड्रिलिंग की उपलब्धि			गत वर्ष 2015–16 में प्राप्त उपलब्धि	वृद्धि :
		लक्ष्य	उपलब्धि (प्रतिषत)	+/-		
(क) सीएमपीडीआई द्वारा किया गया विस्तृत वेधन कार्य						
(1) विभागीय	4.000	4.414	110%	0.414	4.081	8%
(2) आउटसोर्सिंग						
राज्य सरकार	0.060	0.005	5%	-0.055	0.053	-90%
एमईसीएल (एमओयू)	2.565	3.562	139%	0.997	2.472	44%
निविदा	4.375	3.274	75%	-1.101	3.332	-2%
कुल आउटसोर्सिंग	7.000	6.842	98%	-0.158	5.857	17%
सकल योग (क)	11.000	11.256	102%	0.256	9.938	13%
(ख) एमईसीएल, जीएसआई तथा डीजीएम (नागालैंड) एवं डीजीएम (असम) द्वारा किया गया प्रोमोषनल ड्रिलिंग कार्य 1. कोयला क्षेत्र						
जीएसआई	0.250	0.000	0%	-0.250	0.161	-100%
एमईसीएल	0.605	0.484	80%	-0.114	0.352	38%
डीजीएम, नागालैंड	0.010	0.006	60%	-0.004	0.008	-21%
डीजीएम, असम	0.005	0.000	0%	-0.005	0.000	0%
सीएमपीडीआई	0.030	0.000	0%	-0.030	0.000	0%
कुल कोयला	0.900	0.490	54%	-0.403	0.521	-6%
2. लिग्नाईट क्षेत्र						
जीएसआई	0.150	0.035	23%	-0.115	0.079	-56%
एमईसीएल	0.700	0.522	74%	-0.178	0.523	0%
कुल लिग्नाईट	0.850	0.555	65%	-0.293	0.602	-8%
सकल योग (ख)	1.750	1.054	60%	-0.696	1.123	-7%

*वर्ष 2016–17 में सीआईएल ब्लॉकों में 8.175 लाख मीटर तथा गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 3.081 लाख मीटर ड्रिलिंग किया गया।

वर्ष 2016–17 में सीएमपीडीआई ने अपने विभागीय तथा संपूर्ण ड्रिलिंग लक्ष्य क्रमशः 110 प्रतिशत तथा 98 प्रतिशत हासिल की है। विभागीय ड्रिलिंग की उपलब्धि गत वर्ष की उपलब्धि से 13 प्रतिशत बेहतर रही तथा औसत परिचालन ड्रिल उत्पादकता 583 मी./ड्रिल/माह दर्ज की गई। जंगल वाले क्षेत्रों में दोहन की अनुमति नहीं मिलने तथा स्थानीय समस्या (कानून एवं व्यवस्था) के कारण आउटसोर्सिंग ड्रिलिंग की उपलब्धि प्रभावित हुई। एमईसीएल जंगल क्षेत्र की समस्या तथा संसाधन का कम उपयोग के कारण कोयला क्षेत्र में प्रोमोशनल ड्रिलिंग का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका तथा सीएमपीडीआई ने विस्तृत ड्रिलिंग में प्राथमिकता के कारण प्रोमोशनल ड्रिलिंग को नहीं प्राप्त कर सका।

1.1.4 गैर-सीआईएल/कैप्टिव खनिखंडों में वेधान (ड्रिलिंग) :

विभागीय संसाधन और आउट सोसिंर्ग के जरिए 974.69 करोड़ रूपये की आवश्यक निधि बारहवी पंचवर्षीय योजना के सूत्रीकरण के लिए ''कोयला एवं लिग्नाईट'' के वर्किंग ग्रुप द्वारा कोयला में विस्तृत वेधन के 20.13 लाख मीटर (एनईआर) की एक योजना बनाई गई है। वर्ष 2016–17 में गैर सीआईएल ब्लाकों (विभागीय 0.40 लाख मीटर एवं आउटसोर्सिंग द्वारा 3.075 मीटर) में ड्रिलिंग का कुल 3.475 लाख मीटर ड्रिलिंग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तुलना में कुल 3.081 लाख मी. ड्रिलिंग लक्ष्य प्राप्त किया गया, जिसमें से सीएमपीडीआई का विभागीय वेधन गवेषणात्मक ड्रिलिंग का 0.374 लाख मीटर किया गया, जबकि आउटसोर्सिंग के माध्यम से 2.707 लाख मीटर की ड्रिलिंग उपलब्धि प्राप्त की गई।

इसके अतिरिक्त उपरोक्त गवेषण कार्य के अलावे सीएमपीडीआई ने आबंटन के उद्देश्य से वर्तमान कैप्टिव खनन ब्लॉकों की प्रारंभिक भू–वैज्ञानिकी सूचना एमओसी को उपलब्ध करवाई है। आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद गवेषण के कुल मूल्य के भुगतान पर आवंटियों को मूल भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट उपलब्ध सीएमपीडीआई द्वारा उपलब्ध करा दी जायेगी।

कोयला मंत्रालय द्वारा दिशा–निर्देश के अनुसार सीएमपीडीआई ने एलोकेट्स द्वारा पेश योजना तथा खनन योजना में तैयारी में प्रयुक्त भू–वैज्ञानिक को–आर्डिनेट्स खनन योजना में शामिल वेस्टींग आर्डर एवं भूवैज्ञानिक कॉआर्डिनेट्स के अनुरूप है तथा यह कोई भी अन्य एडजसेट ब्लॉक को इनक्रॉच नहीं करता है।

1.2 जल भू-विज्ञान :

1.2.1 सीजीडब्ल्यूए अनुमोदन तथा ईएमपी क्लियरेंस के लिए 'भूगर्भ जल समाशोधन आवेदन' तैयार करने हेतु कई खनन परियोजनाओं/खानों का जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। वर्ष 2016–17के दौरानखनन परियोजनाओं के लिए जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.2 डीवीसी के लिए बाध्य परामर्शी सेवा सहित इस अवधि के दौरान जीआर/पीआर तथा अन्य पर आधारित कुल 53 जल–भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.3 इस अवधि के दौरान लोकेशन तथा पीजो मीटर के आधार पर कुल 8 जल भू वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार किया गया तथा इसे सुपुर्द कर दिया गया है।

1.2.4 खदानों, कॉलोनियों तथा गाँवों में जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए कुल 6 परियोजनाओं में जल भू–वैज्ञानिक अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.2.5 कुल 45 ग्राउण्ड वाटर अप्लीकेशन तैयार किया जा चुका है तथा इसे ऑन लाइन सुर्पुद कर दिया गया है।

1.2.6 40 पीजोमीटर (23 तालचर कोयला क्षेत्र एवं 17 ईव वैली में) पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2016–17 में दीर्घकालीन पम्पिंग सेट (1000 मिनट साइकिल) एवं उत्पादन जाँच संचालित कर दिया गया है।

1.2.7 जल स्तर मॉनीटरिंग सहित कोल इंडिया के एमओईएफ स्वीकृत परियोजनाओं का सीएमपीडीआई सतही जल का मॉनीटरिंग कर रहा है।

1.3 भू-वैज्ञानिकी रिपोर्ट

1.3.1 वर्ष 2016–17 में विगत वर्षों में किए गए विस्तृत गवेषण के आधार पर कुल 16 भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अतिरिक्त 2 अंतरिम भू–वैज्ञानिक रिपोर्टें/भू–वैज्ञानिक टिप्पणी तैयार की गई।इन भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट के माध्यम से ''प्रमाणित श्रेणी'' के लिए लगभग 4.6 बिलियन टन अतिरिक्त कोयला संसाधन अपग्रेड कर दिया गया है।

1.3.2 कोयला खनिखंडों पर आधारित प्रोमोशनल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जीएसआई तथा एमईसीएल ने भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट सुपुर्द किया है, जिसमें विर्निदिष्ट थिकनेस पर ''इन्डीकेटेड'' तथा इन्फर्ड श्रेणी में लगभग 1.04 बिलियन कोयला संसाधन स्थापित किया गया है।

1.4 भू-भौतिकी सर्वेक्षण

1.4.1 भू–भौतिकीय लागिंग : गवेषणात्मक ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किये गए बोर होलों में मिले विभिन्न संस्तरों के स्वस्थाने (इनसीटू) जानकारी प्राप्त करने के लिए भू–भौतिक रूप से लौग किया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान इस उद्देश्य के लिए सीआईएल तथा गैर–सीआईएल परियोजनाओं में मल्टी पारामेट्रिक भू–भौतिकी लॉगिंग उपकरण की सहायता से कुल 201628 गहराई मीटर तक भू–भौतिक लॉगिंग की जा चुकी है। इसमें 6 विभागीय जियोफिजिकल यूनिट के द्वारा 102703मीटर गहराई तक लागिंग किया गया तथा संविदात्मक एजेंसियों द्वारा 98925 मी. लॉगिंग किया गया।

1.4.2 भू–तल भू–भौतिकी सर्वेक्षण : सीएमपीडीआई द्वारा डाइक के डिलीनिएशन और भू–जल अन्वेषण, कोल सीमों के इन–क्रॉप डिलीनिएशन के लिए सीआईएल और गैर–सीआईएल ब्लॉकों में इलेक्ट्रीकल रेसिसटीविटि एवं मैग्नेटिक सर्वेक्षण भी शुरू किया गया है। कुल 289. 65 लाइन कि.मी. रेसिसटीविटि प्रोफाइलिंग, 214 वर्टिकल इलेक्ट्रीकल साउण्डिंग (वीईएस) तथा 106 स्टेशनों का 2016–17 के दौरान मैगनेटिक सर्वेक्षण किया गया। हाई रिजॉल्यूशन शैलों सिस्मिक सर्वेक्षण का कुल 105 लाइन कि.मी. सर्वेक्षण मारकी बरका ब्लॉक, सिंगरौली कोलफील्ड, केवाई ब्लॉक, सोहागपुर कोयला क्षेत्र, तथा बेहरबन्द बलॅक तथा सोहागपुर कोयला क्षेत्र में किया गया। मोहनपुर साउथ एंड उससे सटे ब्लॉक, रानीगंज कोयला क्षेत्र, पतरातू एवीसी ब्लॉक, साउथ कर्णपुरा कोयला क्षेत्र चेन्दबिला ब्लॉक, तालचर कोयला क्षेत्र तथा मकरी बरका (ई) ब्लॉक सिंगरौली कोयला क्षेत्र के भाग के रूप में किया गया।

1.4.3 रिपोर्ट : वर्ष 2016–17 के दौरान कुल 31 भू–भौतिकीय रिपोर्ट सुपुर्द की जा चुकी है।इसमें से जियोफिजिकल लॉगिंग पर नौ रिपोर्ट, रेसिसटीविटि पर 13 मैग्नेटिक सर्वेक्षण पर छः तथा एचआरएसएस सर्वेक्षण पर तीन रिपोर्ट शामिल है।

1.5 भू-प्रणाली:

जियोफिजिकल फीचर्स को इन कारपोरेट करने के लिए कोयला क्षेत्रों के मैप सहित नियमितता के आधार पर 84 डब्ल्यूजीएस पर डीजीपीएस सर्वे के साथ प्रमुख कोयला क्षेत्रों का ब्लॉक बाउण्डरी के मुद्दे से संबंधित सटीक/आधुनिकीकरण एक्सरसाइज किया जा रहा है। विस्तृत/रिजनल एक्सप्लोरेशन के लिए छोड़े हुए क्षेत्रों तथा संसाधन क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए पीई के मूल्यांकन तथा कोयला क्षेत्र के आरई एरिया पर आधारित एक्सरसाइज पूरा कर लिया गया।

1.6 कोल बेड मिथेन (सीबीएम)/ कोल माइन मिथेन (सीएमएम)

1.6.1 सरकार ने सीबीएम के व्यावसायिक विकास के लिए मनोनयन के आधार पर ओएनजीसी एवं कोल

इंडिया के कंसोर्टियम को मुख्यतः झरिया कोयला क्षेत्र में झरिया सीबीएम ब्लॉक तथा रानीगंज कोयला क्षेत्र में रानीगंज नार्थ सीबीएम ब्लॉक को 2002 में आवंटित किया है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया की तरफ से परियोजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। ओएनजीसी दोनों सीबीएम ब्लॉकों का आपरेटर है तथा सरकार के साथ हुए संविदा करार के अनुसार कार्य को संपादित कर रहा है। दोनों सीबीएम ब्लॉकों के लिए आपरेटर (ओएनजीसी) द्वारा सीएमपीडीआई के मिनिमम वर्क प्रोग्राम सीआईएल के पार्ट के पूरा होने पर ओएनजीसी द्वारा पायलट एप्रेजल एक्टिविटि फील्ड डेवलपमेंट एक्टिविटि फार्मूलेटेड की गई तथापि जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपी को अनुमोंदित किया गया। झरिया सीबीएम ब्लॉक के लिए जुलाई, 2015 में पेट्रोलियम माइनिंग लीज को झारखंड राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया। जुलाई, 2013 में भारत सरकार द्वारा दोनों सीबीएम ब्लॉक के लिए एफडीपीएस अनुमोदित कर दिया गया है। जुलाई, 2015 झारखंड सरकार क्षरा झारखंड सीबीएम ब्लॉक के लिए पीएमएल प्रदान कर दी गई है तथापि पर्यावरणिक क्लीयरेंस अभी तक प्रतीक्षित है।

फरवरी, 2017 में एमओपी तथा एनजी द्वारा एरिया ओवरलैपिंग में कोल बेड मिथेन (सीबीएम) ऑपरेशन तथा साथ–साथ कोल माइनिंग के लिए मॉडल को–डवलपमेंट व्यवस्था जारी कर दी गई है। सेल द्वारा एवं ओएनजीसी (सीबीएम ब्लॉक के ऑपरेटर द्वारा कोयले के अनुकूल दोहन के लिए प्रभातपुर सेंट्रल कोयला ब्लॉक के ओवर लेपिंग में झरिया सीबीएम ब्लॉक के संबंध में को–डवलपमेंट व्यवस्था का विषय सेल तथा ओएनजीसी संशोधित एफडीपी तथा ऑपरेटिंग समिति तद्नुसार सभी बाधाओं पर नजर रखते हुए लागत इस्टीमेट सुपुर्द करेगा। सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के लिए विचार–विमर्श तथा अगले परिशीलप इस पर वार्ता होगी।

1.6.2 12वीं योजना के दौरान उन्नायक (प्रमोशनल) गवेशण के तहत सीबीएम और भोल गैस से संबंधित अध्ययन

1.6.2.1 सीबीएम से संबंधित अध्ययन

सीएमपीडीआई और जीएसआई द्वारा प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन (पीआरई) फंडिंग अब तक प्रमोशनल रीजनल एक्सप्लोरेशन के अधीन ड्रिलिंग किए जा रहे सिलेक्टेड बोर होलों में ''भारतीय कोयला गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित किए जा रहे हैं। 12वीं योजना अवधि के दौरान सीबीएम स्पेसिफिक डेटा जेनरेशन के लिए कुल 60 बोर होलों (सीएमपीडीआई द्वारा 40 और जीएसआई द्वारा 20) को लिया गया है। सीएमपीडीआई द्वारा चालीस (40) बोर होलों में और जीएसआई द्वारा उन्नीस (19) में अध्ययन पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा आठ (8) बोर होलों में अध्ययन किया गया है। सीएमपीडीआई और जीएसआई ने काम शुरू होने के बाद से 130 बोर होलों (सीएमपीडीआई द्वारा 91 और जीएसआई द्वारा 39) में सीबीएम स्पेसिफिक अध्ययन किया जा चुका है।

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा गोंद बेहरा उज्जेनी ब्लॉक, सिंगरौली कोयला क्षेत्र के लिए सीबीएम पर आधारित एक रिपोर्ट संबंधित अध्ययन सुपूर्द किया गया है।

1.6.2.2 शैल गैस से सम्बन्धित अध्ययन

सीएमपीडीआई द्वारा कोयला मंत्रालय के पीआरई के फंडिंग के तहत 12वीं योजना अवधि से अब तक प्रमोशनल एक्सप्लोरेशन के अधीन किए जा रहे बोरहोलों की ड्रिलिंग के जरिए ''भारतीय कोयला क्षेत्रों/लिग्नाइट क्षेत्रों के शेल गैस–इन–प्लेस रिसोर्स का निर्धारण'' से संबंधित अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन शेल गेस की संभावना का निर्धारण करने के लिए डाटा बेस का सृजन करेगा तथा शेल गैस डेवलपमेंट हेतु अधिकाधिक ब्लॉकों के डिलिनिएशन को सुविधाजनक बनाएगा।

सीएमपीडीआई ने पीआरई फंडिंग के तहत 12वीं योजना अवधि के दौरान 25 बोरहोल में शेल गैस स्पेशिफिक डाटा जेनरेशन किया है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा पाँच बोरहोल में अध्ययन पूरा कर लिया गया है।

1.6.3 कोल माइन मिथेन (सीएमएम) का व्यावसायिक विकास

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) को आवंटित कोयला माइनिंग लीज के अन्तर्गत इसके क्षेत्रों से सीबीएम का गवेषण एवं दोहन करने के लिए कार्यालय ज्ञापन, दिनांक : 29 जुलाई, 2015 के अनुसार कोयला मंत्रालय ने कोल इंडिया को अनुमति दे दी है। इसके पहले से ही कोयला मंत्रालय ने भारत में सीएमएम के विकास के लिए सीएमपीडीआई मॉडल एजेंसी के रूप में नियुक्त कर दिया है।

मुनीडीह (झरिया कोयला क्षे.) में डिमान्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए बीसीसीएल ने पहले से ही सीआईएल एरिया में सीबीएम के विकास स्कोप को बढ़ाने प्रक्रिया की क्षमता को सिद्ध कर दिया है। इसके आगे ''सीआईएल के कमाण्ड एरिया में सीएमएम की संभावना का मूल्यांकन '' करने के लिए अध्ययन किया जा चुका है।

अधिसूचना, दिनांक 3 नवम्बर, 2015 के अनुसार एमओपी तथा एमजी ने कोयला वाले क्षेत्रों से नोमिनेशन के आधार पर सीआईएल तथा इसके अनुषंगियों द्वारा सीबीएम के गवेषण एवं दोहन के लिए दिशा–निर्देश जारी कर दिया है, जिसके लिए वे खनन लीज रखते हैं। ओआरडी एक्ट तथा पीएनजी नियम, जो कोल माइनिंग लीज्ड एरिया है, की अनुप्रयोगिता पर विचार–विमर्श एमओपी तथा एनजी द्वारा यह मोडिफिकेशन के अंतर्गत है। ईसीएल कमांड एरिया तथा बीसीसीएल के लिए मूल्यांकन कार्य किया जा चुका है। प्रोसपेक्टिव सीएमएम ब्लॉक निम्नलिखित है :

1. रानीगंज सीएमएम ब्लॉक (ईसीएल एरिया) : श्रीपुर, सतग्राम, कुनस्तोरिया एरिया के माइनिंग लीज्ड के अंतर्गत लगभग 57 वर्ग मीटर क्षेत्र को सीएमएम के व्यवसायिक के लिए डेलीनेटेड कर दिया गया है, जिसके कोलेटरल गतिविधियाँ इंडीकेट की जा चुकी है। सीएमएम का प्रोग्नोसिकेटेड संसाधन लगभग 1.17 बीसीएम दोहन के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। तकनीकी आर्थिक अध्ययन अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा किया जा चुका है, जिसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जायेगा।

2. झरिया सीबीएम ब्लॉक (बीसीसीएल एरिया): कपुरिया, मूनीडीह, झरिया, सिंगरा ब्लॉक में माइनिंग लीज्ड के अंतर्गत लगभग 25 वर्ग किलोमीटर के ब्लॉक व्यवसायिक विकास के डेलिनेटेड कर दिया गया है। लगभग 4 बीसीएम के सीएमएम का प्रग्नोसिटीकेटेड सांधान दोहन के लिए उपलब्ध हो सकता है। तकनीकी आर्थिक अध्ययन इन्टरनेश्नल एक्सपर्ट द्वारा किया गया है, जिसके आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

   रानीगंज कोयला क्षेत्र (ईसीएल) तथा झरिया कोयला क्षेत्र (बीसीसीएल एरिया) ने सीएमएम ब्लॉक के लिए माइनिंग लीज्ड एरिया के तहत कोल माइन मिथेन के विकास के लिए रिजर्वर मॉडलिंग एवं तकनीकी आर्थिक संभाव्यता अध्ययन करने के लिए जनवरी, 2007 में मेसर्स एडवांस रिसोर्स इन्टरनेश्नल यूएसए को दिया गया तथा इस पर कार्य जारी है।

   उपलब्ध ड्रिलिंग तकनीकी (वर्टिकल ड्रिलिंग, डाइरेक्श्नल, होरीजेन्टलन तथा कोल बेस के लिए इसके कम्बीनेशन) पर विचार विमर्श करने के लिए यह प्रस्तावित है तथा पूरक प्रणाली इस प्रकार है कि ओवरलेइग सीम के तहत जारी कोल माइनिंग ऑपरेशन के साथ सीबीएम ऑपरेशन किया जा सकता है।

3. मूनीडीह माइन (बीसीसीएल) झरिया कोयला क्षेत्र में मिथेन का प्री ड्रेंज

सुरक्षा एवं उत्पादन बढ़ाने के लिए मिथेन प्राप्त करने हेतु वर्किंग सीम में मुनीडीह माइन बीसीसीएल में मिथेन की प्री–ड्रेंज प्रस्तावित किया गया है। रिकवर्ड गैस लाभ के साथ इस्तेमाल किया जायेगा। टर्न की बेसिस पर अर्थात् बिल्ट ओन ऑपरेट मॉइन अथवा अन्य अप्लीकेबुल मॉडल पर उपयोगिता तथा इसे चालू करने के लिए गैसीय कोयला सीमों से गैस निकासी के सफल कार्यान्वयन के लिए सीबीएम तथा सीएमएम के विकास में अनुभव वाले उपयुक्त तकनीक प्रोवाइडर परामर्शी संगठन की पहचान करने के लिए इन्ट्रेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन ईओआई) आमंत्रित की गई है। 15 ईओआई प्राप्त कर लिया गया है, जिसका मूल्यांकन किया जा रहा है।

1.6.4 भारत में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस

कोयला मंत्रालय और यूसेपा के तत्वाधान में सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाउस की स्थापना राँची में दिनांक–17 नवम्बर, 2008 को हुआ। क्लियरिंग हाउस पब्लिक/प्राइवेट सहभागिता, प्रौद्योगिकीय सहयोग तथा वित्तीय निवेश अवसर लाकर भारत में सीएमएम परियोजनाओं के व्यावसायिक विकास में सहायता एवं देश के सीएमएम/सीबीएम संबंधित डाटा पर सूचना का आदान–प्रदान तथा एकत्रीकरण के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।

क्लियरिंग हाउस की स्थापना कोयला मंत्रालय तथा यूएस ईपीए की ओर से कोल इंडिया लिमिटेड से वित्तीय सपोर्ट के साथ की गई है। इंडिया क्लियरिंग हाउस का वेबसाइट http.\\www.cmmclearinghousecmpdi.co.in में सभी महत्वपूर्ण सूचनाएँ अर्थात् ईओआई नोटिफिकेशन, सीएमएम, वीएएम आदि के विकास के लिए वर्तमान अवसरों से संबंधित सूचना के अलावे न्यूज लेटर, आदि शामिल है।

''बेस्ट प्रैक्टिस इन मिथेन ड्रेंज एंड यूज इन कोल माइन्स'' पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला जीओआई एमओसी के तत्वावधान में सीआईएल सीएमपीडीआई, जीएमआई यूएस, ईपीए, यूएमईजीई द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई।

1.6.5 सीआईएल कमांड एरिया के अन्तर्गत भूमिगत कोल गैसीकरण का व्यवसायिक विकास

सीबीएम विकास के वर्त्तमान नीति के समान ही यूसीजी के लिए क्षेत्रों की पहचान हेतु कोयला मंत्रालय ने अंतर मिनिस्ट्रियल कमिटि का गठन किया है। पीएसयूएस द्वारा विशेष रूप से यूसीजी के विकास के लिए आईएमसी में कोयला एवं लिग्नाइट में संभावित ब्लॉक की पहचान की गई तथा विचार–विमर्श किया गया। यूसीजी के विकास के लिए चिन्हित कोयला ब्लाक, वर्द्धा वैली कोल फील्ड (जोगापुर सिरसी), सोहागपुर कोलफील्ड (मैकी) (नार्थ) मैकी–करकही, पथेरा चेमपा), टाटापानी राम कोला कोयला फील्ड (रोहिणी वेस्ट), येलेन्दु डिप, एससीसीएल तथा बन्धा सिंगरौली मुख्य बेसिन में है। ड्राफ्ट विड दस्तावेज तथा मॉडल कन्ट्रेक्ट दस्तावेज परआगे विचार–विमर्श किया गया तथा उसमें किंचित रूपान्तरण करने की सलाह दी गई। एमएमडीआर एक्ट 1957 में संशोधन की दृष्टि से विचार–विमर्श किया, जो प्रक्रिया के अन्तर्गत था।

कई रेगुलेटरी परिवर्त्तन, संशोधन प्रस्तावित यूसीजी के लाइट में अपेक्षित है, जो कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया है। आईएमसी सदस्यों से टिप्पणी प्राप्त होने पर भी परिवर्त्तित ड्राफ्ट को पुनः ड्राफ्ट किया जायेगा तथा इस पर डेलीब्रेशन के लिए इसे अगली आईएमसी की बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।

23 मार्च, 2017 को दिल्ली में यूजीसी (डीप सिटेड कोल) के विकास के लिए चुनौतियों एवं अवसरों'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।

1.6.6 एसएंडटी तथा आरएंडडी परियोजनाएँ।

कोल बेड मिथेन पर परियोजनाएँ

1.6.6.1 ''भारतीय कोयला क्षेत्रें के लिए सीबीएम भंडार का आकलन'' पर एसएंडटी परियोजनाएँ

''भारतीय कोयला क्षेत्रों के लिए सीबीएम भंडार के आकलन'' से संबंधित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

परियोजना को कोयला मंत्रालय के पत्रांक : 34012/1/2014–सीआरसी 1, दिनांक : 25 फरवरी, के द्वारा कोयला एसएंडटी परियोजना को ईओआई के तहत अनुमोदित किया जा चुका है। यह परियोजना मार्च, 2017 के प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसके लिए टाइम एक्सटेंशन 23 मार्च, 2017 को आयोजित एसएसआरसी की बैठक में विचार–विमर्श किया जा चुका है। आईआईईएसटी (बीईएसयू) शिबपुर मुख्य कार्यान्वयक एजेंसी है तथा एनजीआरआई, हैदराबाद टीसीई, कोलकाता तथा सीएमपीडीआई सह–कार्यान्वयक एजेंसी है। एमजीआरआई द्वारा 2 डी/3डी भूकम्पीय सर्वे के लिए साउथ कर्णपुरा क्षेत्र में एरिया को ले लिया गया है। साउथ कर्णपुरा कोयला फील्ड में 2डी भूकम्पीय सर्वे द्वारा 75 प्रतिशत अध्ययन क्षेत्र कवर कर लिया गया है। शेष कार्य एमजीआरआई द्वारा जनवरी, 2017 में ले लिया गया तथा 3 डी को मई, 2017 में लिए जाने की संभावना है।

1.6.6.2 ''सीआईएल कमांड क्षेत्र में सीबीएम के कर्शण के लिए क्षमता निर्माण'' पर एसएंडटी परियोजनाएँ

सीएमपीडीआई और सीएसआईआरओ द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित'' कोल इंडिया के कमांड क्षेत्र के भीतर सीएमएम संसाधन के कर्षण के लिए ''क्षमता निर्माण'' से संबंधित एक एसएंटडी परियोजना के तहत कोयला मंत्रालय के पत्रांक 340/2/4/2016 सीआरसी 1 दिनांक 21 मार्च, 2016 के द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। यह परियोजना 23 मार्च, 2016 के तत्काल प्रभाव से 3 वर्षों की अवधि तक है।

22 दिसम्बर, 2016 को परियोजना के कर्षण के लिए सीएसआईआरओ तथा सीएमपीडीआई के बीच कोलेबरेशन अण्डर स्टेंडिंग पर हस्ताक्षर किया जा चुका है। इसके बाद सीएसआईआरओ की टीम 8–13 फरवरी, 2017 तथा 15–17 मार्च, 2017 को सीएमपीडीआई का दौरा किया। वे लोग जून, 2017 में सीएमपीडीआई का पुनः दौरा करेंगे। डेस्क अध्ययन जारी है।

शेल गैस पर परियोजना

1.6.6.3 ''भारत के दामोदर घाटी बेसिन के शेल गैस की संभावना'' भीर्षक एसएंडटी परियोजना

''भारत के दामोदर बेसिन का शेल गैस की संभाव्यता'' से संबंधित एक एसएंडटी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। एनजीआरआई, हैदराबाद परियोजना का मुख्य कार्यान्वयन एजेंसी है तथा सीएमपीडीआई, राँची एवं सीआईएमएफआर, धनबाद इसका उप कार्यान्वयन एजेंसी है तथा परियोजना के समापन का कार्यक्रम संशोधित तिथि मई, 2017 तक संशोधित किया गया। इंटीग्रेटेड जियोफिजिकल, जियोलॉजिकल, जियोकेमिकल तथा पेट्रो–फिजिकल इन्वेस्टीगेशन के जरिए दामोदर बेसिन में शेल गैस की संभावना का मूल्यांकन करना परियोजना का उद्देश्य है। ऑटोमेटिक प्रोसीमीटर कम परमीमीटर की निजी आईएमसी द्वारा की गई। फ्रांस ने सीबीएम लेबेरेटरी, सीएमपीडीआई में इसे स्थापित की है तथा 7–11 नवम्बर, 2016 में पेरिस (फ्रांस) में इन्होंने सीएमपीडीआई को प्रशिक्षण दिया है।

सीएमपीडीआई तथा सीआईएमएफआर के साथ एमजीआरआई ने रानीगंज कोलफील्ड में रंगामाटी ब्लॉक (तुमनीकंचनपुर सेक्टर) का चयन किया है तथा 3.2 वर्ग किलो मीटर में से 2.4 वर्ग किलो मीटर 3 डी भूकम्पीय सर्वेक्षण किया के फाइडिंग पर सीएमपीडीआई डीप बोर होल का वेधन करेगा है। डाटा कैप्चर्ड का इन्टीप्रिरेशन प्रगति में है तथा 3 डी भूकम्पीय सर्वे एनजीआरआई द्वारा अप्रैल, 2017 में टेकन अप किए जाने की संभावना है। डीप बोर होल का वेधन (ड्रिल) करेगा।

1.6.6.4 वीएएम पर परियोजना

सीआईएल (आर एण्ड डी) तथा भारत सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एन सी ई एफ) के तहत सी एस आई आर ओ, अस्ट्रेलिया तथा कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में सीएमपीडीआई

तथा उप कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में बीसीसीएल के साथ मुनिडीह (झरिया कोयला फील्ड) में वेन्टीलेशन एयर मिथेन (वीएएम) की प्रशमन/उपयोग का एक परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परियोजना कोल इंडिया (आरएंडडी) बोर्ड द्वारा सिद्धांत अनुमोदित की जा चुकी है तथा सरकार से सक्षम अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा।

2.0 परियोजना आयोजन एवं अभिकल्पनः

कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों द्वारा प्राथमिकता के अनुसार न्यू/एक्सेपेसन/पुनर्गठित खान के लिए परियोजना रिपोर्ट की तैयारी 55 मी.ट.प्र.व अतिरिक्त कोयला क्षमता का निर्माण करने के लिए वर्ष 2 के दौरान किया गया। परियोजना रिपोर्ट/लागत इस्टीमेट का संशोधन नए पीआर के साथ किया गया।

उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य किए गए :

- कोयला क्षेत्रों का मास्टर प्लान
- भू/वर्तमान वाशरी के लिए संविदात्मक रिपोर्ट, संभाव्यता री मोडिफिकेशन रिपोर्ट, निविदा दस्तावेज सीसी दस्तावेज, बिड्स इत्यादि के मूल्यांकन की तैयारी
- ओसी माइन्स के लिए ऑपरेशनल प्लान
- ओसी माइन्स और युजी माइन्स का माइनिंग प्लान तथा माइन क्लोजर
- कोल इंडिया के अंडरग्राउंड तथा ऑपरेशनल माइन्स का खान क्षमता मूल्यांकन
- ऑपरेशनल ओपेनकास्ट तथा अंडर ग्राउंड माइन्स से संबंधित विभिन्न तकनीकी अध्ययन
- कोल इंडिया के ओसी में एचईएमएम ऑपरेटिंग का कार्य निष्पादन विश्लेषण
- कोल इंडिया के अंडरग्राउंड माइन्स के लिए ग्लोबल बिड दस्तावेज की तैयारी
- थर्मल पावर प्लांट पर आधारित ओसी की सेटअप करने के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
- विस्तृत डिजाइन तथा ड्राईंग्स, एनआईटी टेंडर जाँच की गई।

वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरणिक प्रबंधन तथा मॉनिटरिंग, सुदूर संवेदन, ऊर्जा अंकेक्षण (डीजल एवं इलेक्ट्रिकल), डीजल एवं इलेक्ट्रिकल खपत की बेंच मार्किंग डीजल तथा इलेक्ट्रिकल खपत का निर्धारण, खुली खदान और भूमिगत खानों का मापदंड, रॉक और कोल नमूनों पर फिजिको मेकेनिकल परीक्षण, धँसान अध्ययन, संस्तर नियंत्रण, गैर–विध्वंसक परीक्षण (एनडीटी), नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन तथा एक्सप्लोसिव यूटिलाइजेशन, भूमिगत खान का संवातन/गैस सर्वेक्षण, खनन इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोग्राफी तथा कोयले के नमूनों पर क्लीट अध्ययन, कोल कोर प्रोसेसिंग एवं विश्लेषण धोवन क्षमता परीक्षण, ओबीआर सर्वेक्षण, मैन राइडिंग सिस्टम, मिट्टी क्षरण अध्ययन, स्लोप स्थायित्व अध्ययन, इफ्लूएट/सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आदि के क्षेत्र में कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों को विशेषज्ञ परामर्शी सेवाएँ भी मुहैया कराई गई।

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इण्डिया तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए कुल 249 रिपोर्टें तैयार की जा चुकी हैं।

तैयार रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है :

रिपोर्ट	संख्या
भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	16
परियोजना रिपोर्ट	26
ड्राफ्ट ईएमपी (15 फार्म–1 सहित)	37
अन्य अध्ययन	170
कुल	249

वर्ष 2016–17 के दौरान की गई रिपोर्टों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट–1 में दिया गया है।

परिशिष्ट – 1

पूरी की गई रिपोर्ट की सूची (2016-17)

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
भू-वैज्ञानिक रिपोर्टें		
क्षे०सं०–i	1	धंगाजोर
क्षे०सं०–ii	1	झरिया कायलाक्षेत्र पर कम्पेंडियम
क्षे०सं०–iii	1	उरिमारी साउथ
	2	बेरमो (डीवीसी)
	3	करकट्टा
क्षे०सं०–iv	1	माथरा डीप
	2	कोंडा–हरदोला ओसी
क्षे०सं०–v	1	तुलसी ब्लॉक ई (हरीपुर)
	2	शहडोल (नन–सीआईएल)
क्षे०सं०–vi	1	मकरी–बरका (ईस्ट)
क्षे०सं०–vii	1	चन्द्रबिला (नन–सीआईएल)
	2	भुवनेशवरी–अरखापाल–सीखीगोपाल ए (संयुक्त)
(मुख्यालय) संविदात्मक	1	संगम
	2	भालूमुदा (नन–सीआईएल)
	3	महुआमिलन (नन–सीआईल)
	4	पतरातु एबीसी
परियोजना रिपोर्ट		
क्षे०सं०–i	1	नार्थ सियरसोल ओसी
	2	घुसिक यूजी/ओसी
	3	नाबाकाजोरा माधवपुर यूजी
	4	कोट्टाडीह ओसीएक्स.
	5	सिदुली ओसी/यूजी (रिकास्ट)
	6	सरपी यूजी एक्सपेंशन
	7	नारायणकुरी ओसी
क्षे०सं०–ii	1	चन्द्रपुरा ओसीपी
	2	ब्लॉक VII ओसीपी
क्षे०सं०–iii	1	चन्द्रपुरा ओसीपी (रिकास्ट)
	2	अशोक ओसी ईपीआर (रिकास्ट)
	3	हिन्दगीर ओसी
	4	कबीरबाद ओसी
	5	उरीमारी ओसीपी ईपीआर
क्षे०सं०–iv	1	गौरी सेंट्रल ओसी
	2	गोकुल ओसी आरपीआर
	3	भानेगाँव ओसी आरपीआर
	4	दुर्गापुर ओसी आरपीआर
	5	थेसागोरा यूजी से ओसी
	6	चिंचला–पीसगांव ओसी
क्षे०सं०–v	1	दामिनी यूजी से ओसी
क्षे०सं०–vi	1	दुधीचुआ ओसीपी ईपीआर
क्षे०सं०–vii	1	लाजकुरा आरिएंट ओसी एक्सपेंसन
मुख्यालय	1	राजमहल एक्सपेंसन ओसीपी आर.सी.ई.
	2	महामाया ओसी
	3	लेखापानी आरसीई

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
अन्य रिपोर्ट		
क्षे०सं०–i	1	चुपरभीटा भू०ग० खान का संभाव्यता रिपोर्ट
	2	गौरांडीह ओसी पैच का माइन क्लोजर प्लान
	3	नकराकोंडा–कुमारडीह बी ओसीपी का यूसीई
	4	मोहनपुर ओसीपी का यूसीई
	5	कालीपहाड़ी ओसीपी का कम्पन्न अध्ययन
	6	बोनबहल ओसीपी में कंपन अध्ययन
	7	बोनबहल ओसीपी में कंपन अध्ययन
	8	गौरांगडीह बेगुनिया ओसी पैच के लिए योजना
	9	इगारा ओसी पैच की योजना
	10	गौरांगडीह ओसीपी कम्पन अध्ययन
	11	लखीमाता ओसी पैच के लिए योजना
	12	कलस्टर न०–8 और 9 के लिए संशोधित खनन योजनाएं
	13	परसिया, निमचा और कपासारा कोलियरी के लिए संशोधित माइन क्लोजर प्लान
क्षे०सं०–ii	1	बस्ताकोला खान की खनन योजना
	2	गोपलिचक खान की खनन योजना
	3	गोपालिचक खान की माइन क्लोजर प्लान
	4	एकेडब्लुएमसी, एएआरसीभू०ग०, कतरासचैतुडीहखान और गजलीटाँड कोलियरी की खनन योजना (सभी रिकास्ट)
	5	एकेडब्लुएमसी, एएआरसी भू०ग०, कतरास चैतुडीह खान और गजलीटाँड कोलियरी का माइन क्लोजर प्लान (सभी रिकास्ट)
	6	अमलगमेटेड धनसार इंड्स्ट्री ओसी का खनन योजना
	7	कनकनी और सेंदराबांसजोरा खान का खनन योजना
	8	सुदामडीह सैण्डघाट में सैण्डमाइनिंग के लिए खनन योजना
	9	कनकनी खान का माइन क्लोजर प्लान
	10	सुदामडीहशॉफ्ट, बंसदेवपुर, केन्दुआडीह, बेगुनिया और मधुबन्द (सभी बन्द खानें) कामाईन क्लोजर प्लान
	11	विश्वकर्मा ओसी का ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
क्षे०सं०–iii	1	राय बचरा भू०ग० की माइन क्लोजर योजना
	2	तापिन साउथ ओसीपी की खनन योजना तथा माइन क्लोजर प्लान
	3	गिद्दी 'सी' के लिए योजना
	4	कोनार ओसीपी (542.84 हेक्टेयर वाले क्षेत्र का खन योजना
	5	सौंदाडीह के लिए योजना
	6	संघमित्रा और कल्याणी का यूसीई
	7	उरीमारी की खनन योजना
	8	तोपा का यूसीई
	9	नॉर्थ उरीमारी और आम्रपाली ओसीपी का यूसीई
क्षे०सं०–iv	1	इन्दर भूमिगत से ओसी एक्सपेंशन, काम्पटी सीएफ के लिए जीआर से पीआर

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	2	इन्दर भूमिगत से ओसी एक्स. के लिए आरपीआर
	3	निलजई एक्स. ओसी, धनकासा भू०ग० तथा ताव–iii भू०ग० (एलएचडी ऑप्सन) का यूसीई
	4	शिवानी भूमिगत का यूसीई
	5	कोलार पिम्परी एक्सपेंशन ओसी तथा दुर्गापुर एक्सटेंशन ओसी का यूसीई
	6	गाँधीग्राम यू०जी० का यूसीई
	7	सस्ती ओसी का संचालन योजना
	8	सी०एम० टेक्नोलॉजी सहित तावा–ii यू०जी० खान के लिए वैश्विक निविदा
	9	थीसागोरा यूजी से ओसी तक के लिए माइनेक्स में भू–वैज्ञानिक मॉडल
	10	एचएलओसी एक्स. खान का यूसीई
	11	न्यू–माजरी भू०ग० आरपीआर का यूसीई
	12	तावा–iii भू०ग० एवं वाघोदा भू०ग० का यूसीई
	13	कोंडा हरदोला i एवं ii ओसी के लिए माइनेक्स में भू–वैज्ञानिक मॉडल
	14	न्यू–माजरी ओसी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट–इलेक्ट्रीकल बेंचमार्किंग सहित
	15	मथानी यूजी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट–इलेक्ट्रीकल बेंचमार्किंग सहित
	16	गौरी एक्सपेंशन ओसी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट – डीजल बेंचमार्किंग सहित
	17	पऊनी ओसीपी के लिए ऊर्जा अंकेक्षण रिपोर्ट – डीजल बेंचमार्किंग सहित
	18	बिशुनपुरी यूजी से ओसी के लिए माइनेक्स में भू–वैज्ञानिक मॉडल
क्षे०सं०–v	1	सरायपली आरसीई
	2	सोहागपुर क्षेत्र के संगमा साइडिंग के लिए पीआर/योजना
	3	शिवानी कंटीन्यूअस माइनर हेतु योजना
	4	एसईसीएल के बैकुंठपुर क्षेत्र के रीजनल वर्कशॉप के लिए पीआर
	5	बैकुंठपुर रीजनल स्टोर के लिए पीआर/योजना
	6	सेंट्रल वर्कशॉप, कोरबा का आरपीआर
	7	बिजुरी भुमिगत का मैनराइडिंग योजना
	8	गायत्री यूजी सेकंड सेट कंटीन्यूअस माइनर के लिए योजना
	9	विजय वेस्ट के पीआर का अद्यतन
	10	दिपका ओसीपी के लिए नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	11	अमगाँव ओसी के लिए नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	12	अमाडांड ओसी के लिए नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	13	उमरिया भूमिगत खान के स्टोइंग के लिए योजना
	14	ढेलवाडीह यूजी हेतु नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	15	गारे पलमा iv/2 एवं 3 खुली खान के लिए नियंत्रित विस्फोटन अध्ययन
	16	बतुरा वेस्ट के पीआर का अद्यतन
	17	झिरिया वेस्ट ओसी का पीआर का अद्यतन
	18	एनसीपीएच आर–6 यूजी खान के लिए खनन योजना

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–vi	1	जयंत और ब्लॉक–बी ओसीपी का यूसीई
	2	अमलोहरी खुली खान परियोजना की परिचाालन योजना
	3	दुधीचुआ एथ्सपेंसन ओसीपी का यूसीई
	4	अमलोहरी ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
क्षे०सं०–vii	1	बेलपहाड़ ओसी एक्सपेंशन की आरसीई एवं पूर्णता रिपोर्ट
	2	गरजनबहल ओसीपी की माइन कलोजर प्लान
	3	भरतपुर री–ऑर्गेनाइजेशन ओसी का यूसीई
	4	सुभद्रा (डब्ल्यू) ब्लॉक पर वैचारिक टिप्पणी
	5	लिंगराज ओसीपी (20 मी०ट०प्र०व०) का एमपी/एमसीपी
	6	कनिहा ओसीपी (14 मी०ट०प्र०व०) का कम्बाइंड एमपी/एमसीपी
	7	कुल्दा ओसीपी (15 मी०ट०प्र०व०) का कम्बाइंड एमपी/एमसीपी
	8	जगन्नाथ रिआर्गनाइजेशन (7.5 मी०ट०प्र०व०) का कम्बाइंड एमपी/एमसीपी
	9	बसुंधरा ओसीपी एक्सपेंसन (8.75 मी०ट०प्र०व०) का कम्बाइंड एमपी/एमसीपी
	10	कनिहा ओसी का आरसीई
	11	बैतरनी ईस्ट कोल ब्लॉक पर वैचारिक टिप्पणी
	12	भुवनेश्वरी खुली खान परियोजना की आरसीई
	13	आईबी घाटी कोयला क्षेत्र से कोयला उत्पादन के प्रसार के लिए परिपेक्ष्य योजना
	14	मधुपुर का आईजीआर
	15	हिंगुला–ii ओसीपी का संचालन योजना
	16	बी०जी० एरिया, एनसीएल का इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान
मुख्यालय	1	ककरी ओसीपी, एनसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	2	बलराम और गर्जनबहल ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्थासित्व अध्ययन
	3	दुधिचुआ ओसीपी का विस्तृत डीजल अंकेक्षण
	4	कोल इंडिया की खुली खदान खानों की क्षमता का मूल्यांकन दिनांक – 01.04.2016 के अनुसार प्रोजेक्शन
	5	पुरनाडीह ओसीपी, सीसीएल में विस्फोटन के कारण हुए कम्पन का वैज्ञानिक अध्ययन
	6	एसईसीएल के जगन्नाथपुर ओसी तथा डब्ल्यूसीएल के अडासा भू०ग० से ओसी के बफर जोन का भू–उपयोग / भू–अच्छादन मानचित्रण
	7	ईसीएल के शंकरपुर कोलियरी, आर–vii सीम; पाण्डेश्वर कोलियरी, आर–vi सीम; सतग्राम परियोजना, दिशरगढ (आर–iv) सीम, तथाकरगली कोलियरी, बेरमो सीम के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	8	सिररमल ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	9	डब्ल्यूसीएल के पदमापुर डीप ओसीपी एक्स. तथा परसोदा ओसीपी के लिए अफर जोन का भू–उपयोग / आच्छादन मानचित्रण
	10	हिंगुला ओसीपी, एमसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	11	बीओएम के आधार पर एसईसीएल के कुसमुंडा वाशरी के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
	12	सीसीएल के सयाल डी ओसीपी के लिए बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादान मानचित्रण
	13	नरसामुंडा कोलियरी के आर–X सीम में गैस सर्वेक्षण
	14	बेहराबन्द भूमिगत खान, एसईसीएल के वर्तमान संपूर्ण वर्किंग एरिया के लिए डिपिलरिंग एवं विकास दोनों के लिए कोल सीम–V (टॉप और बॉटम) हेतु खनन की समुचित विधि का वैज्ञानिक अध्ययन
	15	ईसीएल के शंकुरपुर कोलियरी (आर–VIIए सीम) औश्र मोइरा कोलियरी (जामबाद सीम) के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	16	रोहिणी ओसीपी, सीसीएल तथा अम्बिका ओसीपी, एसईसीएल के लिए बफर जोन का भू–उपयोग/ आच्छादन मानचित्रण
	17	वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खानों की क्षमता एवं क्षमता उपयोग का मूल्यांकन
	18	बागदेवा कोलियरी, एसईसीएल में गैस सर्वेक्षण
	19	घेलवाडीह कोलियरी, एसईसीएल में गैस सर्वेक्षण
	20	वर्ष 2015–16 के लिए खान क्षमता उपयोग तथा वर्ष 2016–17 के लिए खान क्षमता मूल्यांकन
	21	सरपी परियोजना, ईसीएल में दबाव सर्वेक्षण
	22	खनन उपकरण के लिए मानक मूल्य–सूची
	23	सीसीएल की रोहिणी एवं कर्मा ओसीपी में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन
	24	महामाया ओसीपी, एसईसीएल का माइन क्लोजर प्लान
	25	नहेरीया भूमिगत खान, डब्ल्यूसीएल का धसान पूर्वानुमान अध्ययन
	26	दिपका ओसीपी, एसईसीएल के लिए बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	27	वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया की खुली खदान खनों के एचईएमएम का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
	28	बिरसा ओसीपी, सीसीएल का मिट्टी क्षरण अध्ययन
	29	बरौद वाशरी के लिए वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
	30	गोकुल ओसीपी, डब्ल्यूसीएल के लिए बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	31	डीजल, विस्फोटक तथा बिजली की विशिष्ट खपत पर रिपोर्ट
	32	कृष्णशीला ईटीपी, एनसीएल के लिए योजना
	33	पिपरवार वाशरी का पूर्व सम्भाव्यता रिपोर्ट
	34	ईसीएलके कलस्टर 8,9 और 12 केबफर जोन का भू–उपयोग आच्छादन मानचित्रण
	35	चुरी कोलियरी (अपर बचरा सीम), सीसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	36	सीसीएल की 12 ओसीपी की वार्षिक बेंचमार्किंग
	37	भुरकुंडा खान, सीसीएल के हाथीडारी और बंसगढ़ा सीम का भूमिगत पिलर का स्थायित्व अध्ययन
	38	ईसीएल की धेमोमेन पिट कोलियरी (श्रीपुर सीम), धेमोमेन इन्कलाइन कोलियरी (बराचक सीम) एवं बेलबैद कोलियरी (डोबराना सीम) तथा डब्ल्यूसीएल के बाघोदा यूजी माइन (इन्कलाइन ड्राइवेज) के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	39	कलस्टर 10 खान, ईसीएल के लिए बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	40	विश्रामपुर कोयला क्षेत्र, एनसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन
	41	ककरी परियोजना, एनसीएल में नियंत्रित विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन
	42	एकेके ओसीपी, सीसीएल का विस्तृत अंकेक्षण और बेंचमार्किंग
	43	कलस्टर 2,3 और 7 खान, ईसीएल के लिए बफर जोन भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण
	44	वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल का वनाच्छादन मानचित्रण
	45	वघोदा इन्कलाइन, डब्ल्यूसीएल के सपोर्ट डिजाइन के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
	46	झरिया कोलफील्डस, बीसीसीएल तथा काम्पटी कोलफील्ड्स, डब्ल्यूसीएल का वनाच्छादन मानचित्रण
	47	दमागोरिया खुली खान परियोजना, बीसीसीएल में नियंत्रित स्फिोटन एवं कम्पन्न अध्ययन
	48	अमलगेमेटेड धनसार–इंडस्ट्री ओसी की खनन योजना
	49	कनकनी तथा सेन्दरा बाँसजोरा खानों की खनन योजना
	50	सुदामडीह बालू घाट में बालू खनन योजना
	51	गजलीटॉंड खान का माइन क्लोजर प्लान
	52	एसईसीएल के 3 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	53	एनसीएल के 8 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	54	एमसीएल के 12 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	55	बीसीसीएल के 14 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	56	ईसीएल के 8 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	57	डब्ल्यूसीएल के 14 ओसीपी का डीजल अंकेक्षण तथा वार्षिक बेंचमार्किंग
	58	धोरी ओसीपी, सीसीएल का विस्तृत अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	59	ककरी ओसीपी, एनसीएल का विस्तृत अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	60	निलजई साउथ ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का विस्तृत अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	61	दुधीचुआ ओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
	62	बीणाओसीपी, एनसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	63	तापिन नॉर्थ, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	64	गोविन्दपुर, चरण–ii, सीसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	65	जगन्नाथ ओसीपी, एमसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	66	नंदिरायूजी, एमसीएल का इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग
	67	तोपा के लिए एफबीसी आधारित टीपीपी हेतु वैचारिक रिपोर्ट की तैयारी
	68	ककरी ओसीपी का डल्यूमिशेन सर्वेक्षण
	69	कोल इंडिया के खुली खदान खानों की क्षमता का मूल्यांकन 01.04.2017 के अनुसार प्रोजेक्शन
	70	कुल्दा ओसीपी, एमसीएल में नियंत्रित विस्फोटन और कम्पन अध्ययन
	71	मकरधोकरा–1 ओसीपी, डब्ल्यूसीएल में नियंत्रित विस्फोटन एवं कम्पन अध्ययन
	72	तालचर कोयलाक्षेत्र, एमसीएल तथा माकुम कोयलाक्षेत्र, एनईसी का वनाच्छादन मानचित्रण
	73	झरिया, रानीगंज, वेस्ट बोकारो एवं कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों का अग्नि मानचित्रण
	74	कलस्टर 1,4,5 एवं 6 खान, ईसीएल के लिए भू–उपयोग/आच्छादन मार्च 17 मानचित्रण
	75	बंगारू नाला, एमसीएल के डासवर्सन पर रिपोर्ट
	76	दुधीचुआ, एनसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	77	हिन्दगीर ओसीपी, सीसीएल का स्लोप स्थायित्व अध्ययन
	78	तारमी ओसीपी, सीसीएल का मिट्टीक्षरण अध्ययन
	79	सुदामडीह, सुतुकडीह तथा स्वरडीह मौजा में दामोदर नदी के बालूघाट के लिए खनन योजना की तैयारी
	80	सौंदाडीह परियोजना, सीसीएल के आरएमआर अध्ययन पर रिपोर्ट
	81	गोरबी खान, एनसीएल के एएनडी की अंतिम योजना
पर्यावरण प्रबंधन योजना		
फार्म–I		
क्षे०सं०–ii	1	सुदामडीह बालूघाट में बालू खनन
क्षे०सं०–iii	1	कुजू ओसी
	2	बलकुदरा ओसी
क्षे०सं०–iv	1	मूगोली निरगुडा ओसी
	2	पउनी ii ओसी एक्सपेंसन
	3	साओनेर–1 येजी से ओसी तक
	4	गान्धीग्राम यूजी
क्षे०सं०–v	1	गेवरा ओसी एक्स. (70 मी०ट०प्र०व०)
	2	दिपका ओसी एक्स. (35 मी०ट०प्र०व०)
	3	बतुरा ओसी
	4	मालाचुआ ओसी
क्षे०सं०–vi	1	दुधिचुआ ओसीपी

क्षेत्रीय संस्थान		रिपोर्टों के नाम
क्षे०सं०–vii	1	जगन्नाथ रिआर्गेनाइजेशन (7.5 मी०ट०प्र०व०)
	2	कुलदा ओसीपी
	3	बसुन्धरा वेस्ट एक्सटेंशन ओसीपी
ईएमपी का मसौदा		
क्षे०सं०–i	1	मोहनपुर ओसीपी के लिए फॉर्म–I तथा एडेंडम ईएमपी
	2	कलस्टर–IX खान के लिए फॉर्म–I तथा एडेंडम ईएमपी
	3	कलस्टर–3 खान के लिए फॉर्म–I तथा एडेंडम ईएमपी
क्षे०सं०–ii	1	महुदा वाशरी (संशोधित)
क्षे०सं०–iii	1	सेलेक्टेड धोरी ग्रूप ऑफ माइन्स
	2	झारखण्ड ओसी
	3	सयाल डी ओसीपी
	4	रोहिणी ओसी का फॉर्म–I और एडेंडम ईएमपी
	5	कारो एक्स. ओसी का एडेंडम ईएमपी और फॉर्म–I
	6	केदला ओसी
	7	उरीमारी भू०ग०
	8	बलकुदरा ओसी
क्षे०सं०–iv	1	अडासा भूमिगत से ओसी
	2	घोंसा ओसी एक्सपेंसन
	3	पदमपुर एक्सटेंशन डीप ओसी
	4	गोकुल एक्स. ओसी का फॉर्म–I तथा एडेंडम ईएमपी
	5	न्यू माजरी यूजी से ओसी एक्स
	6	अमलगेमेटेड येकोना–I एवं II ओसी
	7	नंदन–II भूमिगत एक्स., धाऊनॉर्थब्लॉक
क्षे०सं०–v	1	जगन्नाथपुर ओसी
	2	गेवरा ओसीपी
	3	दिपका ओसीपी

2.1 कोयला एवं खनिज परिष्करण

सीएमपीडीआई कोयला वाशरियों, खनिज परिष्करण संयंत्र के लिए तथा वर्तमान संयंत्रों के आधुनिकीकरण/रूपांतरण कार्य करने के लिए प्रौद्योगिकी सेवा प्रदान करता है। इन सेवाओं में सर्वागीन प्रयोगशाला अध्ययन, तकनीकी आर्थिक संभाव्यता रिपोर्ट, वैचारिक रिपोर्ट, परियोजना आयोजन, निर्माण प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास संबंधी क्रिया–कलापों की विस्तृत श्रृंखला शामिल हैं। सीएमपीडीआई लेबोरेटरी स्केल अध्ययन करने के लिए नवीनतम और परिष्कृत उपकरणों के साथ आईएसओ प्रमाणित आधुनिक प्रयोगशाला से सुसज्जित है। सीएमपीडीआई ने

खुले बाजार में कठिन प्रतियोगिता के मुकाबले कोयला परिष्करण तथा अन्य खनिजों के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठाजनक कार्य किया है जो वर्ल्ड बैंक निधित परियोजना ''वर्तमान उद्योग के लिए कोयला वाशरियों के तकनीकी–आर्थिक अध्ययन पर रिपोर्ट'' को शामिल करता है तथा ''भारत में कोयला परिष्करण के माध्यम से क्लीन कोयला के कार्यान्वयन'' एडीबी निधित परियोजना है।

वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किये गए :

- 11 तकनीकी रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें से 3 वैचारिक रिपोर्ट एवं वाशरियों के लिए 2 संभाव्यता रिपोर्ट शामिल है।
- कोल इंडिया की विभिन्न वाशरियों के लिए 'बी ओ ओ' अवधारणा पर पाँच तथा बीओएम अवधारणा पर आधारित तीन रिपोर्ट को शामिल करते हुए 8 निविदा दस्तावेज (रिवर्स ई–रेन्डरिंग मोड पर) तैयार की गई।
- 4 वाशरियों के लिए डाक बोली का मूल्यांकन किया गया।
- दो वाशरियों के लिए संविदा दस्तावेज तैयार/संसोधित किया गया।
- बीसीसीएल के मधुबन्द तथा दहीबारी वाशरियों के लिए 260 कन्स्ट्रक्शन ड्राईंग्स अनुमोदित किया गया।
- मधुबंछ वाशरी, बीसीसीएल में सीआईएल आरएंडडी योजना के अन्तर्गत रेडियोमेट्रिक तकनीक (आर्टी शार्ट) का इस्तेमाल करते हुए कोयले के शुष्क परिष्करण'' का संचालन।
- लैब स्केल कोल विनोविंग के विभिन्न पारामीटरों का एसएंडटी प्रोजेक्ट
- कोल इंडिया की खानों में एलवीएमसी वाशिंग तथा कोकिंग कोयला उत्पादन के संवर्द्धन के लिए अध्ययन'' पर कोयला मंत्रालय के लिए रिपोर्ट तैयार की गई।
- ''बीसीसीएल की वाशरियों के लिए रॉ कोलफील्ड के एक्रीएटिंग आण्टीमम् ग्रेड के लिए रिपोर्ट'' तैयार की गई।
- बीसीसीएल में वर्तमान 4 वाशरियों के आधुनिकीकरण हेतु रिपोर्ट तैयार की गई।

2.2. परियोजना मूल्यांकन

- ड्राफ्ट पीआर/आरपीआर/ईपीआर की तैयारी के पहले मुख्य तकनीकी पारामीटरों को अंतिम रूप देने के लिए 16 वैचारिक टिप्पणियों का मूल्यांकन।
- रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पहले 24 ड्राफ्ट पीआर/आरपीआरएस/ईपीआरएस का मूल्यांकन
- सचिव (कोयला) की त्रैमासिक समीक्षा बैठक के लिए
- चालू परियोजनाओं 500 करोड़ रूपये से अधिक लागत वाली के कार्यान्वयन की स्थिति का अद्यतनीकरण
- सचिव (कोयला) के क्वाट्रली रिव्यू मिटिंग के लिए वर्ष 2019–20 में उत्पादन के लिए सूचित की गई परियोजनाओं हेतु पीआरएस के प्रतिपादन स्थिति का अद्यतनीकरण
- गवेषण, जीआर की तैयारी तथा पीआर प्रतिपादन के लिए वर्ष 2030–31 तक सीएमपीडीआई के लिए वर्षवार परिप्रेक्ष्य योजना की तैयारी।
- कोल इंडिया ब्लॉक के यूएनएफसी के क्लासीफिकेशन के लिए 104.16 के अनुसार शेष भंडारों पर बुक–वाइज डाटा का एकत्रीकरण
- कोल इंडिया के रिप्रजेटेटिव ओपेन कास्ट तथा अंडरग्राउड परियोजना की अर्थव्यवस्था पर वन भूमि के संवृद्ध एनसीवी के प्रभाव का मूल्यांकन
- ब्लॉक बाउंडरी तथा प्रस्तावित बाउंडरी के दर्शाते हुए क्षेत्रीय संस्थानों का कोयला क्षेत्रवार मानत्रित्रों की संकलन।

3.0 भूमिगत खनन और खुली खदान खनन

3.1 भूमिगत खनन

क). बाह्य परामर्शी सेवा कार्य

- विवेच्य वर्ष के दौरान मेसर्स यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नर्व पहाड़ खान के लिए स्थाई हेड फ्रेम का स्टेबिलिटी विश्लेषण
- विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित अन्य कार्य शामिल हैं : जो इस प्रकार है :
    - मेसर्स सेल के लिए इन्डीकट्टा रामागोर ब्लाक हेतु डीपीआर एवं माइनिंग प्लान की तैयारी
    - मेसर्स एमओआईएल के लिए भगत खान हेतु बिड्स के मूल्यांकन में टीईएफआर अस्ट इस्टीमेट, निविदा दस्तावेज एवं असिस्टेंस का अद्यतनीकरण
    - मेसर्स एमपीपावर जेनरेटिंग कंपनी लि. के लिए गोंदबेहरा उझेनी कोयला ब्लॉक हेतु माइनिंग प्लांट एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी
    - मेसर्स जीएसईसीएल के लिए गारे पेल्मा सेक्टर–I कोयला ब्लॉक के लिए माइनिंग प्लान।
    - मेसर्स एससीसीएल के लिए कल्याणी कहानी नं–I इनक्लाइन माण्ड मानी एरिया हेतु बालू भराई नार्मेटिव लागत का मूल्यांकन

ख). कोल इंडिया के कार्य

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए

- चूरी भूमिगत खान, सीसीएल के इन क्लाइन संख्या–6 के लिए इन्क्लाइन माउथ का अभिकल्पना।
- कनकनी कोलियरी, बीसीसीएल का वाइन्डिंग इंजिन हेतु गियर संरचना का स्टेबिलिटी परीक्षण
- नरसामुंडा कोलियरी, ईसीएल के आर सीम, बगदेवा कोलियरी एसईसीएल, ढेलवाडीह कोलियरी एसईसीएल, तथा कटूकोना 1 तथा 2 एसईसीएल में गैस सर्वेक्षण
- बेहराबंद भूग खान, एसईसीएल के संपूर्ण वर्तमान वर्किंग एरिया में डेवलपमेंट एवं डिपिलरिंग दोनों के लिए कोयला सीम–V (टॉप एवं बॉटम) हेतु उपयुक्त खनन पद्धति पता लगाने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन।
- झाँझरा ''एफ शाफ्ट, ईसीएल के लिए विस्तृत डिजाइन, एवं बीओक्यू।
- वर्ष 2016–17 के लिए खान क्षमता मूल्यांकन तथा वर्ष 2015–16 के लिए खान क्षमता उपयोग।
- खनन उपकरणों के लिए मानक मूल्य सूची की तैयारी
- सरपी परियोजनार, श्यामसुन्दरपुर कोलियरी, ईसीएल के लिए संवातन डिजाइन प्रणाली।
- भुरकुण्डा खान, सीसीएल की हाथीडारी एवं बंसगरा सीम के भूमिगत पिलर का स्थायित्व।
- वघोडा इन्कलाइन, डब्लयूसीएल के सपोर्ट डिजाइन के मूल्यांकन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन
- सुदामडीह, सुतुकडीह तथा सवरडीह मौजा में दामोदर घाटी के बालू घाट के खनन योजना की तैयारी।

ग). कोल इंडिया के कार्य (प्रगति पर)

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए :

- माइन डोजियर की तैयारी एवं कोयल मंत्रालय के निर्देश के अनुसार एनपीवी का परिकलन।
- पिपरवार फेज–I सीसीएल के लिए आरपीआर
- सीसीएल की भूमिगत खानों में, जहाँ लाभकारी हो, श्रम–बल लगाकर आर्थिक दृष्टिकोण

से सबसे खराब खान को बंद करने (फेज हाउट) के लिए तकनीकी आर्थिक पारामीटर तथा समयबद्ध कार्रवाई का विस्तृत अध्ययन।

- बेहराबंद भूग खान, एसईसीएल में अधिक क्षमता वाला मुख्य यांत्रिक वेन्टीलेटर की आवश्यकता आँकने हेतु वैज्ञानिक अध्ययन
- वर्ष 2017–18 के लिए खान क्षमता मूल्यांकन
- खनन उपकरणें की मानक मूल्य सूची–2017
- परेज ईस्ट भूग परियोजना, सीसीएल के लिए आरपीआर की तैयारी।
- वर्धा नदी, डब्लयूसीएल के नीचे भूग गैलरी से नैगाँव ओसीएम वर्धा धाटी कोयला क्षेत्र के जलाप्लावन के खतरे का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

3.2 खुली खदान खनन (ओपेनकास्ट माइनिंग)

पूरे किए गए बड़े/महत्वपूर्ण बाहरी परामर्शी कार्य इस प्रकार हैं :

- मेसर्स एमपीपीजीसीएल के गोंदबहेरा उझेनी कोल ब्लॉक हेतु खनन योजना तथा मसौदा परियोजना रिपोर्ट
- मेसर्स टाटा स्टील के वेस्ट बोकारो लीजहोल्ड के लिए खनन योजना
- मेसर्स जीएसईसीएल के गारे पेल्मा सेक्टर–I के लिए खनन योजना एवं परियोजना रिपोर्ट का मसौदा
- पीएफसीसीएल के मीनाक्षी कोल ब्लॉक की खनन योजना तथा माइन क्लोजर प्लान
- मेसर्स आईसीवीएस (मोजांबिक) की बेंगा कोल परियोजना के लिए प्रारंभिक मूल्यांकन
- बड़े/महत्वपूर्ण एमईएमएम, एनएमडीसी के कार्य निष्पादन की समीक्षा

पूरे किए गए प्रमुख/बड़े कार्य

- तिराप ओसीपी,एनईसी के रिकास्ट की यूसीई
- लेखा पानी ओसी–0.25 एमटीवाई, एनईसी के लिए आरसीई
- महालया ओसीपी, एसईसीएल की परियोजना रिपोर्ट
- राजमहल विस्तारण ओसीपी के लिए आरसीई
- वर्ष 2015–16 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की खुली खानों के लिए क्षमता मूल्यांकन तथा क्षमता का उपयोग
- कोल इंडिया लिमिटेड की सभी सहायक कंपनियों में वर्ष 2015–16 के दौरान सीआईएल के एक्स्कावेटरों एचईएमएम का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
- वर्ष 2015–16 के दौरान सीआईएल की एक्स्कावेटरों तथा उम्परों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन तथा सारांश
- वर्ष 2015–16 के दौरान सीआईएल की खुली खानों में विस्फोटकों, डिजल तथा बिजली की विशिष्ट खपत का मूल्यांकन।
- कोल इंडिया लिमिटेड की, खुली खानों की क्षमता का मूल्यांकन–1.4.2017 के अनुसार प्रक्षेपण(अनुमान)
- वर्तमान सर्वे आफ नामक तथा नए शामिल किए गए एचईएमएम के लिए मानक की समीक्षा।
- मुंगोली निरगुडा विस्तार (डीप) के लिए आप्टीमाइज्ड ड्रैग लाइन स्कीम।

ओसी खानों की वर्ष 2015–16 के दौरान खान क्षमता मूल्यांकन के लिए फार्मेट की तैयारी।

योजना एवं अन्य कार्यों पर कोयला मंत्रालय/कैग अंकेक्षकों की त्वरित टिप्पणी में निम्नलिखित शामिल है :

- एसआरपी ओसी।। परियोजना (एसआरपीओसी।। विस्तारण योजना) के लिए खनन योजना
- मेसर्स सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कॉर. लि. की बेलगाँव कोयला खान (मई 2016) संशोधित खनन योजना।
- कोयला मंत्रालय के लिए मेसर्स आरआरवीयूएनएल द्वारा पेश की गई परसा

कोल ब्लॉक हसदेव क्षेत्र के लिए खनन योजना।

- परसा ईस्ट तथा कान्त बसन की एमपी एवं एमसीपी।
- मेसर्स एमएसपीजीसीएल के गारे पलमा सेक्टर कोल ब्लॉक की खनन योजना।
- टीवीएनएल के राजबर ईएंडडी कोल ब्लॉक की खनन योजना।

4.0 अभियंत्रण सेवाएँ

4.1 सिविल अभियंत्रण सेवाएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण /बड़ी सेवाएँ पूरी की गई :

सिविल एवं वास्तुशील्पीय विस्तृत डिजाइन कार्य

क) कुसमुण्डा क्षेत्र, एसईसीएल के लिए नगर का वास्तुशील्पीय एवं संरचनात्मक परामर्श।

ख) एमसीएल के लिए मानक क्वार्टर एवं एमसीएल के बसुंधरा, गर्जनबहल तथा हिंगुला क्षेत्र के लिए नगर योजना की वास्तुशील्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी।

ग) सीएमपीडीआई सीएसआर के तहत दृष्टिहीन बालिका छात्रावास के लिए वास्तुशील्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी।

घ) जागृति विहार में प्रवेश द्वारा तथा जागृति विहार में 500 सीट वाला प्रेक्षागृह (आडिटोरियम) आनन्द विहार स्टेडियम के गैलरी तथा स्टेज एरिया के लिए शेड।

ङ) क्षेत्रीय संस्थान–5 में सी टाइप (जी+5) क्वार्टर तथा क्षेत्रीय संस्थान 6 सिंगरौली में डी टाइप (जी+4) के लिए वास्तुशील्पीय तथा संरचनात्मक ड्राईंग की तैयारी ।

च) वेस्टर्न झरिया क्षेत्र में मास्टर प्लान के तहत बी,सी तथा डी टाइप क्वार्टर तथा कार्यालय भवन आदि के लिए वास्तुशील्पीय डिजाइन तथा ड्राईंग।

छ) बेल पहाड़ प्रशिक्षण संस्थान एमसीएल के लिए प्लानिंग, डिजाइनिंग एवं तकनीकी संवीक्षा और विस्तृत नवीनीकरण सह आधुनिकीकरण।

ज) बसुंधरा गर्जनबहल क्षेत्र, एमसीएल के लिए स्टेडियम, स्टाफ होस्टल, शॉपिंग कम्प्लेक्स एवं कल्याण मंडप का विस्तृत डिजाइन।

झ) बीसीसीएल सीएसआर के तहत 150 बिस्तर वाला बालिका छात्रावास के लिए वास्तुशील्पीय लेआउट एवं संरचनात्मक ड्राईंग

ञ) बीटीआई, एमसीएल के प्लानिंग, डिजाइनिंग विस्तृत इंजीनियरिंग तथा व्यापक नवीनीकरण कार्य के लिए वास्तुशिल्पीय/संरचनात्मक ड्राईंग की संवीक्षा

ट) नया कोल इंडिया परिसर राजरहाट, कोलकाता में 'सी' तथा 'डी' टाइप क्वार्टर जी+10 मंजिला) एवं हेल्थ सेंटर 7 तल्ला भवन के लिए वास्तुशील्पीय डिजाइन

ठ) कुसमुण्डा परियोजना का सेवा एवं कल्याण भवन, महाप्रबंधक का कार्यालय, कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) के लिए संयुक्त भवन (कम्पोजिट बिल्डिंग, डाक घर एवं शॉपिंग सेंटर) के लिए वास्तुशीलपीय प्लानिंग।

ड) अरगड्डा परियोजना के सिरका ग्राउण्ड में 15000 व्यक्तियों के लिए बैठने की क्षमता वाला फूटबॉल स्टेडियम हेतु वास्तुशील्पीय डिजाइन

ढ) कोलकाता में प्रस्तावित कोयला संग्रहालय।

निविदा दस्तावेज की तैयारी :

क) जयंत इंक्रिमेंटल सीएचपी (15 एमटीवाय), दुधिचुआ सीएचपी तथा बीना ककरी अमलगमेशन सीएचपी के लिए टर्न–की निविदा दस्तावेज

ख) तापीन तथा पूर्णाडीह वर्कशॉप, सीसीएल के लिए टर्न की निविदा दस्तावेज

ग) कुसमुण्डा वर्कशाप 50 एमटीवाई, एसईसीएल का सिस्टम डिजाइन, निविदा दस्तावेज की तैयारी तथा ड्राईंग की संवीक्षा।

घ) अनन्त ओसीपी, एमसीएल में सिलो लोडिंग सहित अनन्त सीएचपी कार्य के शेष बचे भाग को पूरा करने के लिए ई–निविदा दस्तावेज की तैयारी।

ङ) अमलोहरी एवं खादिया वर्कशॉप तथा स्टोर, एनसीएल का सिस्टम ड्राईंग एवं निविदा दस्तावेज।

च) 2x5 एमवीए, 33/6.6 केवी ब्लॉक बी सबस्टेशन, एनसीएल के लिए एनआईटी।

छ) जागृति विहार, एमसीएल में 33/11 के.वी. सब स्टेशन के लिए एनआईटी

ज) मगध, कोनार, आम्रपाली सबस्टेशन, सीसीएल के लिए टर्नकी निविदा दस्तावेज।

झ) सोनपुर बजारी सीएचपी, ईसीएल के लिए निविदा दस्तावेज की तैयारी।

ञ) भुवनेश्वरी ओसीपी में पाइप कन्वेयर सहित सीएचपी तथा सिलो, बसुंधरा ओसीपी में सीएचपी तथा सिलो।

योजना/रिपोर्ट की तैयारी :

क) विजय वेस्ट भूमिगत खान, एसईसीएल के लिए समेकित नगर की अग्रिम योजना।

ख) रायगढ़ा क्षेत्र, एमसीएल में जीएम कम्प्लेक्स तथा कॉलोनी की स्थापना के लिए विस्तृत योजना।

ग) एनसीएल की कृष्णाशीला परियोजना के लिए समेकित इफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लान हेतु संशोधित योजना की तैयारी।

घ) गोरबी खान, एनसीएल के एसिड माइन ड्रेनेज के उपचार के लिए योजना की तैयारी।

ङ.) निगाही परियोजना, एनसीएल में सड़क, तटबंध (इम्बैकमेंट), सड़क ओवरब्रिज तथा सम्बद्ध कार्य के लिए योजना।

च) तालचर तथा गोपालपुर में सीएमपीडीआई ऑफिस एवं गवेषण कैम्पों के लिए स्थायी कार्यालय तथा क्वार्टर के निर्माण तथा सीएमपीडीआई कॉलोनी, भुवनेश्वर में 'ए' 'बी' एवं 'डी' टाइप क्वार्टर के निर्माण के लिए योजना/रिपोर्ट की तैयारी।

संरचनात्मक पर्याप्तता (अडेक्वेसी) अध्ययन :

क) विभिन्न सीएचपी, एसईसीएल (12 सीएचपी) को संरचनात्मक अडेक्वेसी अध्ययन)

ख) अमलोहरी, ककरी, निगाही, झिंगुरदा एवं खादिया, एनसीएल के सीएचपी का स्ट्रक्चरल अडेक्वेसी अध्ययन।

ग) नीलजई साउथ सीएचपी, घुघुस लोडिंग होपर एवं बंकर, नीलजई सीएचपी एवं स्टील स्ट्रक्चर, मुंगोली सीएचपी तथा मकरधोकरा सीएचपी, उमरेर एरिया, डब्लयूसीएल

घ) कथारा वाशरी, सीसीएल के तहत गैन्ट्री को सशक्त करने के लिए सुझाव एवं स्थायित्व।

ङ) गर्जनबहल ओसीपी के एचईएमएम वर्कशॉप के लिए संरचनात्मक डिजाइन एवं ड्राईंग।

डिजाइन/ड्राईंग संवीक्षा

क) खादिया, एनसीएल के वर्कशॉप तथा रिजनल स्टोर का विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग की तकनीकी जाँच।

ख) कृष्णशीला, एनसीएल के वर्कशॉप तथा रिजनल स्टोर का विस्तृत डिजाइन एवं ड्राईंग की तकनीकी जाँच

ग) टर्न की आधार पर ब्लॉक बी ओपेनकास्ट परियोजना, एनसीएल के लिए सिवेज ट्रीटमंट प्लांट(एसटीपी) की प्लानिंग, डिजाइन, निर्माण, जाँच एवं संस्थापना।

घ) निगाही सीएचपी (फेज–III) तथा खादिया (फेज–II) सीएचपी, एनसीएल का डिजाइन, ड्राईंग तथा संवीक्षा।

ङ) बीसीसीएल के मधुबंद रैपिड लोडिंग सिस्टम के ड्राईंग की संवीक्षा।

कुसमुण्डा कॉलोनी, एसईसीएल के लिए अवधारणात्मक योजना

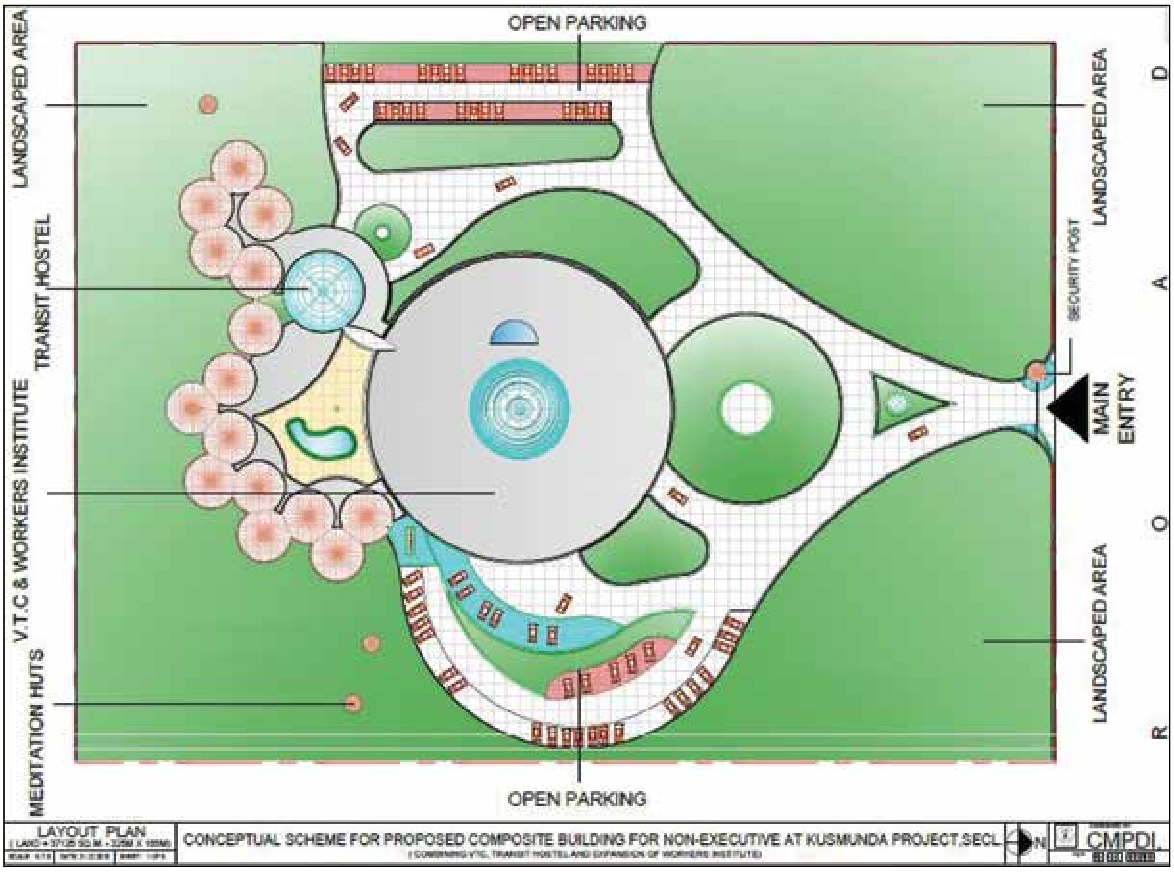

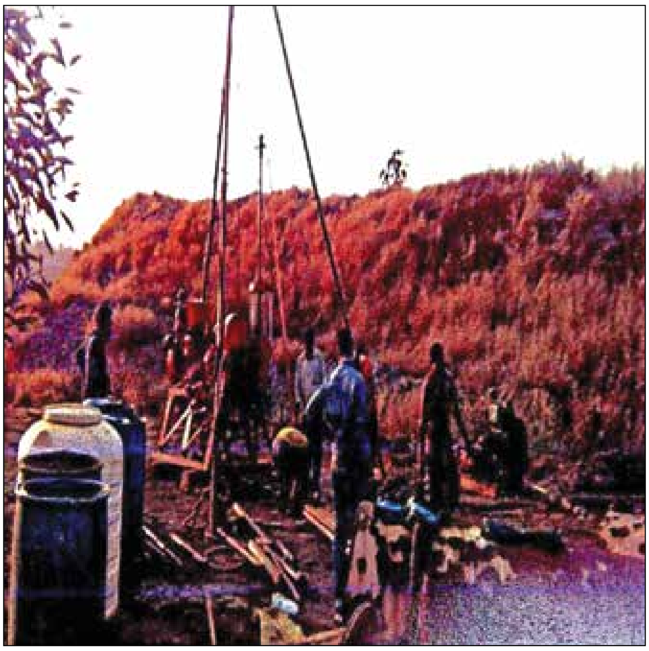

मुंगोली सीएचपी, डब्ल्यूसीएल में ट्रक रीसिविंग हॉपर के लिए साइट फोटो

4.2 वैद्युत एवं यांत्रिक अभियंत्रण सेवाएँ :

4.2.1 परियोजना रिपोर्ट के लिए खान आयोजन (आधारभूत संरचना) सहायता

4.2.2 कोल हैंडलिंग संयंत्र

➢ **ई-निविदा/निविदा दस्तावेज की तैयारी**

- एनसीएल की जयंत इन्क्रीमेंटल सीएचपी, बीना–ककरी अमलगमेशन सीएचपी तथा दुधिचुआ इन्क्रीमेंटल फेज–।।। सीएचपी।
- अनन्त सीएचपी तथा सिलो लोडिंग व्यवस्था (15 एमटीपीए), एमसीएल
- मानिकपुर ओसीपी, बीसीसीएल का इनपिट कन्वेईंग सिस्टम
- लखनपुर ओसीपी के पाइप एवं पारंपरिक कन्वेयर वाला सीएचपी तथा ईव वैली वाशरी से जुड़ा सिलो लोडिंग व्यवस्था।
- भुवनेश्वरी ओसीपी में जगन्नथ वाशरी को बाइपास करते हुए सिलो लोडिंग व्यवस्था तथा पाइप एवं पारंपरिक कन्वेयर वाला सीएचपी।
- कुलदा ओसीपी में पारंपरिक कन्वेयर वाला सीएचपी तथा बसुंधरा वाशरी से जुड़ा सिलो लोडिंग व्यवस्था
- कनिहा ओसीपी कनिहा क्षेत्र में सर्जबिन सहित सीएचपी
- एनआईसी पोर्टल के अनुसार 1.6 एमटीपीए सहीबारी वाशरी का डिस्पैच सिस्टम
- ट्रक रीसिविंग स्टेशन (कुसमुण्डा सीएचपी फेज–।।) सहित कुसमुण्डा सिलो (4) के निर्माण के लिए एनआईटी

➢ **योजना/सिस्टम डिजाइन की तैयारी :**

- कुमारडीह 'बी' भूग खान में सीएचपी के लिए संशोधित योजना।
- सोनपुर बजारी ओसीपी (12.0 एमटीवाई) के लिए आरएल एस सहित सीएचपी के लिए मसौदा योजना
- सोनपुर बजारी सीएचपी (12.0 एमटीवाई) के लिए योजना।
- कारो सीएचपी (3.5 एमटीवाई) की योजना का मसौदा।

- सीएचपी/वर्कशाप के ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन।

➢ **सीएचपी/वर्कशॉप के ड्राईंग की संवीक्षा/अनुमोदन**

4.2.3 कर्मशाला/स्टोर

5 वर्कशॉप (कर्मशाला) के लिए ई–निविदा दस्तावेज की तैयारी।

4.2.4 एफबीसी आधारित विद्युत संयंत्र

- तोपा ओसीपी, सीसीएल में एफबीसी आधारित 2x50 एमडब्ल्यू ताप विद्युत संयंत्र की अवधारणात्मक रिपोर्ट।
- 3x10 एमडब्ल्यू चिनाकुरी ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी), ईसीएल को पट्टे पर देने के लिए एनआईटी/बीड दस्तावेज।

4.2.5 ऊर्जा अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग

- सीआईएल के 70 खुली खानों के लिए वार्षिक डीजल बेंचमार्किंग।
- कोल इंडिया लिमिटेड की 10 खुली खानों के लिए डीजल बेंचमार्किंग तथा उपकरणानुसार डीजल की खपत के मानकों का निर्धारण
- कोल इंडिया लिमिटेड की 7 खुली खानों तथा दो भूमिगत खानों के लिए विद्युत ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग।

4.2.6 विद्युत आपूर्ति तथा वितरण एवं नियंत्रण प्रणाली

- 33/6.6 केबी, झांझरा सबस्टेशन, ईसीएल की ई टेंडरिंग/रिवर्स ऑक्सनिंग प्रक्रिया, सीआईएल के वर्तमान मोड्यूल में निविदा दस्तावेज का पुनर्निमाण।
- आम्रपाली ओसीपी के लिए 2/10 एमबीए, 33 केवी/6.6 केवी सबस्टेशन, मगध ओसीपी के लिए 2x16 एमवीए 33 केवी/6.6 केवी सब स्टेशन तथा कोनार ओसीपी के लिए 2x6.3 एमवीए, 33केवी/6.6 केवी सब स्टेशन (प्रक्रियाधीन)।
- डीवीसी के प्रस्तावित सब स्टेशन (प्रक्रियाधीन) से आम्रपाली ओसीपी तथा मगध ओसीपी के परियोजना सब स्टेशन को बिजली देने के लिए 33 केवी ओएचटीएल
- कुसमुण्डा ओसीपी में तीन 33/6.6 केवी के टर्न–की निष्पादन के लिए एनआईटी, टीपीएस तथा बी ओक्यू।
- दिपका ओसीपी के तीन 33 केवी सब स्टेशन के शेष कार्य तथा गेवरा ओसीपी, एसईसीएल के तीन 33 केवी सब स्टेशन के शीर्ष कार्य के टर्न की निष्पादन के लिए एनआईटी, टीपीएस तथा बीओक्यू।
- ब्लॉक बी ओसीपी, एनसीएल के ओएच लाइन की शिफ्टिंग।
- खादिया ओसीपी, एनसीएल का 2x10 एमवीए, 33/6.6 केवी सब स्टेशन
- बीना–ककरी अमलगमेशन के लिए सब स्टेशन।
- 132/33 केवी माधुली सब स्टेशन, एमसीएल की शिफ्टिंग तथा संवर्द्धन।

4.2.7 सोलर इनिसियेटिव

- क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल, क्षेत्रीय संस्थान'2, धनबाद, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली तथा क्षेत्रीय संस्थान–7 भुवनेश्वर में सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के लिए सोलर पैनेल तथा माइक्रोग्रीड सिस्टम के संस्थापन हेतु निविदा दस्तावेज की तैयारी।
- क्षेत्रीय संस्थान–।। के रूफ टाप पर 30 के डब्लयूपी सोलर पावर प्लांट तथा क्षेत्रीय संस्थान–6 के नया कार्यालय भवन के रूफ टॉप पर 50 केबीडब्ल्यूपी सोलर पावर प्लांट की आपूर्ति, स्थापना तथा चालू करना और निविदा को अंतिम रूप देना एवं जारी करना।
- सीएमपीडीआई कॉलोनी, बिलासपुर के क्रीडांगन में एनर्जी इफीसिएन्ट 150 वाट एलईडी फ्लड लाइट स्थापित।

- सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–1 के कॉलोनी के लिए 25 सोलर स्ट्रीट लाइटिंग की आपूर्ति एवं स्थापना
- क्षेत्रीय संस्थान–5, सीएमपीडीआई के विभिन्न कैम्पों में सोलर आधारित एलईडी लाइट की आपूर्ति, संस्थापन परीक्षण तथा चालू करना (टिकाउ सतत् विकास कायक्रम के तहत)
- क्षेत्रीय संस्थान–1, आसनसोल, क्षेत्रीय संस्थान–3, राँची, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर, क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर, क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली, तथा क्षेत्रीय संस्थान–7, भुवनेश्वर के ड्रिलिंग कैम्पों में एलईडी लैम्प वाले सोलर आधारित स्ट्रीट लाइट की संस्थापन।

4.2.8 अन्य रिपोर्ट :

- बीजी क्षेत्र, एमसीएल में सब स्टेशन के लिए संसूचन (पता लगाने) तथा अग्निशमन प्रणाली हेतु योंजना।
- काली नगर सब स्टेशन, एमसीएल के लिए अग्निशमन (फायर फाइटिंग) सिस्टम का लागत अद्यतनीकरण।
- ककरी एवं खादिया ओसीपी, एनसीएल का इल्यूमिनेशन सर्वेक्षण ।
- कोरबा गवेषण कैम्प में (निर्माणाधीन) में विद्युतीकरण का कार्य जारी है।
- सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–5, बिलासपुर के नए कार्यालय भवन तथा कोरबा गवेषण कैम्प (निर्माणाधीन) में विद्युतीकरण का कार्य जारी है।

4.2.9 निरीक्षण सेवाएँ

सीएमपीडीआई ने कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न कंपनियों द्वारा खरीदे गए उपकरणों के प्रेषण पूर्व निरीक्षण के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण की सेवा जारी रखा। इस सेवा से कुल 3.61 करोड़ रू. का राजस्व अर्जित किया गया।

4.2.10 एनडीटी (गैर-विध्वंशक) परीक्षण

- भूमिगत खान : वाइन्डर, हेड गीयर, पुली शाफ्टकेज,स्कीप
- खुली खान : ड्रैगलाइन, शावेल, एक्सकेवेटर, डम्पर ईओटी, क्रेन एवं ड्रिल मशीन
- सीएचपी : कन्वेयर गेन्ट्री, फीडर ब्रेकर, ट्रान्सफर प्वाईंट, ड्राइव हाउस एवं क्रशर हाउस

4.2.11 एमओयू 2016-17

2016–17 एमओयू के अनुसार ''प्रौद्योगिकी उन्नयन'', शीर्ष के तहत ''उत्कृष्ट'' रेटिंग के लिए 28 फरवरी, 2017 तक सीएमपीडीआई के एक क्षेत्रीय संस्थान में रूफ टॉप सोलर प्लांट को संस्थापित कर चालू कर दिया जाना है। इसके विरूद्ध 20.12.2016 को क्षेत्रीय संस्थान–6, सिंगरौली, सीएमपीडीआई में 50 केबी डब्ल्यू की का रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को संस्थापित कर चालू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 22.03.2017 को क्षेत्रीय संस्थान–2, धनबाद में 30 केडब्ल्यू रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट को संस्थापित कर चालू कर दिया गया।

4.3 नगर अभियंत्रण सेवाएँ

विवेच्य वर्ष के दौरान दी गई सेवाओं में निम्नलिखित शामिल हैं :

- भवनों जैसे कार्यालय भवन, आवासीय स्टाफ क्वार्टर का रख–रखाव, आवश्यकता बागवानी कार्य सहित स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण तथा रख–रखाव, सफाई का मेनटेनेन्स।
- कार्यालय से संबंधित सभी विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक उपकरणों का रख–रखाव तथा इसकी इन्वेटरी को मेनटेन करना।
- बिजली बचाने तथा संरक्षित करने के लिए जलापूर्ति प्रबंधन एवं विद्युत प्रबंधन।
- नगर निगम जेसे स्थानीय निकायों के साथ सम्पर्क
- वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग संयंत्र का परिचालन

5.0 अनुसंधान एवं विकास परियोजना

5.1 कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त एसएण्डटी परियोजना

5.1.1 कोयला क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) क्रिया–कलापों को सचिव (कोयला) की अध्यक्षता वाली स्थायी वैज्ञानिक अनुसंधान समिति (एसएसआरसी) के जरिए प्रशासित किया जता है। इस शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के अध्यक्ष, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट (सीएमपीडीआई) सिंगरौनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तथा एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, खान सुरक्षा महानिदेशायल (डीजीएमएस) के महानिदेशक, संबंधित वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान (सीएसआईआर) प्रयोगशाला परिषद् के निदेशक, एसएंडटी के विभाग के प्रतिनिधि, नीति आयोग के प्रतिनिधि संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। एसएसआरसी का प्रमुख कार्य अनुसंधान परियोजनाओं की योजना बनाना, कायक्रम एवं बजट तेयार करना और पर्यवेक्षण करना तथा किए गए आरएंडडी कार्यों के निष्कर्ष का अप्लिकेशन माँगना है।

5.1.2 एसएसआरसी की सहायता सीएमडी, सीएमपीडीआई की अध्यक्षता वाली तकनीकी उप–समिति करती है। यह समिति कोयला खानों में उत्पादन उत्पादकता तथा सुरक्षा, कोयला परिष्करण एवं उपयोग, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा पारिस्थितिकी का संरक्षण आदि से संबंधित अनुसंधान प्रस्ताव पर विचार (डील) करती है।

5.1.3 सीएमपीडीआई कोयला क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया–कलापों के समन्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है, जिसमें अनुसंधान कार्यों के लिए दबाव वाले क्षेत्र की पहचान, उन एजेंसियों की पहचान जो चिन्हित क्षेत्र में अनुसंधान कार्य कर सकती है, सरकारी अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की संवीक्षा एवं कार्यवाही, बजट प्राक्कलन की तैयारी, कोष का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मानिटरिंग आदि शामिल हैं।

शुरू की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.3.2017 तक)	.	390
पूरी की गई एसएंडटी परियोजनाओं की कुल संख्या (31.03.2017 तक)	.	320

5.1.4 वर्ष 2016-17 के दौरान भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि

क) भौतिक उपलब्धि

वर्ष 2016–17 के दौरान कोयला एसएंडटी परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :

1.4.2016 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	.	18
एसएसआरसी द्वारा अनुमोदित परियोजनाएँ	.	शून्य*
पूरी की गई परियोजनाएँ	.	06
1.4.2017 को अनुसार जारी परियोजनाएँ	.	12

*15.03.2017 को आयोजित एसएसआरसी की 52वीं बैठक में एक एसएंडटी परियोजना को अनुमोदित किया जा चुका है तथा दो परियोजनाओं को सिद्धान्ततः अनुमोदित कर दिया गया है। स्वीकृति पत्र की प्रतीक्षा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा वित्त प्रदत्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ

1. खुली खदानों में विफलता/ढाल अस्थिरता के पूर्वानुमान करने के लिए अर्ली वार्निंग रडार का स्वदेशी विकास–एसएएमईईआर, मुम्बई, एआरडीईई, पुणे, सीएसआरई, आईआईटी, मुम्बई, सीएमपीडीआई, राँची तथा एनसीएल, सिंगरौली
2. कोयले से अशुद्धता को दूर करने के लिए कोयला वाशरियों में पानी की खपत को अनुकूल बनाने हेतु वाटर नेट वर्क का डिजाइन–आईआईटी रूड़की, सीएमपीडीआई, राँची तथा सीसीएल, राँची।
3 खानों में भूमिगत जल नियंत्रण तथा कन्वेयर प्रणाली का इलेक्ट्रनिकीकरण–एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली तथा एनआईटीटी, तामिलनाडु

*टिप्पणी : 15.03.2017 को आयोजित एसएसआरसी की 52वीं बैठक में एक परियोजना (क्र.सं.–1) को अनुमोदित कर दिया गया है तथा दो परियोजनाओं (क्र.सं. 2 एवं 3) को सिद्धांततः अनुमोदित कर दिया गया है। स्वीकृति–पत्र की प्रतीक्षा है।

वर्ष 2016-17 के दौरान पूरे किए गए कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा एसएंडटी वित्त प्रदत्त एसएंडटी परियोजनाएँ :

1. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेलिरोबोटिक एवं रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास–सीआईएमएफआर, दुर्गापुर, सीआईएमएफआर, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, राँची।
2. कोयला से तरल (सीटीएल) परिवर्तन प्रौद्योगिकी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी उत्प्रेरक का विकास–सीआईएमएफआर, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, राँची
3. नैनो–क्रिस्टलाइन सर्फेस इन्जीनियरिंग ट्रीटमेंट के साथ इरोजन–कोरोजन को रोक कर कोयला/लिग्नाइट खानों में जल निकास पाइप के जीवन अवधि में उन्नयन
4. विस्फोटन डिजाइन एवं विखंडन नियंत्रण की प्रोडक्टिविटी–सीआईएमएफआर, धनबाद
5. रेलवे मेकानिक्स से स्थल पर तत्काल कोयला राख एवं नमी विश्लेषण के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सेम्पलर का डिजाइन एवं विकास सीआईएमएफआर, धनबाद, एससीसीएल, कोथागुंडम तथा मेसर्स प्रणय इन्टरप्राइजेज, हैदराबाद
6. लैब स्केल कोल विनोविंग सिस्टम के विभिन्न पारामीटरों का अनुकूलन (फेज–II) सीआईएमएफआर, नागपुर इकाई–I, नागपुर तथा सीएमपीडीआई, राँची।

ख) वित्तीय स्थिति :

बजट प्रावधान तथा वास्तविक खर्च को नीचे दर्शाया गया है :

(करोड़ ₹. में)

2015 -16		2016 -17	
आर ई	वास्तविक	आर ई	वास्तविक
18.0 (एक्सएनईआर 2.25)	17.59	9.0 (एक्सएनईआर 1:0)	10.38

5.2 कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ :

कोल इंडिया लिमिटेड के घरेलू अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने के लिए अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड की अध्यक्षता में अनुसंधान एवं विकास बोर्ड कार्य कर रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों की प्रोसेसिंग, बजट प्राक्कलन की तैयारी, निधि का वितरण, परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की मॉनीटरिंग आदि के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास आधार बढ़ाने के उद्देश्य से कोल इंडिया बोर्ड ने दिनांक : 24 मार्च, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में शीर्षस्थ समिति तथा कोल इंडिया, अनुसंधान एवं विकास बोर्ड को पर्याप्त अधिकार दिया है। अब शीर्षस्थ समिति सभी परियोजनाओं को एक साथ मिलाकर विचार करते हुए प्रत्येक 5.0 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 25.0 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सीमा तक लागत वाली विशिष्ट अनुसंधान विकास परियोजना को मंजूरी देने में समर्थ है तथा कोल इंडिया आरएंडडी बोर्ड प्रत्येक आरएंडडी कार्य के लिए 50 करोड़ रूपये तक मंजूरी देने में समर्थ है।

अब तक कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड के कोष के अन्तर्गत 79 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी है, जिसमें से 61 परियोजनाएँ मार्च, 2017 तक पूरी की जा चुकी है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया अनुसंधान एवं विकास बोर्ड परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार रही :

1.4.2016 के अनुसार जारी परियोजनाएँ	.	10
सीआईएल के आरएंडडी बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना	.	06
पूरी की गई परियोजनाएँ	.	03
1.4.2017 के अनुसार चालू परियोजनाएँ	.	13

वर्ष 2016-17 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त आरएंडडी परियोजनाएँ:

1. विस्फोटन की घटना को रोकने तथा प्रशमन करने एवं जोखिम आधारित माइन इमरेजेंसी इवैकुएशन तथा रिइन्ट्री प्रोटोकॉल को शामिल कर भारतीय कोयले की विस्फोटन क्षमता के निर्धारण के लिए दिशा–निर्देश का विकास–आईआईटी–आईएसएम, धनबाद, सीआईएमएफआर, धनबाद एसएंडआर डिविजन, सीआईएल(मु), कोलकाता एवं एसआईएमटीएआरएस, आस्ट्रेलिया।
2. बेहतर रिकवरी के लिए कम डाइलुटेड कोयले के साथ बहुस्तरीय परीक्षण विस्फोंटन–आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआई रॉंची। तकनीकी तैयारी–युनिवर्सिटी ऑफ क्वीन्सलैंड, आस्ट्रेलिया।
3. भारत के सिमेंट उद्योग में कोयला तथा पेट कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल पर अध्ययन–आईआईटी–आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, राँची
4. भूमिगत खानों में थ्रू–दि–अर्थ (टीटीई) टूवे व्यायस कम्यूनिकेशन सिस्टम का स्वेदेशी विकास–आईआईटी मुम्बई तथा सीएमपीडीआई, राँची
5. मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की आवश्यकता–सीएमपीडीआई, राँची
6. कोलफील्ड एरिया में सैटेलाइट डाटा का प्रयोग कर क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता मानिटरिंग के मेथॉडोलॉजी का विकास तथा ग्राउन्ड ऑबजर्वेशन–सीएमपीडीआई, राँची तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो, हैदराबाद

वर्ष 2016-17 के दौरान पुरे किये गये कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वित्त प्रदत्त आरएंडडी परियोजना:

1. रेडियोमेट्रिक तकनीक का प्रयोग कर कोल ड्राईबेनिफीशिएशन–सीएमपीडीआई, राँची एवं आर्डी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड, विशाखापट्टनम।
2. रानीगंज की मोटी सीमों में सुरक्षित तरलीकरण के लिए कार्यविधि का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी, ईसीएल में डिजाइन एवं डेवलपमेंट तथा शो केसिंग डिमॉन्स्ट्रेटिव ट्रायल – सीआईएमएफआर, धनबाद एवं ईसीएल, संक्टोरिया।
3. सुरक्षा पर विचार कर शॉवेल डम्पर डम्प के टो तथा ड्रैगलाइन डम्प के टो के बीच की दूरी का अनुमान लगाने के लिए दिशा–निर्देश तथा शॉवेल डम्पर डम्प तथा ड्रैगलाइन डम्प दोनों के किफायती डिजाइन का विकास–बीआईटी, मेसरा, राँची।

वित्तीय स्थिति :

वर्ष 2016–17 के दौरान सीआईएल आरएंडडी परियोजनाओं के लिए 13.66 करोड़ रू. वितरित किया गया है।

5.3 एमओयू 2016-17

सीएमपीडीआई के 2016–17 के एमओयू के अनुसार उत्कृष्ट रेटिंग के लिए ''अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की खानों की पहचान–खुली खानों के लिए इंटीग्रेटेड डम्पर कोलिजन अव्वायडेंस सिस्टम का स्वदेशी विकास'' के लिए 28 फरवरी, 2017 तक ''अनुसंधान एवं विकास'' के तहत एक संभाव्यता रिपोर्ट (चरण–I) पेश

की जानी है। तद्नुसार ''रिप्लिकेशन ऑफ डम्पर कोलिजन अव्वायडेंस सिस्टम (डीसीएस) के लिए कोल इंडिया लिमिटेड में खानों के पहचान'' पर एक तकनीकी रिपार्ट (संभाव्यता रिपोर्ट) टिप्पणी सं. सीएमपीडीआई/आरएंडडी/011 (आरएंडडी)/240/ई 19176, दिनांक 22.2.2017 के अनुसार सौंप दी गई है।

6.0 प्रयोगशाला सेवाएँ :

6.1 रासायनिक प्रयोगशाला

वर्ष 2016–17 के दौरान 20 कोयला क्षेत्रों के 40 गवेषण ब्लॉकों से प्राप्त बोरहोल कोल का गुण निर्धारण किया गया। मार्च 2017 तक कुल 11745 मी. कोल कोर संसाधित किए गए तथा 31075 नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें नार्दर्न खार ब्लॉक मोकोक चुंगजिला नागालैंड (डीजीएम,नागालैंड) से प्राप्त कोयला नमूनों का रासायनिक विश्लेषण किया गया। 34 जीआर के लिए रासायनिक विश्लेषण की मानिटरिंग की गई तथा परिणाम सौंप दी गई।

6.2 कोल पेट्रोग्राफी प्रयोगशाला :

वर्ष 2016–17 के दौरान 20 कोयला क्षेत्रों के 35 गवेषण कैम्पों से प्राप्त बोरहोल कोल कोर का गुण निर्धारण किया गया। मैसरल डिटरमिनेशन तथा रिफ्लेक्टेंस अध्ययन के लिए कुल 710 नमूनों का विश्लेषण किया गया। इसमें वाशरी विभाग, बीसीसीएल से प्राप्त कोयला नमूनों पर किए गए पेट्रोग्राफिक अध्ययन भी शामिल है।

हाल ही में स्थापित स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए माइक्रो–क्लीट अध्ययन के लिए कुल 30 कोयला नमूनों का विश्लेषण किया गया।

6.3 कोयला विनिर्माण (प्रेपरेशन) प्रयोगशाला:

कार्य की आवश्यकता के अनुसार सीएमपी प्रयोगशाला विभिन्न कोयला खानों के कोकिंग तथा गैर–कोकिंग कोल दोनों के लिए धोवन क्षमता विश्लेषण (प्रोक्सिमेंट विश्लेषण, जीसीवी, एचजीआई, कोकिंग गुण सहित) में लगी हुई है। ये विश्लेषण बोर कोर नमूने के साथ–साथ रोम कोल नमूने के लिए किए गए हैं। विवेच्य वर्ष के दौरान किए गए विश्लेषण नीचे दिए गए है :

क) बोर कोर कोल सेम्पल – 51
(सिर्फ धोवन क्षमता अध्ययन)

ख) रोम कोल सेम्पल – 08
(प्रोक्सिमेट विश्लेषण जीसीवी, एचजीआई कोकिंग गुण आदि सहित धोवन क्षमता विष्लेशणद्ध)

6.4 कोलवेड मिथेन (सीबीएम) प्रयोगशाला:

सीएमपीडीआई में स्थापित सीबीएम प्रयोगशाला ने अपनी क्षमता को बढ़ाया है। सीबीएम की प्राप्ति पर डाटा सृजित करने के लिए आटोमेटिक पोरेसी मीटर–सह–पर मीटर (विन्सी टेक्नोलॉजी, फ्रांस) की अतिरिक्त सुविधा में संवर्धन किया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीबीएम प्रयोगशाला ने 8 बोर होलों में सीबीएम स्पेसिफिक डाटा सृजन तथा 5 बोरहोलों में शेल गेस स्पेसिफिक डाटा सृजन का कार्य किया है।

51 कोयला नमूनों के लिए एडजर्पशन आइसोथर्म अध्ययन, 66 शेल नमूनों का टोटल आर्गेनिक कार्बन (टीओसी) जैसे संबंधित अध्ययन किए जा चुके हैं। इसके अलावा, सीसीएल की विभिन्न कोलियरियों से प्राप्त 1232 खान वायू नमूनों तथा एसईसीएल के 39 सर्वे नमूनों का विश्लेषण पूरा कर परिणाम (निष्कर्ष) सौंप दिया गया है।

6.5 खनन प्रयोगशाला सेवाएँ :

रॉक मेकानिक्स/रॉक टेस्टिंग

1. भौतिक यांत्रिक गुण के लिए जाँच 3610 ड्रिल कोर नमूनों की की गई है।
2. सीआईएल तथा गैर सीआईएल के 13 बोर होलों का भौतिक–यांत्रिक गुण के परिणाम पर रिपोर्ट।

संस्तर नियंत्रण अध्ययन :

1. 12 खानों/सीमों के लिए रॉक मास रेटिंग/स्पेसिफिक ग्रेविटी/कैपेब्लिटी अध्ययन पर रिपोर्ट सौंप दी गई।
2. आरएमआर अध्ययन हेतु, स्ट्रेन्थ प्रोपर्टी/स्लेक डयूरेबिलिटी इंडक्स तथा डेन्सिटी के निर्धारण के लिए 21 रूफ रॉक नमूनों की रॉक जाँच
3. सीआईएल की एक खान के लिए धँसान पूर्वानुमान का कार्य किया गया।

7.0 पर्यावरणिक सेवाएँ

7.1 ईआईए/ईएमपी

सीआईएल परियोजनाएँ

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 15 फार्म–1 तथा 22 ड्राफ्ट ईएमपी तैयार किया।

बाहरी परियोजना :

वर्ष 2016–17 के दौरान पर्यावरण विभाग ने कुल 2 ईएमपी तैयार किया।

7.2 वायु, जल तथा ध्वनि का पर्यावरणिक मानिटरिंग :

एमओईएफ द्वारा जब एक बार किसी खनन परियोजनाओं की स्वीकृति दे दी जाती है, तब परिचालन के दौरान परियोजना स्तर पर शुरू किए गए प्रदूषण नियंत्रण उपायों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने के लिए नियमित पर्यावरणिक मॉनिटरिंग करने की जरूरत पड़ती है।

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान आसनसोल, धनबाद, नागपुर, बिलासपुर, भुवनेश्वर, कुसमुण्डा, हसदेव, जयंत तथा राँची स्थित 9 पर्यावरणिक प्रयोगशाला के माध्यम से कोल इंडिया (ईसीएल–95, बीसीसीएल–69, सीसीएल–72, डब्लयूसीएल–86, एसईसीएल–83, एनसीएल–13 तथा एमसीएल–25) का 443 परियोजना/संस्थापन का पर्यावरणिक मॉनीटरिंग किया गया है।

पर्यावरण प्रयोगशाला में जल नमूने का विश्लेषण

सीएमपीडीआई मुख्यालय स्थित पर्यावरण प्रयोगशाला का दृश्य

7.3 ईआईए परामर्शी संगठन के रूप में सीएमपीडीआई को मान्यता

खुली खदान/भूमिगत खनन क्षेत्र, ताप एवं कोयला वाशरी क्षेत्र सहित खनिजों के खनन के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसी) द्वारा सीएमपीडीआई को ईआईए परामर्शदाता संगठन के रूप में पुनः मान्यता दी गई है।

7.4 सीएमपीडीआई पर्यावरण प्रयोगशाला की मान्यता

नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन आफ लेबोरेटरी (एनएबीएल) ने सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं

क्षेत्रीय संस्थान–5 के पर्यावरण प्रयोगशाला को पुनः मान्यता प्रदान कर दी है।

विवेच्य वर्ष के दौरान नेशनल एक्रीडिशन बोर्ड फार टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन आफ लेबोरेटरी (एनएबीएल) ने सर्बिलान्स असेसमेंट किया।

विवेच्य वर्ष के दौरान 5 वर्षों के लिए पर्यावरण प्रयोगशाला सीएमपीडीआई, मुख्यालय ने सीपीसीबी मान्यता प्राप्त की है।

7.5 ओएचएसएएस-18001-2007 के लिए सीएमपीडीआई पर्यावरण प्रयोगशाला का निबंधन

सर्टिफिकेशन इन्टरनेशनल (सीआई) द्वारा पर्यावरण प्रयोगशाला, सीएमपीडीआई, मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान–4 एवं क्षेत्रीय संस्थान–5 को ओएचएसएएस 18001–2007 के निबंधन प्रमाण–पत्र

7.6 कोयला परियोजनाओं के लिए ईटीपी/एसटीपी/एएमडी योजना तैयार की गई।

7.7 विवेच्य वर्ष के दौरान कोयला ब्लॉकों के लिए कोयला मंत्रालय द्वारा भेजे गए 17 माइन क्लोजर प्लान पर त्वरित टिप्पणी तैयार की गई।

7.8 विवेच्य वर्ष के दौरान बीसीसीएल के लिए 7 माइन क्लोजर प्लान तैयार की गई।

7.9 विवेच्य वर्ष के दौरान 28 माइन क्लोजर प्लान स्टैटस रिपोर्ट तैयार की गई।

7.10 माइन क्लोजर प्लान की मानिटरिंग

इस्क्रू अकाउन्ट से प्रतिपूर्ति हेतु 10 खानों के लिए माइन क्लोजर कार्यों की मानिटरिंग की जा चुकी है।

7.11 ढाल स्थायित्व / भू-क्षरण नियंत्रण अधययन/नाला डायवर्सन

खुली खानों के लिए ढाल स्थायित्व की आवश्यकता तथा भू–क्षरण नियंत्रण अध्ययन की आवश्यकता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी की गई पर्यावरण एवं वन स्वीकृति की एक शर्त है। तद्नुसार 8 ढाल स्थायित्व अध्ययन तथा हाईवाल के अल्टिमेट स्लोप एंगल का निर्धारण कार्य पूरे किए गए।

इसके अतिरिक्त कोयला परियोजनाओं के 2 भू–क्षरण नियंत्रण अध्ययन तथा 2 नाला डायवर्सन योजनाएँ पूरी की गई।

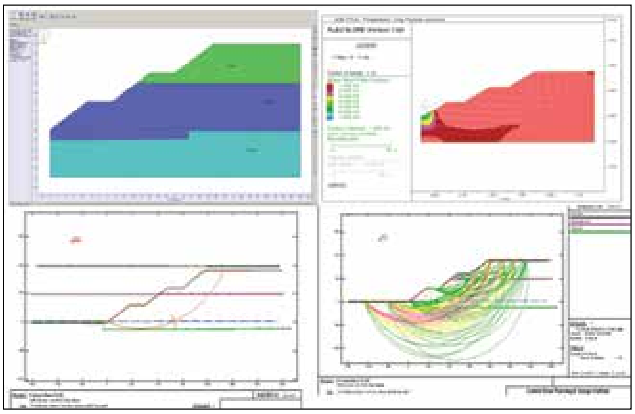

एफ एल ए सी एवं गैलेना का प्रयोग कर ओबी डम्प का टिपिकल स्लोप स्टेबिलिटी विश्लेषण

7.12 संवेदनशील कार्यक्रम

- वर्ष 2016–17 में परियोजनाओं, क्षेत्रों (एरिया) एवं अनुषंगी कंपनियों(मुख्यालय) कर्मियों के बीच मुद्दे को संवेदनशील बनाने के लिए अल्पावधि में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में ''खुली खनन परियोजनाओं में ढाल स्थायित्व विश्लेषण, बचाव एवं मानिटरिंग'' पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
- वर्ष 2016–17 में ई–वेस्ट प्रबंधन तथा ईटीपी एवं एसटीपी के डिजाइन पर वर्कशाप सफलतापूर्वक चलाया गया।

7.13 मोबाइल एप

ग्रीन सीआईएल तथा कोल जल के लिए सहायक कंपनियों से आँकड़ा एकत्र करने हेतु मोबाइल एप के विकास में पर्यावरण विभाग लगा हुआ है।

7.14 एसएण्डटी/विशेष अध्ययन

- पुनरूद्धार किए गए खानों पर उपयुक्त आजीविका कार्य– भारतीय कोयला क्षेत्र में संभव रिप्लिकेशन के लिए प्रौद्योगिकी सक्षम इंटीग्रेड अप्रोच–सीएमपीडीआई, एमसीएल एवं टीईआरआई, नई दिल्ली।
- कोल इंडिया लिमिटेड की परित्यक्त (बंद) क्वॉरियों में मछली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खान जल पर्यावरण का मूल्यांकन तथा उपयुक्त एवं लागत के अनुकूल प्रभावी माइन व्यायड एक्वा इकोसिस्टम का विकास द्वारा सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा बीएयू राँची।
- बीसीसीएल की खानों के लिए सड़क मार्ग से कोयले की ढुलाई को कम कर प्रत्येक प्रदूषण भार में आने वाली कमी की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन।
- बड़ी बारहमासी नदियों से सटी खुली कोयला खदानों में मोनोकोहेसिव ग्रेनुलर स्वायल/सैंड को स्थिर करने के लिए भू–तकनीकी एवं जल–भू–वैज्ञानिक पक्ष से संबंधित अध्ययन–द्वारा सीएमपीडीआई, आरआई–4 एवं आइआईटी, मुम्बई।

7.15 पर्यावरण प्रयोगशाला का स्वचालन (ऑटोमेशन)

प्रयोगशाला के विभिन्न प्रयोगशाला उपकरणों द्वारा तैयार किए गए विश्लेषण आँकड़े को सीधे स्थानांतरित करने के लिए स्वचालन कार्य शुरू किया जा चुका है। इसके परिणामस्वरूप पर्यावरणिक मॉनिटरिंग रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाले समय में कमी आएगी।

7.16 ऑनलाइन वाटर मॉनिटरिंग इक्वीपमेंट प्राप्ति एवं संस्थापन

विवेच्य वर्ष के दौरान प्रयोगशाला विभाग द्वारा एसईसीएल तथा एमसीएल के लिए ऑनलाइन वाटर मॉनिटरिंग उपकरण का विनिर्देशन, प्राप्ति तथा संस्थापन का कार्य किया गया।

7.17 विश्व पर्यावरण दिवस समारोह

5 जून, 2016 को मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया।

सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों के लिए ड्राईंग प्रतियोगिता, क्वीज प्रतियोगिता, वृक्षारोपण कार्यक्रम तथा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बच्चों के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता का आयोजन

8.0 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी

वर्ष 2016–17 के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं :

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा क्षेत्रीय संस्थानों के बीच विडियो कॉफ्रेंसिंग की सुविधा स्थापित कर दी गई है और इसे आँकड़ा संचार (आदान–प्रदान) के लिए सेकेन्डरी कनेक्टीविटी के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है, जिसके द्वारा वाइड एरिया नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार आया है।

2. बीएसएनएल के वर्तमान आईएलएल को 34 एमबीपीएस से बढ़ाकर 100 एमवीपीएस कर दिया गया है। मुख्यालय स्थित बीएसएनएल एमपीएलएस को 10एमबीपीएस से बढ़ाकर 25 एमबीपीएस तथा क्षेत्रीय संस्थानों में 4 एमबीपीएस से 6 एमबीपीएस कर दिया गया है।

3. रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड से 4 (चार) एमबीपीएस इन्टरनेट लीज लाइन (आईएलएल) सेकेंडरी आईएलएल के रूप में स्थापित किया गया है।

4. भारत सरकार के मिशन मोड कार्यक्रम के भाग के रूप में सीएमपीडीआई तथा सभी क्षेत्रीय संस्थानों ई–आफिस सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है। इससे तीव्र संचार द्वारा कार्यालय की दक्षता में सुधार आया है तथा कागज की आवश्यकता कम हो गई है।

5. सीएमपीडीआई को पूरे कोल इंडिया लिमिटेड में ई–आफिस के कार्यान्वयन के समन्वयन का भी कार्य सौंपा गया है। सीएमपीडीआई द्वारा केंद्रीयकृत आधारभूत सुविधा की प्रक्रिया की गई तथा कार्यादेश जारी कर दिया गया है।

6. कोयला मंत्रालय के लिए कोल इंडिया की ओर से मोबाइल एप्प विकसित किया गया है ये लॉंच के स्टेज में हैं।

7. पूरे कोल इंडिया के लिए सीएमपीडीआइ द्वारा विकसित तथा मेनटेन किए गए निम्नलिखित साफ्टवेयर है।

   क) संविदा मजदूर सूचना पोर्टल (क्लीप) विभिन्न अनुषंगियों में संविदा ठेका को रजिस्टर करने वाला।

   ख) वेब सक्षम ऑन लाइन पीएमएस (कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली)– ई–7 तक के अधिकारियों के लिए प्राइड (पीआरआईडीई) तथा ई–7 से ऊपर के अधिकारियों के लिए पीआर।

   ग) कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए मानव संसाधन सूचना प्रणाली का विकास एवं कार्यान्वयन।

   घ) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के लिए विजिलेंस क्लियरेंस सिस्टम/विजिलेंस मॉनिटरिंग सिस्टम को विकसित कर कार्यान्वित किया जा चुका है।

   ङ) वर्ष 2016 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों के लिए वेब सक्षम ऑनलाइन अनुएल पोपर्टी रिटर्न सिस्टम का विकास एवं कार्यान्वयन। इसका विस्तार लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम तक कर दिया गया है।

   च) सीआईएल द्वारा फंड जमा करने के लिए बैंकर्स ऑफर डिपॉजिट आमंत्रित करने सीआईएल को समर्थ बनाने के लिए सीआईएल हेतु एन.के.कार्ड रेट सिस्टम विकसित किया गया है।

   छ) इर्स्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) हेतु लाइन फीड बैक पोर्टल

समझौता संलेख (एमओयू) 2016-17

''तकनीकी उन्नयण'' शीर्ष के अंतर्गत एमओयू 2016–17 के अनुसार सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके दो क्षेत्रीय संस्थानों के बीच उत्कृष्ट रेटिंग के लिए विडियो कॉन्फ्रेसिंग किया गया। इसके मुकाबले सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके 6 क्षेत्रीय संस्थानों के बीच विडियो कान्फ्रेंसिंग व्यवस्था स्थापित की गई है।

8.1 सूचना प्रबंधन प्रणाली

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान सूचना प्रबंधन प्रणाली द्वारा महत्वपूर्ण गतिविधि/कार्य किये गए, जो इस प्रकार है :

1. **सीएमपीडीआई की गृह-पत्रिका ''देशकाल सम्पदा'' का नाम बदल कर इस गृह-पत्रिका का नाम ''गोंदवाना भारती'' कर दिया गया।**

सीएमपीडीआई की गृह–पत्रिका पहले देशकाल सम्पदा के नाम से प्रकाशित की जाती थी। कोयला उद्योग का सम्बद्ध रखने के उद्देश्य से प्रबंधन ने इसका नाम बदल कर ''गोंदवाना भारती'' करने पर सहमति दी। देश के इस क्षेत्र में प्रायः गोंदवाना कोयला सीम पाया जाता है और सीएमपीडीआई मुख्यालय को गोंदवाना पैलेस भी कहा जाता है, इसलिए इस पत्रिका का नाम बदल कर ''गोंदवाना भारती'' कर दिया गया है। इस पत्रिका के अप्रैल–जून, 2016 के अंक से इसे लागू कर दिया गया है।

2. माइनटेक एवं देशकाल सम्पदा/गोंदवाना भारती का प्रकाशन

वर्ष 2016–17 के दौरान उपर्युक्त पत्रिका के छह अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है।

3. पत्रिका का प्रेषण

आंतरिक वितरण के अलावा वर्ष 2016–17 के दौरान कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों (मुख्यालय, एरिया तथा कोलियरी), विभिन्न संस्थानों तथा प्रख्यात संगठनों को लगभग 15000 प्रतियाँ भेजी गई।

4. पुस्तकों का प्रकाशन

वर्ष 2016–17 के दौरान ''अहैंड बुक ऑन कोल पेट्रोग्राफी'' नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया। इसका विमोचन 29.11.2016 को अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया गया।

5. पुस्तकों की बिक्री

पत्र भेज कर कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न सहायक कंपनियों में तकनीकी पुस्तकों के लिए लगातार अनुवर्ती कार्रवाई की गई। अन्य क्रेताओं के अलावा ईसीएल ने 40.000/–रू. (लगभग) मूल्य की पुस्तक खरीदी। विभिन्न कोलफील्डों एवं सहायक कंपनियाँ के मुख्यालय द्वारा पुस्तक खरीद की प्रक्रिया सरल बनाने के लिए कार्यकारी निदेशकों की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों में तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध करा दी गई हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय निदेशक विभिन्न एरिया/कोलियरियों के साथ संपर्क कर रहे हैं। ये तकनीकी पुस्तकें कोयला खनन से जुड़े मध्य स्तर तथा युवा अधिकारियों के लिए तकनीकी ज्ञान अद्यतन करने में सहायक होगी।

6. सामाजिक मीडिया कार्यकलाप

अगस्त, 2016 से विभागाध्यक्ष (आईएमएस) को सोशल मेडिया का नोडल अधिकारी नामित किया गया है। नीचे दिए विस्तृत विवरण के अनुसार ऑफीसियल फेस बुक पेज तथा ट्वीटर हैंडल खोला गया तथा सीएमपीडीआई और सीआईएल के महत्वपूर्ण कार्य को नियमित अपलोड किया जा रहा है। आंतरिक कार्य के अलावा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय, कोयला, नया एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा खान की महत्वपूर्ण जानकारी/उपलब्धि का आदान–प्रदान किया गया।सोसल मिडिया कार्य–कलापों की मंत्रालय द्वारा भी मॉनिटरिंग की जा रही है। सीएमपीडीआई का फेस बुक (https://www.facebook.com/cmpdi) तथा ट्यूटर हैण्डल (http://twiter.com/cmpdi) कार्य–कलाप विद्युत, कोयला, नई एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं खान मंत्रालय के सोसल मिडिया ग्रूप द्वारा समय–समय पर दी गई जानकारी के अनुसार सर्वाधिक सक्रिय क्रिया–कलाप के तहत आता है।

8.2 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान सतर्कता से संबंधित कार्यों एवं उपलब्धियों को नीचे दर्शाया गया :

1. सतर्कता जागरूकता सप्ताह

सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सातो क्षेत्रीय संस्थानों में 31.10.2016 से 5.11.2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। राँची स्थित सीएमपीडीआई, मुख्यालय में श्री शेखर सरन ने सतर्कता की शपथ दिलवाई तथा सीवीओ, सीएमपीडीआई ने उपस्थित व्यक्तिओं का स्वागत किया तथा इस वर्ष का विषय (थीम) '' पब्लिक पार्टिशिपेशन इन प्रोमोटिंग इन्टीग्रेटी एंड इराडिक्शन करप्शन'' पर प्रकाश डाला। सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2016 के दौरान सीएमपीडीआई, मुख्यालय में जो कार्यक्रम चलाए गए उनमें कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता, कर्मचारियों (गैर–अधिकारी) के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता तथा अधिकारियों के क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसके अलावा राँची कॉलेज, राँची के छात्रों के बीच भाषण प्रतियोगिता, नेशनल युनवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, राँची के छात्रों के बीच वाद–विवाद प्रतियोगिता बिरसा उच्च विद्यालय, राँची के छात्रों के लिए आशुभाषण प्रतियोगिता तथा संत फ्रांसिस विद्यालय, राँची के छात्रों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता आदि शामिल है। विक्रेताओं/सीएमपीडीआई के स्टेक होल्डरों के साथ सीवीओ एवं विभागाध्यक्ष(वित्त), सामग्री प्रबंधन, ई–प्राप्ति आदि के द्वारा एक कार्यशाला/ इन्टरेक्शन आयोजित किया गया। 4 नवम्बर, 2016 को अतिथि व्याख्यान आयोजित किया गया जिसमें श्रीमती विस्मिता तेज, आईआरएस एवं पूर्व सीवीओ, सीसीएल द्वारा व्याख्यान दिया गया जिसमें सीएमपीडीआई के 150 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। इनमें उन्होंने ''पब्लिक पार्टिशिपेशन इन प्रोमोटिंग इन्टिग्रिटी एंड इरा डिकेटिंग कॉरप्शन'' पर व्याख्यान दिया।

2. सुरक्षात्मक सतर्कता

सीएमपीडीआई के सतर्कता विभाग ने संविदात्मक जॉब/सामग्री उपलब्धि के क्षेत्र में सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए उन्मुखी है जिससे कि कंपनी को तो परिक्रियात्मक कमी हो और न वित्तीय लैप्स हो। सुरक्षात्मक उपाय सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के इसके संचालित औचक निरीक्षण/जाँच पर आधारित सलाह दी जा रही है। सिस्टम में सुधार निम्नलिखित क्षेत्र की गई है, जो इस प्रकार है :

क) पूरे सीएमपीडीआई ई–ऑफिस का कार्यान्वयन

ख) ऑन लाइन विजिलेंस क्लीयरेंस मॉड्यूल का कार्यान्वयन

ग) एन्यूअल प्रोपर्टी रिटर्न के ऑन लाइन रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन

घ) आउटसोर्स्ड ड्रिलिंग के लिए लॉगिंग डाटा के ऑन लाइन रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन

ड.) ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए ऑन लाइन बिल ट्रेकिंग सिस्टम का कार्यान्वयन

च) कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों के लिए मोबाइल एप्प, विज सीआईएल का विकास

ठीकेदारों को भुगतान, बुक बैलेंस का सत्यापन, पीओएल स्टॉक का सत्यापन, क्षेत्रीय संस्थानों के विभिन्न कैम्पों द्वारा ड्रील किए गए वास्तविक मीटरेज तथा विभिन्न एजेंसियों इत्यादि को दिए आडर सोर्स मीटरेज का सत्यापन जैसे विभिन्न पहलूओं पर सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया गया। सीएचपीएस, सिलो इत्यादि जैसे परियोजना के लिए उचित तैयारी में ड्यू डिजिलेंस हेतु आवश्यता

पर सुरक्षात्मक उपायों के रूप में क्षेत्रीय निदेशकों की उपस्थिति में सभी विभागध्यक्षों के साथ विचार–विमर्श किया गया तथा सभी विभागाध्यक्षों को इस संबंध में दिए गए निर्देशों तथा कंपनी के स्टैन्डर्ड मानकों/प्रोसीडयोरस् को सख्ती से अनुपालन करने की सलाह दी गई। संवेदनशील विभागों की पहचान तथा लम्बे समय तक संवेदनशील पदधारी कार्मिकों के स्थानान्तरण की सलाह सतर्कता विभाग द्वारा दी गई है, जिसे कार्यान्वित किया गया है।

3. सीएमपीडीआई में 10 औचक निरीक्षण 3 सीटीई तथा 40 एपीआर की संवीक्षा (जाँच) की गई है

4. वर्ष 2016-17 में सतर्कता विभाग की गतिविधियों के कारण कंपनी को मौद्रिक लाभवर्ष 2016-17 के दौरान निम्नलिखित बदलाव किए गए जो कंपनी को दीर्घकालिक मौद्रिक लाभ में सहायता तथा पारदर्शिता में वृद्धि करेगा, जो इस प्रकार है :

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय तथा इसके सातो (7) क्षेत्रीय संस्थानों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन
2. ऑन लाइन विजिलेंस क्लीयरेंस मोडयूल का कार्यान्वयन
3. एन्यूअल प्रोपर्टी रिटर्न के ऑन लाइन रिपोर्टिंग का कार्यान्वयन
4. आउट सोर्स ड्रिलिंग के लिए लॉगिंग डाटा के ऑन लाइन का कार्यान्वयन
5. ''फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व'' के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए बिल ट्रेकिंग सिस्टम का कार्यान्वयन

9.0 विशेषीकृत सेवाएँ (स्पेसलाइज्ड सर्विसेज)

9.1 जियोमेटिक्स

जियोमेटिक्स डिविजन, भूमि पुनरूद्धार मानीटरिंग, ओबी मेजरमेंट, वेजीटेशन, कवर मैपिंग, डीजीपीएस सर्वे, लैंडयूज मैपिंग, कोल माइन फायर मैपिंग, टोपोग्राफिकल सर्वे, अंडरग्राउन्ड कोरीलेशन सर्वे इत्यादि के लिए रिमोट सेंसिंग तथा सर्वे के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध कराता है।

9.1.1 रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ओसी माइन्स की मॉनीटरिंग

वर्ष 2008–09 से सीएमपीडीआई में सभी ओपेनकास्ट माइन्स की भूमि पुनरूद्धार मॉनीटरिंग के लिए सेटेलाइट सर्वेलांस इन्ट्रोडयूस किया गया है। वर्ष 2016–17 के दौरान हाई रिज्यूलेशन सेटेलाइट डाटा पर आधारित 5 मिलियन सीयूएम से कम 32 ओसी प्रोजेक्ट प्रोड्यूसिंग तथा 5 सीयूएम मिलियन क्षमता (कोयला+ओबी) अधिक क्षमता वाली 50 ओपेन कास्ट परियोजना के भूमि पुनरूद्धार पूरा कर लिया गया है। विस्तृत क्षमता वाले माइन्स (5 एमसीएम) में भूमि पुनरूद्धार का कार्य वार्षिक आधार पर नियमित रूप से किया जाता है तथा छोटी खानों (5एमसीएम) का 3 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है।

9.1.2 वनस्पति आच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2016–17 के दौरान भू–उपयोग/वनाच्छादन पर कोयला खनन के क्षेत्रीय प्रभाव का पता लगाने के लिए झरिया, विश्रामपुर, वर्धा घाटी, काम्पटी, तालचर और माकुम कोयला क्षेत्रों का अध्ययन किया गया।

9.1.3 परियोजना का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण

पर्यावरण प्रबंधन योजना के लिए प्रतिपादित बेस लाइन सूचना सीसीएल, एमसीएल एवं डब्ल्यूसीएल, 12 परियोजनाओं के कोर तथा बफर जोन का भूमि उपयोग/आच्छादन मानचित्रण का कार्य पूरा कर लिया गया है।

9.1.4 कलस्टर का भू-उपयोग/आच्छादन मानचित्रण

वर्ष 2016–17 के दौरान लैंड यूज पैर्टन की मानीटरिंग के लिए ईसीएल के 12 कलस्टर के कोर और बफर जोन का भू–उपयोग/आच्छादन मानचित्रण पूरा किया गया।

9.1.5 कोल माइन फायर की मॉनीटरिंग

वर्ष 2016–17 के दौरान, वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के थर्मल रिमोट सेंसिंग डाटा पर आधारित झरिया, रानीगंज, कर्णपुरा और बोकारो कोयला क्षेत्र का मॉनीटरिंग किया गया।

9.1.6 ओवीआर माप

सीएमपीडीआई को थर्ड पार्टी एजेंसी के रूप में कोल इंडिया के सभी आउटसोर्सड् पैचों में ओवीआर चेक मेजरमेंट का सौंपा गया है। वर्ष के दौरान मेसर्स एनटीपीसी के पकरी–बरवाडीह की एक खान तथा 184 पैचों में आऊटसोर्सड ओबीआर मेजरमेंट के साथ–साथ सभी अनुषंगी कंपनियों में 43 ओसीपी के विभागीय ओबीआर मेजरमेंट को पूरा किया गया है।

9.1.7 वन बाउण्ड्री का डीजीपीएस सर्वेक्षण

एमओईएफ के नवीनतम दिशा–निर्देश के अनुसार डीजीपीएस का इस्तेमाल करते हुए खनन एवं अन्य उद्योगों के लिए प्राप्त की जाने वाली जमीन पर वन भूमि पर डीजीपीएस सर्वे किया जाना है। और चरण–। के वन स्वीकृति के लए सुपुर्द आवेदन के साथ शेष फाइल सुपुर्द किया जाना है। वन स्वीकृति के लिए 26 कोयला परियोजनाओं (बीसीसीएल में 1, सीसीएल में 8, ईसीएल में 3 एसईसीएल में 13, एनसीएल में 1) में वन भूमि का डीजीपीएस सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।

9.1.8 काडास्ट्रल मानचित्रण और आँकड़ा पर लीज होल्ड बाउन्ड्री एवं ओवरलेईंग का जियो रेक्रेसिंग

छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सभी लीजों के कोल माइन लीज बाउन्ड्री तथा आईबीएम के दिशा–निर्देश के अनुसार उसी तरह के काडस्ट्रल मानचित्रण और सेटेलाइट डाटा पर ओवर लेईंग का जियो रिफ्रेसिंग हेतु एसईसीएल को निर्देश दिया है। विवेच्य वर्ष के दौरान एसईसीएल के माइन लीज होल्ड बाउन्ड्री का जियो रिफ्रेसिंग तथा 3 माइनिंग लीज के लिए डिजीटल काडास्ट्रल मैप एवं एलआईएसएस–4+सीएआरटीओएसएटी–11 सेटेलाइट डाटा पर उसी प्रकार के ओवर लेईंग का कार्य पूरा कर लिया है।

9.1.9 डीजीपीएस सर्वेक्षण :

वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित डीजीपीएस सर्वेक्षण किए गए :

1. मेसर्स जेपीएल पालमा सेक्टर–। एवं ।। में पावर प्लांट, ऐश डाइक, स्टाफ कॉलोनी एवं सीसीपीसी
2. मेसर्स महाजेनको के गारे पालमा सेक्टर–।। कोल बाउन्ड्री का डिमार्केशन
3. मेसर्स महाजेनको के गारे पालमा सेक्टर–।। कोल माइन के क्षेत्र में असर्टेनिंग स्ट्रक्चर
4. गारे–पालमा सेक्टर–। में मेसर्स जीएस : ईसीएल द्वारा चिन्हित स्ट्रक्चर
5. ईसीएल के 7 जियोलॉजिकल ब्लॉक का जियो–रेफ्रेशिंग
6. मेसर्स एनटीपीसी का बनई कोल ब्लॉक के ब्लॉक बाउण्ड्री का डिमार्केशन

9.1.10 ओबी डम्प सर्वेक्षण

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान डमप की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए डम्प स्लोप तथा समस्त हाइट के निर्धारण के लिए सीएमपीडीआई द्वारा नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सभी ओसी कोल माइन्स को ओबी डम्प का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

9.2 विस्फोटन

सीएमपीडीआई ने नियंत्रण विस्फोटन तथा कम्पन अध्ययन, विस्फोटकों एवं इसकी सहायक सामग्रियों के परीक्षण, विखंडन तथा एचईएमएम के लाभकारी उपयोग के क्षेत्र में मूल्य सवंर्धित सेवा देने के लिए तकनीकी विशेषता तथा क्षमता को बढ़ाया है। इसके पास जटिल विस्फोटन की समस्याओं को सुलझाने जैसे नई प्रौद्योगिकी/अवधारणा का समावेशन तथा प्रयोग, कास्ट विस्फोटन, विस्फोटन द्वारा इंडयूस्ड केबिंग, गर्म संस्तर में विस्फोट, संरचनात्मक विघटन आदि में तकनीकी विशेषज्ञता है। इसके अतिरिक्त विस्फोटन डोमेन तथा कोल इंडिया लिमिटेड के आरएंडडी द्वारा वित्त प्रदत्त अनुसंधान विकास/विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को कोयला खानों में उत्पादन, उत्पादकता एवं सुरक्षा में सुधार लाने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

सीएमपीडीआई का विस्फोटन विभाग विस्फोटन एवं विस्फोटकों की जाँच करने के लिए स्टेट–आफ–आर्ट–प्रौद्योगिकी जैसे हाई स्पीड कैमरा, इन–द–होल वीओडी माप के लिए डाटा ट्रैप–।। विप साफ्टवेयर द्वारा विखंडन मूल्यांकन एवं माप, जे.के.सीम ब्लास्ट द्वारा ब्लास्ट सिमुलेशन, हाई सेम्पलिंग वाला हाई फ्रिक्वेंसी आक्सीलो स्कोप से सुसज्जित है।

वर्ष 2016-17 के दौरान दी जा रही तकनीकी सेवाएँ निम्नलिखित हैं :

क) कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनियों के अंदर कार्य

- पूरे वर्ष के दौरान विस्फोटकों (बल्क एक्सप्लोसिब्स नन–परमिटेड लार्ज डायामीटर (एनपीएलडी) एवं परमिटेड स्माल डायामीटर एक्सप्लोसिब्स (पीएसडी) एवं सहायक सामग्रियों (नोनेल), डेटोनेटिंग फ्यूज, एमएस कनेक्टर, कोर्ड रिले, पीईटीएन कास्ट बुस्टर, इमल्सन कास्ट बुस्टर, इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर एवं सीडीडी/सीईडी डेटोनेटर) का रेण्डम सैम्पलिंग और परीक्षण
- 41 खानों के लिए बेंच मार्क पावडर फैक्टर का निर्धारण
- 14 खानों के लिए नियंत्रित विस्फोटन और कम्पन हेतु वैज्ञानिक अध्ययन
- 16 खानों के लिए एसएमई/एसएमएस (साइट मिक्स्ड इमल्शन स्लरी) के इंट्रोडक्शन के लिए वैज्ञानिक अध्ययन

ख) बाहरी परामर्शी कार्य

- विभिन्न उत्पाद निर्माताओं द्वारा नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड के खानों के लिए आपूर्तित विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स आईडीएल के नए विस्फोटकों इमूलकोल 100(पी 1 परमिटेड विस्फोटक) का कार्य–निष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स सीडीईटी ईएक्सपीएल लिमिटेड के नए विस्फोटक इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर ''सी–डीईटीएसीसीयूआरए'' एवं एमएस कनेक्टर''सी–डेट आपट्रा'' का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स एपी एक्सप्लोसिव्स प्राइवेट लिमिटेड न्यू डेटोनेटिंग फ्यूज प्रोडक्ट'' एपीइएक्स डी–कोर्ड–।।'' एवं नन–इलेक्ट्रीक डेटोनेटर ''एपीईएक्सडीईटी का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड के न्यू परमिटेड एक्सप्लोसिब्स'' शक्ति कोल ई–5'' (पी 5 परमिटेड एक्सप्लोसिव) का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स आईडीएल एक्सप्लोसिब्स लि. का न्यू एक्सप्लोसिब्स ईएमयूएलसीओएएल 500 का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन
- मेसर्स आईडीएल एक्सप्लोसिब्स लि. के न्यू एक्सप्लोसिब्स ईएमयूएलसीओएएल 300 (पी 3 परमिटेड एक्सप्लोसिब्स) का कार्यनिष्पादन मूल्यांकन

- ❖ मेसर्स सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का न्यू इलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर'' सोलर इ'डेट'' का कार्य निष्पादन मूल्यांकन
- ❖ मेसर्स रिगेनेसिस इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड का न्यू नन इलेक्ट्रीक डेटोनेटर ''इंद्रा एक्सेल'' का कार्य निष्पादन मूल्यांकन

ग) विशेष कार्य

- ❖ कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों (2017–19) के लिए विस्फोटकों एवं सहायक सामग्रियों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित एनआईटी हेतु तकनीकी विनिर्देशन की तैयारी
- ❖ मकरधोकरा–। ओसीएम, उमरेर क्षेत्र, डब्ल्यूसीएल में डीप होल कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग वैज्ञानिक अध्ययन और हाई स्पीड कैमरा का उपयोग कर फ्लाई रॉक का थ्रो तथा सक्सेसिव शॉट में डिले, डाटा ट्रेप–।। का उपयोग कर कनफाइन्ड वीओडी का निर्धारण
- ❖ कोल इंडिया की खानों में में आपूर्ति किए जाने वाले विस्फोटकों की गुणवत्ता का नियमित मॉनीटरिंग के क्रम में कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों के अधिकारियों (आफिसियल) के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करना (बीसीसीएल : 1 तथा एनसीएल 2) एवं क्षेत्र वर्कशॉप
- ❖ मैन्युफेकचरिंग बल्क एक्सप्लोसिब्स के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड के बीच संयुक्त उद्यम हेतु तकनीकी सहायता
- ❖ कोल इंडिया लिमिटेड के खानों प्रयुक्त होने वाले उत्पाद की गुणवत्ता का पता लगाने के क्रम में नए विस्फोटक उत्पादों के लिए परीक्षण एवं गुणवत्ता की जाँच
- ❖ ''मल्टीपल लेयर ट्रायल ब्लास्टिंग फॉर बेटर रिकवरी विथ लेस डायलूटेड कोल'' नामक एक आरएंडडी परियोजना में उप–कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करना।

9.3 खनन इलेक्ट्रानिक्स

सीएमपीडीआई का इलेक्ट्रानिक्स विभाग भूमिगत तथा खुली खानों के लिए पर्यावरणिक पारामीटरों की टेली मॉनीटरिंग संचार नेटवर्क की स्थापना करने हेतु संभाव्यता रिपोर्ट, विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तथा निविदा दस्तावेज तैयार करने में अपनी सेवाएँ देता है। यह सुरक्षा के लिहाज से भूमिगत खानों में मिथेन गैस संसूचक (डिटेक्टर) की मरम्मती एव अशंशोधन के साथ–साथ आयातित/विदेशी, एचईएमएम कार्डों की मरम्मती में अनुषंगी कंपनियों को मूल्यवान सहायता प्रदान करती है। इस विभाग में खुली खानों तथा भूमिगत खानों के लिए आरएंडडी एवं एसएंडटी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया है।

विवेच्य वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्य पूरे किए गए :

9.3.1 आरएंडडी/एसएंडटी परियोजनाएँ

1. ''आन–लाइन कोल डस्ट सप्रेशन फार ओपेन कास्ट माइन''– अशोका ओपेन कास्ट माइन, सीसीएल पर एसएंडटी परियोजना– सेंसर अंतिम चरण में तथा प्राप्ति जारी है।
2. दुधीचुआ ओसीपी, एनसीएल के लिए ''ओ/सी माइन्स में फेल्योर/स्लोप की अस्थायित्वता का अनुमान करने के लिए अर्ली वार्निंग राडार सिस्टम का स्वदेशी विकास'' पर एसएंडटी परियोजना
3. ''यू/जी खानों के लिए टेली–रोबोटिक्स और रिमोट आपरेशन टेक्नोलॉजी का विकास'' पर एसएंडटी परियोजना– परियोजना सफलतापूर्वक पूर्ण।
4. अरगड्डा यू/जी खान सीसीएल के लिए ''भूमिगत खानों हेतु थ्रु द अर्थ (टीटीई) टू वे संचार प्रणाली का स्वदेशी विकास'' पर

सीआईएल आरएंडडी परियोजना–इनिशियल सिस्टम का डिजाइन कार्य जारी है।

9.3.2 पीएंडडी/एनआईटी/अन्य कार्य

1. ओरिएंट एरिया, एमसीएल के खान संख्या–4 के लिए पर्यावरणिक टेली मॉनीटरिंग प्रणाली हेतु एनआईटी पेश किया जा चुका है।
2. कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों और बाहरी एजेंसियों की 24 परियोजना रिपोर्टों के लिए इलेक्टॉनिक्स एंड टेली कम्यूनिकेशन पर चैप्टर किया जा चुका है।

9.3.3 इलेक्ट्रॉनिक कार्डों/गैस मॉनीटरों की मरम्मती/अंशशोधन/परीक्षण

1. एचईएमएम कार्डों की मरम्मती–217
2. मीथेनोमीटर की मरम्मती एव अंशशोधन–34

9.4 कोयला प्रौद्योगिकी

भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए रूटिन आधार पर गवेषण के चरण में कोयला का सिस्टेमेटिक और विस्तृत गुण–निर्धारण में रासायनिक और पेट्रोग्राफिक प्रयोगशाला लगी हुई है। क्लीन कोल के गुण का पता लगाने के लिए रॉ एवं क्लीन कोल सेम्पल (वाशरी उत्पाद) का सिस्टेमेटिक कैरेकटराइजेशन किया जा रहा है।

रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा प्रोक्सिमेट विश्लेषण, अल्टीमेट विश्लेषण, और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू डिटर्मिनेशन जैसे परीक्षण संपन्न किए गए। कोकिंग कोयला के लिए फ्री स्वेलिंग इंडेक्स, एलटीजी के कोक टाइप और प्लास्टो मीट्रिक जैसे विशेष परीक्षण किए गए। नन–कोकिंग कोयले के लिए ऐश फ्यूजन टेम्परेचर रेंज, डिटरमिनेशन, एचजीआई परीक्षण भी किए गए।

रासायनिक प्रयोगशाला कोक/कोल/लिग्नाइट का प्रोक्सिमेट विश्लेषण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित आटोमेटिक प्रोक्सीमेट एनालाइजर, कोल एवं लिग्नाइट के ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू के निर्धारण के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित आटोमेटिक बम्ब कैलोरीमीटर, कार्बन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सल्फर के निर्धारण के लिए सीएचएनएस अपरेटस, कोयले के ऐश फ्यूजन टेम्परेचर रेंज (आईडीटी, एसटी, एचटी एवं एफटी) के लिए एएफटीआर उपकरण, कोयले के लिए एएफटीआर उपकरण, कोयले की प्लास्टिसिंटि निर्धारण के लिए प्लास्टोमीटर एचजीआई निर्धारण के लिए एचजीआई अपरेटस से सुसज्जित है।

कोयला प्रौद्योगिकी की प्रगति

- सर्फेस कोल गैसीफिकेशन के लिए संभावित कोयला क्षेत्रों/कोयला ब्लॉकों की पहचान तथा कोयला के गुण–निर्धारण और काइनेटिक्स के जरिए पोली जेनरेशन के लिए सर्फेस कोल गैसीफिकेशन के लिए इसकी उपयुक्तता के लिए भारतीय कोयले हेतु डाटा बैंक का सृजन। यह कार्य सीएमपीडीआई एवं इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (आईईएल) द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयले एवं पेट कोक पर अध्ययन आरएंडडी परियोजना के रूप में सीएमपीडीआई आईएसएम धनबाद द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है।
- दानकुनी कोल परिसर, एसईसीएल के रिवाइबल पर टास्क फोर्स रिपोर्ट कोल इंडिया को सौंप दिया गया है।
- 9 कोल यूटिलाइजेशन रिसर्च प्रोजेक्ट की संवीक्षा की जा चुकी है।
- पेट्रोकेमिकल के आयात को कम करने के लिए भारतीय परिदृश्य में पेट्रोकेमिकल हेतु वैकल्पिक फीड स्टॉक के रूप में कोयला प्रौद्योगिकी विभाग टास्क फोर्स को–आर्डिनेटर के रूप में कार्य कर रहा है।

  टास्क फोर्स का गठन केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया गया है। ड्राफ्ट रिपोर्ट का फार्मूलेशन

एडवांस स्टेज में है और जल्दी ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

- नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा गठित कोयले के सर्फेस कोल गैसीफिकेशन पर तकनीकी समिति के एक ग्रुप के सदस्य के रूप में कोयला प्रौद्योगिकी विभाग कार्य कर रहा है। कार्य प्रगति पर है एससीजी पर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए ईआईएल, सीएमपीडीआईएल, बीएचईएल, सीआईएमएफआर एवं अडानी सहित नीति आयोग द्वारा उप–समिति का निर्माण किया गया है।

एनएबीएल मान्यता स्थिति

रासायनिक प्रयोगशाला को इसके परीक्षण पारामीटर जो 14.12.2018 तक वैध है, के लिए एनबीएल मान्यता से नवाजा गया है।

विशेष उपलब्धि

- 'हैंडबुक ऑफ कोल पेट्रोग्राफी' नामक एक किताब का विमोचन अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा किया गया है।
- इस प्रयोगशाला के तीन पेट्रोग्राफर्स को कोल और आरगेनिक पेट्रोलॉजी (आईसीसीओपी) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कमिटि द्वारा मान्यता दी गई है। यह सर्टिफिकेशन सीएमपीडीआई के पेट्रोग्राफर्स को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी प्रकार की पेट्रोग्राफिक विश्लेषण को करने के लिए क्वालिफाइ करता है। इस प्रयोगशाला के सभी चार पेट्रोग्राफर्स को आईसीसीओपी द्वारा मान्यता दी गई है।

9.5 प्रबंधन प्रणाली परामर्शी सेवाएँ

सीएमपीडीआई ने वर्षों से विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों जैसे आईएसओ 9001 क्वालिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 14001 पर्यावरणिक प्रबंधन प्रणाली, ओएचएसएएस 18001 ओक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 27001 इन्फारमेंशन सिक्यूरिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आईएसओ 50001 इनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, एसए 8000 सोशल एकाउंटेबिलिटि मैनेजमेंट सिस्टम, आइएसओ 17025 टेस्टिंग एवं कैलिब्रेशन प्रयोगशालाओं की कंपीटेंश के लिए आवश्यकता के प्रमाणन में सहायता के लिए परामर्शी के क्षेत्र में अपनी क्षमता का विस्तार किया है।

सीएमपीडीआई डिजाइन और कार्यान्वयन या इडीविजुअल प्रबंधन प्रणाली अथवा समेकित प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) विभिन्न प्रबंधन प्रणाली मानक के लिए सिमुल्टेनीयसली कंफर्मिंग, प्रबंधन प्रणाली के सृजन और प्रलेखन को सुविधाजनक बनाना, प्रशिक्षण देना, आरंभिक कार्यान्वयन, सर्टिफिकेशन ऑडिट के दौरान सहायता और पोस्ट सर्टिफिकेशन सपोर्ट एसेसमेंट आदि के जरिए परामर्शी सेवाएँ देता है।

आज की तिथि के अनुसार एमसीएल एवं एनसीएल को कंपनीवार उनके समेकित प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित किया गया है। सीएमपीडीआई नए आईएसओ 9001:2015 मानक के लिए प्रमाणित है। कोल इंडिया लिमिटेड आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 50001 के लिए प्रमाणित है। कोल इंडिया लिमिटेड की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों के 32 प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की गई है। कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियों के शेष लगभग 56 विभिन्न ईकाइयों को 9001 आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001 एवं आईएसओ 27001 से प्रमाणित किया गया है।

2016-17 के दौरान

एक परामर्शक होने के कारण ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जरिए कोल इंडिया लिमिटेड, मुख्यालय, कोलकाता के आईएसओ 9001, एवं आईएसओ 50001 प्रमाणन के अचीवमेंट में सीएमपीडीआई इंस्ट्रुमेंटल था। उपर्युक्त दो मानकों के सफलतापूर्व प्रमाणन के लिए उपर्युक्त वर्णित सभी आवश्यक सहायता और दिशा–निर्देश उपलबध कराए गए थे।

वर्ष के दौरान, सीएमपीडीआई अपने सातों क्षेत्रीय संस्थानों सहित अपने सभी उत्पाद और सेवाओं

के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से नई आईएसओ 9001 : 2015 मानक का लाइसेंस प्राप्त किया है।

विवेच्य वर्ष के दौरान सीएमपीडीआई आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 तथा ओएचएसएएस 18001 मानकों को साथ ही साथ संपुष्ट करते हुए कंपनीवार समेकित प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहा है। डब्लयूसीएल के लिए आईएमएस मैनुअल को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड के अनुसार अपग्रेड किया है। समेकित प्रबंधन प्रणाली के कंपनीवार प्रमाणन के लिए प्रमाणन बॉडी के चयन में विशेष दिशा–निर्देश भी मुहैया कराया है। मानकों के जेनरल अवेयरनेस तथा इंटरनल ऑडिटिंग स्कील के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई तथा एसटीसी, सीएमपीडीआई में विभिन्न कार्यक्रम के अलावे कोल इंडिया मुख्यालय, एमसीएल, एनसीएल और ईसीएल में आयोजित किए गए।

2017-18 के लिए योजनाएँ

- दो अन्य मानकों के कार्यान्वयन, सीएमपीडीआई, मुख्यालय के लिए आईएसओ 14001 एवं आईएसओ 50001 की शुरूआत की जाएगी तथा प्रमाणन मार्च, 2018 तक अनुमानित है।
- कोल इंडिया मुख्यालय राजरहाट, कोलकाता में आईएसओ 14001 (ईएमएस) के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी कार्य दिसम्बर, 2017 में पूरा किया जाएगा।
- हमारी अनुषंगी कंपनी एमसीएल में संशोधित मानक के अनुसार समेकित प्रबंधन प्रमाणन के प्रलेखन एवं कार्यान्वयन को शुरू कर दिया गया है और संभवतः 2017–18 में संपन्न होने की संभावना है।
- ईसीएल का प्रमाणन (समेकित प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 9001, आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001) 2017–18 के प्रथम तिमाही में होना अनुमानित है। ओल्ड वर्सन से नवीनतम वर्सन में मानकों का बदलाव इसके बाद शुरू किया जाएगा।

10.0 सामग्री प्रबंधन

क) सामग्री प्रबंधन से सम्बन्धित कार्य-निष्पादन संक्षिप्त रूप में नीचे दिया जा रहा है।

क्र. सं.	विवरण	कुल मूल्य (लाख रू.में) 2015–16	कुल मूल्य (लाख रू.में) 2016–17
1	दिया गया अपूर्ति आदेश का कुल मूल्य	5397.52	2885.38
2	कैपिटल गुड्स के लिए आपूर्ति आदेश का मूल्य	4062.49	1439.39
3	पूंजीगत बजट का उपयोग	3621.00	4071.71
4	निपटान	109.76	53.40

ख) विशेष क्रिया-कलाप/उपलब्धि

1. निविदा की प्रक्रिया : कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा ई प्रोक्योरमेंट की दिशा–निदेश के अनुसार सीआईएल–एनआईसी पोर्टल पर आन–लाइन डाक बोली सामानों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। रिवर्स बिडिंग के लिए प्रावधान के साथ 1.00 करोड़ रू. और इससे अधिक मूल्य के निविदाओं को जारी किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रिवर्स ऑक्सन प्रक्रिया के दौरान प्रतिस्पर्धि बिडिंग के कारण ई–टेंडर की तुलना में आरंभिक कोटेट लोवेस्ट प्राइस के रिडक्शन में कमी आई है।

2. आगमेंट एक्सप्लोरेशन और जियोफिजिकल सर्वेक्षण के लिए हाई–टेक उपकरण की प्राप्ति :

   क). रेफरेंस के तहत विवेच्य अवधि के दौरान सीआईपी आधार (स्थल पर डिलीवरी) 600 लाख रू. लागत वाले हाई–टेक सिस्मिक वाइब्रेटर्स की प्राप्ति के लिए एक कंट्रेक्ट को अंतिम रूप दिया जा चुका है, जो अगस्त, 2017 तक आपूर्तित किए

जाने की संभावना है। अग्रिम में कोयला ब्लॉक के जियोफिजिकल प्रोफाइल की उपलब्धता को लीड के साथ–साथ डीपर हॉरिजोन (1000 मीटर की गहराई तक) का आगमेंट एचआरएसएस सर्वेक्षण हेतु इस मशीन की डिप्लायमेंट की संभावना है, जो गवेषण के ड्रिलिंग प्वाईंट के प्रेसाइज लोकलाइजेशन तथा वेधन संचालन में अनिश्चितता को मिनीमाइज करेगा एवं गवेषण की कुल लागत में कमी आएगी।

ख). सीएमपीडीआई 2 डी–एचआरएसएस सर्वेक्षण को विस्तार दे रहा है और 3 डी सिस्मिक सर्वेक्षण में वेंचर के लिए योजना बना रहा है। साफ्टवेयर एवं हार्डवेयर (यदि आवश्यक हो) के कुछ मोडयूल को जोड़ने के लिए एक विकल्प के साथ नवीनतम सिस्मिक डाटा प्रोसेसिंग एवं इनटरप्रेसन हेतु रिक्वायरमेंट प्राप्त कर लिया गया, ताकि समान साफ्टवेयर को 3डी सिस्मिक डाटा प्रोसेसिंग एवं इटरप्रेटेशन का उपयोग किया जा सके। 1,33,52,572.75 रू. आकलित लागत अद्यतन एवं सहायक सेवा करार के साथ इन्टरप्रटेशन सॉफ्टवेयर और 2डी सिस्मिक डाटा प्रोसेसिंग के 2 लाइसेंसों की आपूर्ति के लिए, रिवर्स बाइण्डिंग हेतु प्रावधान सहित ग्लोंबल ई–टेंडर के लिए एक करार को अंतिम रूप दिया जा चुका है। साफ्टवेयर की आपूर्ति मई, 2017 तक किए जाने की संभावना है। सिस्मिक वाइब्रेटर के साथ–साथ हाल ही में प्राप्त नवीनतम 2डी सिस्मोंग्राफ (मेक : डीएमटी) के सार्थक उपयोग में वृद्धि की संभावना इस साफ्टवेयर के उपयोग से है।

ग). परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला संबंधी उपकरण की प्राप्ति : एसएंडटी विभाग के लिए 22 लाख रू. लागत वाली वीओडी मेजरिंग डिवाइस के साथ–साथ 6 डिजीटल टाइमर/डिले टाइमर और 4 वीओडी मीटर प्राप्त किए गए ताकि परीक्षण के जरिए रेवेन्यू (आय) को बढ़ाया जा सके। कोल टेक्नोलॉजी और प्रयोगशाला को आधुनिकीकरण की आवश्यकता वाले उपकरण प्राप्त किए गए जो सीएमपीडीआई के रासायनिक प्रयोगशाला को एनएबीएल प्राप्त करने में सहायता करेगा या सहूलियत होगी। पर्यावरण विभाग के लिए अन्य उपकरण भी प्राप्त कर लिए गए जो विभाग के कार्य को मजबूती प्रदान करेगा।

10.1 ई-प्रोक्योरमेंट एवं करार प्रबंधन

वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान उपलब्धि

1. कोल इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 08.01.2016 के आदेश में निदेश दिया है कि 1.00 करोड़ और अधिक के मूल्य वाले सभी टेंडरों का कार्यान्वयन रिवर्स ऑक्सन के जरिए किया जाना चाहिए। सीएमपीडीआई कोल इंडिया की पहली कंपनी है, जिसने दिनांक : 05.02.2016 को सिक्युरिटी गार्डों को किराए पर लेने संबंधी निविदा प्रकाशित किया है। साथ ही साथ सभी टेंडर इनवाइटिंग आर्थोरिटि को रिवर्स ऑक्सन की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया एवं 1.00 करोड़ रू. एवं अधिक मूल्य वाले सभी निविदाओं में रिवर्स ऑक्सन का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान 412 टेंडर ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर प्रकाशित किया गया, जिसमें से 32 टेंडरों में रिवर्स ऑक्सन की प्रक्रिया अपनायी गई।
2. कोल इंडिया द्वारा ईएमडी की प्राप्ति, रिफंड, रिकैसिलेशन की ऑफ लाइन प्रक्रिया को दिनांकः 29.07.2016 के अपने आदेश द्वारा रोक दिया गया और यह निर्देश दिया कि ईएमडी को केवल ऑन लाइन मोड में ही

लिया जाना चाहिए। कोल इंडिया और इसकी अनुषंगी कंपनियों द्वारा बनाए गए सेंट्रल पूल एकाउन्ट में एनईएफटी/आरटीजीएस या नेट बैंकिंग के जरिए एक्सिस बैंक के माध्यम से ईएमडी की प्राप्ति हो। किसी भी निविदा के बिड का रिजेक्सन और फाइनलाइजेसन पर ईएमडी के रिजेक्टेड/असफल बिडरों को उनके एकाउन्ट में स्वतः रिफंड हो जाए और सफल बिडर के ईएमडी को कोल इंडिया/अनुषंगी कंपनियों के संबंधित डिजिनेटेड एकाउन्ट में ट्रांसफर हो जाए। ऐसे मामले जहाँ डेजीगनेटेड एकाउन्ट एक्सिस बैंक में हो, वहाँ रिकनसिलिएशन में कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक लेन–देन की पहचान रेमिटरिफ्रेंस नम्बर के जरिए हो सकेगी जो डेस्टीनेशन अकाउन्ट के साथ–साथ पूल एकाउन्ट के विवरण में दर्ज होगा। यद्यपि ऐसे मामले जहाँ डेस्टीनेशन एकाउन्ट एक्सिस बैंक से अलग हो तो ईएमडी का हस्तांतरण बिना किसी ओडंटीफिएबल रेफरेंस के हो रहा था, जो लेन–देन की राशि को रिकनसाइल करने में वित्त विभाग को कैश रिसिप्ट जारी करने में परेशानी होगी। मामले को कोल इंडिया लिमिटेड और एक्सिस बेंक में उठाया गया था और ई–पीएंडसीएम डिवीजन द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया था। हमारे द्वारा बताए गए सुझाव को अपनाया गया तथा तद्नुसार सिस्टम जेनरेटेड मेल एलर्ट फायनांस पर्सोनल द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, जो सफल बिडरों के ईएमडी और नकद प्राप्ति की रसीद से संबंधित लेनदेन की पहचान में सक्षम हो रहा है। वर्तमान में इस सिस्टम सभी अनुषंगी कंपनियों/एरिया जहाँ एक्सिस बैंक के अलावे अन्य डेजिगनेटेड बैंक हो, का पालन किया जा रहा है।

3. सीएमपीडीआई के लिए नीतिगत व्यवसाय योजना, अप्रत्यक्ष कर, यूसीजी के विकास के लिए मॉडल कांट्रेक्ट डाक्यूमेंट एवं उसके विकास आदि जैसे परामर्शकों को किराए पर लेने जैसे कुछ निविदाओं को वैसे प्राइस बिड को खोलने से पहले जो कोल इंडिया लि. के ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के वर्तमान फार्म में संभव नहीं था, उसे मूल्यांकित करने की आवश्यकता है। इस पर कोल इंडिया लिमिटेड के साथ विचार–विमर्श किया गया और इस प्रकार के टेंन्डरों को डिफरेंट आर्गेनाइजेशनल चेन के साथ क्रिटिकल टेंडर्स के तहत टेंडर का अन्य मोड को स्वीकार किया गया। कम्वाइन्ड क्वालिटि–कम–कोस्ट आधारित सिस्टम पर ई–प्रोक्योरमेंट के ऐसे प्रकार को अब तक केवल सीएमपीडीआई द्वारा ही किया जा रहा है।

4. कंपनी की विशेष जरूरत के अनुसार बीओक्यू के न्यूवर्सन (वर्सन–3) के अनुसार पीसी और इसके पेरिफेरियलस, साफ्टवेयर, पैसेन्जर लिफ्ट, डीजी सेट, इलेक्ट्रोनिक टोटल स्टेशन, प्लॉटरर्स और स्कैनर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के मशीनी उपकरणों की प्राप्ति के लिए वर्तमान तकनीकी टेम्पलेट और बीओक्यू को कस्टमाइज्ड किया गया है। मूल्यों के मूल्यांकन के लिए प्रणाली को सक्षमकरने हेतु कस्टमाइजेशन किया गया, जिसमें कम्प्रहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कंट्रेक्ट बाय बैक और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के जरिए एनपीवी की गणना भी शामिल है। इससे उनके कोट पर आधारित फर्म की स्थिति सहित सिस्टम जेनरेटेड कम्प्रेहेंसिव स्टेटमेंट की तैयारी में सुविधा होगी।

इसके अतिरिक्त, सीक्यूसीसीबीएस पर कंसल्टेंट को किराए पर लेने तथा सीसीएल एवं एनसीएल में यूएवी लगाने के लिए टीपीएस और बीओक्यू तैयार किया जा चुका है।

11.0 मानव संसाधन विकास

वर्ष 2016–17 के दौरान, सीएमपीडीआई कर्मचारियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में एक्सपोजर दिया गयाः

प्रमुख क्षेत्र	कर्मचारियों की कुल संख्या
विदेशी प्रशिक्षण	2
बाह्य प्रशिक्षण	432
घरेलू तकनीकी प्रशिक्षण	1346
कोल इंडिया के एमटी के लिए तकनीकी दक्षता विकास कार्यक्रम	380
अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड कर्मचारियों के लिए पाँच या अधिक अवधि का प्रशिक्षण	116
आईआईसीएम प्रशिक्षण	207
कान्फ्रेस / सेमिनार / वर्कशाप	205
अप्रैंटिस अधिनियम 1961 के तहत बीओपीटी	23
इंटरशिप प्रशिक्षण	235
कुल	**2946**

हमारे अधिकारियों के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विशेष एक्सपोजर दिया गया :

विदेश में प्रशिक्षण

वर्ष 2016–17 के दौरान सेमिनार / कॉन्फ्रेस / ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए सीएमपीडीआई के दो अधिकारियों ने विदेशों का दौरान किया।

बाह्य प्रशिक्षण

प्रत्येक वर्ष अधिकारियों का प्रशिक्षण, कॉफ्रेंस, वर्कशाप, सिम्पोजियम आदि अटैंड (भाग लेने) करने के लिए विभिन्न संस्थानों / जगहों पर भेजा जा रहा है। इस वर्ष भारत के विभिन्न जगहों में कार्यक्रमों में 432 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया है। नामांकन सामान्यतः मुख्यालय के विभागाध्यक्ष / क्षेत्रीय संस्थानों के क्षेत्रीय निदेशक करते हैं और कंपनी की आवश्यकतानुसार अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक / निदेशक इसका अनुमोदन करते हैं।

आईआईसीएम में प्रशिक्षण

प्रत्येक वर्ष एचआरडी डिवीजन आईआईसीएम के कैलेण्डर कार्यक्रम के अनुसार प्रशिक्षण बहुत सारे वरीय और मिडिल स्तर के अधिकारियों के लिए आयोजित करता है। कंपनी एवं कस्टमर की जरूरत की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय निदेशकों की अनुशंसा के अनुसार नामांकन किया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान 207 अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

स्टाफ प्रशिक्षण कॉलेज (एसटीसी) में प्रशिक्षण

क) प्रशिक्षण एवं विकास कर्मचारियों की वृद्धि का इंटीगरल भाग है। इसी लिए सीएमपीडीआई में पूरे वर्ष के दौरान उनके हालिस्टिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए पहले ही प्रयास किए जा चुके हैं।इस संबंध में 2016–17 के दौरान 700 कर्मचारियों के लक्ष्य की तुलना में कुल 1346 को विभिन्न तकनीकी विषयों में प्रशिक्षित किया गया जो आवश्यकता आधारित और कस्टमाइज्ड भी है।

ख) वर्ष 2016–17 के लिए विभिन्न डिसीप्लीन के कोल इंडिया के 380 प्रशिक्षुओं के लिए तकनीकी दक्षता विकास कार्यक्रम सम्पन्न किया गया।

सीएमपीडीआई वर्ष 2016–17 के दौरान डिजिटल पेमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, उत्पादकता में वृद्धि तथा स्ट्रेस मैनेजमेंट आदि जैसे विभिन्न विषयों पर कॉन्फ्रेसेज, सेमिनारों और वर्कशाप आयोजित करने में भी प्रभावशाली रहा है।

विभिन्न संस्थाओं के छात्रों के लिए सीएमपीडीआई में इंटर्नशिप प्रशिक्षण

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार विभिन्न संगठनों के छात्रों को प्रशिक्षण सीएमपीडीआई के विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों और मुख्यालय में एचआरडी अनुभाग द्वारा कराया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई में कुल 235 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। छात्र यह प्रशिक्षण / प्रोजेक्ट 1 से 2 महीनों के लिए करते हैं। प्रशिक्षण / प्रोजेक्ट की समाप्ति पर एचआरडी डिविजन प्रशिक्षण / प्रोजेक्ट की सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण–पत्र जारी करता है।

बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (बीओपीटी)

अप्रैंटिस अधिनियम 1961 के तहत पूर्वी क्षेत्र के बीओपीटी के तहत समय–समय पर सीएमपीडीआई में एक वर्ष का अप्रैंटिसशिप प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई को अप्रैंटिस अधिनियम 1931 के तहत अप्रैंटिस प्रशिक्षण के लिए 29 उम्मीदवारों को आवंटित किया गया, जिसमें से 23 को अप्रैंटिस प्रशिक्षण दिया गया और यह स्कील डेवलपमेंट मिशन इंडिया स्कीम के तहत किया गया। बीओपीटी से आवंटित सभी 23 उम्मीदवारों को विभिन्न ड्रिलिंग कैम्पों में प्रति नियुक्त किया गया है।

स्कील डेवलपमेंट

स्किल डेवलपमेंट मिशन योजना के तहत सीएमपीडीआई ने मुख्यालय और विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में पदस्थापित कैट– I, II, III में 1136 अनस्किल्ड एवं सेमी स्किल्ड कर्मचारियों को चिन्हित किया है। कोल इंडिया के विजन 2020 डाक्यूमेंट के अनुसरण में 2016–17 से 2019–20 तक 4 वर्षों की अवधि में उपर्युक्त को बाँटा गया है।

एचआर विजन 2020

मेंटोर एवं मेंटी योजना	कुल मेन्टोर 22 कुल मेंटीस 53
क्वालिटि सर्कल	क्यूसी फॉर्म में कार्य शुरू किया जा चुका है।
कर्मचारी सुझाव योजना	स्थापित किए गए सुझाव बाक्स के जरिए कर्मचारियों से कर्मचारियों के सुझाव और फीड बैक नियमित रूप से लिए जा रहे हैं।
नॉलेज प्रबंधन योजना	कंटेमपोरेरी टॉपिक्स पर उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयों पर वर्कशॉप/सेमीनार आयोजित किए गए

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	निपटाए गए कुल आवेदनों की संख्या	शेष आवेदन	प्रथम अपील में प्राप्त कुल आवेदन की सुख्या	निपटाए गए प्रथम आवेदन	प्राप्त सीआईसी आवेदन (द्वितीय अपील)	निपटाए गए सीआईसी (द्वितीय अपील)
197	185	12	12	11	3	3

सीपीजीआरएएम के तहत शिकायत निवारण

विवेच्य वर्ष 2016–17 के दौरान सीपीजीआरएएम के तहत कुल 54 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी का निपटारा कर दिया गया। शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) ने नियमित बैठक करने की विशेष पहल की है आवेदकों की संतुष्टि को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर विशेष प्रकार की शिकायत का परीक्षण, विश्लेषण किया जाता है और उसे निपटाया जाता है इस संबंध में यहाँ तक पर्सनल हियरिंग में शिकायत को निपटाना सुनिश्चित किया गया है।

12.0 कोल इंडिया लिमिटेड से बाहर परामर्श

वर्ष 2016–17 के दौरान कोल इंडिया से बाहर के 26 संगठनों के लिए 35 परामर्शी कार्य पूरे किए गए। कुछ प्रमुख ग्राहक/संगठन जिनका कार्य पूरा किया गया वे निम्नलिखित हैं : नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एनएमडीसी), एमओआईएल लिमिटेड, महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लिमिटेड (महाजेनको), टाटा स्टील, दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), स्टील आर्थरिटि ऑफ इंडिया लि.(सेल), वेस्ट बंगाल पावर डेवलॉपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूवीडीडीसीएल), छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जेनरेशन को. लि. (सीएसपीजी सीएल), यूरेनियम कारपोरेशन इंडिया लि. (यूसील)वर्तमान में ओसीपीएल, एनएमडीसी, नाल्को, एनटीपीसी लि., महाजेनको, सेल, उड़ीसा खनन कारपोरेशन (ओएमसी), पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल), गुजरात स्टेट इलेक्ट्रीसिटि कॉरपोरेशन लिमिटेड (जीएसईसीएल) आदि जेसे 19 संगठनों के लए 25 बाहरी परामर्श कार्य हाथ में है।

वर्ष 2016–17 के दौरान 29 संगठनों से 141. 38 करोड़ रू. लागत वाली 43 बाहय परामर्शी कार्य सीएमपीडीआई द्वारा प्राप्त किए गए। यह सीएमपीडीआई द्वारा एक वर्ष में प्राप्त किए गए सर्वाधिक मूल्य वाला कार्य है।

"मेसर्स आईसीवीएल के बेंगा कोल प्रोजेक्ट के लिए मोजाम्बिक के टेटे प्रोविंस में संभाव्यता अध्ययन की तैयारी के लिए परामर्शी कार्य" नामक एक ओवरसीज असाइनमेंट एनएमडीसी से भी प्राप्त किया गया है।

एमओयू - 2016-17

एमओयू–2016–17 के अनुसार कोल इंडिया से बाह्य के बिजनेस में 2015–16 से कम से कम 5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो ''एक्सीलेंट'' रेटिंग में सहायक हुई। बिते 2015–16 के विरूद्ध 2016–17 के दौरान 129% की वृद्धि दर्ज किया गया है।

13.0 श्रमशक्ति एवं कल्याण क्रिया-कलाप

13.1 श्रमशक्ति की स्थिति

विवरण		31 मार्च, 2016 के अनुसार	31 मार्च, 2017 के अनुसार
अधिकारी		913	917
गैर अधिकारी	मंथली रेटेड	1276	1201
	डेली रेटेड	1433	1380
सकल योग		**3622**	**3498**

13.2 कल्याण संबंधी गतिविधियाँ

1. सीएमपीडीआई, मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थानों के पास 1962 क्वार्टर हैं।
2. सीएमपीडीआई के कार्मिकों के लिए पेय जल की पर्याप्त आपूर्ति उपलबध कराई गई है।
3. सभी कर्मिकों एवं उनके आश्रितों को कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनियों में संचालित हॉस्पिटलों तथा इसकी डिस्पेंसरियों के माध्यम से चिकित्सा–सुविधा उपलबध कराई जाती है।
4. सीएमपीडीआई ने डीएबी पब्लिक स्कूल, गांधी नगर को 1.00 लाख रू. की वित्तीय सहायता/अनुदान उपलब्ध कराई है।
5. कार्मिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए किराये के छोटे बाहनों सहित 31 स्कूल बसें की व्यवस्था की गई है।
6. सीएमपीडीआई के कर्मचारियों के वैसे बच्चे को जिन्होंने 2016 में आयोजित 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किया है को नकद राशि पुरस्कार में दी गई।
7. कर्मचारियों को सेवा–निवृत्ति के अवसर पर उन्हें ग्रेच्यूटी का चेक दिया जा रहा है।
8. सीएमपीडीआई के सभी कर्मचारी बैंक के माध्यम से वेतन प्राप्त कर रहे हैं
9. सावन मिलन आयोजित करने के लिए कस्तुरी महिला सभा को 27,500 रू. (सताइस हजार पाँच सौ रू.) का अनुदान दिया गया।
10. दिनांकः 14.04.2016 को सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में 125वीं अम्बेदकर जयंती मनाई गई।
11. नये वर्ष का समारोह मनाने के लिए रिक्रियेशन क्लब तथा गोंदवाना क्लब प्रत्येक को 33000/–रू. (तैतीस हजार रू.) का अनुदान दिया गया।
12. रिक्रियेशन क्लब को चार कैरम बोर्ड तथा एक टेबुल टेनिस बोर्ड उपलब्ध कराया गया।
13. कंपनी के गाइड लाइन के अनुसार कर्मचारियों के 08 बच्चों को रू. 23,400/– (तेइस हजार चार सौ रू.) का कोल इंडिया मैरिट स्कॉलरशिप दिया गया तथा कर्मचारियों के 96 बच्चों को रू. 1,07,520/– (एक लाख, सात हजार पाँच सौ बीस रू.) का कोल इंडिया जेनरल स्कॉलरशिप दिया गया।
14. वर्तमान गाइड लाइन के अनुसार एनआईटी/आईआईटी/मेडिकल/सरकारी कॉलेजों में अध्ययन कर रहे कर्मचारियों के बच्चे को 7,83,449.00/– रू. (सात लाख तेरासी हजार चार सौ उनचास रू.) दिया गया।
15. सीएमपीडीआई ने कर्मचारियों के बच्चों के लिए समर कोचिंग कैम्प का आयोजन किया।
16. 31.10.2016 से 5.11.2016 तक सीएमपीडीआई में राष्ट्रीय एकता सप्ताह मनाया गया।
17. 1 मई से 15 मई, 2016 तक तथा 1 नवम्बर से 5.11.2016 तक स्वच्छता पखवाड़ा सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची तथा सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थानों में मनाया गया।
18. 1–15 सितम्बर, 2016 और 1–15 नवम्बर, 2016 तक गोंदवाना प्राइमरी स्कूल तथा बिरसा हाई स्कूल हथियागोंदा में स्वच्छता अभियान चलाया गया।
19. 25.11.2016 को सीएमपीडीआई में साम्प्रदायिक सद्भाव मनाया गया।

13.3 खेल-कूद से संबंधित क्रिया-कलाप

1. सीएमपीडीआई ने दिनांक : 22.12.2016 से 24.12.2016 तक कोल इंडिया अंतर–कंपनी कैरम टूर्नामेंट 2016–17 की मेजबानी की

2. सीएमपीडीआई ने बेड मिंटन, टीटी, कैरम, चेस, अथेलेटिक मीट, फुटबॉल, वॉलीबाल, ब्रिज तथा लॉन टेनिस के लिए अंतर–क्षेत्रीय संस्थान टूर्नामेंट का आयोजन किया।

3. सीएमपीडीआई, मुख्यालय में 15 अगस्त, 2016 को अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक–XI तथा निदेशक–XI के बीच फ्रेंडली फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया।

4. सीएमपीडीआई, मुख्यालय, राँची में 26 जनवरी, 2017 को अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक XI तथा निदेशक XI के बीच फ्रेंडली कैनवास बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया।

वर्ष 2016-17 के दौरान गणतंत्र दिवस, समर कैम्प, स्वतंत्रता दिवस, अंतर कोयला कैरम टूर्नामेंट अंतर-क्षेत्रीय लॉन टेनिस अूर्नामेंट, अम्बेदकर जयंती, जैसे विभिनन क्रिया-कलापों के फोटोग्राफ्स

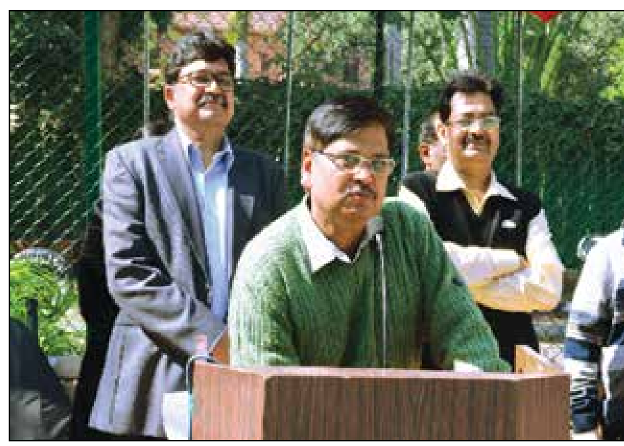

13.4 राजभाषा

आपकी कंपनी समीक्षाधीन अवधि में कोंयला मंत्रालय, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग), कोल इंडिया लिमिटेड तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के निदेशों और राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को लागू करने में सतत् प्रयत्नशील रही और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसके द्वारा बहुआयामी प्रयास किया गया।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित पत्राचार के लक्ष्य को 'ग' क्षेत्र में प्राप्त कर लिया तथा 'क' और 'ख' क्षेत्र में भी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत नजदीक रही।

इसके अलावे राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जारी दस्तावेज, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक/निदेशक स्तर पर आयोजित विभिन्न बैठकों के कार्यवृत, आपकी कंपनी की मासिक और वार्षिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार करना जारी रहा। (हिन्दी में रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए आपकी कंपनी की प्रतिष्ठित एवं राष्ट्रीय स्तर की घरेलू पत्रिका "(देशकाल संपदा)" का प्रकाशन भी लगातार जारी हे, जिसे सारे देश से प्रशंसा मिल रही है।

सितम्बर, 2016 में "राजभाषा माह" का आयोजन किया गया । कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए तथा इसे प्रोन्नत करने के लिए कई हिन्दी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। विवेच्य माह के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया तथा प्रतिभागियों जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 1 से 5 तक स्थान प्राप्त किया, उन्हें क्रमशः 3000/–रू. 2600/–रू. 2400/–रू. 2200/–रू. एवं 2000/–रू. पुरस्कार के रूप में नकद राशि दी गई।

इसके अतिरिक्त मुख्यालय, राँची के दो विभागों तथा इसके क्षेत्रीय संस्थानों में से एक क्षेत्रीय संस्थान को, जिन्होंने हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य किया है, को क्रमशः विजेता एवं उपविजेता तथा एक क्षेत्रीय संस्थान को राजभाषा अध्यक्षीय शील्ड अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक द्वारा प्रदान किया गया।

आपकी कंपनी के कामगारों के बीच हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्‌देश्य से एक भव्य हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यालय एवं क्षेत्रीय संस्थान के स्तर पर राजभाषा हिन्दी में किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया है।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम तथा दिए गए निर्देशों के अनुसार आपकी कंपनी के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय संस्थानों में राजभाषा हिन्दी की तिमाही की प्रगति की समीक्षा करने के लिए अध्यक्ष–सह–प्रबंधन निदेशक की अध्यक्षता में मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 (चार) तिमाही बैठकें आयोजित की गईं। आपकी कंपनी सीसीएल द्वारा आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन की बैठकों में नियमित रूप से भाग लेती रही है।

13.5 महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के अंतर्गत डिस्क्लोजर एवं सूचना :

अधिनियम–2013 के अंतर्गत डिस्क्लोजर एवं सूचना के तहत वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई के कार्यस्थलों पर महिलाओं के सेक्सुअल हरासमेंट के किसी भी मामले की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

क) विवेच्य वर्ष के दौरान सेक्सुअल हरासमेंट के शिकायतों की संख्या – शून्य

ख) विवेच्य वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या – शून्य

ग) 90 दिनों से अधिक पेडिंग केसेज की संख्या – शून्य

घ) विवेच्य वर्ष के दौरान सेक्सुअल के विरूद्ध वर्कशॉप या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या – शून्य

ड.) मामले से संबंधित नियोक्ता द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति – शून्य

14.0 सीएमपीडीआई (2016-17) का सीएसआर तथा सस्टेनाबिलिटी क्रिया-कलापः

सीएमपीडीआई में सीएसआर की पहल

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) तथा सस्टेनाबिलिटी अपने अपने स्टेक होल्डर्स को मितव्ययिता, समाजिकता तथा पर्यावरणिक सस्टेनेबिलिटी के रूप में अपना व्यापार को संचालित करने के लिए कंपनी वचनबद्ध है, जो पारदर्शी तथा नीतिपरक है। क्षमता निर्माण, समुदाय का इनपावरमेंट, अंतर्विरोध सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा ग्रीन एवं ऊर्जा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने, पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के हाशिए (अंडर प्रीविलेज्ड) समुदाय के उत्थान पर सीएसआर सस्टेनाबिलिटी का काफी दबाव है। कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गए नियम सेक्सन 135 के लाइन कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति को कंपनी अनुसरण करता है। उपर्युक्त बोर्ड की नीति पर आधारित सीएमपीडीआई ने अपनी सीएसआर नीत को अपनाया हे, जो क्षमता निर्माण, स्टेक होल्डर के इमपावरमेंट इनक्लसिव सामाजिक आर्थिक–सामाजिक विकास, पर्यावरणिक सुरक्षा इत्यादि के क्षेत्र में सीएसआर तथा एसडी पहल के अंतर्गत अवसरों का सेट प्रदान किया है। सुदूर क्षेत्रों में जहाँ विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों के अंतर्गत ड्रिलिंग तथा संबंधित क्रिया–कलाप जारी है। रोजमर्रा के कार्य व्यापार में सामाजिक एवं पर्यावरणिक विषय को शामिल कर सीएसआर तथा सबस्टेनेबिलिटी की ओर सीएमपीडीआइ अपनी बचनबद्धता को दुहराता है। अपनी नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीएमपीडीआई टू टायर डिसिजन मेकिंग कमिटि गठित की गई है।

14.1 सीएमपीडीआई (2016-17) की सीएसआर तथा सस्टेनाबिलिटी का क्रिया-कलाप :

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) को बड़े पैमाने पर सस्टेनेबल विकास तथा अंतर्विष्ट विकास को प्रोन्नत करने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में जाना जाता है। सस्टेनविलिटी मुद्दे का पता लगाने के लिए की गई पहल द्वारा विस्तृत स्तर पर स्टेक होल्डर्स एवं सोसाइटी द्वारा बड़े पैमाने पर कारपोरेट को समझा जाता है। देश के सामाजिक आर्थिक विकास में पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज (पीएसईएस) की महत्वपूर्ण भूमिका है। निगमित सामाजिक दायित्व दीर्घकालिक लाभ तथा सस्टेनेबिलिटी के लिए गवर्ननेंस में सामाजिक पर्यावरणिक एकीकरण तथा नीतिपरक उत्तरदायित्व बढ़ाने में मदद करता है। सीएसआर तथा सामुदायिक विकास की ओर तेजी से बढ़ने के लिए कॉरपोरेट हेतु यह अनिवार्य है, जिसमें वे संचालित होते हैं, बढ़ते है तथा बड़े पैमाने पर फलते–फूलते हैं।

क्षमता निर्माण, समुदाय का इमपावरमेंट, अंतर्विष्ट सामाजिक–आर्थिक विकास, पर्यावरण की सुरक्षा, ग्रीन एवं ऊर्जा, पर्याप्त प्रौद्योगिकी, को बढ़ावा देने पिछड़े क्षेत्रों का विकास तथा समाज के हाशिए (अंडर प्रीविलेज्ड) समुदाय के उत्थान पर सीएसआर तथा सस्टेनेबिलिटी का काफी दबाव है। विकास एवं सुदृढ़ जीवन के लिए प्रभावित समुदाय की आवश्यकता का प्रबंध करने के लिए (जिसमें देश के 7 राज्यों में फैले ड्रिलिंग कैम्पस शामिल हैं) ऑपरेशन के अंदर एवं चारो ओर सीएमपीडीआई की सीएसआर परियोजना चालू की गई है ।

14.2 सीएसआर नीति

27.02.2014 को कारपोरेट मामले के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के साथ डीपीईएस के दिशा–निर्देशे के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के संयोगी विशेषताओं के बाद सीएमपीडीआई के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर नीति बनाई गई है, जिसमें विस्तृत रूप से निम्नलिखित शामिल हैं :

क) विस्तृत पैमाने पर समुदाय के लिए कल्याण संबंधी उपाय जिससे समाज के गरीब तबका को अधिक से अधिक लाभ मिल सके।

ख) नियोजन की देयता को दूर करने के लिए तथा उनके विकास तथा आय के सृजन के लिए इकोनोमिकली पिछड़े वर्गों के संबंध

में समाजिकता के रूप में बड़े पैमाने पर समाज के लिए कन्ट्रीब्यूशन

ग) सुरक्षा एवं पर्यावरण का सेफगार्ड तथा पारिस्थितिकी बैलेंस को मेन्टेन करना।

14.3 सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य

कोल कंपनियों के लिए दिशा–निर्देशों को तैयार कर सीएसआर को मूल व्यवसाय प्रक्रिया में लाना ताकि समाज का सतत् विकास हो सके। इसका लक्ष्य इसकी गतिविधियों को तात्कालिक और दीर्घकालीन सामाजिक एवं पर्यावरणिक परिणाम से संबंधित समाज के लिए कल्याणकारी कार्यवाही को बढ़ाने में सरकार के कर्त्तव्य को सहारा देना है। कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल काम्पेक्ट के सिद्धांतों को समर्थन करते हुए सीएमपीडीआई अच्छे कारपोरेट इन्स्टीच्यूशन के रूप में कार्य करेगा।

14.4 कवर्ड किए जाने वाले क्षेत्र

समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग जो भारत के अलग–अलग हिस्सों में रहते हैं उन्हें कवर्ड किया जाएगा। संपूर्ण आबादी हेतु विकास घटक के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए स्पेशल कॉरपोरेट प्लान (एससीपी) और ट्राइबल सब–प्लान के वर्तमान घटकों को भी सीएसआर प्रोग्राम कवर करेगी।

- सीएमपीडीआई का सीएसआर क्रिया–कलाप करने के लिए परियोजना स्थल/कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में बजटीय रकम का 80 प्रतिशत भाग खर्च किया जाता है, जबकि 20 प्रतिशत भाग उन राज्यों में खर्च किया जाता है, जहाँ इसके क्षेत्रीय संस्थान काम कर रहे हैं।
- यदि सीएमपीडीआई, मुख्यालय या किसी क्षेत्र का सीएसआर बजट खर्च हो जाता है तो सीएमपीडीआइ के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक उस तरह के खास सीएसआर क्रिया–कलाप/परियोजना/कार्यक्रम को सीआईएल के पास भेज (रेफर) देते हैं जिसे सीएमडी द्वारा आकस्मिक (तत्काल)/ महत्वपूर्ण माना जाता है।

14.5 कोष का आवंटन

i) सीएसआर के लिए कोष का वितरण विगत तीन वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के निबल लाभ के औसत का 2 प्रतिशत के आधार पर किया जाता है।

ii) किसी, खास वर्ष में सीएसआर बजट में जो राशि खर्च के बाद बच जाती है, वह लैप्स नहीं करती है। उसे सीएमपीडीआई के तत्काल आने वाले वर्ष के सीएसआर बजट में जोड़ दिया जाता है।

14.6 क्षेत्र (स्कोप)

नया कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–4 के अनुसार निगमित सामाजिक कार्य के तहत कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है :

i) भुख, दरिद्रता तथा कुपोषण को दूर करने, सुरक्षात्मक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, स्वच्छता और सुरक्षित पेय जल की व्यवस्था करना।

ii) खासकर, बच्चें, महिलाओं, वयस्क एवं दिव्यांगों के बीच विशेष शिक्षा तथा रोजगारपरक व्यावसायिक कौशल के साथ शिक्षा को बढ़ावा देना तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ

iii) लैगिंक समानता को बढ़ावा देना महिलाओं का सशक्तिकरण, महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए गृह–हॉस्टल का निर्माण, वृद्धाश्रम की स्थापना, डे केयर सेंटर तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसी तरह की अन्य सुविधा देना, तथा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछले समूहों के द्वारा सामाना किए जाने वाली असमानता को कम (दूर) करना।

iv) पर्यावरण सस्टेनेब्लिटी, पारिस्थितिकी संतुलन वनस्पति एवं जीव जन्तु की सुरक्षा, पशुकल्याण, एग्रोफेंरेस्ट्री प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा वायु, जल एवं भूमि की गुणवत्ता बनाए रखना।

v) राष्ट्रीय धरोहर, कला एवं संस्कृति के साथ–साथ ऐतिहासिक महत्व के भवनों एवं स्थलों तथा कलाकृति का संरक्षण, सार्वजनिक

पुस्तकालय की स्थापना, पारंपरिक कला एवं हस्तशिल्प का उन्नयन एवं विकास

vi) सेवा–निवृत सशस्त्र सेना के जवानों, युद्ध विधवाओं एवं उनके आश्रितों के हित के लिए उपाय

vii) ग्रामीण खेल–कूद, राष्ट्रीय पहचान वाले स्पोर्ट्स, पारा ओलम्पिक स्पोर्टस तथा ओलम्पिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण

viii) प्रधानमंत्री राहत कोष या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं को सहायता एवं कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अन्य कोष में अंशदान।

ix) केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक संस्थानों के भीतर टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेटर को दिया गया अंशदान या कोष

x) ग्रामीण विकास परियोजना

14.7 कार्यान्वयन

क) सीएसआर कोष को निवेश परियोजना आधारित है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए प्रारंभ में टाइम फ्रेम्ड पेरिओडिक माइल स्टोन को अंतिम रूप दिया जाता है।

ख) सीएसआर के तहत चिन्हित परियोजना कार्य को विभाग या विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। विशेषज्ञ एजेंसी को एकल या अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए बनाया जा सकता है। विशेषज्ञ एजेसिंयों में निम्नलिखित शामिल है :

i) समाज आधारित संगठन चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक

ii) निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत

iii) स्वैच्छिक एजेंसियाँ (एनजीओ)

iv) संस्थान / शैक्षणिक संगठन

v) ट्रस्ट, मिशन आदि

vi) स्वयं सहायता समूह

vii) सरकारी, अर्धसरकारी स्वायतशासी संगठन

viii) स्टैंडिंग कन्फ्रेस ऑफ पब्लिक फोरम (स्कोप)

ix) महिला मंडल / समिति एवं इसी प्रकार के अन्य

x) नागरिक कार्य (सिविल) वर्क के लिए संविदात्मक एजेंसी

xi) व्यावसायिक (प्रोफेशनल) परामर्शी संगठन आदि

ग) टिकाऊ (सस्टेनेबुल) विकास संबंधित क्रिया–कलापों से सीएसआर की संपूर्ण पहल का महत्वपूर्ण तत्व बनेगा। ऐसे क्रिया–कलाप व्यावसायिक (बिजनेस) वातावरण से संबंधित 3 यूएन ग्लोबल कम्पैक्ट प्रिंसपल के तहत आएगा और निम्नलिखित करने के लिए कहेगाः

i) पर्यावरणिक चुनौतियों के प्रति प्रीकाउसनरी अप्रोच में सहायता

ii) और अधिक पर्यावरणिक दायित्व को प्रोत्साहित करने के लिए पहल करना

iii) पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी के विकास एवं प्रसार को प्रोत्साहित करना

14.8 सांस्थानिक प्रबंध

क) सीएसआर क्रिया–कलापों के तहत सभी प्रस्तावों की जाँच कंपनी अधिनियम, 2013, नवीनतम डीपीई का दिशा–निर्देश के साथ–साथ लागत लाभ विश्लेषण को ध्यान में रखकर सीएसआर समिति द्वारा की जाती है।

ख) किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रू. एवं उससे अधिक निबल लाभ कमाने वाला सीएमपीडीआई सीएसआर पर बोर्ड स्तरीय समिति गठित करेगा, जिसमें तीन या उससे अधिक निदेशक होंगे जिसमें से कम–से–कम एक निदेशक स्वतंत्र निदेशक होगा।

ग) सीएसआर समिति के क्रिया–कलापों में निम्नलिखित शामिल है :

1. संबंधित राज्य के अधिकारी/सरकार के अधिकारी से बातचीत करना, सीएसआर के तहत क्रिया–कलाप शुरू करने के लिए वैसे क्षेत्रों की संपुष्टि तथा कार्य की डुप्लीसिटि को रोकने के लिए जरूरी है।

2. सीएसआर के तहत शुरू किए जाने वाले क्रिया–कलापों को प्राथमिकता देने का निर्णय करना।

3. शुरू किए जाने वाले क्रिया–कलापों के निर्धारण के लिए सीएसआर कार्यान्वयन एजेंसी के साथ बातचीत करना।

4. कमिटि शुरू किए गए क्रिया–कलाप/ पूरी की गई रिपोर्टों की संवीक्षा और मॉनीटर समय–समय पर करेगी।

घ) किसी भी सीएसआर परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए डेलीगेशन ऑफ पावर निम्नलिखित होगा :

- 25 लाख रू. तक के सीएसआर परियोजना/कार्यक्रम/क्रियाकलाप को सीएमपीडीआई के सीएमडी अनुमोदित करेंगे तथा 25 लाख रू. से अधिक के प्रस्ताव का अनुमोदन संबंधित बोर्ड करेगा।

14.9 बेस लाइन सर्वेक्षण एवं डॉक्यूमेंटेशन

क) डीपीई के दिशा–निर्देश को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले में बेस लाइन सव्रेक्षण पर जोर नहीं दिया जाता है तथा घरेलू विशेषज्ञ और आवश्यक मूल्यांकन अध्ययन के लिए संसाधन के उपयोग सहित अन्य विधि अपनाने के लिए फ्लेक्सीविलिटि को मंजूर किया जाएगा।

ख) चिकित्सा कॉलेज, इस्टीच्यूशन, जहाँ सामाजिक लाभ समाहित हो, जैसे उपलबध कराने वाली आधारभूत सुविधाओं के लिए सीएसआर क्रिया–कलाप के लिए बेस लाइन सर्वे की आवश्यकता नहीं होती है। कोई परियोजना के लिए कॉस्ट बेनीफिट ओर जस्टिफिकेशन का पता लगाया जाना चाहिए।

ग) सीएसआर पहुँच नीति, कार्यक्रम, व्यय, प्राप्ति आदि के लिए संबंधित सावधानीपूर्वक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाना चाहिए और पब्लिक डोमेन (विशेषकर इंटरनेट के जरिए) रखा जाना चाहिए और इसे सीएमपीडीआई के वेबसाइट पर उपलबध कराया जाना चाहिए।

14.10 मॉनीटरिंग

क) सीएमपीडीआई अथवा उसके प्रतिनिधियों की सीएसआर समिति समय–समय पर चालू परियोजनाओं के कार्य की प्रगति मॉनीटर किया जाएगा तथा केस टू केस आधार अथवा/मानीटरिंग को बाह्य प्रतिष्ठित एजेंसी से करवाया जा सकता है।

ख) सीएमपीडीआइ में गठित सीएसआर सेल का अध्यक्ष ई–8 सतर के अधिकारी होने चाहिए एवं सीएसआर एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कमिटि के समक्ष पेश करने के लिए सीएसआर क्रिया–कलापों पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे।

ग) सीएसआर पर बोर्ड लेवल कमिटि और सीएमपीडीआई के सस्टेनेबल विकास की संवीक्षा प्रत्येक छह महीने में सीएसआर क्रिया–कलाप के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा तथा सीएसआर क्रिया–कलापों के तहत होने वाले खर्च की राशि का अनुशंसा करेगा।

घ) सीएसआर कमिटि समय–समय पर कारपोरेट रेस्पोनसिबिलिटि पॉलिसी का मॉनीटर करेगा।

ड.) यदि कंपनी किसी वर्ष में आवंटित बजट को खर्च नहीं कर पाती है तो कंपनी को राशि खर्च नहीं करने के कारणों का डायरेक्टर रिपोर्ट में इसका उल्लेख करना होगा।

च) फिजिकल और फायनेंसियल प्रोग्रेस से संबंधित तथ्यों सहित सीएसआर क्रिया–कलाप/परियोजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट में अलग/चाप्टर के साथ सीएमपीडीआई शामिल करेगा।

छ) खर्च के विवरण के साथ यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट को प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड एकाउटेंट/आथॉराइज्ड ऑडिटर से विधिवत् प्रमाणित होना चाहिए तथा उस संगठन/इंस्टीच्यूशन जिसे सीएसआर फंड आवंटित किया गया है, के द्वारा सौंपा जाना चाहिए।

14.11 सृजित परिसंपत्तियों के अनुरक्षण/रखरखाव

सीएसआर के तहत सृजित परिसंपत्तियों के रख–रखाव संबंधित राज्य सरकार, समाज के स्थानीय प्रतिनिधि और संबंधित गैर–सरकारी संगठन जिसे सीएसआर क्रिया–कलापों के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी है तथा अंडरटेकिंग/कनसेंट भी शुरू किया जाना चाहिए।

14.12 सीएसआर क्रिया-कलापों का रिफ्लेक्सन

कंपनी द्वारा किए गए सभी क्रिया–कलापों का वार्षिक अंकेक्षण स्थानीय अधिकृत ऑडिटर से कराया जाना चाहिए। सीएसआर संबंधित क्रिया–कलाप वार्षिक रिपोर्ट में और सोशल ओवरहेड (सीएसआर) के तहत सीएमपीडीआई के लेखे में रिफ्लेक्ट होगा।

क्षेत्रीय संस्थान में गठित कमिटि सभी साइट्स की जाँच करेगा और उसे सूचना, रिकार्ड और आगे की कार्रवाई हेतु सीएसआर सेल में रिफ्लेक्ट होना चाहिए।

14.13 निष्कर्ष

उपर्युक्त दिशा–निर्देश सीएसआर के सभी क्रिया–कलापों के फ्रेम वर्क के फार्म में होगा और सीएसआर शुरू किया जाना चाहिए। सीएमपीडीआई, मुख्यालय और इसके सभी क्षेत्रीय संस्थानों जो परियोजनाओं के उनके विसिनिटि में विशेष क्रिया–कलाप को अधिकांशतः अंगीकार करना चाहिए, जो जिस राज्य सरकार से बिलोंग करता हो।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएमपीडीआई में सीएसआर के तहत क्रिया – कलाप और उपलब्धि

2013 में संशोधित कंपनी अधिनियम के तहत निधित् सीएसआर के लिए डीपीई के दिशा–निर्देशों के अनुसार फंडिंग किया जाता है और सीएसआर नीति के तहत सीएमपीडीआई के और कोल इंडिया द्वारा तद्नन्तर समान गाइड लाइन के अनुसार सीएसआर परियोजना के तहत आवंटित किए जाने वाले ठीक पहले वाले तीन वर्षों के लिए कंपनी के कुल लाभ का औसत का कम–से–कम 2 प्रतिशत 47.74 लाख रू. 2016–17 में होगा जो 2015–16 के स्पिल ओवर क्रिया–कलापों सहित 1.35 करोड़ रू. होगा जो कंपनी के औसत नेट प्रॉफिट का प्रोविजनल और लगभग 5 प्रतिशत है।

इसके बिजनेस की विशेष प्रकृति को ध्यान में रखकर सीएमपीडीआई, मुख्यालय अपने सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि क्रिया–कलाप वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलखित क्षेत्र है :

क) शिक्षा

ड्रिलिंग कैम्पों और ऑफिस परिसर के आसपास के क्षेत्रों और कई स्कूलों में सीएमपीडीआई द्वारा डेस्क, बेंच, स्कूल ड्रेस, वित्तीय सहायता/सहयोग आदि जैसे शैक्षणिक सपोर्ट स्कॉलरशिप के फार्म में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राँची झारखण्ड के विभिन्न स्कूलों में वार्षिक दिवस, स्पोर्ट्स डे, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के लिए वित्तीय सहयोग भी उपलब्ध कराया गया है।

उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय, मोहेवटोली, चुटिया, राँची को 30 बेंच डेस्क का वितरण

एनएवी घुमसाटोली, चुटिया,राँची को 30 डेस्क बेंच का वितरण

गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, सीएमपीडीआई, मु.,राँची को स्वतंत्रता दिवस, वार्षिक दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता

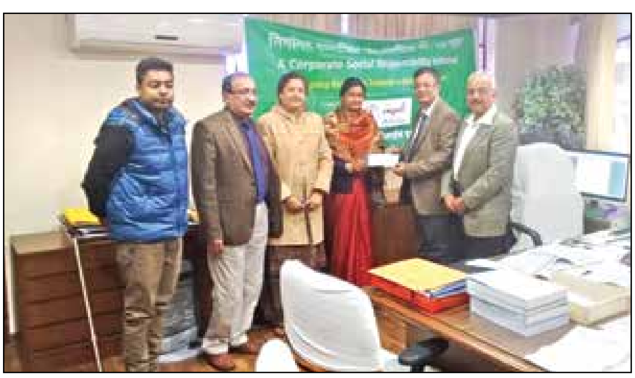

बिरसा हाईस्कूल, कांके रोड, राँची को स्वतंत्रता दिवस, वार्षिक दिवस एवं गणतंत्र दिवस मनाने के लिए वित्तीय सहायता

ख) ढाँचागत सहायता :

सीएमपीडीआई द्वारा विभिन्न स्थानों में स्कूल क्लास रूम, कम्युनिटि हाल, शेड और टायलेट का निर्माण किया गया है, जो निम्नलिखित है :

1. करूणा एनएमओ बरियातू रोड, राँची में हाल का निर्माण
2. जिला परिषद उच्च प्राथमिक शोला, नावोरी चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में प्रेयर्स फ्लोर एवं ग्राउंड फ्लोरिंग
3. जिला परिषद् उच्च प्राथमिक शाला, मारदा वरोरा, चन्द्रपुर, महाराष्ट में प्रेयर्स फ्लोर एवं ग्राउण्ड फ्लोरिंग
4. बालीटोरा गाँव, मधुकुंड ब्लॉक, पुरूलिया, वेस्ट बेंगाल में सीएसआर के तहत हैंड पम्प के साथ सांस्कृतिक भवन का निर्माण
5. कोसाला गाँव, उड़ीसा में कल्याण मंडप के नजदीक किचन शेड का निर्माण
6. ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची के दृष्टिहीन बालिका छात्राओं के लिए होस्टल–कम–कम्प्यूटर सेंटर का निर्माण
7. प्रमाथानाथ मध्य विद्यालय, हिनू, राँची में बोरवेल सहित बालिका छात्रों के लिए टॉयलेट का निर्माण
8. बिलासपुर (सीजी) में सीएसआर प्रोग्राम के तहत लिंगाडीह में सरकारी स्कूल के 2 टॉयलेट ब्लॉक का निर्माण
9. श्रद्धा आर्गेनाइजेशन, नियर महानदी नराज, कटक, उड़ीसा में पाँच पुराने खिड़कियों और दो दरवाजे का बदलाव

ग) चिकित्सा

1. उपकरणों की प्राप्ति के लिए आर.के.मिशन, टुबरकुलोसिस सैनेटोरियम, तुपुदाना, राँची को 10 लाख रू. का वित्तीय सहयोग

अध्यक्ष, सीएमपीडीआई की पत्नी श्रीमती मीता सरण द्वारा 10 लाख रू. का चेक सचिव, आर.के.मिशन, टुबरोकुलोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची,झारखंड को दिया गया

अध्यक्ष, सीएमपीडीआई की पत्नी श्रीमती मीता सरण द्वारा आर. के. मिशन, टुबरोकुलोसिस सेनेटोरियम, तुपुदाना, राँची, झारखंड को चिकित्सा उपकरण सौंपा गया।

घ) खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम

1. फिजिकली चैलेंज्ड पीपल्स राँची, झारखंड के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता
2. बिरसा हाईस्कूल, काँके रोड, राँची में खेलकूद दिवस आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता
3. गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, काँके रोड, राँची, झारखंड में खेल–दिवस आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता

गोंदवाना प्राइमरी स्कूल सीएमपीडीआई परिसर, काँके रोड, राँची के छात्रों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जाँच की गई।

बिरसा हाईसकूल, काँके रोड, राँची में खेलकूद दिवस समारोह

सीएमपीडीआई डिस्पेंसरी, राँची में आयोजित ब्लड डोनेशन कैम्प के दौरान माननीय सचिव (कोयला) की पत्नी श्रीमती पूनम कुमार द्वारा ब्लड डोनेट किया गया

गोंदवाना प्राइमरी स्कूल, राँची में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्‌घाटन माननीय सचिव (कोल) की पत्नी श्रीमती पूनम कुमार के द्वारा किया गया।

ङ) सामाजिक विकास :

श्री श्री माँ आनन्द आश्रम निकट कालूपदा घाट, डामाना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड को यूनिफार्म, जूते, कंबल, बेडशीट, मैट्रेस के साथ बेड, वाशिंग मशीन, फ्रिज, बुकशेल्फ, किताबें एवं खेलकूद से संबंधित आइटम आदि का वितरण किया गया।

गोंदवाना स्कूल और हातमा बस्ती के बच्चों को सीएसआर के तहत माननीय सचिव (कोल) की पत्नी श्रीमती पूनम कुमार द्वारा बैग (थैला) का वितरण किया गया।

च) स्किल डेवलपमेंट/वूमेन इम्पावरमेंट :

सीएमपीडीआई द्वारा समाज में डाउन ट्रोडेन और उपेक्षित महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर महिलाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उपलबध कराकर वूमेन इम्पावरमेंट पहल की शुरूआत की गई है :

1. हातमा महिला संघर्ष संस्थान के लिए वूमेन इम्पावमेंट प्रस्ताव
2. ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, बरियातु, राँची के 10 दृष्टि बाधित छात्राओं के लिए 1500/रू.प्रतिमाह वार्षिक शिक्षा पर खर्च किया गया।
3. ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची के दृष्टि बाधित 10 छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1 वर्ष के लिए स्पांसर किया गया।

हातमा गाँव, राँची के महिला समिति के लिए एक टेलरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया।

ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, राँची के 10 दृष्टिहीन बालिका छात्राओं के स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के लिए स्पांसरशिप किया गया।

छ) पेयजल :

1. जिला परिषद् उच्च प्राथमिक शाला माराडा वारोरा, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र में वाटर फिल्टर
2. सीएसआर के तहत सिंघपुर एरिया एडजासेंट टू सिंघपुर कैम्प, छत्तीसगढ़ में बोरवेल की खुदाई।
3. सीएसआर के तहत गवर्नमेंट, न्यू स्कूल, मुरूम खदान, खामतराय, बिलासपुर,छत्तीसगढ़ में टायलेट का निर्माण तथा बोरहोल की खुदाई
4. सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–7 द्वारा सीएसआर के तहत संताराबाधा ग्राम में तालाब का विकास।

ज) सस्टेनेबिलिटि

1. ग्राम पंचायत मारडा, वारोरा, सीएमपीडीआई क्षेत्रीय संस्थान–4, चंद्रपुर, महराष्ट्र में सोलर लाइट का प्रावधान

सीएमपीडीआई, क्षेत्रीय संस्थान–4, नागपुर, महाराष्ट्र द्वारा इंस्टाल किए जा रहे ऊर्जा संरक्षण वाला लेड लाइट

झ) सीएमपीडीआई में स्वच्छ भारत मिशन

मिसिरगोंदा ग्राम, काँके रोड, राँची में आयोजित क्लिनलिनेस ड्राइव

बिरसा हाई स्कूल, काँके रोड, राँची में आयोजित क्लिनलिनेस ड्राइव

ञ) नई दिल्ली में सीएसआर का वार्षिक रिपोर्ट 2015-16 का लोकार्पण

15.0 वर्ष 2016-17 के लिए सीएमपीडीआईएल के समझौता संलेख (एमओयू) का कार्य निष्पादन

सीएमपीडीआई फिजिकल और वित्तीय कार्यनिष्पादन हेतु विभिन्न पारामीटर सेट करने के लिए प्रत्येक वित्तीय कार्य के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक एमओयू करता है। उपलब्धियाँ 1–5 के स्केल पर ग्रेडिंग किया जाता है। एक्सीलेंट को 1.0 से 1.5 और खराब को 4.15 से 5.0 तक ग्रेडिड किया जाता है। 2014'15 के लिए सीएमपीडीआई को एक्सीलेंट (1002) ग्रेड दिया गया है। यह रेटिंग सभी सीपीएसई के बीच तीसरा सर्वोत्तम तथा इसके सिंडिकेट में सर्वोत्तम दिया गया है, जबकि वर्ष 2014–15 के लिए यह 1.395 था। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए ग्रेडिंग की प्रणाली को बदल दिया गया। सीपीएसई का कम्पोजिट स्कोर 87.5 से 100 प्वाइंट ''एक्सीलेंट'' को दिया जाएगा जबकि 12.5 से कम स्कोर वाले सीपीएसई को पुअर रेटिंग दी जाएगी। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएमपीडीआई को 89.60 के कम्पोजिट स्कोर के साथ ''एक्सीलेंट' अर्वाड दिया गया।

16.0 सीएमपीडीआईएल में मनाए गए कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह

सीएमपीडीआईएल, मिनी रत्न कंपनी में 1 से 19 नवम्बर, 2016 को पूरे जोश के साथ कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार सिंह, भूतपूर्व अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, सीएमपीडीआई तथा राजीव गांधी चेयर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष (पर्यावरणिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी), आईआईटी (आईएसएम), धनबाद ने अपने भाषण में परंपरा को कायम रखते हुए उच्च कार्यनिष्पादन प्राप्त करने पर बल दिया। उन्होंने नवीनतम टेक्नोलॉजी और आपरेशन के इसके विविध क्षेत्र में कार्यान्वयन में सुधार किए जाने की बात की। उन्होंने नन–कोल सेक्टर में प्रवेश करने और एनएमईटी फंड के अधिकांशतः प्रयोग करने पर बल दिया। श्री सिंह ने कहा कि केवल कोल सेक्टर में कार्य करने के कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने और देश में शेष अग्रणी संगठन में रीनिवेबल एनर्जी सेक्टर में प्रवेश करने पर बल दिया।

इस अवसर पर श्री शेखर सरन, सीएमडी, सीएमपीडीआई ने बताया कि गत वर्ष के दौरान कोयले के लगभग 6.5 बिलियन टन को प्रमाणित श्रेणी में रखा गया जिसमें सीएमपीडीआई का शेयर 6.1 बिलियन था जो नियर पास्ट में अत्यधिक है। उन्होंने बताया कि सीएमपीडीआई कोल इंडिया की पहली कंपनी थी जिसने ई–आफिस को कार्यान्वित किया। सीएमपीडीआईएल कंट्रेक्ट लेबर मैनेजमेंट सिस्टम जैसे विभिन्न उपयोगों हेतु कोल इंडिया के लिए वेब पोर्टल के विकास में अग्रणी रहा है। सीएमपीडीआई कोल इंडिया लिमिटेड के लिए ग्रीन सीआईएल एप्स विकसित करने और ई–आफिस का भी कार्यान्वयन कर रहा है। सीएमपीडीआई को टर्न ओवर बढ़ाने के कठिन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिनरल सेक्टर में विविधिकरन लाने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर श्री वी.के.सिन्हा, निदेशक(टी/आरडीएंडटी), श्री बी.दयाल, निदेशक (टी/पीएंडडी), श्री ए.के.चक्रवर्ती, निदेशक (टी/ईएस), सीवीओ, सीएमपीडीआई श्री संदीप राज, कोल इंडिया परिवार के एक्स–सीएमडी और निदेशक, जेसीसी के सदस्य, सीएमओएआई के प्रतिनिधि, श्रीमती मीता सरण, कस्तूरबा महिला सभा की प्रेसीडेंट और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति भी उपस्थित थे। समारोह दीप प्रज्वलन और कोल इंडिया लिमिटेड के कारपोरेट गीत के साथ शुरू हुआ।

16.1 वर्ष 2016-17 में सीएमपीडीआई, वूमेन इन पब्लिक सेक्टर के फोरम की गतिविधियाँ

विप्स, सीएमपीडीआई (स्कोप के तत्वावधान में) को 2010 में इस फोरम में कारपोरेट सदस्य बनाया गया और नई प्रबंधन समिति कोआर्डिनेटर, विप्स, सीएमपीडीआई श्रीमती सुचन्द्र सिन्हा, वरीय प्रबंध (ईएंडएम) के लीडरशिप में जून 2012 से कार्य करने लगी। फोरम ने कंपनी के संगठनात्मक लक्ष्य में सहयोग कर नई ऊँचाई प्राप्त की । वर्ष 2016–17 लैंडमार्क बना जिसमें क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विप्स, सीएमपीडीआई ने ''बेस्ट इन्टरप्राइज'' का खिताब जीता तथा पूरे भारत के 89 पीएसयू में से सीएमपीडीआई को ''वेस्ट वूमेन इम्पलाई'' से नवाजा गया जिसे राष्ट्रीय स्तर राष्ट्रीय पर प्रतिष्ठित पुरस्कार की मान्यता मिली हुई है।

विप्स, सीएमपीडीआई का वर्ष 2016-17 की उपलब्धि

1. पूर्वी क्षेत्र में सभी पीएसयू में से कोआर्डिनेटर विप्स, सीएमपीडीआई को सचिव, विप्स, ईआर के रूप में चुना गया।
2. दिनांक : 30.05.16 को सीआईआई (कंफडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज) के द्वारा ''पोश' (प्रीवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस) पर आयोजित वर्कशॉप में सीएमपीडीआई से 4 विप्स सदस्यों ने भाग लिया।
3. विप्स, ईस्टर्न रिजन द्वारा आईओसी कोलकाता में ''साफ्ट स्कील डेवलपमेंट'' पर आयोजित कार्यशाला में सीएमपीडीआई से विप्स के पाँच सदस्यों ने भाग लिया।
4. सीएमपीडीआई के विप्स सदस्यों ने अंगदान की शपथ ली।
5. को आर्डिनेटर विप्स, सीएमपीडीआई ने ''द चेजिंग वर्ल्ड ऑफ वूमेन'' थीम पर सीआईएल, मुख्यालय, कोलकाता में आयोजित 'एनुअल विप्स सेमिनार एवं को आर्डीनेटर' में भाग लिया। बैठक में महिला कर्मचारियों, के लिए सीआईएल सुविधाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों, जिसे किए जाने की आवश्यकता है, को उठाया।
6. ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा दिनांक 21.10.16 से 23.1016 तक आयोजित इंटर कोल कंपनी कल्चरल मीट में विप्स, सीएमपीडीआई की टीम ने भाग लिया। 337 प्रतिभागियों में से 25 इवेंट में 24 महिलाओं (सभी विप्स सदस्य) थे। और उन्हें विशेष रूप से ईसीएल प्रबंधन द्वारा सुविधा प्रदान की गई।
7. ईसीएल द्वारा दुर्गापुर में आयोजित विप्स ईआर 2016 के लिए क्षेत्रीय बैठक में मिनी रत्न श्रेणी में सीएमपीडीआई को (बेस्ट इंटरप्राइज अवार्ड) मिला और इसमें 22 पीएसयू के विप्स के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
8. श्रीमती मीता सरन, प्रेसीडेंट, कस्तूरी महिला सभा, सीएमपीडीआई ने स्किल डेवलपमेंट एवं इम्पलायमेंट जेनरेशन के लिए सीएमपीडीआई आफिस कैम्पस में चार (4) महिलाओं के लिए दिनांक 15.12.16 को मेसर्स उषा सार्टिफाइड सीविंग एंड स्टीचिंग सत्र और पूर्व से प्रशिक्षित महिलाओं द्वारा सिलाई किए जाने वाले स्कूल यूनीफार्म द्वारा गोंदवाना स्कूल और बिरसा स्कूल के बच्चों में वितरित किए जाने के लिए का उद्घाटन किया, इस प्रकार सीएसआर निधित के तहत पहले से इम्पावर्ड महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराने, महिलाओं के लिए सेल्फ–हेल्प ग्रुप के लिए नियोजन सृजन, हातमा बस्ती, कांके रोड, रांची में व्यस्क शिक्षा और बच्चों के विकास के लिए कार्य किया गया।
9. दिनांक : 11 फरवरी, 2016 को नागपुर में आयोजित वूमेन इन पब्लिक सेक्टर के फोरम के 27वीं राष्ट्रीय मीट में श्रीमती सुचन्द्रा सिन्हा वरीय प्रबंधक (ईएंडएम) को ''वर्ष 2016 के लिए बेस्ट वूमेन एक्जीक्यूटिव अवार्ड'' जैसे प्रतिष्ठित नेशनल स्कोपे से सम्मानित किया गया। सीएमपीडीआई की विप्स टीम ने मिनी रत्न कंपनी श्रेणी में भारत भर के पीएसयू के बीच उसी समारोह में ''रिकागनिशन एवार्ड फॉर विप्स एक्टीविटिज इन सीएमपीडीआई'' भी प्राप्त किया।

10. विप्स, सीएमपीडीआई अपने स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव को सीएसआर अनुमोदित और ''प्रोजेक्ट स्वावलंबी'' नामक निधित परियोजना से संबंधित अपने प्रयास को श्रीमती पुनम कुमार, सचिव कोयला की पत्नी और श्रीमती गीता सरन को दिनांक : 9.3.17 को दिखाया। लाभुकों में सीएमपीडीआई के आसपास 37 अंडर प्रिविलेज बालिका के सिले प्रोडक्ट : उनकी प्रतिक्रिया को शेयर करना और उनके द्वारा सिले कपड़ों को उनके समक्ष पेश किया और बच्चों को स्कूल बैग तथा फुड पाकेटस का वितरण किया गया।

11. विप्स, सीएमपीडीआई ने रिलायंस फेस टू फेस द्वारा आयोजित ''हेल्दी एंड कैशलेस सेविंग हैबिट्स फॉर वर्किंग वूमेन'' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। रिलायंस ग्रुप कंपनी जो जैपनीज कंपनी मेसर्स निप्पन लाइफ के साथ संयुक्त उद्यम है, जो दिनांक : 17.03.17 को 30 वर्ष से ज्यादा का जुड़ाव है।

वर्ष 2016-17 में वूमन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स), सीएमपीडीआई के फोरम का क्रिया-कलाप

विप्स ईआर 2016 के लिएरीजनल मीट में मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी में सीएमपीडीआई ''वेस्ट इंटरप्राइज अवार्ड'' दिनांकः 12.11.16 को जीता

कोल इंडिया स्थापना दिवस समारोह जो सीएमपीडीआई में आयोजित किया गया, के दौरान 19.11.16 के अवसर पर

''बेस्ट वूमेन एक्जीक्यूटिव'' नेशनल स्कोप अवार्ड श्रीमती सुचन्द्र सिन्हा, एसएम(ईएंडएम), सीएमपी– डीआई, मुख्यालय द्वारा जीता गया।

''सीएमपीडीआई में विप्स क्रियाकलापों के लिए रिकॉगनिशन अवार्ड'' जीतने वाली विप्स सदस्यों का दल

दिनांक : 09.03.2017 को आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय कोयला सचिव, कोयला मंत्रालय की धर्मपत्नी श्रीमती पुनम कुमार और श्रीमती मीता सरन ने सीएसआर द्वारा वित्त प्रदत्त ''स्वाबलम्बी परियोजना'' विप्स, सीएमपीडीआई द्वारा कौशल विकास पहल का निरीक्षण किया।

17.0 निदेशकों का उत्तरदायित्व उक्ति

क) वार्षिक लेखे की तैयारी में मेटेरियल डिपार्चर से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण सहित अप्लीकेबल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अनुपालन किया जा रहा है।

ख) निदेशकों ने ऐसा लेखा–नीति का चयन किया और उसे लगातार व्यवहार में लाया, जिससे निर्णय और आकलन किया जा सके, जो यथोचित एवं बुद्धिपरक है ताकि यह वित्तीय वर्ष के अंत में इस अवधि के लिए कंपनी की लाभ–हानि के विषय में कंपनी मामलों के स्थिति पर सत्य एवं स्पष्ट विचार किया जा सके।

ग) निदेशक ने लेखा रिकार्डों के अनुसरण के लिए इस नियम के प्रावधान के अनुसार कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा, जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाने एवं इसका पता लगाने के लिए यथेष्ट एवं उपयुक्त ध्यान दिया है।

घ) निदेशकों ने प्रचलित आधार (गोईंग कर्न्सन) में वार्षिक लेखा तैयार किया है।

ङ) निदेशकों ने संपुष्टि की है कि उन्होंने सभी लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समुचित प्रणाली विकसित की है। इस प्रकार की प्रणाली पर्याप्त था तथा प्रभावी तरीके से काम कर रहा था।

अंकेक्षण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से मेसर्स के.सी.टॉक एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेंट, राँची को वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया। उन्हें इस वर्ष के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा (44 ए.बी.) के तहत आयकर अंकेक्षक भी नियुक्त किया गया। इन्हें वर्ष 2016–17 के लिए झारखंड वेट अंकेक्षक के लिए भी नियुक्त किया गया।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियाँ, राज्य सरकार और अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों जिसके सम्पर्क में आपकी कंपनी में चयन किया है तथा कंपनी के कार्यों के पूरा करने में सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया है। उसके प्रति आभारी है। हम अपने जिन्होंनें सम्मानित ग्राहकों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने हम पर विश्वास प्रकट किया और हमें संरक्षण दिया।

परिशिष्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के तहत अपेक्षित ऊर्जा के संरक्षण, टेक्नोलॉजी एबजारपशन और फारेन एक्सचेंज अर्निग एवं आउट गो, अनुसंधान एवं विकास, सीईओ और सीएफओ प्रमाणन, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के तहत एनुअल रिटर्न का सारांश कारपोरेट गर्वनेंस के अनुपालन पर अंकेक्षकों की रिपोर्ट, सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम की धारा 143 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी पर प्रबंधन का जवाब, एमओयू 2016–17 पर रिपोर्ट तथा मैनेजेरियल पर्सनेल के पारिश्रमिक आदि का विस्तृत सूचना पर रिपोर्ट भी इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

निदेशक मंडल की ओर से एवं वास्ते

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची

तिथि : 06.07.2017

परिशिष्ट-।

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का परिशिष्ट

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, तथा विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं खर्च के बारे में निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ पठित नियम 8 में शामिल किए जाने वाले मामले कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (एम) के तहत निदेशकों की रिपोर्ट में दिए जाने के लिए अपेक्षित सूचना।

क) ऊर्जा का संरक्षण

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों द्वारा कोल इंडिया की विभिन्न अनुषंगी कंपनियों में स्थित विभिन्न खुली खदान और भूमिगत खानों में विशेष इलेक्ट्रीकल ऊर्जा खपत का बेंचमार्किंग तथा इलेक्ट्रीकल ऊर्जा अंकेक्षक के साथ–साथ स्पेशिफिक डीजल कंजप्सन का बेंचमार्किंग एवं डीजल अंकेक्षण किया तथा वर्ष 2016–17 में सीएमपीडीआई ने ऊर्जा संरक्षण अध्ययन शुरू किया है।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में किए गए डीजल बेंच मार्किंग अध्ययन में डीजल संरक्षण के लिए निम्नलिखित ब्रोड हेड को स्वीकार किया गया :

1. डिप्लायड एचईएमएम के लिए प्रीवेंटिव मेटेनेंस मेजर्स को अपना तथा लीज्ड की पहल और मिनीमाइज करना।
2. एचईएमएम कंसीडरिंग हाउस रोड कंशीनन्स का स्पीड आप्टीमाइजेशन
3. आइडियल आवर को मिनिमाइज करने के लिए टाइम अध्ययन और एचईएमएम के अनावश्यक मूवमेंट से बचाव
4. इलेक्ट्रिकल व्हील माउन्टेड एचईएमएम के लिए 0.054 लीटर प्रति बीएचपी घंटे तथा व्हील माउन्टेड के लिए 0.06 लीटर प्रति/बीएचपी घंटे, ट्रैक माउन्टेड के लए 0.1 लीटर/बीएचपी घंटे को सीएमपीडीआई आयोजन एवं अभिकल्पन के मानदंड के साथ तुलना।

कोल इंडिया के विभिन्न कोयला क्षेत्रों में इलेक्ट्रीकल एनर्जी आडिट एवं बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया। भूमिगत और खुली खदान खानों के क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रीकल मेजरमेंट एवं 3 वर्षों के हिस्टोरिकल डाटा के आधार पर ट्रेंड एनालिसिस (प्रवृति विश्लेषण) किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा संरक्षण विधि अपनाई गई है :

1. डिमांड साइट मैनेजमेंट
2. संचरण एवं वितरण हानि में कमी
3. पावर फैक्टर में सुधार
4. इफिशिएंट इल्यूमिनेशन सिस्टम
5. ट्रांसफर्मर की पहचान कर ट्रांसफार्मेशन हानि में कमी लाना
6. ऊर्जा की मॉनीटरिंग के लिए एनर्जी मीटर की स्थापना
7. पम्पिंग प्रणाली में ऊर्जा संरक्षण उपाय

बीईई मान्यता प्राप्त ऊर्जा अंकेक्षकों के द्वारा ऊर्जा अंकेक्षण तथा ऊर्जा बेंचमार्किंग अध्ययन किए गए। कृपया नीचे दी गई तालिका पर ध्यान दिया जाए :

वर्ष 2016-17 के लिए सीएमपीडीआई द्वारा उठाए गए ऊर्जा संरक्षण पहल

क्रम सं.	कार्य विवरण	प्रस्तावित निवेश (लाख रू. में)	प्रस्तावित बचत संभावना
	2016-17 सीएमपीडीआई, मुख्यालय द्वारा किया गया ऊर्जा अंकेक्षण तथा बेंचमार्किंग अध्ययन		
क)	**डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग**		
1.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	1879 किलो लीटर/वर्ष
2.	एसईसीएल द्वारा चिन्हित 3 ओसीपी का बेंचमार्किंग	–	2385 किलो लीटर/वर्ष
3.	एनसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का बेंचमार्किंग	–	4348 किलो लीटर/वर्ष
4.	एमसीएल द्वारा चिन्हित 12 ओसीपी का बेंचमार्किंग	–	2058 किलो लीटर/वर्ष
5.	बीसीसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का बेंचमार्किंग	–	1748 किलो लीटर/वर्ष
6.	सीसीएल द्वारा चिन्हित 8 ओसीपी का बेंचमार्किंग	–	1427 किलो लीटर/वर्ष
7.	डब्ल्यूसीएल द्वारा चिन्हित 14 ओसीपी का वार्षिक बेंचमार्किंग	–	2932 किलो लीटर/वर्ष
8.	एकेके ओसीपी सीसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	143.28 किलो लीटर/वर्ष
9.	परेज ईस्ट ओसीपी, सीसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	कार्य जारी है।
10.	घोरी ओसीपी, सीसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	कार्य जारी है।
11.	ककरी ओसीपी, एनसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	174.6 किलो लीटर/वर्ष
12.	निलर्जइ साउथ ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	262.09 किलो लीटर/वर्ष
13.	नवगांव ओसीपी, डब्ल्यूसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग	–	81.303 किलो लीटर/वर्ष
14.	खादिया और अमलोरी ओसीपी, एनसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग क्षे.सं.–6 द्वारा किया गया।	–	कार्य प्रगति पर है।
15.	पउनी और गौरी एक्सपेंसन ओसीपीएस,डब्ल्यूसीएल का डीजल अंकेक्षण एवं बेंचमार्किंग क्षे.सं.–4 द्वारा किया गया।	–	152.94 एवं 28.96 कार्य प्रगति पर है।
ख)	**विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग**		
1.	दुधीचुंआ ओसीपी, एनसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	352.96	404.08 ला.प्र.वर्ष
2.	वीणा ओसीपी, एनसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	213.62	425.45 ला.प्र.वर्ष
3.	तापिन नार्थ ओसीपी, सीसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	65.46	39.36 ला.प्र.वर्ष
4	गोविंदपुर, फेज–2 ओसीपी, सीसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	51.19	75.94 ला.प्र.वर्ष
5.	जगन्नाथ ओसीपी, एमसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	75.32	33.97 ला.प्र.वर्ष
6.	नन्दीरा यूजी, एमसीएल का विद्युत उर्जा अंकेक्षण और बेंचमार्किंग	94.30	42.20 ला.प्र.वर्ष

ख) विदेशी मुद्रा में आय तथा व्यय

क्र.सं.	विवरण	2016-17
1.	निर्यात को बढ़ावा देने की पहल, उत्पाद और सेवाओं के नये निर्यात बाजार का विकास तथा निर्यात योजनाएँ, आयात से संबंधित क्रिया–कलाप	कंपनी निर्यात नहीं करती है।
2.	उपयोग और अर्जित किए गए कुल विदेशी मुद्रा क) अर्जित कुल विदेशी मुद्रा (करोड़ रू. में) ख) उपयोग किए गए कुल विदेशी मुद्रा (करोड़ रू.में) (यात्रा व्यय 0.11 करोड़ रू.+अन्य 3.37 करोड़ रू.)	 शून्य 3.48 करोड़ रू.

ग) अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकी समावेशन (एबजार्पसन)

1. सीएमपीडीआई, राँची तथा गुजरात ऊर्जा अनुसंधान एवं मैनेजमेंट इंस्टीच्यूट (जर्मी), गुजरात के द्वारा ''विद्युत आपूर्ति के बहुस्रोत का आप्टीमाइजेशन एवं नियंत्रण के लिए माइक्रो ग्रिड सिस्टम का डिजाइन विकास एवं प्रदर्शन'' शीर्षक वाली एक आरएंडडी परियोजना पूरी की गई है। परियोजना का अनुमोदित लागत 351.30 लाख रू. है। (सीएमपीडीआई, राँची 33.80 लाख रू. तथा जरमी, गुजरात 317.50 लाख रू)

सीएमपीडीआई कार्यालय भवन के छत पर सोलर फोटो वोलटेंक संयंत्र की चालू कर दिया गया है। संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता लगभग 190 किलो वाट है, जिससे कुल स्थापित क्षमता का 30 प्रतिशत वर्तमान में ऊर्जा मिल रही है। संयंत्र की स्थापना में दो तरह के टेक्नोलॉजी, स्ट्रिंग इनवर्टर तथा दूसरा माइक्रो इनवर्टन के साथ की गई है। इस परियोजना के तहत जब कभी यूटिलिटी ग्रिड (जेएसईबी) से आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है तो इंटरनल ग्रिड (सीएमपीडीआई) को फिड करने क लिए ग्रिड इन्टर एक्टिव इन्भरर्टस के जरिए सोलर पीवी सिस्टम और डीजी सेट के साथ कन्वेशनल ग्रिड (परम्पागत) (युटिलिटि सप्लाई) को क्लब (मिलाया गया) किया गया है।

जेनरेटर चलाने में होने वाली डीजल की खपत में पर्याप्त कमी भी की जा सकती है। आगे और इस स्वच्छ सौर ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण में कार्बन डायक्साइड के उत्सर्जन में भी कमी आयेगी। संयंत्र की कुल जीवन अवधि लगभग 25 वर्षों की है।

2. सीएमपीडीआई, राँची तथा सीआईएफआर, धनबाद द्वारा ''कोल–टू–लिक्विड (सीटीएल) कनवर्सन टेक्नोलॉजी के पायलट स्केल अध्ययन के जरिए स्वदेशी केटालिस्ट का विकास'' शीर्षकवाली एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना की कुल लागत 860.44 लाख रू. है। (सीएमपीडीआई, राँची 116.90 लाख रू. तथा सीआईएमएफआर, धनबाद 743.50 लाख रू. है।)

इस परियोजना के तहत, लिक्विड कलेक्शन तथा कोल गैसीफिकेशन, गैस क्लिनिंग, शिफ्ट रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबिंग, लिक्विफिकेशन को शामिल करते हुए पूर्णतः इन्टीग्रेटेड कोल–टू–लिक्विड पायलट प्लांट की डिजाइन, विकास, स्थापना और चालू करने का कार्य सीआईएमएफआर डिग्वाडीह कैम्पस, धनबाद में सफलतापूर्वक किया जा चुका है। फिक्सड बेड अपड्राफ्ट एयर ब्लोन गैसीफायर (कोल फीड रेट क्षमता 50–100 कि.ग्रा/घंटे) में सिनगैस के उत्पादन के लिए प्रयुक्त 33 प्रतिशत राख की मात्रा सहित दाबोर ओसीपी, सलानपुर क्षेत्र, ईसीएल से कोयले का उपयोग किया गया है। कुल 875 घंटे के चार ऑन–स्ट्रीम एक्सपेरिमेंटल रन्स (लगातार) किया गया और तीन एक्सपेरीमेंटल रन्स से हाइड्रोकार्बन लिक्विड का उत्पादन हुआ है। लिक्विफेक्शन रिएक्शन के लिए सीटीएल प्लांट में टू को–बेस्ड काटालिस्ट का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया है और उनमें से एक फरदर स्केल अप अध्ययन के लिए संभावित काटालिस्ट जिसका उत्पादन 47.0 लीटर सीटीएल क्रुड प्रति टन है। सीटीएल क्रुड डीजल के समतुल्य है तथा उसका वैल्यू 10900 किलो कैलोरी प्रति केजी है।

घ) प्रौद्योगिकी समावेशन (एब्जार्पसन)

कोयला सेक्टर में आरएंडडी मुख्यतः खान सुरक्षा तथा कोयला परिष्करण (विनिर्देशन)/उपयोग तथा खान पर्यावरण पर नियंत्रण जैसे सम्बद्ध क्रिया–कलाप सहित खनन परिचालन में दक्षता मापदंड (पारामीटर) में वृद्धि के लिए है। जबकि कुछ अनुसंधान परियोजनाएँ उद्योग पर सीधे प्रभाव डालती है जबकि कुछ अन्य ने चालू खानों तथा भावी खनन परियोजनाओं दोनों के लिए जरूरी खान आयोजन अभिकल्पन तथा तकनीकी सेवाओं को मजबूत बनाया है।

वर्ष 2016–17 के दौरान इस दिशा में सात अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की जा चुकी है तथा कुछ का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

1. रेडियोमेट्रिक टेकनीक का उपयेाग कर कोल ड्राईबेनिफिसिएशन का प्रदर्शन

यह परियोजना सीएमपीडीआई, राँची, आर्डी हाईटेक प्रा.लि. विशाखापतनम तथा बीसीसीएल, धनबाद द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आंतरिक रेडिमेट्रिक डिटेकशन तथा न्यूमेटिक रीमूवल टेक्नोलाजी पर आधारित कोयले के ड्राई डिशेलिंग हेतु एक डेमोशट्रेशन संयंत्र का विकास, परियोजना का उद्देश्य है।

प्रस्तावित ड्राई बेनिफिशिएन टेक्नोलॉजी कोल तथा ऐश फार्मिंग मिनरल के विभिन्न गामा रे शोषण गुणों पर कार्य तथा कोयला स्ट्रीम से शेल एवं स्टोन के रीमूवल एवं रेडियोमेट्रिक डिटेक्शन पर आधारित

है। कोयले का मास एबजार्पसन को इफिशियेंट कोयले और शेल के रासायनिक गठन पर निर्भर है। यूडिमेट्रिक टेक्नोलॉजी का एक प्रमुख लाभ यह है कि क्लीन कोयले के लिए लक्ष्य अथवा थ्रेसहोल्ड वैल्यू ऑफ रिजेक्शन को नियोजित (प्लान) तथा आवश्यकतानुसार सेट किया जा सकता है। यह प्रौद्योगिकी सक्षम धूलरहित और ऊर्जा के अनुकूल भी है।

इस परियोजनाके तहत डेमोट्रेशन स्केल पर इस प्रौद्योगिकी को शुरू करना प्रस्तावित है। 13 मी.मी. –50 मी.मी. (दो चरण में 13–25 मी.मी. एवं 25.50 मी.मी.) के साइज फ्रेक्शन में डिशेलिंग कोयले के लिए आर्डी सोर्ट के दो माडयूल की स्थापना कर मधुबंद वाशरी में इस परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। परियोजना पूरी की जा चुकी है तथा परियोजना के अंतिम निर्णय के लिए परियोजना के तहत डाटा का सृजन किया जा रहा है।

परियोजना की कुल लागत 2565.70 लाख रू. है।

2. रानीगंज कोयला क्षेत्र के मोटे सीम में सुरक्षित तरलीकरण के कार्यविधि का पता लगाना : कोट्टाडीह कोलियरी, ईसीएल में डिजाइन एवं विकास तथा शो-केसिंग डेमोनस्ट्रेटिव परीक्षण

यह परियोजन ईसीएल के सहयोग से सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य कोट्टाडीह परियोजना रानीगंज कोयला क्षेत्र, ईसीएल में चयनित खान स्थल को वेलीडेट करने तथा सीम के कर्षण के लिए वर्तमान विधि से अलग मोटे सीमों में सुरक्षित तरलीकरण के लिए आप्टीमल एवं संभाव्य डिजाइन बनाना है। डिजाइनिंग और शोकेसिंग डिमांस्टेटिव परीक्षण के समय दो महत्वपूर्ण पहलू अर्थात् ग्राउंड कंट्रोल और फायर–प्रोपेंसिटि एसपेक्ट्स पर कोल पिलर्स एक्सटैक्शन की संख्या को बढ़ाने के क्रम में विचार किया गया है।

कोट्टाडीह परियोजना में लगे कंटीन्यूअस माइनर के साथ भी और सेमी मेकनाइज्ड खान (एसडीएल या एलएचडी) का परीक्षण पूरा की जा रही है। परियोजना पूरी की जा चुकी है और रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत निम्नलिखित क्रिया–कलाप संपन्न किए गए :

क) कोट्टाडीह, ईसीएल में दो सब–पैनल, पैनल बी2 ए तथा बी2 बी का अनुमोदन डीजीएमएस के द्वारा इस शर्त के साथ दिया गया कि सीआईएमएफआर द्वारा शुरू किए गए पर्यावरणिक मॉनीटरिंग और जियो–टेक्नीकल के सूट के साथ स्ट्राटा मॉनीटरिंग किया जाए।

ख) डिपिलरिंग और ऑबजरवेशन के दौरान पैनल बी 2 (सब–पैलन–ए) में रिमोट कवरजेंस इंडिकेटर्स स्ट्रेस मीटर, लोड सेल तथा इंस्टूमेंटेट रॉक बोल्ट जैसे कुछ जियोटेक्निकल इंस्ट्रमेंट जैसे कार्य शुरू किए गए। विश्लेषण से यह पता चलता है कि ''स्ट्रेस और'' डिफार्मेशन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आया है जिससे 'मेन फाल' से संबंधित टेम्पोरेरी हासलेस को छोड़कर सेफ डिपिलरिंग आपरेशनस के लिए डिट्रीमेंटल किया जा सके। अनुभव प्राप्त करने के बाद बी 2 बी पैनल में स्मूथ और नियमित केविंग तथा बी2 ए पैनल से वर्किंग से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

ग) दो प्रोन्गेड असेसमेंट के साथ पैनल के कर्षण के लिए टैन्डेम एप्रोच (पहुँच) :

1. प्रोपर रीब स्टेविलिटि, नियंत्रित केविंग स्ट्राटा मॉनीटरिंग एवं प्रबंधन के साथ सुरक्षित तरलीकरण विधि का ग्राउण्ड कंट्रोल एसपेक्ट और
2. स्वतः हिटिंग/आग के पहले ही सिम्पटम को पता लगाने से संबंधित पहलू उसके बाद इसकी बचाव के क्रम में रेमेडियल उपचार का प्रो–एविटव एप्लीकेशन

घ) फायर लेडर का विकास किया गया है जो पहले ही पता लगाने में सहायक होगा। परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 41.066 लाख रू. है।

3. सुरक्षा को ध्यान में रखकर ड्रैग लाइन और शॉवेल-डम्पर डम्प के टो और दूरी का अनुमान करने के लिए दिशा-निर्देश का विकास तथा शावेल-डम्पर डम्प और ड्रैग लाइन डम्प दोनो का इकोनोमिकल डिजाइन का विकास

इस परियोजना का कार्यान्वयन बीआईटी, मेसरा, राँची द्वारा की गई है। परियोजना का प्रमुख उद्देश्य जेनरल मॉडल का विकास करना है, जो कोल इंडिया के अन्य खुली खान खदानों जहाँ शॉवेल और ड्रैगलाइन डम्प हो पर सुरक्षा का उचित ध्यान रखते हुए तथा, खुली खान के एक्सकवेशन में बाह्य डम्पिंग के लिए कुछ सीमा तक भूमि की आवश्यकता में कमी आ सके।

इस परियोजना के तहत कोल इंडिया के 12 खुली खदान खानों अर्थात् (1) सस्ती ओसीपी, डब्ल्यूसीएल(2) दुधीचुआ असेसीपी एनसीएल (3), खादिया ओसीपी, एनसीएल (4) जयंत ओसीपी, एनसीएल, (5) बीणा ओसीपी, एनसीएल, (6) निगाही ओसीपी, एनसीएल (7) अमलोरी ओसीपी एनसीएल (8) सोनेपुर बाजारी ओसीपी, ईसीएल (9) सामलेश्वरी ओसीपी, एमसीएल (10) धानपुर ओसीपी, एसईसीएल (11) घुघुस ओसीपी डब्ल्यूसीएल और (12) ब्लॉक– ।। ओसीपी, बीसीसीएल का अध्ययन किया गया। ड्रैग लाइन डम्प और शॉवेल डम्पर डम्प के टो और आप्टीमम दूरी का निर्धारण करने के लिए दिशा–निर्देशों के विकास हेतु जियो–इंजीनियरिंग पारामीटरों का निर्धारण भी शामिल है।

इस परियोजना के तहत कोल इंडिया लिमिटेड की इंडीविजुअल ड्रैग लाइन आपरेटड ओपेनकास्ट खानों के अध्ययन पर आधारित दिशा–निर्देश का विकास किया गया है। विभिन्न जियो–इंजीनियरिंग पारामीटरों के रेंज पर आधारित ड्रैग लाइन डम्प की कुल ऊँचाई और स्लोप का अनुमान इस दिशा–निर्देश से किया जा सकता है। उपर्युक्त अध्ययन से, यह निष्कर्ष निकाला गया कि शॉवेल–डम्पर डम्प का टो ड्रैगलाइन से कम–से–कम 110–180 मीटर दूर बनाया जाए ताकि ड्रैग लाइन डम्प को डम्पर द्वारा फ्रेश डम्पींग के समक्ष स्टैबलाइज करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। हालाँकि वाटर टेबल में वृद्धि से डम्प की स्थायित्वता डेटीरिओरेट होती है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 26.58 लाख रू. है।

4. भूमिगत कोयला खानों के लिए टेली रोबेटिक्स और रीमोट आपरेशन का विकास

इस परियोजना का कार्यान्वयन सीआईएमएफआर, धनबाद और सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा किया गया। भूमिगत खान पर्यावरण और रूफ स्ट्राटा से संबंधित विभिन्न खान पारीमीटरों के लिए टेली रोबोट आन–लाइन कंटीन्युअस मॉनीटरिंग प्रणाली का विकास करना इस परियोजना का उद्‌देश्य है।

परियोजना के तहत सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा भूमिगत खान पर्यावरण और रूफ स्ट्राटा से संबंधित विभिन्न खान पारामीटरों के लिए कंटीन्यूअस आन–लाइन मॉनीटरिंग और लैब–स्केल परीक्षण के लिए एक रोबोट का विकास किया गया है। रोबोट के डिजाइन में आवश्यक बदलाव के बाद कोट्टाडीह खान, ईसीएल में क्षेत्र परीक्षण किया गया। रोबोट का विकास सीएमईआरआई, दुर्गापुर द्वारा किया गया और लैब–स्केल परीक्षण भी किया गया। रोबोट डिजाइन में आवश्यक बदलाव के बाद कोट्टाडीह खान, ईसीएल में क्षेत्र परीक्षण किया गया।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 440.12 लाख रू. है।

5. रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर ईस्टांट कोल ऐश और नमी विश्लेषक के लिए ट्रक माउन्टेड मोबाइल कोल सैम्पलर का डिज़ाइन और विकास

रेलवे वैगन/ट्रक से स्थल पर इंसटॉट कोल ऐश एवं मोआइस्चर एनालाइजर के लिए ट्रक माउंटेड मोबाइल कोल सैम्पलर की डिजाइन एवं विकास परियोजना का कार्यान्वयन सीआईएमएसआर, धनबाद एवं मेसर्स प्रणय इंटर प्राइजेज प्रा.लि., हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का मुख्य उद्‌देश्य

ईस्टांट कोल ऐश तथा नमी केविश्लेषण के लिए ट्रेक माउन्टेड मोबाइल कोल सेम्पलर के डिजाइन एवं विकास तथा राख एवं नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु डयूअल गामा रे सहित न्यूक्लियर टेक्नीक मेथड की स्थापना करना है।

परियोजना के चरण–। के तहत राख और नमी की मात्रा के लिए कोयले के विश्लेषण हेतु न्यूकलीयर टेकनीक मेथड की संभावना का पता लगाना है। चरण–।। में प्रोटो टाइप मोबाइल कोल सैम्पलर का विकास किया गया है। नई विकसित ट्रक माउंटेड कोल सेम्पलर मशीन के साथ एससीसीएल के खानों में क्षेत्र परीक्षण किया गया।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 167.60 लाख रू. है।

6. लैब स्केल कोल विन्नोविंग सिस्टम (चरण-II) के विभिन्न पारामीटरों का आप्टीमाइजेशन

परियोजना सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से सीआईएमएफआर, नागपुर द्वारा कार्यान्वित की गई। विभिन्न कोयला क्षेत्रों से भिन्न–भिन्न कोयले की प्रोडक्टर यील्ड और राख की कंसीसटेंसी के लिए लैब स्केल 'कोल विन्नोविंग प्रणाली' के विभिन्न पारामीटरों को आप्टीमाइज करना मुख्य उद्देश्य है।

परियोजना के तहत, डब्ल्यूसीएल की विभिन्न खानों से एकत्रित 100–75, मी.मी. 100–50 मी.मी. और 75–50 मी.मी. के साइज फ्रैक्शन सहित विभिन्न कोयले के नमूनों की राख और प्रोडक्ट यील्ड में कंसीसटेंसी के लिए लैब स्केल 'कोल विन्नोविंग सिस्टम' के विभिन्न पारामीटरों को आप्टीमाइज किया गया। साथ ही प्रोडक्ट के राख, नमी और जीसीवी एवं प्रत्येक नमूने का रिजेक्सन को निर्धारित किया गया तथा कोयले के उत्पाद का सेग्रीगेशन और रिजेक्शन ग्रौस कैलोरीफिक वैल्यू (जीसीवी) के आधार पर किया गया।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 18.55 लाख रू. है।

7. सेल्फ एडवांसिंग (मोबाइल) गोफ एज सपोर्ट (एसएजीईएस) का टेक्नो-इकोनामिक इवोल्यूशन और कार्यनिष्पादन

परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद तथा मेसर्स जया भारत इक्वीपमेंट प्रा. लिमिटेड (जेबीईपीएल), हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। परियोजना का उद्देश्य एससीसीएल के भूमिगत कोयला खान और उनके टेक्नो–फिजिबिलिटि अध्ययन में 6 साजेएस, जिसे एसएंडटी परियोजना के तहत डिजाइन और फेब्रिकेटेड किया गया और उनके कार्यनिष्पादन और रिफरविशमेंट करना है।

इस परियोजना के तहत के बाद आरकेएनटी माइन/आरके–5 माइन, एसआरपी क्षेत्र एससीसीएल जहाँ कार्यनिष्पादन विहैवियर के अध्ययन के लिए मोडिफिकेशन बिहेवियर अध्ययन तथा भूमिगत मूवमेंट पर इसके प्रभाव और टेक्नो–इकोनामिक फिजिबिलिटि अध्ययन करने के लिए रूफ ही तत्काल सपोर्ट यूनिट होगा का आवश्यक रूपांतरण किया जाएगा। आर के 7 खान, एससीसीएल के डिपिलरिंग में साजेस के डिप्लोईंग में क्षेत्र परीक्षण शुरू किया गया है।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 73.27 लाख रू. है।

8. मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लिए खान में वायु की आवश्यकता

इस परियोजना का कार्यान्वयन सीएमपीडीआई द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन को बुस्ट करने के लिए टेम्परेचर, हीट, हयूमिडिटि और टौक्सिक गैसों आदि पर विचार करते हुए कार्यरत फेसों में अनुकूल पर्यावरण बनाए रखने के क्रम में भारतीय भूमिगत कोयला खानों में मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के लए अपेक्षित न्यूनतम आधार संरचनाओं का मूल्यांकन और जरूरी संवातन को आप्टीमाज करना है।

उन सभी भूमिगत खानों में संवातन कायम रखने के लिए कोल माइन्स रेगुलेशन सीएमआर 1957 (रेगुलेशन 130) का अनुसरण किया जा रहा है, जहाँ उत्पादन या एक पाली अत्यधिक श्रमशक्ति के आधार पर संवातन प्रणाली डिजाइन किया जा रहा है मास प्रोडक्शन (उत्पादन वाली) खानों के लिए यदि वायु की आवश्कता का आकलन उत्पादन के आधार पर किया जाता है, तो यह अत्यधिक हो जाएगा या यदि श्रम शक्ति के आधार पर इसका आकलन किया जाता है तब यह अत्यधिक कम हो जाएगा, कोंकि मास प्रोडक्शन में श्रम शक्ति की आवश्यकता घट जाती है।

प्रस्तावित अध्ययन के तहत उन सभी भूमिगत खानों के लिए संवातन आवश्यकता के लिए एक दिशा–निर्देश तैयार किया जाएगा, जहाँ या तो मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लगाया जा चुका है या भविष्य में लगाया जाएगा। उपर्युक्त के अधिक उन खानों के लिए इनक्लाइन, शाफ्ट, फैन ड्रिफ्ट, फैन कैपेसिटी के रूप में अपेक्षित न्यूनतम आधारभूत संरचना का मूल्यांकन किया जाएगा क्योंकि मास प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 419.27 लाख रू. है।

9. कम अवामेश्रित (लेस डायलुटेड) कोयले की बेहतर प्राप्ति (रिकवरी) के लिए बहुस्तरीय परीक्षण विस्फोटन

यह परियोजना आईआईटी आईएसएम, धनबाद तथा सीएमपीडीआई, रांची द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आईआईटी आईएसएम, धनबाद ने इस नए अनुसंधान विषय पर युनिवर्सिटी आफ क्वीन्सलैंड ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया के साथ भागेदारी की है।

इस परियोजना का प्रमुख्य उद्देश्य उन्नत विस्फोटन प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर बेहतर रिकवरी सहित स्वच्छ कोयले के उत्पादन के लिए सुरक्षित एवं प्रभावकारी मल्टी सीम एंडथ्रू सीम ब्लास्ट डिजाइन विकसित करना है।

इस परियोजना के तहत मल्टीपल ओवर बर्डेन तथा स्ट्राटा को ड्रिल किया जा सकता है, विस्फोटक से लोड किया जा सकता है तथा सिंगल साइकिल में इनीशिएट तथा ब्लास्ट किया जा सकता है। प्रत्येक स्तर को यूनिक डिजाइन से ब्लास्ट किया जाता है तथा लक्ष्यित विस्फोटन हासिल किया जा सकता है, जो अन्य स्तरों में किए गए विस्फोटन तुलना में अलग होता है। प्रत्येक स्तर में ब्लास्ट डिजाइन विस्फोटक के प्रकार तथा पावडर फैक्टर, इन्टर–रोल एवं इन्टर रोडिले, इनीसिएशन की दिशा तथा इनीशिएशन समय, स्थिति के अनुसार अलग–अलग हो जाएगा जिसके कारण यह प्रणाली पारंपरिक विस्फोटन से अलग हो जाता है। इस प्रस्तावित विस्फोटन प्रौद्योगिकी का उपयेाग कर ओवरबर्डेन में कोई थ्रो नहीं प्राप्त होता है साथ ही साथ बढ़े हुए कोयले की रिकवरी के कारण कोयले की प्राप्ति तथा पल्वराइजेशन में भी कमी आती है।

इस प्रस्तावित विस्फोटन तकनीक से डायलुशन एवं कोयले की क्षति में कमी लाकर कोयले की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार किया जाएगा।

इस परियोजना के तहत एनसीएल के जयंत वेस्ट में कम–से–कम 10 परीक्षण विस्फोटन किया जाएगा जहाँ मल्टीपल सीम (जैसे पूर्वाटॉप, बॉटम एवं इन्टर बर्डेन) उपलबध हो। 50 मीटर तक होलों का ड्रिल किया जाएगा तथा सिंगल शॉट में विस्फोटन किया जाएगा। इस पद्धति से ब्लास्टिंग को किफायती, कोयला की क्षति, डायलूशन हानि को सीमित कर मल्टीपल लेयर ब्लास्टिंग का पूरा लाभ लिया जाएगा। प्रस्तावित अध्ययन के जरिए ड्रिल ब्लास्ट सायकिल टाइम को कम कर उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। पड़ोसियों को अधिक परेशान किए बिना आवासीय स्थलों के नजदीक विस्फोटन करना संभव हो सकेगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 496.24 लाख रू. है।

10. भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोल और पेट कोक के उपयोग पर अध्ययन

भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयला तथा पेट कोक के प्रयोंग पर अध्ययन यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची के सहयोग से आईआईटी आईएसम, धनबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना के तहत भारत में सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयले एवं पेट कोक के उपयोग, कोयला, पेट कोक एवं इसके मिश्रण से चलने वाले सीमेंट प्लांट की ऊर्जा आवश्यकता एवं पर्यावरण पहलू तथा आर्थिक मूल्यांकन आदि पर अध्ययन किया जाएगा तथा भारत में सीमेंट संयंत्र में स्वेदेशी कोयले के उपयोग पर एक स्टैंटस रिपोर्ट दी जाएगी।

इस परियोजना कार्य में सीमेंट उद्योग से संबंधित ऊर्जा तथा पर्यावरणिक विषय के सर्वेक्षण पर विचार किया गया है, जिसमें ईंधन (कोयला, पेट कोक, ब्लेंड तथा अन्य वैकल्पिक ईंधन) के मिलिंग आपरेशन, क्लिंकर मिल्स, प्री कैल्सिनर्स एंड किल्न्स, पासवर्ती तथा क्लिन्स दोनें वातावरण दोनों में टोटल पार्टीकुलेट मैटर (पीएम) उर्त्सजन मिल्स उत्सर्जन, कार्बन डायक्सायड/नाट्रट्रोजन के आक्सायत्रों के उत्सर्जन तथा अन्य प्रदूषक उत्सजकों में कोयला एवं पेट कोक का योगदान शामिल है।

इस परियोजना के तहत सीमेंअ उद्योग में ईंधन के रूप में कोयले, पेट कोक या उनके मिश्रण के उपयोग से होने वाले लाभ के संपूर्ण मूल्यांकन का भी अध्ययन किया जाएगा। पेट कोक तुलना में कोयले का तुलनात्मक विश्लेषण तथा आर्थिक विश्लेषण तथा सीमेंट उद्योग में इसका पर्यावर्णिक प्रभाव का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाएगा तथा सीमेंट उद्योग में ईंधन के रूप में कोयले की हिस्सेदारी में संभावित वृद्धि के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 471.95 लाख रू. है।

11. भूमिगत खानों के लिए थ्रू-दि-अर्थ टू वे संचार प्रणाली

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा सीसीएल, रांची के सहयोग से आईआईटी, बम्बई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

प्रस्तावित अध्ययन का प्रमुख उद्‌देश्य ''पोर्टेबुल'' तथा ''टू–वे'' व्वायस कॉम्यूनिकेशन दोनों प्राप्त करना है। वर्तमान में उपलब्ध टीटीई प्रणाली, जो दो तरफा आवाज संचार को भेजने में सक्षम हो, या तो बल्की है या सिमित रेंज वाली है।

प्रस्तावित अध्ययन के तहत भूमिगत खानों में 150 मी.–200 मी. पेनेट्रेशन रेंज तक के दोतरफा (टू बे) संचार की सहायता करने के लिए पृथ्वी के जरिए पोर्टेबुल वायरलेस इन्ट्रीन्सीकली सेफ ट्रान्समीटर रीसिवर विकसित करना है। विकसित टीटीटी संचार प्रणाली पर विभिन्न भूमिगत खानों में उपस्थित अनेक प्रकार की भू–सामग्री के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। अन्टेना रेडिसशन पैटर्न के आधार पर मेटा मैटेरियल के वॉल के रफनेस गैलरियों के आयाम (डाइमेंशन) का भी अध्ययन किया जाएगा। प्रस्तावित एन्टेना परंपरागत एन्टेनाओं की तुलनामें काफी छोटे आकार के साथ–साथ अपेक्षाकृत कम फ्रिक्वेंसी बैंड पर काफी अधिक विकिरण तथा बैंड ब्ड्थि प्रदर्शित करेगा।

परियोजना की अनुमोदित लागत 139.8816 लाख रू. है।

12. जोखिम मूल्यांकन के आधार पर विस्फोटन दुर्घटनाओं को रोकने तथा प्रशमन के लिए दिशा-निर्देश का विकास और माइन इमरजेंसी इवैक्यूएशन एवं रिइन्ट्री प्रोटोकॉल आधारित जोखिम को शामिल कर भारतीय कोयले की विस्फोटन क्षमता का निर्धारण।

यह परियोजना सीआईएमएफआर, धनबाद, आईआटी आईएसएम, धनबाद तथा कोल इंडिया लिमिटेड

(मुख्यालय), कोलकाता द्वारा शुरू की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य विस्फोटन बचाव रणनीति एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आंतरिक विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करना तथा जोखिम दुर्घटनाओं से जोखिम को दूर करने या कम करने के उद्देश्य से भारतीय कोयला खानों में जोखिम मूल्यांकन आधारित सुरक्षा प्रबंधन की अवधारण को शामिल करना है।

13. सैटेलाइट का प्रयोग का कोयला क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता की मानिटरिंग और ग्राउन्ड ऑबजर्वेशन के लिए प्रणाली का विकास

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), इसरो, हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वायु की गुणवत्ता मूल्यांकन तथा अनेक कोयला खनन क्रिया–कलापों के कारण होने वाली वायु की गुणवत्ता में कमी को रोकने तथा कम करने के उद्देश्य से समुचित प्रशामक उपाय करने के लिए पूर्वानुमान करना है, जिसके बाद के चरण में प्रदूषकों के स्रोत को अलग करने में मदद मिल सकती है।

प्रस्तावित कार्य तीन चरणों में किया जाएगा। वर्तमान अध्ययन पहले चरण तक ही सीमित है, जहाँ सैटेलाइट डाटा का प्रयोग कर पीएम 10 एवं पीएम 2.5 एनओ एक्स, एसओ एक्स मॉनिटरिंग पर फोकस के साथ–साथ क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए कार्य प्रणाली तथा मॉडलिंग के विकास के लिए प्रयास किया जाएगा।

पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद दूसरे एवं तीसरे चरण का अध्ययन शुरू किया जाएगा, जहाँ एयरोसोल केमेस्ट्री कैरेक्टराइजेशन के आधार पर आस–पास के उद्योग के प्रदूषक स्रोतों के पृथक्करण तथा एयरबोर्न कम्पेन पर विचार किया जाएगा।

परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 709.82 लाख रू. है।

14. कोल इंडिया लिमिटेड के अधिकार वाले क्षेत्र के भीतर कोल माइन मिथेन (सीएमएम) के लिए क्षमता निर्माण

यह परियोजना सीएमपीडीआई, रांची तथा कामनवेल्थ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय संसाधन तथा खनन स्थितियों में पूर्वचयनित क्षेत्र या खान स्थल में प्रभावकारी तथा कॉस्ट इफेक्टिव मिथेन कैप्चर प्रौद्योगिकी का विकास करना है। परियोजना का उद्देश्य सीएमपीडीआई में उन्नत गैस टेस्टिंग लेबोरेट्री सर्विसेज एवं क्षमता विकसित करना भी है, जिससे सीआईएल की अनुषंगी कंपनियों के साथ सम्बद्ध सीएमपीडीआई के संबंधित क्षेत्रीय संस्थानों में इसे दुहराया जा सके।

इस परियोजना के तहत कॉमन वेल्थ साइन्टिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑगेनाइजेशन (सीएसआईआरओ), आस्ट्रेलिया को 2,70,000 अमेरिकी डालर (दो लाख सत्तर हजार अमेरिकन डालर) मात्र का कोष वितरित किया गया।

इस परियोजना की कुल अनुमोदित लागत 2392.79 लाख रू. है।

परिशिष्ट - II

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणन

सेवा में,

निदेशक मंडल,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.,

हम शेखर सरन, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं डी.के.राव, महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ जो कि वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेवार है, प्रमाणित करते हैं कि :

क. हमने 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तथा नकद प्रवाह के विवरण की समीक्षा की है तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

i. इन विवरणों में न तो कोई भी वस्तुपरक असत्य विवरण शामिल है, न ही कोई प्रमुख तथ्य छोड़ दिया गया है और न ही कोई गुमराह करने वाला विवरण शामिल किया गया है।

ii. ये विवरण कंपनी के कार्यों का सच्चा एवं सही चित्र प्रस्तुत करते हैं तथा विद्यमान लेखा मानकों, लागू कानून एवं विनियमों के अनुरूप हैं।

ख. हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया कोई भी लेन–देन कपटपूर्ण, गैर–कानूनी एवं कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला नहीं है।

ग. वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण की स्थापना एवं रख–रखाव हेतु हम अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं तथा हमने वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया है तथा ऐसे आन्तरिक नियंत्रण के डिजाइन अथवा संचालन में यदि कोई कमियाँ हैं तो उनके बारे में आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को बताया है एवं इनके बारे में उन्हें जानकारी है वे इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रहे हैं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित हैं।

घ. हमने आडिटरों तथा ऑडिट समितियों को निम्नलिखित जानकारी दी है :

i. वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय रिपोर्ट के संदर्भ के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

ii. वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है।

iii. किसी बड़े धोखाघड़ी के किसी भी दृष्टांत के बारे में, जिसमें प्रबंधन की भूमिका हो अथवा किसी ऐसे कर्मचारी जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका हो, की कोई जानकारी हमें नहीं है।

(डी.के.राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

परिशिष्ट - III

फार्म संख्या एमजीटी-9
31.3.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के
वार्षिक रिटर्न का सारांश

[कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी के नियम 12(1) के संदर्भ में
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014]

I. रजिस्ट्रेशन एवं अन्य विवरण :

1. सीआईएन : यू14292जेएच1975जीओआई001223
2. रजिस्ट्रेशन की तिथि : 1.11.1975
3. कंपनी का नाम : सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड
4. कंपनी की कैटेगरी/उप–कैटेगरी : मिनी रत्न
5. पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण : गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची, झारखंड–834031
6. कंपनी सूचीबद्ध है या नहीं (हाँ/नहीं) : नहीं
7. रजिस्टर तथा ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण : लागू नहीं होता

II. कंपनी का मुख्य व्यावसायिक क्रिया-कलाप

(कंपनी के कुल टर्न ओवर (उत्पादन) जो 10 प्रतिशत या उससे अधिक के सभी व्यावसायिक क्रिया–कलापों को प्रकट किया जाएगा)

क्र.सं.	प्रमुख उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादन/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का प्रतिशत (%)
1	माइन प्लानिंग एंड डिजाइन	लागू नहीं	26
2	भूवैज्ञानिक एवं वेधन	लागू नहीं	67

III. धारक (नियंत्रक), अनुषंगी तथा सम्बद्ध कंपनी का विवरण

क्र.सं.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	नियंत्रक/अनुषंगी/ सम्बद्ध	धारित शेयर का प्रतिशत (%)	लागू धारा (सेक्शन)
1	कोल इंडिया लि.	एल 23109डब्ल्यूबी1973जीओआई028844	नियंत्रक	100 प्रतिशत	कंपनी अधिनियम 2013 का 92(1)ए

IV. शेयर धारक के तरीके (पैटर्न) (कुल इक्विटी की प्रतिशतता के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेक-अप)

(i) कैटेगरी-वाईज शेयर होल्डिंग

शेयर धारक की कैटगरी	वर्षारंभ में धारित शेयरों की संख्या			वर्षांत में धारित शेयरों की संख्या (31 मार्च, 2017 के अनुसार)				वर्ष के दौरान बदलाव प्रतिशत में
	डीमेंट	फिजिकल	कुल	डीमेंट	फिजिकल	कुल	कुल शेयर का प्रतिशत	
ए. प्रमोटर्स								
1) भारतीय								
(ए) व्यक्तिगत/एचयूएफ	-		-			-	-	-
(बी) केंद्रीय सरकार			-			-	-	-
(सी) राज्य सरकार			-			-	-	-
(डी) निकाय कार्पोरेशन	शून्य	190,400	190,400	शून्य	190,400	190,400	100.00%	शून्य
(ई) बैंक/एफआई			-			-	-	-
(एफ) कोई अन्य			-			-	-	-
उप योग (ए) (1)	-	190,400	190,400	-	190,400	190,400	100.00%	शून्य
2) विदेशी								
ए) एनआरआई			-			-	-	-
बी) अन्य–व्यक्तिगत			-			-	-	-
सी) निकाय कारपोरेशन			-			-	-	-
डी) अन्य कोई			-			-	-	-
उप योग (ए) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल (ए)	-	190,400	190,400	-	190,400	190,400	100.00%	शून्य
बी. पब्लिक शेयर होल्डिंग								
1. संस्थान								
क. मियूचुअल फंड			-			-	-	-
ख. बैंक/एफआई			-			-	-	-
ग. केंद्र सरकार			-			-	-	-
घ. राज्य सरकार			-			-	-	-
ड. वेंचरपूंजीगत निधि			-			-	-	-
च. बीमा कंपनी			-			-	-	-
छ. एफआईआईएस			-			-	-	-
ज. विदेशी वेंचर पूंजीगत निधि			-			-	-	-
झ. अन्य (उल्लेख करे)			-			-	-	-
उप योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-
2. गैर संस्थान								
निकाय कार्पोरेशन								
1. भारतीय			.			.	.	.
2. ओवर्सिज			.			.	.	.
बी. इंडिविजुअल								
i) एक लाख तक के नाम मात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-			-	-	-
ii) एक लाख से अधिक तक के नाम मात्र के शेयर कैप्टिल धारक व्यक्तिगत शेयर होल्डिंग			-			-	-	-

सी. अन्य (उल्लेख करें)								
अप्रवासी भारतीय			-			-	-	-
ओवसीज कॉरपोरेट निकाय			-			-	-	-
फोरेन नेशनल्स			-			-	-	-
क्लियरिंग मेंबर्स			-			-	-	-
ट्रस्ट			-			-	-	-
विदेशी निकाय – डीआर			-			-	-	-
उप योग (बी) (2) :-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल पब्लिक (बी)	-	-	-	-	-	-	-	-
सी. जीडीआरएस एवं एडीआरएस के लिए कस्टोडियम द्वारा धारित शेयर			-				-	-
समग्र योग	**(ए+बी+सी)**	**190,400**	**190,400**	**-**	**190,400**	**190,400**	**100.00%**	**शून्य**

(ii) प्रोमोटरों की शेयरहोल्डिंग

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के अंत में शेयर होल्डिंग			वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में बदलाव का %
		शेयरों की संख्या	कुल शेयर का प्लेज्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल शेयर का %	कुल शेयर का प्लेज्ड/इनकम्बर्ड शेयर का %	
1		190,400	0	190,400	100.00%		0.00%

(iii) प्रोमोटरों के शेयर होल्डिंग (यदि कोई बदलाव नहीं है तो कृपया उल्लेख करें) में परिवर्तन

क्र.सं	विवरण	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी (अब तक) शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	190,400	100.00%	190,400	100.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	परिवर्तन नहीं	0.00%	परिवर्तन नहीं	0.00%
	वर्ष के अंत में	190,400	100.00%	190,400	100.00%

(iv) टॉप 10 शेयर होल्डरों (डायरेक्टर, प्रोमोटर तथा जीडीआरएस एवं एडीआरएस के होल्डर के अलावे) के शेयर होल्डिंग का पैटर्न :

क्र.सं	टॉप 10 शेयर होल्डरों के प्रत्येक के लिए	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी (अब तक) शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
	वर्ष के आरंभ में	-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अंत में	-	0.00%	-	0.00%

(v) निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सेनल) का शेयर होल्डिंग :

क्र.सं.	प्रत्येक निदेशक और प्रत्येक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए	वर्षारंभ में शेयर होल्डिंग		वर्ष के दौरान संचयी (अब तक) शेयर होल्डिंग	
		शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %	शेयर की संख्या	कंपनी का कुल शेयर का %
1	वर्ष के आरंभ में	1	0.00%	1	0.00%
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-	0.00%	-	0.00%
	वर्ष के अंत में	1	0.00%	1	0.00%

V. ऋण भार (इनडेब्टनेस)

बाकाया/अर्क्यूड ब्याज जो भुगतान के लिए देय नहीं हो, सहित कंपनी का ऋण भार

(लाख रूपये में)

विवरण	जमा को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा	कुल ऋण भार
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋण भार				
i) प्रधान राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) देय ब्याज किन्तु भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अक्यूर्ड व्याज किन्तु बकाया नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भार में				
* जोड़कर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
* घटाकर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल बदलाव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण भार				
i) मुख्य राशि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ii) बकाया ब्याज लेकिन भुगतान नहीं किया गया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
iii) अक्यूर्ड ब्याज किन्तु देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

VI. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजेरियल पर्सेनल) का पारिश्रमिक

ए. निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजेरियल पर्सेनल) का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम					कुल राशि (रु. में)
	नाम	श्री शेखर सरन	श्री वी.के. सिंहा	श्री बी.एन. शुक्ला	श्री विनय दयाल	श्री ए.के. चक्रवर्ती	
1	सकल वेतन						
	क.आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	3802618	3797063	803953	3934997	3105213.85	12338631
	ख.आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत अनुलाभों/परिलब्धि का मूल्य	8418463	401703	163540	409500	237736	1393206
	ग. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ	0	0	0	0	0	0
2	स्टाक विकल्प	0	0	0	0	0	0
3	स्वीट इक्विटि	0	0	0	0	0	0
4	कमीशन						0
	– लाभ का : के अनुसार	0	0	0	0	0	0
	– अन्य उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)	252014	281622	96254	234090	183538	863980
5	अन्य, कृपया उल्लेख करें	0	0	0	0	0	0
	कुल (ए)	**4473095**	**4480388**	**1063747**	**4578587**	**3526487.85**	**14595817**

बी. अन्य निदेशकों के पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम			कुल राशि
		श्री राकेश कु. मित्तल	श्री राजेन्दर प्रसाद	श्री देबाशीष गुप्ता	
1	**स्वतन्त्र निदेशक**				
	– बोर्ड एवं कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क	205000	390000	370000	965000
	– कमीशन				-
	– अन्य कृपया उल्लेख करें				-
	कुल (1)	205000	390000	370000	965000
2	**अन्य गैर कार्यकारी निदेशक**				-
	–बोर्ड कमिटी की बैठक में उपस्थिति के लिए शुल्क				-
	–कमीशन				-
	–अन्य, कृपया उल्लेख करें				-
	कुल (2)	-	-	-	-
	कुल (बी) = (1+2)	205000	390000	370000	965000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				**15560817**

सी. एमडी/मैनेजर/डब्ल्यूटीडी के अलावे मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (की-मैनेजरियल पर्सेनल) को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (की-मैनेजरियल पर्सेनल) का नाम		कुल राशि (रू. में)
	नाम	श्री डी.के. राव	श्री अभिषेक मुंधड़ा	
	पद	**सीएफओ**	**सीएस**	
1	सकल वेतन			
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधान के अनुसार वेतन	3098427.95	1015833	4114260.95
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (2) के तहत लाभ का मूल्य	398580	163692	562272
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ			0
2	स्टॉक ऑप्सन			0
3	स्वीट इक्विटी			0
4	कमीशन			
	– लाभ का % के अनुसार			0
	– अन्य, कृपया उल्लेख करें (सीएमपीएफ ईएमपी शेयर)	225654	93576	319230
5	अन्य कृपया उल्लेख करें			0
	कुल	**3722661.95**	**1273101**	**4995762.95**

VII. अपराध के लिए जुर्माना/दण्ड/कम्पाऊडिंग (दोनों)

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/कोर्ट)	किया गया अपील, यदि हो (विवरण दें)
ए. कंपनी				
पेनाल्टी				
पनिशमेंट		कोई नहीं		
कंपाउंडिंग				
बी. निदेशक				
पेनाल्टी				
पनिशमेंट		कोई नहीं		
कंपाउंडिंग				
सी. डिफॉल्टर में अन्य अधिकारी				
पेनाल्टी				
पनिशमेंट		कोई नहीं		
कंपाउंडिंग				

परिशिष्ट - IV

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स

(कंपनी सचिव)

निगमित शासन अनुपालन प्रमाण-पत्र

कंपनी का सीआईएन संख्या	:	**यू 14292 जेएच 1975 जीओई 001223**
नामिनल कैपिटल	:	**500,000,000.00 (पचास करोड़ रू.)**
प्रदत्त पूँजी	:	**190,400,000.00 (उन्नीस करोड़ चार लाख रू.)**

सेवा में,
सदस्यगण,
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,
गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची-834008

हमने केंद्रीय लोक उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई), के दिशा–निर्देश 2010 की शर्तों के अनुसार **31 मार्च, 2017** को समाप्त वर्ष के लिए **सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट** (दि ''कंपनी'') द्वारा निगमित शासन के अनुपालन की स्थिति की जाँच की है।

हमारी जाँच का सारांश नीचे दिया गया है :

1. निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी की जिम्मेवारी है : हमारे द्वारा की गई जाँच भारत के कंपनी सचिव के संस्थान एवं लोक उपक्रम विभाग के दिशा–निर्देश 2010 में उद्धृत निगमित शासन के दिशा–निर्देश के अनुरूप है। यह जाँच निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा उसके कार्यान्वयन तक ही सीमित थी। यह न तो कंपनी की वित्तीय स्थिति पर राय है और न ही अंकेक्षण है। हमने प्रमाणन के उद्देश्य से अपनी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया है तथा हमारे द्वारा अपेक्षित इस तरह के सभी अभिलेख, दस्तावेज तथा प्रमाण–पत्र आदि उपलब्ध करवाया गया है।

2. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा निदेशक और प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान तथा इस संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी अनेक माड्यूलों तथा मानक के अनुसार स्वच्छ (अच्छा) शासन (गुड गवर्नेन्स) की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जारी कानून तथा मानक के अनुपालन हेतु कदम उठाया है।

3. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य में व्यवहार्यता के रूप में आश्वासन है और न ही दक्षता एवं प्रभावकारिता का, जिसके द्वारा प्रबंधन ने कंपनी मामले को कार्यान्वित कया है।

वास्ते **सतीश कुमार एंड असोसिएट्स**

ह./–
(सतीश कुमार)
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8423
सीपी सं. 9788

स्थान : **राँची**
दिनांक : **15.05.2017**

परिशिष्ट - v

के. सी. टॉक एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेंटस,

शॉप नं. 2, इस्टर्न ब्लॉक साइड, प्रथम तल, जीईएल चर्च कम्प्लेक्स, मेन रोड, राँची।

सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट

स्वंतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट के सदस्यगण

आईएनडी एएस वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

हमने सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड ''दि कंपनी'' का संलग्न आईएनडीएएस वित्तीय विवरण का अंकेक्षण किया है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण (अन्य विस्तृत आय सहित), नकद प्रवाह (कैश–फ्लो) विवरण, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्त्तन का विवरण, तथा महत्वपूर्ण लेखा नीति का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएँ (जानकारी) जिसे इसके बाद आईएनडीएएस वित्तीय विवरण वहाँ गया है, शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

यह आईएनडीएएस वित्तीय विवरण जो इस अधिनियम के तहत जारी संबंद्ध नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विहित भारतीय लेखा मानक सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुसार नकद प्रवाह तथा कंपनी की इक्विटी में परिवर्त्तन, वित्तीय कार्य निष्पादन (अन्य विस्तृत आय सहित), जो वित्तीय स्थिति के बारे में सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 134(5) में उल्लिखि तमामले की जिम्मेकवारी कंपनी के निदेशक मंडल की है।

कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना के अधिनियम के लिए प्रावधान के अनुरूप पर्याप्त लेखा अभिलेख का रख–रखाव, यथोचित लेखा नीति का चयनएवं प्रयोग करना, निर्णय एवं आकलन जो उचित एवं विवेकपूर्ण हो, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जो वैसे लेखा रिकार्ड की शुद्धता तथा पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किया जा रहा हो जो इन्डएएस वित्तीय विवरण, जो भौतिक गलत बयानी से मुक्त हो तथा सत्य एवं स्पष्ट विचार देते हो, चाहे वह घोखाघड़ी या भूलवश हो, की तैयारी तथा प्रस्तुति से संबंधित हो, इस दायित्व में शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर इन्डएएस वित्तीय विवरण पर अपनी राय देना है।

हमने कानून के प्रावधानों, लेखा एवं अंकेक्षण मानकों तथा मामले (मैटर), जो इस अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत अंकेक्षण रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित थे, का ध्यान रखा है।

हमने इस अधिनियम की धारा 143(10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानक के अनुसार अंकेक्षण किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करें तथा इंड एएस वित्तीय मानक भौतिक

गलतबयानी से मुक्त है या नहीं इसके बारे में यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाई है तथा अंकेक्षण किया है।

इस अंकेक्षण में रकम के बारे में अंकेक्षण साक्ष्य तथा इंडएएस वित्तीय विवरण का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रिया शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षक के निर्णय पर आधारित है, जिसमें इंड एएस वित्तीय विवरण का भौतिक (महत्वपूर्ण) गलत बयानी, चाहे वह धोखाघड़ी के कारण हो या भूलवश, के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है। उन जोखिमों के मूल्यांकन करने में अंकेक्षक इस परिस्थिति में उचित अंकेक्षण इस परिस्थिति में प्रक्रिया के डिजाइन करने के उद्देश्य से सत्य एवं स्पष्ट विचार देनेवाला इंड एएस विवरण की कंपनी की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है अंकेक्षण में प्रयुक्त लेखा नीति की उपयुक्तता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा बनाए गए लेखा प्राक्कलन की तर्कसंगता (यथार्थता) के साथ–साथ इंडएएस वित्तीय विवरण के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य हासिल किया है वह इंडएएस वित्तीय विवरण पर हमारे अंकेक्षण विचार के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार देता है।

राय (विचार) :

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई सूचना के अनुसार उपर्युक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कानून द्वारा अपेक्षित ढंग से जानकारी देता है तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांत के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट विचार देता है, जिसमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति का इंडएएस तथा इसकी वित्तीय उपलब्धि के साथ–साथ विस्तृत आय, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकद प्रवाह तथा इक्विटी में परिवर्त्तन शामिल है।

अन्य वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट :

1. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत अपेक्षित है, हम सुझाए गए अंकेक्षण कार्य प्रणाली, इस पर की गई कार्रवाई तथा कंपनी का वित्तीय विवरण तथा लेखे पर इसके प्रभाव का अनुपालन करने के बाद भारत के नियंत्रण एवं लेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देश/अतिरिक्त निर्देश पर एक विवरण ''परिशिष्ट–1'' संलग्न कर रहे हैं।

2. अधिनियम (दि एक्ट) की धारा 143(।।) के संदर्भ में भारत के केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों) की रिपोर्ट आदेश 2016 (दि आर्डर) की अपेक्षा के अनुसार हम इस आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में विहित मामले पर ''परिशिष्ट 2 '' संलग्न करते हैं।

3. इस अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित इसके साथ संलग्न ''परिशिष्ट ए'' की हमारी टिप्पणी के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि

    क. हमने आवश्यक वैसी सभी जानकारी माँगी है तथा प्राप्त की है जो हमारे अंकेक्षण के लिए हमारी जानकारी एवं विश्वास हेतु आवश्यक था।

    ख. जहाँ तक इन लेखा पुस्तकों की अब तक की गई हमारी जाँच से पता चलता है कि कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित लेखा–पुस्तक रखी है।

    ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन–पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह विवरण, इक्विटी में परिवर्त्तन संबंधी विवरण लेखे की पुस्तक के अनुसार सही है।

घ. हमारी राय में उपर्युक्त इंडएएस वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के संगत नियम 7 के साथ पठित इस अधिनियम (दिएक्ट) की धारा 133 के तहत विहित लेखा मानक के अनुसार सही है।

ड. निदेशक–मंडल द्वारा अभिलेख में दर्ज किए गए 31 मार्च, 2017 के अनुसार निदेशक–मंडल से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के आधार पर इस अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति 31 मार्च, 2017 के अनुसार कोई भी निदेशक अयोग्य नहीं है।

च. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तथा ऐसे नियंत्रण की प्रभावकारिता की उपयुक्तता के संबंध में हमारी पृथक रिपोर्ट ''परिशिष्ट–3''में उल्लेखित है तथा

छ. कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार अंकेक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकण के अनुसार

i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित विवादों के प्रभाव को प्रकट किया है।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न संविदा सहित दीर्घकालीन संविदा पर भौतिक भावी हानि, यदि कोई हो, के लिए लागू कानून या लेखा मानक के तहत अपेक्षित प्रावधान बनाया है ख्या कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदा सहित किसी दीर्घकालीन निविदा नहीं है, जिसके लिए कोई भौतिक भावी हानि हो,

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने वाली रकम को स्थानांतरित करने में देर नहीं की गई है अथवा कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण के लिए अपेक्षित रकम को स्थानांतरित करने में हुई देर के निम्नलिखित उदाहरण हैं या कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरण के लिए अपेक्षित कोई रकम नहीं थी।

iv. कंपनी ने 08 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारक (होल्डिंग) के बारे में या विशिष्ट बैक से डीलिंग के संबंध में अपने इंड एएस वित्तीय विवरण में अपेक्षित स्पष्टीकरण का प्रावधान किया है तथा यह कंपनी द्वारा रखे गए लेखा पुस्तक के अनुसार है। देखें इंड एएस वित्तीय विवरण की टिप्पणी 12

अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट - 1

31, मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरण पर **''सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड''** के सदस्यों को स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लेखित परिशिष्ट पर हम रिपोर्ट करते हैं कि

परिशिष्ट-ए

वर्ष 2016-17 लेखा से लागू कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत संशोधित निर्देश :

1. क्या कंपनी ने क्रमशः फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड के लिए टाइटिल/लीज डीड क्लियर किया है ? यदि, नही ंतो उस फ्री होल्ड तथा लीज होल्ड का विवरण दें, जिसके लिए टाइटिल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है?

   हाँ

2. ऋण (डेब्टस)/उधारी (लोन)/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है। यदि हाँ, तो इसका कारण तथा इसकी रकम बताएँ।

   हमारे अंकेक्षण के सिलसिले में यह पाया गया कि ऋण (डेब्ट्स)/उधारी (ऋण)/ब्याज आदि का कोई मामला नहीं था।

3. क्या तृतीय पक्ष के पास पड़े वस्तु सूची (इन्वेंटरी) एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियेां एवं सरकार या अन्य प्राधिकारियों से उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त परिसंपत्तियों के लिए उचित अभिलेख का रख–रखाव किया जाता है?

प्रबंधन से प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार किसी तृतीय पक्ष के पास कोई इन्वेटरी पड़ा हुआ नहीं है। जैसा कि हमें बताया गया है कंपनी विशिष्ट परियोजना/कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए मंत्रालय/सरकार या अन्य प्राधिकरणों से समय-समय पर प्राप्त कोष के बारे में उचित रख रखाव कर रही है। इन कोषों में से परियोजना कार्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित परिसंपत्तियाँ खरीदी जाती है तथा इस तरह की परिसंपत्तियों का अलग अभिलेख रखा जाता है।

परिशिष्ट - बी

वर्ष 2016-17 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कंपनियों के अंकेक्षण हेतु नियुक्त सांविधिक अंकेक्षकों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत अतिरिक्त निर्देश

1. क्या कंटूर मैप को ध्यान में रखकर कोल स्टॉक की माप की जाती है? क्या सभी मामलों में कंटूर मैप द्वारा भौतिक स्टॉक मेजरमेंट रिपोर्ट अनुकूल है? क्या विवेच्य वर्ष के दौरान सृजित न्यू हीप, यदि कोई हो, को सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है ?

   लागू नहीं होता।

2. क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलय/विखंडन/पुनर्गठन के समय परिसंपत्तियों/संपत्तियों (प्रोपर्टिज) का भौतिक सत्यापन किया था? यदि हाँ, तो क्या संबंधित कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था?

   हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार विवेच्य वर्ष के दौरान या किसी भी अवधि में किसी भी क्षेत्र का विलय/विखंडन/पुनर्गठन का कोई मामला नहीं हे इसलिए यह लागू नहीं होता है।

3. वर्ष 2016–17 के लिए वार्षिक लेखा तैयार करने के दौरान सभी अनुषंगी कंपनियों में भूमि अधिग्रहण इन्ट्रीज के साथ–साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) को भूमि क्षतिपूर्ति (मुआवजे) के भुगतान में हुई देर के कारण ब्याज का एक–समान व्यवहार किया जाता है :

   इस प्रकार का कोई मामला नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता है।

4. क्या प्रतिचयन (सेम्पलिंग) के परिणामस्वरूप जीसीवी तक किसी विवाद की विधिवत् जाँच की गई है :

   लागू नहीं होता

अंकेक्षकों के प्रतिवेदन

परिशिष्ट-II

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए स्वतंत्र अंकक्षकों की रिपोर्ट में उद्धृत परिशिष्ट, हम रिपोर्ट करते हैं कि

1. अचल परिसंपत्ति के मामले में

   क) हमारे अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी सामान्यतः पूर्ण विवरण के साथ–साथ परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण तथा स्थिति दर्शाने वाला समुचित रिकार्ड रखा है।

   ख) जैसा कि हमें जानकारी दी गई है, कंपनी द्वारा अपनाए गए जाँच के चरणबद्ध तरीक के अनुसार प्रबंधन द्वारा उच्च मूल्य की अचल परिसंपत्तियों के बड़े भाग का भौतिक सत्यापन किया गया है, यह पाया गया हे कि कंपनी ने 1.00 लाख से अधिक मूल्य वाली अचल संपतितयों की जाँच के लिए विधिवत् गठित टीम को प्रतिनियुक्त किया है। हमें दी गई जानकारी तथा सूचना एवं हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार इस तरह की जाँच में कोई अनियमितता नहीं पायी गई।

   ग. हमारे अंकेक्षण के दौरान यह पाया गया कि कंपनी के पास होल्ड/लीज होल्ड भूमि के लिए क्लियर टाइटिल/लीज डीड है।

2. वस्तु सुची (इन्वेटरी) क संबंध में

   क. यह पाया गया कि कंपनी ने 31 दिसम्बर, 2016 को समाप्त अवधि के लिए स्टोरों एवं स्पेयर पार्टों आदि की जाँच के लिए बाहरी एजेंसी को प्रतिनियुक्त किया है। हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार इस जाँच में पाई गई त्रुटियाँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, वर्ष के अंत में लेखे में इसका उचित निपटान किया गया है। हमारी राय में जाँच की आवृत्ति यथोचित है।

3. हमें दी गइ जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत रखे गए रजिस्टर में शामिल किसी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागेदारी या अन्य पार्टियों को किसी तरह की प्रत्याभूत या अप्रत्याभूत ऋण मंजूर नहीं किया है।

4. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने दिए गए ऋण एव ंकिए गए निवेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधान का अनुपालन किया है।

5. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई जाँच के अनुसार कंपनी ने इस तरह की जमा स्वीकार नहीं किया है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3(वी) लागू नहीं होता है।

6. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार केंद्र सरकार ने कंपनी को किसी उत्पादों या दी जा रही सेवाओं के लिए अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकार्ड के रख–रखाव विहित नहीं किया गया है।

7. सांविधिक बकाया के संबंध में

   क) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि, आयकर, बिक्रीकर, मूल्य सवंर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवाकर,सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया सहित अविवादित

सांविधिक बकाया के संबंध में लेखा पुस्तिका में काटी गई/एक्यूर्ड रकम को सामान्यतः सक्षम प्राधिकारी के पास नियमित रूप से जमा कराया है।

हमें दी गई जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2017 तक भविष्य निधि, आयकर, बिक्री कर, मूल्य सवंर्धित कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर सेस तथा अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक बकाया के संबंध में कोई अविवादित देय रकम देय होने की तिथि से 6 माह से अधिक बकाया नहीं था।

ख) वैसा विवादित सांविधिक बकाया जिसे कंपनी ने समुचित प्राधिकारी के पास लंबित मामले के कारण जमा नहीं कराया है, इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	31.3.2017 के अनुसार (करोड़ रू. में)	31.3.2016 के अनुसार (करोड़ रू में)
1.	आयकर–मूल्यांकन वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए आईटीएटी के समक्ष आयकर विभाग द्वारा अपील दायर की गई (सीआईटी(ए) में निर्णय के बाद मामला आईटीएटी में दायर)	17.70	0.00
2.	मूल्यांकन वर्ष 2013–14 से 2014–15 के लिए सीआईटी (अपील) के समक्ष दायर अपील	0.01	0.00
3.	सेवा कर–झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रीट पेटिशन	11.56	11.56
4.	सेवाकर–वित्तीय वर्ष 2003–04 के संबंध में, विभाग ने सीआईटी के आदेश के विरूद्ध अपील किया है	3.81	3.81
5.	सेवाकर–सेवाकर विभाग, भुवनेश्वर के संबंध में	0.21	0.80
6.	सेवा कर–सेवाकर विभाग, नागपुर के संबंध में	0.12	0
7.	प्रवेश शुल्क–वित्तीय वर्ष 2002–03 के संबंध में व्यावसायिक कर के आयुक्त के समक्ष अपील	0.17	0.17

8. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार या डिवेन्चर होल्डर से कोई ऋण या उधारी नहीं लिया है, तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं होता है।

9. कंपनी ने विवेच्य वर्ष के दौरान इनिशीयल पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक आफर (डेबट–इन्स्ट्रमेंट सहित) तथा टर्म लोन के रूप में धन नहीं उगाता है। तद्नुसार आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) लागू नहीं होता है।

10. प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदित और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार हमारे अंकेक्षण के दौरान कंपनी द्वारा या कंपनी पर इसके अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा किसी तरह का गंभीर घोरवाघड़ी का मामला नहीं पाया गया है या रिपोर्ट नहीं किया गया है।

11. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेख की हमारी जाँच के आधार पर प्रबंधकीय परिलब्धि कंपनी अधिनियम की अनुसूची–V के साथ पठित अनुच्छेद 197 के प्रावधान द्वारा अधिदेशित अपेक्षित अनुमोदन के अनुरूप दिया गया है या उपलबध कराया गया है।

12. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तद्नुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं होता है।

13. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अन्य सरकार नियंत्रित इन्टरप्राइज के साथ संबंधित पार्टी के संबंध की तरह सरकार नियंत्रित उद्यम होने के नाते इसे छूट प्रदान की गई है। संबंधित पार्टियों के साथ लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 एवं 188 के अनुसार की गई है तथा जहाँ लागू हो, प्रयोज्य लेखा मानक द्वारा यथा अपेक्षित वित्तीय विवरण आदि में इसे विस्तृत रूप में प्रकट किया गया है।

14. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने शेयरों का अधिमान्य आवंटन या प्राइवेट प्लेसमेंट या पूर्णतः या अंशतः परिवर्त्तनीय डिबेन्चर नहीं किया है।

15. हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारे द्वारा की गई जाँच के आधार पर कंपनी ने निदेशक या उनके साथ संबद्ध व्यक्ति के साथ नन–कैश ट्रान्जेक्शन नहीं किया है। तद्नुसार आदेश का अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं होता है।

16. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की धारा 45–1ए के तहत कंपनी का निबंधित होना अपेक्षित नहीं है।

अंकेक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट – 3

(कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (I) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र अंकेक्षकों की रिपोर्ट में उल्लिखित परिशिष्ट)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण पर हम रिपोर्ट करते हैं कि

हमने 31 मार्च, 2017 के अनुसार **सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड** की वित्तीय रिपोर्टिंग के साथ-साथ उसी तिथि को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण के हमारे अंकेक्षण पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

इन्स्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर दिशा–निर्देश टिप्पणी (नोट) में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय नियंत्रण मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने तथा मेनटेन करने का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रख–रखाव शामिल है, जो इसके कार्यव्यापार के उचित एवं प्रभावकारी आचार सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी, लेखा अभिलेख की शुद्धता एवं पूर्णता, घोखाघड़ी या त्रुटियों पर रोक एवं पता लगाना, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा करना कंपनी की नीति का अनुसरण शामिल है।

अंकेक्षकों का दायित्व :

हमारी जिम्मेवारी अपने अंकेक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोटिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय देना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की मार्गदर्शन टिप्पणी (गाइडेंस नोट) पर आईसीएआइ द्वारा जारी अंकेक्षण मानक के अनुरूप अंकेक्षण किया है तथा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(10) के तहत इस सीमा तक विहित माना गया कि जहाँ तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अंकेक्षण लागू होता हो, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण तक लागू हो, दोनों भारत के चार्टर्ड अकाउन्टेंटस के द्वारा जारी किया गया हो इन मानक एवं मार्गदर्शन में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं को पूरा करें तथा इसका यथोचित स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए अंकेक्षण की योजना बनाए एवं पूरा करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण स्थापित किया गया था तथा मेनटेन किया गया था, और कि ऐसा नियंत्रण हर तरह में प्रभावकारी ढंग से संचालित किया गया था।

हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता तथा उनके संचालन प्रभावकारिता के बारे में साक्ष्य हासिल करने की प्रक्रिया पूरा करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे अंकेक्षण में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्याख्या (अंडरस्टैंडिग) प्राप्त करना, वैसे जोखिम का मूलंकन करना जिसमें मैटेरियल कमी हो, तथा डिजाइन की जाँच एवं मूल्यांकन और मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावकारिता शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षण के निर्णय पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरण को भौतिक गलत बयानी के जोखिम का मूल्यांकन शामिल है चाहे वह धोखाघड़ी के कारण हो या भूलवश।

हमें विश्वास है कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के ऊपर हमारी अंकेक्षण राय के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ :

किसी कंपनी का वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सामान्यतः स्वीकृत लेखानीति के अनुसार बाहरी उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण की तैयारी के बारे में पर्याप्त (तर्कसंगत) आश्वासन देने हेतु डिजाइन की गई प्रक्रिया है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ तथा प्रक्रिया शामिल है जो 1). अभिलेख के रख–रखाव से संबंधित तर्कसंगत विवरण में कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन तथा विन्यास को सही एवं यथार्थ रूप में प्रदर्शित करता है। 2). लेनदेन का सामान्यतः स्वीकृत लेखा नीति के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी करने के लिए यथा आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है तथा कि कंपनी की प्राप्ति एवं खर्च सिर्फ प्रबंधन के प्राधिकारी तथा निदेशक मंडल के अनुसार तैयार किया जा रहा है तथा 3). कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या विन्यास की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में पर्याप्त आश्वासन देता है जो वित्तीय विवरण पर भौतिक प्रभाव डाल सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाएँ :

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अन्तर्निहित सीमाओं के कारण में साठ–गाँठ, अपर्याप्त प्रबंधन, नियंत्रण की अवहेलना, भूलवश या धोखाघड़ी के कारण भौतिक (मैटेरियल) गलत बयानी शामिल है जो उपस्थित नहीं हो पाता है या जिसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भावी अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का कोई भी मूल्यांकन का प्रक्षेपण जोखिम के अनुसार है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, कयोंकि स्थिति परिवर्तित होती रहती है या नीति या प्रक्रिया के अनुपालन की स्थिति में कमी क्षरण हो सकता है।

विचार

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक (महत्वपूर्ण) मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पद्धति है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 के अनुसार प्रभावकारी ढंग से संचालित किए जा रहे थे। इसका आधार चार्टर्ड अकाउन्टेंटस द्वारा निर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है।

वास्ते, **के. सी. टॉक एंड कं.**
चार्टर्ड अकाउन्टेंटस,
फर्म निबंधन सं 000216 सं.

ह./-
सीए अनिल जैन
सदस्य,
सदस्यता सं. 079005

नई दिल्ली
दि. 24.5.2017

परिशिष्ट - VI

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

सचिवीय अंकेक्षकों की रिपोर्ट

सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम की धारा 204(1) तथा कंपनीज (अप्वाइन्टमेंट एंड रिक्यूनेरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनेल) नियमावली 2014 के अनुसरण में]

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
कंपनी सचिव
फ्लैट नं. 201, द्वितीय तल्ल, उर्मिला अपार्टमेंट
उद्धव बाबू लेन, थरपकना
राँची 834001
फोनः 09334606570/0651-2212943/0651-6571423
ई–मेलः cssatish26@gmail.com/csservices26@gmail.com
पैनः एडीजीएफएस8830एच
एसटीः एडीजीएफएस8830एचएसडी001

हमने निम्नलिखित प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मेसर्स **सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड** (दि कंपनी) के रजिस्टर, रिकार्ड, हिसाब–किताब तथा कागजात की जाँच की है :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 तक इसके तहत बनाए गए नियम
2. भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक
3. डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के ओएम नं. 18(8)/2005 जीएम दिनांक 14 मई 2010 द्वारा जारी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के लिए निगमित शासन पर दिशा–निर्देश
4. कंपनी पर लागू अन्य अधिनियम एवं कानून

सचिवीय अंकेक्षण इस ढंग से किया गया है कि वह हमें कम्पनी के निगमित आचार/सांविधिक अनुपालन को मूल्यांकित करने तथा उस पर अपनी राय देने का तर्क संगत आधार प्रदान करें।

I. हमारी राय में, हमारे द्वारा की गई जाँच, हमारे समक्ष पेश किए अभिलेखों के सत्यापन तथा कंपनी तथा अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 (दि एक्ट) तथा इस अधिनियम के तहत बनाए गए कानून के प्रावधान, कंपनी के मेमोरेंडम एवं आर्टिकल ऑफ असोशिएशन, इसमें विहित प्रावधान का अनुपालन किया है तथा यह भी कि कंपनी के पास समुचित बोर्ड प्रोसेसेज तथा अनुपालन मेकानिज्म निम्नलिखित की तरह इसके बाद की गई रिपोर्टिंग क अनुसार है :

1. अनेक सांविधिक रजिस्टरों तथा दस्तावेजों का रखरखाव और उसमें आवश्यक प्रविष्टि।
2. भाग 1 के तहत दिए गए निदेश के अनुसार तुलन–पत्र का फार्म, भाग–।। के अनुसार लाभ एवं हानि के विवरण, कंपनी अधिनियम की अनुसूची 3 में दिए गए निदेश के अनुसार इसे तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश।

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

3. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अधिकारियों एवं गैर–अधिकारियों, स्वतंत्र निदेशकों को मिलाकर पर्याप्त संतुलन कर निदेशक मंडल का गठन।
4. निबंधित कार्यालय एवं कंपनी के नाम का प्रकाशन।
5. अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियम के अनुसार निर्धारित समय कंपनी रजिस्ट्रार, झारखंड के पास अपेक्षित फार्म रिटर्न दाखिल करना।
6. बोर्ड एवं अन्य समितियों की बैठक की सूचना।
7. निदेशक–मंडल तथा उसकी समिति की बैठक आयोजित करना एवं करवाना।
8. सोमवार, 27 जून, 2016 को सदस्यों की 41वीं वार्षिक बैठक की सूचना एवं आयोजित करवाना
9. लूज लिफ फार्म में विधिवत् दर्ज वार्षिक आम बैठक, असाधारण आम बैठक, बोर्ड की बैठक तथा बोर्ड की समितियों की बैठक की कार्यवाही का रख–रखाव, जिसे नियमित अंतराल पर बुक फार्म (पुस्तक के स्वरूप) में बनाया जा रहा है।
10. निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान।
11. अंकेक्षकों तथा कास्ट आडिटरों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक।
12. अंकेक्षण समिति तथा नामिनेशन एवं रिम्यूनेरेशन कमेटी का गठन एवं विचारार्थ विषय।
13. अपने सदस्यों एवं अंकेक्षकों की कंपनी द्वारा प्रलेखन की व्यवस्था (सर्विस)।

II. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि

1. निदेशकों ने, जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, अपने शेयर होल्डिंग तथा अन्य कम्पनियों में डायरेक्टरशीप तथा अन्य ईंटिटि में अपनी रूचि स्पष्ट की है तथा बोर्ड द्वारा उनकी रूचि को नोट तथा दर्ज किया गया है।
2. निदेशकों ने अपनी नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने तथा निदेशकों एवं वरीय प्रबंधन कार्मिकों के कोड आफ कंडक्ट के अनुपालन के बारे में डिस्क्लोजर रिक्वारमेंट का अनुपालन किया है।
3. कंपनी के आकार एवं प्रकृति के अनुसार प्रयोज्य कानून, नियम, अधिनियम तथा दिशा–निर्देशों को मानिटर तथा सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में उचित पद्धति तथा प्रक्रिया मौजूद है।
4. विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी, इसके निदेशकों तथा अधिकारियों पर कोई अभियोजन (मुकदमा) शुरू नहीं किया है तथा न फाइन तथा पेनाल्टी लगाया गया है।

प्रबंधन का दायित्व

1. कंपनी के प्रबंधन का दायित्व सेक्रेटेरियल रिपोर्ट का रख–रखाव तथा सभी प्रयोज्य कानूनों के प्रावधान तथा विनियमनों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित, पर्याप्त तथा प्रभावकारी पद्धति बनाना है। हमारा दायित्व अपने अंकेक्षण के आधार पर कंपनी के सचिवीय अभिलेख पर अपनी राय देना है।
2. निगमित शासन के प्रावधान तथा अन्य प्रयोज्य नियम, कानून विनियमन मानक का अनुपालन करना कंपनी का दायित्व है। हमारी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रिया की सत्यापन तक सीमित थी।

सतीश कुमार एंड असोसिएट्स
(कंपनी सचिव)

अंकेक्षकों का दायित्व

1. हमने उन सभी कार्यों एवं प्रक्रियाओं का अनुसरण किया जो सचिवीय अभिलेखों के विषय की शुद्धता के बारे में पर्याप्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए यथोचित था। परीक्षण के आधार पर सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य प्रतिबिम्बित होते हैं। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा अपनाए गए प्रैक्टिस एवं प्रक्रिया अपनी राय देने में हमें पर्याप्त आधार देते हैं।

2. हमने कंपनी नियम के अनुपालन के अनुसार वित्तीय अभिलेख की जाँच की है तथा कंपनी के लेखा पुस्तिका की शुद्धता तथा औचित्य की जाँच नहीं की है।

3. जहाँ कहीं अपेक्षित हुआ है, कानून, नियम तथा विनियमन के अनुपालन घटना होने आदि के बारे में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त कर लिया है।

4. सचिकीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है, और न ही प्रभावकारिता की दक्षता जिससे प्रबंधन ने कंपनी मामले को संचालित किया है।

परिशिष्ट में दिए गए विवरण में दी गई टिप्पणी के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लेखित कानून के प्रावधान, नियम, विनियमन, दिशा–निर्देश आदि का अनुपालन किया है जो आगे दिया गया है।

वास्ते **सतीश कुमार एंड असोसिएट्स**

ह./–

स्थान : राँची
दिनांक : 15 मई, 2017

सतीश कुमार
कंपनी सचिव
एफसीएस नं. 8423
सीपी सं. 9788

परिशिष्ट

सचिवीय अंकेक्षक की टिप्पणी एवं प्रबंधन का स्पष्टीकरण

क्र. सं.	टिप्पणी	स्पष्टीकरण
1.	कंपनी के पास एक महिला निदेशक सहित पाँच स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन आज की तिथि (रिपोर्ट की) के अनुसार इसके बोर्ड में सिर्फ दो स्वतंत्र निदेशक हैं और कोई महिला निदेशक नियुक्त नहीं की गई है।	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 तथा डीपीई दिशा–निर्देश के अनुपालन हेतु अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों तथा महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकरण कोयला मंत्रालय के साथ पत्राचार किया है।

परिशिष्ट - VII

स. 74/सीए/एलए–III/एक्ट./सीएमपीडीआई/2016-17aNo. 74/CA/LA-III/Act./CMPDI/2016-17

कार्यालय प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा तथा पदेन सदस्य लेखा परीक्षा बोर्ड–II कोलकाता

पुराना निजाम महल, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड,

कोलकाता– 700020

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF
COMMERCIAL AUDIT & EX-OFFICIO MEMBER
AUDIT BOARD-II, KOLKATA
Date 13/06/2017

सेवा में,

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक,

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड,

गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची– 834 008

महोदय,

मैं 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी इसके साथ अग्रसारित कर रहा हूँ।

कृपया इसकी प्राप्ति की सूचना दी (से अवगत कराया) जाए।

आपका विश्वासी

संलग्न : यथोक्त।

ह./–

(रीणा साहा)

व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक

एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–II, कोलकाता के पदेन सदस्य

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 13 जून, 2017

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड के लेखे पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत वित्तीय प्रतिवेदन फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के वित्तीय विवरण की तैयारी का दायित्व कंपनी प्रबंधन का है। अधिनियम की धारा 130 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त संविधिक अंकेक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विहित अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अपने स्वतंत्र अंकेक्षण के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरण पर अपना विचार देने के लिए उत्तरदायी है। कहा गया है कि यह दिनांक 24.05.2017 के उनके अंकेक्षण रिपोर्ट के अनुसार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैने 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड को वित्तीय विवरण के अधिनियम की धारा 143(6) (ए) के तहत पूरक अंकेक्षण किया गया है। यह पूरक अंकेक्षण सांविधिक अंकेक्षकों के कार्यकारी अभिलेख (वर्किंग पेपर) तक पहुँच (एक्सेस) के बना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा यह प्रथमतः सांविधिक अंकेक्षकों तथा कंपनी के कर्मियों की जाँच और कुछ चयनित लेखा अभिलेखों के परीक्षण तक सीमित है। हमारे अंकेक्षण के आधार पर मेरी जानकारी में कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जिस पर सांविधिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देना अपेक्षित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से एवं वास्ते

ह./–
(रीणा साहा)
व्यावसायिक अंकेक्षण के प्रधान निदेशक
एवं लेखा परीक्षा बोर्ड–।।, कोलकाता के पदेन सदस्य

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 13 जून, 2017

परिशिष्ट - VIII

अनुच्छेद 188 (1) के तहत संबंधित पार्टियों के साथ संविदा या व्यवस्था

फार्म संख्या एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खण्ड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप धारा (1) में उद्धृत सम्बद्ध पार्टियों तथा उसके तृतीय परन्तुक के तहत आर्म लेन्थ ट्रान्जेक्शन के साथ कंपनी द्वारा किए गए संविदा/व्यवस्था के विवरण के स्पष्टीकरण के लिए फार्म।

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	**वैसे संविदा व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा जो आर्मलेन्थ बेसिस पर न हो**	**शून्य**
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य सहित संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रमुख शर्त टर्म	
ड.)	इस प्रकार के संविदा या व्यवस्था या लेन–देन करने का औचित्य	
च)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि	
छ)	अग्रिम, यदि कोई हो, के रूप में भुगतान की गई रकम	
ज)	धारा 188 के पहले परंतुक के तहत यथा अपेक्षित रकम आम बैठक द्वारा पारित विशेष संकल्प की तिथि	
2.	**आर्मस लेन्थ आधार पर महत्वपूर्ण (मेटेरियल) संविदा, व्यवस्था या लेन-देन का ब्यौरा**	**परिशिष्ट'ए'** के अनुसार
क)	संबंधित पार्टी का नाम तथा संबंध की प्रकृति	
ख)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की प्रकृति	
ग)	संविदा/व्यवस्था/लेन–देन की अवधि	
घ)	मूल्य, यदि कोई हो, सहित संविदा या व्यवस्था या लेन–देन की प्रमुख शर्त	
ड.)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो,	
च)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो,	

(शेखर सरन)
अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

स्थान : राँची
तिथि : 06.07.2017

परिशिष्ट -'ए'

ग्रूप के भीतर संबंधित पार्टी के साथ लेन-देन

सरकार से संबंधित इन्टीटी होने के नाते कंपनी को संबंधित पार्टी लेन–देन के बारे में सामान्य स्पष्टीकरण अपेक्षा तथा एक ही सरकार के अधीन नियंत्रक सरकार तथा अन्य इंटीटी के पास बकाया शेष से छूट हे।

इंड एस 24 के अनुसार बड़े (महत्वपूर्ण) की प्रकृति तथा रकम के बारे में स्पष्टीकरण इस प्रकार है।

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	विवेच्य वर्ष के दौरान लेन-देन की रकम	लेन-देन की प्रकृति
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	110.74	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	43.43	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	103.80	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	115.47	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	82.95	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	369.15	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अधीन	60.24	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री टीडीएस
सीआईएल	100 % होल्डिंग	919.59	कर्मचारी से संबंधित, बिक्री, कोष एवं टीडीएस

परिशिष्ट - IX

31.3.2017 की तिथि को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट के भाग का परिशिष्ट कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक), नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 5(2) के अनुसार सूचना।

क्र.सं.	नाम	पदनाम/कार्य की प्रकृति	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रू.)	नियुक्ति की प्रकृति स्थाई/अस्थाई	योग्यता	अनुभव (वर्ष)	प्रारंभ की तिथि	31.3.2015 को उम्र (वर्ष)	अंतिम नियोजन	धरित इक्विटी शेयर का %	क्या निदेशक/प्रबंधक से संबंधित है
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(अ)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में पूरे वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित तथा उस वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त सकल पारिश्रमिक जो 1,02,00,000/–रू. से कम नहीं था। ------------------------------शून्य------------------------------										
(ब)	समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए नियुक्त एवं वित्तीय वर्ष के लिए संपूर्ण योग क दर पर प्राप्त पारिश्रमिक जो 8,50,000/–रू. से कम नहीं था। ------------------------------शून्य------------------------------										
(स)	पूरे वित्तीय वर्ष या उसके भाग के दौरान नियोजित एमडी/डब्ल्यूटीडी/मैनेजर द्वारा मिलने वाले पारिश्रमिक से अधिक की प्राप्ति तथा जिसके पास कंपनी की इक्विटी शेयर का 2% से अधिक नहीं था। ------------------------------शून्य------------------------------										

परिशिष्ट - X

सीएसआर रिपोर्ट का परिशिष्ट

सीएसआर एवं सस्टनेबिलिटि एकाउन्ट (2016-17) पर हुआ व्यय

वर्ष 2016–17 के दौरान 120 लाख रू. के कुल बजट की तुलना में 135.07 लाख रू. सीएसआर तथा सस्टेनबिलिटि पर खर्च हुआ। कंपनी के एवरेज नेट प्राफिट के 2 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2016–17 के लिए सीएसआर बजट एवं केवल 77.64 लाख रू. होता है। सीएमपीडीआई बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात् वर्ष 2010–17 के लिए सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटी क्रिया–कलाप के लिए आवंटित राशि 77.64 लाख रू. से बढ़ाकर 120 कर दिया गया।

वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर बजट व्यय			
ईकाई	बजट (लाख रू. में)	सीएसआर एवं एसडी कार्यों पर किया गया व्यय (लाख रू. में)	सीएसआर पर किया गया खर्च (लाख रू. में)
मुख्यालय	73.25	75.72	75.72
आरआई - 1	8.00	6.20	6.20
आरआई - II	4.10	3.53	3.53
आरआई - III	6.10	5.94	5.94
टारआई - IV	16.42	15.69	9.34
आरआई - V	21.20	17.94	17.94
आरआई - VI	8.00	7.02	7.02
आरआई - VII	4.55	3.03	3.03
कुल	**141.62**	**135.07**	**128.72**

**सीएसआर बजट 120 लाख रू. मात्र तक ही सीमित है।*

वर्ष 2016-17 के लिए कार्यानुसार सीएसआर व्यय

क्र.सं.	कार्य	सीएसआर एवं सस्टेनेबिलिटि पर खर्च (लाख रू. में)	सीएसआर पर व्यय (लाख रू. में)
1	शिक्षा	33.16	33.16
2	आधारभूत संरचना	72.97	72.97
3	जलापूर्ति	5.99	5.99
4	स्वास्थ्य सेवा	10.00	10.00
5	सस्टैनेबिलिटी	6.35	—
6	कौशल विकास/महिला सशक्तिकरण	3.19	3.19
7	सामाजिक विकास	0.33	0.33
8	खेल	0.25	0.25
9	अन्य	2.83	2.83
10	**कुल**	**135.07**	**128.72**

सीएसआर नीति का कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग कंपनी के सीएसआर उद्देश्य तथा नीति के अनुरूप ही है.

अध्यक्ष सीएसआर समिति

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

वार्षिक लेखा 2016-17

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

तुलन पत्र 31, मार्च, 2017 के अनुसार

(करोड़ रू. में)

	टिप्पणी संख्या	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े 31.03.2017 (अंकेक्षित)	31.03.2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01.04.2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
परिसंपत्ति				
गैर-चालू परिसंपत्ति				
(क) प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण	3	**132.95**	97.41	77.05
(ख) चालू पूंजीगत कार्य	4	**46.53**	61.44	33.1
(ग) गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति	5			
(घ) अन्य इनटेनजिबल परिसम्पत्ति	6	**2.24**	2.85	4.53
(ड.) विकास के तहत इंटेनजिबल परिसंपत्ति				
(च) निवेश प्रॉपर्टी				
(छ) वित्तीय परिसंपत्ति				
(i) निवेश	7			
(ii) ऋण	8	**0.02**	0.03	0.06
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	9	**1.15**	1.32	1.6
(ज) आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		**115.62**	100.47	106.43
(झ) अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ	10	**13.03**	10.29	3.32
कुल गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		**311.54**	273.81	226.09
चालू परिसंपत्तियाँ				
(क) वस्तु सूची	12	**9.38**	7.41	6.1
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश	7			
(ii) पेशागत वसूली	13	**327.65**	248.24	236.06
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य	14	**77.18**	124.3	85.92
(iv) अन्य बैंक शेष	15			
(अ) ऋण	8			
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	**150.29**	135.89	211.670
(ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)				
(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	11	**255.53**	283.54	251.53
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (ख)		**820.03**	799.38	791.28
कुल परिसंपत्तियाँ (क+ख)		**1131.57**	1073.19	1017.37
इक्विटि एवं देयताएँ				
इक्विटि				
(क) इक्विटि शेयर कैपिटल	16	**19.04**	19.04	19.04
(ख) अन्य इक्विटि	17	**236.66**	196.21	163.8
कंपनी के शेयरहोल्डर को इक्विटि एट्रीब्यूटेबल		**255.7**	215.25	182.84
नन-कंट्रोलिंग इंटरेस्ट		**-**	-	
कुल इक्विटि (क)		**255.7**	**215.25**	**182.84**

तुलन पत्र 31, मार्च, 2017 के अनुसार

(करोड़ रू. में)

	टिप्पणी संख्या	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े 31.03.2017 (अंकेक्षित)	31.03.2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01.04.2015 (अथशेष) (पुनर्कथित))
देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधारी	18			
(ii) पेशागत देय (यदि कोई हो)				
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**49.62**	42.43	32.86
(ख) प्रावधान	21	**224.16**	203.06	225.78
(ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)				
(घ) अन्य चालू देएताएँ	22			
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**273.78**	245.49	258.64
चालू देयताएँ				
(क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधारी	18			
(ii) पेशागत देय	19	**1.13**	0.99	0.77
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	20	**10.51**	6.37	5.44
(ख) अन्य चालू देयताएँ	23	**175.84**	187.95	156.68
(ग) प्रावधान	21	**263.74**	305.43	309.39
(घ) चालू कर देयताएँ (निबल)		**150.87**	111.71	103.61
कुल चालू देयताएँ (ग)		**602.09**	612.45	575.89
कुल इक्विटि एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**1131.57**	1073.19	1,017.37

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1,2 तथा 38 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)
कम्पनी सचिव

(डी.के. राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(वी.के. सिन्हा)
निदेशक
डीआईएन 06743778

(शेखर सरन)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन 0667551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के. सी. टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216 सी

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 24 मई, 2017
स्थान : दिल्ली

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

(करोड़ रू. में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को (अंकेक्षित) समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को (अंकेक्षित) समाप्त वर्ष के लिए
	परिचालन से राजस्व			
A	बिक्री (निबल)	24	**930.52**	759.27
B	अन्य परिचालन राजस्व (निबल)			
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**930.52**	759.27
(II)	अन्य आय	25	**15.47**	5.08
(III)	**कुल आय (I+II)**		**945.99**	764.35
(IV)	खर्च			
	उपभोग्य सामग्रियों की लागत	26	**26.65**	21.92
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद			
	समाप्त सामग्रियों की वस्तु-सूची में बदलाव/चालू कार्य और पेशागत भंडार उत्पाद कर	27		
	उत्पाद शुल्द			
	कर्मचारी सुविधा पर व्यय	28	**481.75**	435.08
	विद्युत एवं इंधन		**3.30**	3.55
	निगमित सामाजिक दायित्व खर्च	29	**1.02**	2.01
	मरम्मती	30	**23.18**	19.90
	संविदात्मक व्यय	31	**271.07**	205.09
	वित्तीय लागत	32	**0.31**	0.24
	मूल्य हास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		**20.26**	12.39
	प्रावधान	33	**0.13**	(0.11)
	राइट आफ	34		
	अन्य व्यय	35	**52.79**	48.93
	कुल व्यय (IV)		**880.46**	749.00
(V)	अपवादात्मक मद के पूर्व लाभ एवं कर (III-IV)		**65.53**	15.35
(VI)	अपवादात्मक मद		**-**	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**65.53**	15.35
(VIII)	कर खर्च	36	**24.94**	6.21
(IX)	कन्टीन्यूईंग परिचालन की अवधि के लिए लाभ (VII-VIII)		**40.59**	9.14
(X)	डिसकंटीन्यूड परिचालन से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XI)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन का कर खर्च		**-**	-
(XII)	डिस्कंटीन्यूड परिचालन (कर पश्चात्) (X-XI) से लाभ/(हानि)		**-**	-
(XIII)	जेवी/एसोसिएट के लाभ/(हानि) में शेयर		**-**	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**40.59**	9.14
	अन्य विस्तृत आय	37		
क	(i) वैसा मद जिसे लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किया गया हो।		**(2.70)**	22.68
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया गया हो।			

31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरण

(करोड़ रू. में)

		टिप्पणी संख्या	31.03.2017 को (अंकेक्षित) समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को (अंकेक्षित) समाप्त वर्ष के लिए
(ख)	(i) पैसा मद से लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।			
	(ii) मद से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया हो।		**(0.93)**	7.85
(XV)	**कुल अन्य विस्तृत आय**		**(1.77)**	14.83
(XVI)	**कुल विस्तृत आय अवधि के लिए (XIV+XV) (कंप्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य विस्तृत आय अवधि के लिए**		**38.82**	23.97
	लाभ के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक :		**40.59**	9.14
	अनियंत्रित ब्याज :			
			40.59	9.14
	कुल विस्तृत आय के लिए श्रेय :			
	कंपनी का मालिक		**38.82**	23.97
	अनियंत्रित ब्याज			
			38.82	23.97
(XVII)	**प्रति इक्विटी शेयर आय (कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए)**			
	(1) बेसिक		**2,131.83**	480.04
	(2) डाइल्यूटेड		**2,131.83**	480.04
(XVIII)	प्रति इक्विटी शेयर आय (डिस्कनटिन्यूड ऑरेशन के लिए)			
	(1) बेसिक		**-**	-
	(2) डाइल्यूटेड		**-**	-
(XIX)	प्रति इक्विटी शेयर आय (डिस्कनटिन्यूड एवं कनटिन्यूईंग ऑपरेशन के लिए)			
	(1) बेसिक		**2,131.83**	480.04
	(2) डाइल्यूटेड		**2,131.83**	480.04

इसके साथ संलग्न टिप्पणियाँ एवं टिप्पणी 1ए 2 और 38 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

(ए. मुंधरा)	**(डी.के. राव)**	**(वी.के. सिन्हा)**	**(शेखर सरन)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 06743778	डीआईएन 0667551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के. सी. टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216 सी

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 24 मई, 2017
स्थान : दिल्ली

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए नकद प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(करोड़ रू. में)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**परिचालन क्रिया-कलापों द्वारा नकद प्रवाह :**		
	कर से पूर्व कुल विस्तृत आय समायोजन के लिए	**62.83**	**38.03**
	मूल्यह्रास और अचल परिसंपत्तियों की क्षति		10.15
	बैंक जमा से ब्याज		(0.88)
	वित्तीय लागत		0.24
	निवेश से ब्याज/लाभांश		0.00
	समायोजन के लिए :	**(0.14)**	(0.35)
	अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि		(3.85)
	अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय		0.00
	अवधि के रौरान देयता वापस लाया		0.00
	अग्रिम स्ट्रीपिंग एक्टीविटी समायोजन		**43.34**
	समायोजन के लिए :		
	पेशागत प्राप्य	**(79.41)**	**(11.88)**
	इन्वेन्ट्रीज	**(1.97)**	(1.31)
	लघु/दीर्घकालिन ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	**(4.10)**	43.07
	लघु/दीर्घकालिन देयताए एवं प्रावधान	**17.93**	22.74
	परिचालन से उत्पन्न नकद	**0.12**	**95.96**
	आयकर भुगतान/रिफंड	**(24.01)**	(14.06)
	ब्याज भुगतान	**(0.31)**	(0.24)
	परिचालन क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (क)	**(24.20)**	**81.66**
ख	**निवेश क्रिया-कलापों से नकद प्रवाह**		
	अचल परिसंपत्तियों की खरीद	**(40.05)**	(61.71)
	परिसंपत्ति की बिक्री से आय	**0.17**	0.47
	अन्य दीर्घकालिन. ऋण एवं अग्रिम (पूँजी अग्रिम)	**0.00**	0.00
	फिक्स्ड डिपॉजिट/सब्सिडियरी के लिए ऋण पर ब्याज प्राप्त	**11.25**	0.88
	अन्य गैर-परिचालित आय	**4.08**	3.85
	बैंक जमा में निवेश	**0.00**	0.00
	निवेश में बदलाव	**0.00**	0.00
	संयुक्त उद्यम में निवेश	**0.00**	0.00
	निवेश गतिविधियों से संबंधित ब्याज	**0.00**	0.00
	निवेशों से ब्याज/लाभांश	**0.00**	0.00
	निवेश क्रिया-कलापों से निबल नकद प्रवाह (ख)	**(24.55)**	**(56.51)**

(ग) फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक उधार / सरकारी अनुदान से सुरूआत	**1.63**	13.22
उधार का पुनर्भुगतान	**0.00**	0.00
फाइनेंसिंग क्रिया-कलापों से संबंधित ब्याज और वित्तीय लागत	**0.00**	0.00
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की रसीद	**0.00**	0.00
लाभांश और लाभांश कर	**0.00**	0.00
इक्विटी शेयर पूँजी को वापस खरीदना	**0.00**	0.00
फाइनेंसिंग क्रिया-कलाप में इस्तेमाल होने वाला निबल नकद (ग)	**1.63**	**13.22**
नकद और बैंक बैंलेंस में निबल वृद्धि / कमी (क+ख+ग)	**(47.12)**	**38.38**
नकद और नकद के बराबर (अथ शेष)	**124.30**	**85.92**
नकद और नकद के बराबर (इति शेष)	**77.18**	**124.30**

(ब्रैकेट में सभी आँकड़े बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है)

(ए. मुंधरा)	**(डी.के. राव)**	**(वी.के. सिन्हा)**	**(शेखर सरन)**
कम्पनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 06743778	डीआईएन 0667551

उसी तारीख को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
वास्ते के. सी. टाक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीकरण संख्या : 000216 सी

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 079005

तिथि : 24 मई, 2017
स्थान : दिल्ली

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

31.3.2017 को समाप्त वर्ष के लिए क्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूँजी

(करोड़ रू. में)

विवरण	01.04.2015 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03.2016 के अनुसार शेष	31.03.2016 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	31.03. 2017 के अनुसार शेष
1000 रू. प्रत्येक 1,90,400 इक्विटी शेयर के	19.04	-	19.04	19.04	-	**19.04**

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता प्राप्त शेयर का इक्विटी हिस्सा	अन्य भण्डार				सामान्य भंडार	प्रतिधारित कमाई	कुल	गैर-नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्शन रिजर्व	कैपिटल रिजर्वस	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास भंडार					
01.04.2015 के अनुसार शेष	**-**		**9.73**			**5.77**	**143.52**	**159.02**		**159.02**
लेखांकन नीति में बदलाव										
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ							4.78			
01.04.2015 के अनुसार पूर्व घोषित शेष	**-**	**-**	**9.73**	**-**	**-**	**5.77**	**148.30**	**163.80**		**163.80**
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-		**10.04**				-	10.04		10.04
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(1.60)					(1.60)		(1.60)
वर्ष के लिए कुल विस्तृत आय	-						23.97	23.97		23.97
<u>विनियोग</u>	-							-		-
सामान्य भंडार में/से स्थानांतरण	-							-		-
अन्य भंडार में/से स्थानांतरण	-							-		-
अंतरिम लाभांश	-							-		-
अंतिम लाभांश	-							-		-

कॉपोरेट लाभांश कर	-									-
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-									-
31.03.2016 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**18.17**	**-**	**-**	**5.77**	**172.27**			**196.21**
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	-	**18.17**	-	-	**5.77**	172.27			196.21
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	-	-	**2.32**	-	-	-	-			2.32
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.69)	-	-	-	-			(0.69)
लेखांकन नीति में बदलाव या अवधि पूर्व त्रुटियाँ										
वर्ष के दौरान कुल विस्तृत आय	-	-		-	-		38.82			38.82
विनियोग	-	-		-	-					-
सामान्य भंडार में/सीनांतरण	-	-		-	-					-
अन्य भंडार में/से सीनांतरण	-	-		-	-					-
अंतरिम लाभांश	-	-		-	-					-
अंतिम लाभांश	-	-		-	-					-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-		-	-					-
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-		-	-					-
31.03.2017 के अनुसार शेष	**-**	**-**	**19.80**	**-**	**-**	**5.77**	**211.09**			**236.66**

खातों में जोड़ा जाने वाला विशिष्ट टिप्पणियाँ

ख. भारतीय लेखा मानक के अनुसार परिवर्तन (इण्ड एस)

1) कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का वित्तीय परिणाम।

2) पिछले वर्ष की इसी अवधि अर्थात 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के तुलनात्मक आँकड़े भारतीय लेखा मानक के अनुसार आवश्यक समायोजन करने के बाद संकलित किए गए हैं और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन नहीं किए गए हैं।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

परिवर्तन का विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 3 : परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(करोड़ रू. में)

	पूर्व स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साईट पुनःस्थापन लागत	इमारत(पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
निबल वहनीय राशि															
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	1.15	1.34		25.83	35.78	0.15		4.53	0.62	6.97			0.68		77.05
जोड़कर				3.81	22.92	-		4.00	-	1.94			0.16		32.83
हटाकर/समायोजन				(0.01)	(2.18)	-		(0.37)	-	(0.85)			(0.13)		(3.54)
31 मार्च, 2016 के अनुसार	1.15	1.34	-	29.63	56.52	0.15	-	8.16	0.62	8.06	-	-	0.71	-	106.34
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	1.15	1.34	-	29.63	56.52	0.15	-	8.16	0.62	8.06	-	-	0.71	-	106.34
जोड़कर	-	-	-	17.65	34.62	0.05	-	0.62	0.41	1.37			0.23		54.95
हटाकर/समायोजन	-	-	-	0.17	(0.91)	-	-	(0.11)	0.01	(0.25)			(0.24)		(1.33)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**1.15**	**1.34**	**-**	**47.45**	**90.23**	**0.20**	**-**	**8.67**	**1.04**	**9.18**	**-**	**-**	**0.70**	**-**	**159.96**
संचित मूल्यहास और क्षति															
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार															-
वर्ष के दौरान चार्ज		0.03		1.04	7.93	-		2.25	-	1.51					12.76
क्षति															-
हटाकर/समायोजन					(2.04)	-		(1.02)	-	(0.77)					(3.83)
31 मार्च, 2016 के अनुसार	-	0.03	-	1.04	5.89	-	-	1.23	-	0.74	-	-	-	-	8.93
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	-	0.03	-	1.04	5.89	-	-	1.23	-	0.74	-	-	-	-	8.93

	पूर्व स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/साईट पुनःस्थापन लागत	इमारत(पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं फिक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारभूत संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
वर्ष के दौरान चार्ज	-	0.02	-	1.63	14.20	0.02	-	1.13	0.30	1.73					19.03
क्षति															
हटाकर/समायोजन	-	(0.01)	-	-	(0.60)	-	-	(0.27)	0.01	(0.08)					(0.95)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**-**	**0.04**	**-**	**2.67**	**19.49**	**0.02**	**-**	**2.09**	**0.31**	**2.39**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.01**
नेट कैरिंग एमाउन्ट															-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**1.15**	**1.30**	**-**	**44.78**	**70.74**	**0.18**	**-**	**6.58**	**0.73**	**6.79**	**-**	**-**	**0.70**	**-**	**132.95**
31 मार्च, 2016 के अनुसार	1.15	1.31	-	28.59	50.63	0.15	-	6.93	0.62	7.32	-	-	0.71	-	97.41
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	1.15	1.34	-	25.83	35.78	0.15	-	4.53	0.62	6.97	-	-	0.68	-	77.05
01.04.2015 को कैरिंग वैल्यू का सामंजस्य भारतीय लेखा मानक और पिछले जीएएपी के अनुसार।															
ग्रोस कैरिंग एमाउन्ट															
1 अप्रैल 2015 के अनुसार	1.15	2.19		42.71	118.67	1.87		10.85	2.90	14.90			0.68		195.92
संचित मूल्यहास और क्षति															
1 अप्रैल 2015 के अनुसार		0.85		16.88	82.89	1.72		6.32	2.28	7.93					118.87
नेट कैरिंग एमाउन्ट	**1.15**	**1.34**	**-**	**25.83**	**35.78**	**0.15**	**-**	**4.53**	**0.62**	**6.97**	**-**	**-**	**0.68**	**-**	**77.05**

टिप्पणी :

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूचि II के अनुसार मूल्यहास प्रदान किया गया है।
2. अन्य भूमि में क्षेत्रीय संस्थान-7 का रू. 1.30 (नेट कैरिंग एमाउन्ट) का लीज होल्ड शामिल है। इसके लिए 90 वर्ष का लीज़ अवधि है, जो नवीनीकरण विकल्प के साथ 18.07.1990 और 04.01.2011 से लागू होगा।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 4 पूँजी डब्ल्यूआईपी

(करोड़ रू. में)

	इमारत (पानी की आपूर्ति, सड़कों और पुलिया सहित)	संयंत्र और उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारभूत संरचना/ विकास	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
निबल वहनीय राशि						
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	16.37	16.73				33.10
जोड़कर	11.73	29.27				41.00
पूँजीवाद/हटाकर	(6.38)	(6.28)				(12.66)
31 मार्च, 2016 के अनुसार	21.72	39.72	-	-	-	61.44
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	21.72	9.72				61.44
जोड़कर	10.31	25.32				35.63
पूँजीवाद/हटाकर	(17.74)	(32.80)				(50.54)
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**14.29**	**32.24**	**-**	**-**	**-**	**46.53**
प्रावधान और क्षति						
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार						-
वर्ष के दौरान चार्ज						-
क्षति						-
हटाकर/समायोजन						-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार						-
वर्ष के दौरान चार्ज						-
क्षति						-
हटाकर/समायोजन						-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट						-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**14.29**	**32.24**	**-**	**-**	**-**	**46.53**
31 मार्च, 2016 के अनुसार	21.72	39.72	-	-	-	61.44
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	16.37	16.73	-	-	-	33.10
01.04.2015 को कैरिंग वैल्यू का सामंजस्य भारतीय लेखा मानक और पिछले जीएएपी के अनुसार।						
नेट कैरिंग एमाउन्ट						
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	16.37	16.73				33.10
प्रावधान/क्षति						
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार						-
नेट कैरिंग एमाउन्ट	**16.37**	**16.73**	**-**	**-**	**-**	**33.10**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 5 : गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रू. में)

	गवेषण एवं मूल्यांकन लागत
नेट कैरिंग एमाउन्ट :	
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
जोड़कर	
घटाकर / समायोजन	
31 मार्च, 2016 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	
जोड़कर	
घटाकर / समायोजन	
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-
प्रावधान एवं क्षति	
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	
वर्ष के दौरान चार्ज	
क्षति	
घटाकर / समायोजन	
31 मार्च, 2016 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	
वर्ष के दौरान चार्ज	
क्षति	
घटाकर / समायोजन	
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट	
31 मार्च, 2017 के अनुसार	-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	-
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	-

01.04.2015 को कैरिंग मूल्य का सामंजस्य भारतीय लेखा मानक और पिछले जीएएपी के अनुसार।

ग्रोस कैरिंग एमाउन्ट :	
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	-
प्रावधान एवं क्षति	
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	-
नेट कैरिंग एमाउन्ट	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 6 : अन्य इन्टेंजिबल परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रू. में)

	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य (टिप्पणी में निर्दिष्ट करें)	कुल
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	4.53	-	4.53
जोड़कर	0.29		0.29
घटाकर / समायोजन	-		-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	4.82	-	4.82
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	4.82		4.82
जोड़कर	1.31		1.31
घटाकर / समायोजन			-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**6.13**	**-**	**6.13**
परिशोधन और क्षति			
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार			
वर्ष के दौरान चार्ज	1.97		1.97
क्षति			-
घटाकर / समायोजन			-
31 मार्च, 2016 के अनुसार	1.97	-	1.97
1 अप्रैल, 2016 के अनुसार	1.97		1.97
वर्ष के दौरान चार्ज	1.92		1.92
क्षति			-
घटाकर / समायोजन			-
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**3.89**	**-**	**3.89**
नेट कैरिंग एमाउन्ट			
31 मार्च, 2017 के अनुसार	**2.24**	**-**	**2.24**
31 मार्च, 2016 के अनुसार	2.85	-	2.85
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	4.53	-	4.53

01.04.2015 को कैरिंग वैल्यू का सामंजस्य भारतीय लेखा मानक और पिछले जीएएपी के अनुसार।

ग्रोस कैरिंग एमाउन्ट			
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	7.55		7.55
प्रावधान और क्षति			
1 अप्रैल, 2015 के अनुसार	3.02		3.02
नेट कैरिंग एमाउन्ट	**4.53**	**-**	**4.53**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

परिवर्तन का विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी संख्या : 3, 4, 5 एवं 6 के अनुसार परिसंपत्ति का विवरण

(करोड़ रू. में)

(क) अचल परिसंपत्ति और सॉफ्टवेयर (एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी,पीआरई,सीआईएल आरएंडडी आदि परिसंपत्तियाँ छोड़कर)

	सकल ब्लॉक				मूल्य ह्रास				निबल ब्लॉक	
विवरण	01.04.2016 के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के दौरान जोड़कर	31.03.2017 को समाप्त अवधि के दौरान समायोजन/बिक्रियाँ	31.03.2017 के अनुसार	01.04.2016 के अनुसार	31.03.2017 को समाप्त अवधि के दौरान जोड़कर	31.03.2017 को समाप्त अवधि के दौरान समायोजन/बिक्रियाँ	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
I सीएमपीडीआई- अचल परिसम्पत्तियाँ										
भूमि										
क) फ्रीहोल्ड	1.15	-	-	1.15		-	-		**1.15**	1.15
ख) लीस्होल्ड	2.19	-	-	2.19	0.88	0.02	(0.01)	0.89	**1.30**	1.31
इमारतें	46.20	17.65	0.17	64.02	17.86	1.62	(0.01)	19.47	**44.55**	28.34
संयंत्र और मशीनरी	101.97	34.35	(0.91)	135.41	57.18	13.69	(0.61)	70.26	**65.15**	44.79
कार्यालय उपकरण	2.90	0.41	-	3.31	2.28	0.30	0.01	2.59	**0.72**	0.62
फर्नीचर एवं फिटिंग	13.54	0.62	(0.10)	14.06	6.89	1.07	(0.26)	7.70	**6.36**	6.65
दूरसंचार	1.87	0.05	-	1.92	1.72	0.02	-	1.74	**0.18**	0.15
वाहन	15.94	1.37	(0.25)	17.06	8.63	1.73	(0.08)	10.28	**6.78**	7.31
कुल(I)-अचल परिसंपत्तियाँ	185.76	54.45	(1.09)	239.12	95.44	18.45	(0.96)	112.93	**126.19**	90.32

II अचल परिसंपत्तियाँ(एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल आरएंडडी आदि)										
भूमि										
क)फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-		**-**	-
ख)लीस्होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
इमारतें	0.31	-	-	0.31	0.06	0.01	0.01	0.08	**0.23**	0.25
संयंत्र और मशीनरी	37.44	0.27	-	37.71	31.60	0.51	0.01	32.12	**5.59**	5.84
कार्यालय उपकरण	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	**0.01**	

फर्नीचर एवं फिटिंग	0.94	-	(0.01)	0.93	0.66	0.06	(0.01)	0.71	**0.22**	0.28
दूरसंचार	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**	-
वाहन	0.05	-	-	0.05	0.04	-	-	0.04	**0.01**	0.01
कुल (II) अचल परिसंपत्तियाँ	38.74	0.27	-	39.01	32.36	0.58	0.01	32.95	**6.06**	6.38
कुल (I+II) अचल परिसंपत्तियाँ	224.50	54.72	(1.09)	278.13	127.80	19.03	(0.95)	145.88	**132.25**	96.70
(ख) डब्ल्यूआईपी-(एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल आरएंडडी आदि-परिसंपत्तियाँ छोड़कर)										
(I) डब्ल्यूआईपी-सीएमपीडीआई परिसंपत्तियाँ										
बिल्डिंग	21.72	10.31	(17.74)	14.29					**14.29**	21.72
संयंत्र एवं मशीनरी	28.45	23.05	(32.58)	18.92					**18.92**	28.45
कुल (I) - डब्ल्यूआईपी	50.17	33.36	(50.32)	33.21	-	-	-	-	**33.21**	50.17
(II) डब्ल्यूआईपी (एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल आरएंडडी आदि)										
संयंत्र एवं मशीनरी	11.27	2.27	(0.22)	13.32					**13.32**	11.27
कुल (II) - डब्ल्यूआईपी	11.27	2.27	(0.22)	13.32	-	-	-	-	13.32	11.27
कुल (I+II) - डब्ल्यूआईपी	61.44	35.63	(50.54)	46.53	-	-	-	-	**46.53**	61.44
(ग) सॉफ्टवेयर - (एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी,पीआरई, सीआईएल आरएंडडी आदि-परिसंपत्तियाँ छोड़कर)										
(I) सॉफ्टवेयर-सीएमपीडीआई										
	5.67	1.31		6.98	2.92	1.81		4.73	**2.25**	2.75
कुल (I) सॉफ्टवेयर	5.67	1.31	-	6.98	2.92	1.81	-	4.73	**2.25**	2.75
(II) सॉफ्टवेयर (एसएंडटी सीसीडीए, इएमएससी, यूएनडीपी, पीआरई, सीआईएल आरएंडडी-आदि)										
	2.17			2.17	2.07	0.11		2.18	**(0.01)**	0.10
कुल **(II) - साफ्टवेयर**	2.17	-	-	2.17	2.07	0.11	-	2.18	**(0.01)**	0.10
कुल **(I+II) - सॉफ्टवेयर**	7.84	1.31	-	9.15	4.99	1.92	-	6.91	**2.24**	2.85
(घ) परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया	0.71	0.23	(0.24)	0.70					**0.70**	0.71

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 निवेश

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31.03.2017 (अंकेक्षित)	**31.03.2016** (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	**01.04.2015** (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर-चालू			
शेयर में निवेश			
संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी शेयर			
अन्य निवेश			
सुरक्षित बॉड में			
को ऑपरेटिव शेयर में			
कुल	**-**	**-**	**-**
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-	-
उद्धृत निवेश की कुल राशि	-	-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	-	-	-
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 7 निवेश (जारी.....)

(करोड़ रू. में))

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31.03.2017 (अंकेक्षित)	**31.03.2016** (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	**01.04.2015** (अथशेष) (पुनर्कथित)
चालू			
म्यूचुअल फंड निवेश			
यूटीआई म्यूचुअल फंड			
यूटीआई म्यूचुअल फंड			
यूटीआई लिक्विड कैश प्लान			
एलआईसी म्यूचुअल फंड			
एसबीआई म्यूचुअल फंड			
केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड			
यूनियन केबीसी म्यूचुअल फंड			
बीओआई एएसक्सए म्यूचुअल फंड			
कुल	**-**	**-**	**-**
उद्धृत निवेश की कुल राशि	**-**	**-**	**-**
उद्धृत निवेश की कुल राशि	**-**	**-**	**-**
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य	**-**	**-**	**-**
निवेश की मूल्य में क्षति की कुल राशि	**-**	**-**	**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी : 8 : ऋण

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31.03.2017 (अंकेक्षित)	31.03.2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01.04.2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर-चालू			
संबंधित पार्टियों को ऋण			
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- संदिग्ध			
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान			
कर्मचारियों को ऋण			
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**0.02**	0.03	0.06
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- संदिग्ध			
	0.02	0.03	0.06
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान			
	0.02	0.03	0.06
अन्य ऋण (टिप्पणी में उल्लेख किया जाना है)			
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- संदिग्ध			
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान			
कुल	**0.02**	0.03	0.06
वर्गीकरण			
प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
संदिग्ध			

चालू

संबंधित पार्टियों को ऋण

- प्रतिभूत, वसूली योग्य
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य
- संदिग्ध

घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

कर्मचारियों को ऋण

- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान
- संदिग्ध

घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

अन्य ऋण

- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान
- संदिग्ध

घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान

कुल	-	-	-

वर्गीकरण

प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान

अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान

संदिग्ध

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी-9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकडे		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	**31-03-2016** (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	**01-04-2015** (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर चालू			
बैंक जमा			
निम्नलिखित के तहत बैंक के पास जमा			
- माइन क्लोजर प्लान			
- स्थानान्तरण एवं पुनर्वास निधि योजना			
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग			
अन्य जमा '	**0.76**	0.71	0.71
घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**0.04**	0.04	
	0.72	0.67	0.71
अन्य वसूली योग्य	**0.43**	0.65	0.89
घटाकर : प्रावधान			
	0.43	0.65	0.89
कुल	**1.15**	1.32	1.60
चालू			
कोल इंडिया के पास सरप्लस फंड			
माइन क्लोजर खर्च के लिए एस्क्रो एकाउन्ट से वसूली योग			
निम्नलिखित के पास चालू खाता			
- कोल इंडिया लिमिटेड	**128.59**	127.32	192.41
- अनुषंगी कंपनियाँ			
- आईआईसीएम			
निम्नलिखित से प्राप्त व्याज			
- निवेश			
- बैंक जमा	**2.79**	0.66	1.82
- अन्य (टिप्पणी में उल्लेखित)			
अन्य जमा '	-	0.04	0.04
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान			
	-	0.04	0.04
प्राप्य दावे	**5.97**	7.86	7.38
घटाकर : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान			
	5.97	7.86	7.38
अन्य वसूली योग्य	**12.94**	0.01	10.02
घटाकर : संदिग्ध दावे के लिए प्रावधान			
	12.94	0.01	10.02
कुल	**150.29**	135.89	211.67

टिप्पणी : निम्नलिखित अन्य जमा

	31.03.2017	**31.03.2016**	**01.04.2015**
गैस कंपनी एवं अन्य को जमा	**0.03**	0.02	0.02
विद्युत कंपनी को जमा	**0.56**	0.53	0.53
पीएंडटी जमा	**0.07**	0.07	0.07
सुरक्षा जमा देय	**0.09**	0.13	0.13
कुल	**0.76**	0.75	0.75

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी -10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
(i) अग्रिम पूँजी	**13.00**	10.26	3.28
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
	13.00	10.26	3.28
(ii) अग्रिम पूँजी के अलावे अग्रिम			
(क) युटिलिटी के लिए प्रतिभूति जमा			
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
(ख) अन्य जमा			
घटाकर : संदिग्ध जमा के लिए प्रावधान			
(ग) पार्टी से संबंधित अग्रिम			
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	**0.03**	0.03	0.04
घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
	0.03	0.03	0.04
(ड.) गवेषणात्मक वेधन कार्य (इर्स्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए)			
घटाकर : प्रावधान			
(च) पूर्व प्रदत्त व्यय			
(छ) अन्य			
कुल	**13.03**	10.29	3.32

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 11 : अन्य चालू परिसंपत्तियाँ

(करोड़ रू. में)

		निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
		31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
(क)	पूंजी के लिए अग्रिम			
	घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
		-	-	-
(ख)	राजस्व के लिए अग्रिम	**0.85**	0.72	0.63
	घटाकर : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**0.03**	0.03	0.03
		0.82	0.69	0.60
(ग)	संविदात्मक बकाए के लिए अग्रिम भुगतान	**243.92**	256.67	207.53
	घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
		243.92	256.67	207.53
(घ)	पार्टियों से संबंधित अग्रिम			
(ङ.)	कर्मचारियों को अग्रिम			
	घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
		-	-	-
(च)	अग्रिम - अन्य *	**4.83**	25.80	39.13
	घटाकर : संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान			
		4.83	25.80	39.13
(छ)	जमा - उपयोगिता के लिए			
	घटाकर : प्रावधान			
		-	-	-
(ज)	जमा - अन्य **	**0.07**	0.07	0.07
	घटाकर : प्रावधान	**0.05**	0.05	0.05
		0.02	0.02	0.02
(i)	प्राप्तियोग्य सीनवेट क्रेडिट	**5.49**	0.36	3.65
(झ)	मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट			
(ञ)	पूर्व प्रदत्त व्यय	**0.45**		0.60
	कुल	**255.53**	283.54	251.53

टिप्पणी : अन्य जमा एवं अग्रिम में निम्नलिखित शामिल है :

1.(च) **अग्रिम - अन्य***

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
अग्रिम (एक्सए)'	0.18	0.37	0.10
स्थायी अग्रदाय	-	-	-
अग्रिम भुगतान	-	23.23	37.72
स्थायी अग्रिम	-	-	-
एल.टी.सी. अग्रिम	0.09	0.30	0.11
टी.ए. (अधिकारी)	0.26	0.38	0.42
टी.ए. (स्टाफ)	0.40	0.48	0.35
टी.ए. अग्रिम (देश से बाहर)	0.02		
चिकित्सा अग्रिम	0.68	0.61	0.29
कोल इंडिया दिल्ली	0.21	0.40	0.10
कोल इंडिया हैदराबाद एवं अन्य	0.02	0.03	0.04
अन्य	2.97		
कुल	**4.83**	25.80	39.13

1.(ज) **जमा - अन्य****

एक्स-कोल बोर्ड एवं अन्य	0.07	0.07	0.07
कुल	**0.07**	0.07	0.07

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी- 12 : वस्तु सूची

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
(क) कोयले का भंडार			
विकास के तहत कोयला			
घटाकर : प्रावधान			
कोयले के भंडार (निबल)	**-**	-	-
(ख) भंडारों एवं पार्टपूर्जों (लागत पर) का स्टाक	**9.42**	7.57	6.42
जोड़कर : मार्गस्थ स्टोर	**0.56**	0.41	0.09
घटाकर : प्रावधान	**0.60**	0.57	0.41
स्टोर एवं स्पेयर (लागत पर) का निबल स्टॉक	**9.38**	7.41	6.10
(ग) सेंट्रल अस्पताल में दवा का स्टॉक			
(घ) कार्यशाला कार्य			
कार्य जारी एवं फिनिश्ड गुड्स			
घटाकर : प्रावधान			
वर्कशाप जॉब्स का नेट स्टॉक	**-**	-	-
(ड.) प्रेस जॉब			
कार्य जारी एवं फिनिश्ड गुड्स			
	9.38	7.41	6.10

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

नोट - 13 : पेशागत प्राप्ति

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
चालू			
पेशागत प्राप्ति			
- प्रतिभूत, वसूली योग्य सामान			
- अप्रतिभूत, वसूली योग्य सामान	**327.65**	248.24	236.06
- संदिग्ध	**2.5**	2.39	2.78
	330.15	250.63	238.84
घटाकर : डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**2.50**	2.39	2.78
कुल	**327.65**	248.24	236.06

नोट : 1

	इतिशेष			किसी भी समय अधिकतम बकाया राशि		
	31.03.2017 के अनुसार	**31.03.2016 के अनुसार**	**31.03.2015 के अनुसार**	**2016-17 के दौरान**	**2015-16 के दौरान**	**2014-15 के दौरान**
एक ही प्रबंधन के अधीन कंपनियों द्वारा बकाया						
ईर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	**11.12**	4.06	13.42	**34.56**	23.72	48.72
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	**12.08**	40.27	42.93	**74.11**	51.92	71.44
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	**29.64**	14.97	20.89	**48.35**	66.23	82.19
वेर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	**15.67**	3.07	4.50	**32.11**	17.75	23.37
साउथ ईर्स्टन कोलफील्ड्स लिमिटेड	**77.99**	61.02	32.82	**82.16**	91.19	44.86
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	**33.10**	31.09	23.27	**41.45**	41.25	42.35
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	**34.31**	22.31	20.50	**41.43**	30.02	32.96
नार्थ ईस्ट कोलफील्ड्स	**0.56**	0.54	0.59	**0.60**	0.88	0.74
ककरी सीएचपी (एनसीएल)	**0.14**	0.14	0.14	**0.14**	0.14	0.14
दानकुनी कोल कम्प्लेक्स (सीआईएल)			0.02			0.02
भरतपुर सीएचपी (एमसीएल)			0.01			0.01
कोल इंडिया अफ्रिकाना लिमिटाडा	**0.30**	0.29	0.97	**0.36**	1.12	0.97
कोल इंडिया, कोलकाता	**25.87**	24.93	37.44	**25.91**	37.44	37.44
एमजेएसजे कोल कंपनी लिमिटेड	**0.24**	0.24	0.24	**0.24**	0.24	0.24
एमएनएच शक्ति लिमिटेड		0.12	0.29	**0.12**	0.29	0.40
कुल	**241.02**	203.05	198.03	**381.54**	362.19	385.85
पार्टियों द्वारा देय जिसमें कंपनी के निदेशक (कों) सम्बद्ध हैं।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी-14 : नकद और नकद समतुल्य

(करोड़ रू. में)

		निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
		31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
(क)	बैंक के पास शेष			
	- जमा लेखा में	**1.37**	0.46	3.21
	- चालू लेखा में	**75.55**	123.66	82.61
	- नकद क्रेडिट लेखा में			
(ख)	भारत के बाहर बैंक शेष			
(ग)	हाथे चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	**0.19**	0.09	0.01
(घ)	पास में नकद	**0.07**	0.09	0.09
(ड़)	भारत से बाहर के पास में नकद			
(च)	अन्य			
	कुल नकद और नकद समतुल्य	**77.18**	124.30	85.92
(छ)	बैंक ओवरड्राफ्ट			
	कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का निबल)	**77.18**	124.30	85.92

1. 8 नवम्बर, 2016 से 30 दिसम्बर, 2016 की अवधि के दौरान हस्तांतरित और अधिसूचित बैंक टिप्पणी (एसबीएन) का विवरण और प्रकटीकरण किया गया।

	एसबीएन	अन्य डिनोमिनेशन नोटस	कुल
08.11.2016 को पास में इतिशेष नकद	0.03	0.02	0.05
(+) परमिटेड रसीद	0.01	1.26	1.27
(-) परमिटेड भुगतान		1.11	1.11
(-) बैंकों में जमा राशि	0.04	0.13	0.17
30.12.2016 को हाथे क्लोजिंग नकद	-	0.04	0.04

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़े		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
बैंक के पास शेष			
- जमा लेखा			
- माइन क्लोजर प्लान			
- स्थानान्तरण और पुनर्वास निधि योजना			
- शेयर के बाई बैंक के लिए एस्क्रो लेखा			
- अदेय लाभांश लेखा			
- लाभांश लेखा			
कुल	-	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 16 : इक्विटि शेयर पूँजी

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति पर आँकड़ें 31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
अधिकृत			
1000/-प्रति इक्विटी शेयर वाले 5,00,000 क्विटी शेयर	**50.00**	50.00	50.00
	50.00	50.00	50.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं चुकता पूँजी			
(कोल इंडिया लिमिटेड, नियंत्रक कंपनी तथा इसके नामिती)	-	-	
पूर्ण नकद अदायकृत प्रत्येक 1000/-रू. के 8 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/-रू. के 8 इक्विटी शेयर)	-	-	
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रति मूल्य के लिए पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/-रू. के 85392 इक्विटी शेयर (गत वर्ष प्रत्येक 1000/-रू. के 85392 इक्विटी शेयर)	**8.54**	8.54	8.54
ऋण को इक्विटी में बदलकर नियंत्रक कंपनी के नकद हेतु पूर्णतः चुकता के रूप में आवंटित प्रत्येक 1000/-रू. के 105000 इक्विटि शेयर	**10.50**	10.50	10.50
कुल	**19.04**	19.04	19.04

1 प्रत्येक शेयर होल्डर द्वारा 5 प्रतिशत से अधिक शेयर धारित कंपनी में शेयर

शेयर होल्डर के नाम		धारित शेयरों की संख्या (प्रत्येक 1000 रू. के अंकित मूल्य)	कुल शेयर का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड		190400	100%

2 विवेच्य वर्ष के दौरान कंपनी ने न तो कोई शेयर खरीदा है और न ही वापस लिया है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

परिवर्तन का विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 17 : अन्य इक्विटी

(करोड़ रू. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल का इक्विटि पोर्शन	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	रिटेन्ड अर्निंग	नन - कंट्रोलिंग व्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेन्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	समावेशी विकास रिजर्व				
01.04.2015 के अनुसार शेष	-		**9.73**			**5.77**	**143.52**		**159.02**
लेखा नीति में बदलाव									
पूर्व अवधि की त्रुटियाँ							4.78		
01.04.2015 के अनुसार रीस्टेटेड शेष	-	-	**9.73**	-	-	**5.77**	**148.30**		**163.80**
वर्ष के दौरान वृद्धि	-		**10.04**				-		10.04
वर्ष के दौरान समायोजन	-		(1.60)						(1.60)
वर्ष के दौरान कुल कंप्रेहेंसिव आय	-						23.97		23.97
विनियोग	-								-
जेनरल रिजर्व से/को स्थानांतरण	-								-
अन्य रिजर्व से/को स्थानांतरण	-								-
अन्य लाभांश	-								-
अंतिम लाभांश	-								-
कारपोरेट डिविडेंड टैक्स	-								-
पूर्व परिचालन व्यय	-								-
31.03.2016 के अनुसार शेष	-	-	**18.17**	-	-	**5.77**	**172.27**		**196.21**

परिवर्तन का विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 17 : अन्य इक्विटी (जारी.......)

(करोड़ रू. में)

	प्रिफरेंस शेयर कैपिटल	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	रिटेन्ड अर्निंग	नन - कंट्रोलिंग व्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	समावेशी विकास रिजर्व				
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	-	**18.17**	-	-	**5.77**	172.27		196.21
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	**2.32**	-	-	-	-		2.32
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	(0.69)	-	-	-	-		(0.69)
लेखा नीति या पूर्व अवधि त्रुटि में परिवर्तन									
वर्ष के दौरान कुल कम्प्रेहेंसिव आय	-	-		-	-		38.82		38.82
विनियोग	-	-		-	-				-
जेनरल रिजर्व से/ को स्थानांतरण	-	-		-	-				-
अंतिरिम लाभांश	-	-		-	-				-
अंतिम लाभांश	-	-		-	-				-
निगमित लाभांश कर	-	-		-	-				-
पूर्व-परिचालन व्यय	-	-		-	-				-
31.03.2017 के अनुसार शेष	-	-	**19.80**	-	-	**5.77**	**211.09**		**236.66**

टप्पणी - 17 : अन्य इक्विटी (जारी.......) रिजर्व एवं अधिशेष जारी ......

रिजर्व पूँजी : कार्यान्वयक एजेंसी के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पीआरई, ईएमएससी, सीसीडीए आदि के तहत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान एवं परिसंपत्तियों के सृजन के लिए प्रयुक्त आर्थिक सहायता/अनुदान को पूँजीगत भंडार के रूप में माना जाता है तथा इस पर मूल्यहास को पूंजीगत भंडार लेखे में डेबिट किया जाता है। अनुदान के जरिए सृजित परिसंपत्ति का स्वामित्व उस प्राधिकारी के पास रहता है, जिससे अनुदान प्राप्त किया जाता है। कैपिटल रिजर्व का विस्तृत विवरण इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

विवरण	एसएंडटी अनुदान	यूएनटीपी अनुदान	सीसीडीए अनुदान	ईएमएससी	सीआईएल आरएंडडी ग्रांट	पीआरई ग्रांट	सीएमएम/सीबीएम क्लियरिंग हाऊस ग्रांट	कुल
गत लेखे के अनुसार	3.52	0.05	0.06	-	13.98	0.51	0.05	**18.17**
जोड़कर	-	-	-	-	2.27	0.05	-	**2.32**
	3.52	0.05	0.06	-	16.25	0.56	0.05	**20.49**
घटाकर : मूल्यहास एवं समायोजन	0.07	-	-	-	0.45	0.15	0.02	**0.69**
31.03.2017 के अनुसार कुल योग	**3.45**	**0.05**	**0.06**	**-**	**15.80**	**0.41**	**0.03**	**19.80**
31.03.2016 के अनुसार कुल योग	3.52	0.05	0.06	-	13.98	0.51	0.05	18.17

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 18 : उधारी

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	**31-03-2016** (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	**01-04-2015** (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर-चालू (नन-करेंट)			
टर्म लोन			
- बैंक से	-	-	-
- अन्य पार्टियों से	-	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण			
अन्य लोन			
कुल	-	-	-
वर्गीकरण			
प्रतिभूत	-	-	-
अप्रतिभूति	-	-	-
चालू			
माँग पर पुनः देय ऋण			
- बैंक से	-	-	-
- अन्य पार्टियों से	-	-	-
सम्बद्ध पार्टियों से ऋण			
अन्य ऋण			
कुल	-	-	-
वर्गीकरण			
प्रतिभूत	-	-	-
अप्रतिभूत	-	-	-

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी - 19 : पेशागत देय

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	**31-03-2016** (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	**01-04-2015** (अथशेष) (पुनर्कथित)
चालू			
माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए पेशागत देय	**0.30**	0.20	0.34
निम्न के लिए अन्य पेशागत देय			
- स्टोर एंड स्पेयर्स	**0.83**	0.79	0.43
- पावर एंड फ्युअल			
- अन्य			
कुल	**1.13**	0.99	0.77

	31.03.2017	31.03.2016
माइक्रो, स्माल और मीडियम इंटर प्राइजेज की ऐजिंग		
तीन महीने से कम	0.3	0.2

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर-चालू			
सिक्युरिटी डिपॉजिट	**2.68**	2.87	2.12
अर्नेस्ट मनी	**0.13**	0.74	0.60
अन्य *	**46.81**	38.82	30.14
कुल	**49.62**	42.43	32.86
चालू			
अनुषंगी कंपनियों से अधिशेष निधि			
निम्न के साथ चालू लेखा			
- अनुषंगी कंपनियाँ			
- आईआईसीएम			
दीर्घकालीन ऋण का चालू परिपक्वता			
अप्रदत्त लाभांश			
सिक्युरिटी जमा	**3.45**	1.74	1.92
अर्नेस्ट मनी	**3.43**	2.01	1.78
अन्य *	**3.63**	2.62	1.74
कुल	**10.51**	6.37	5.44

टिप्पणी- अन्य * में शामिल है :

	31.03.2017	**31.03.2016**	**01.04.2015**
कंट्रेक्टर कीप बैक	1.37	1.25	1.16
एक्सप्लोरेशन कीप बैक	43.60	34.93	26.47
कर्मचारियों से अग्रिम एवं जमा	5.47	5.26	4.25
कुल	**50.44**	41.44	31.88

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
गैर चालू			
कर्मचारी लाभ			
- ग्रेच्यूटि	**58.80**	72.77	98.22
- छुट्‌टी नकदीकरण	**93.68**	71.38	70.15
- अन्य कर्मचारी लाभ	**71.66**	58.89	57.39
माइन क्लोजर			
ओवरबर्डेन रिमूवल			
अन्य*	**0.02**	0.02	0.02
कुल	**224.16**	203.06	225.78
चालू			
कर्मचारी लाभ			
- ग्रेच्यूटि	**28.69**	18.04	23.84
- छुट्‌टी नकदीकरण	**14.74**	14.08	15.58
- एक्सग्रेसिया	**13.93**	13.39	9.33
- कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	**88.12**	181.14	192.50
- नेशनल कोल वेज के लिए प्रावधान करार (एनसीडब्ल्यूए)	**19.04**		
- एक्जीक्यूटिव पे रिवीजन	**5.03**		
- अन्य कर्मचारी लाभ''	**94.19**	78.78	68.14
	263.74	305.43	309.39
माइन क्लोजर			
कोयले के क्लोजिंग स्टॉक पर एक्साइज डयूटि			
अन्य			
कुल	**263.74**	305.43	309.39

टिप्पणी 1: अन्य' में शामिल

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
स्वास्थ कर हेतु प्रावधान	**0.02**	0.02	0.02
कुल	**0.02**	**0.02**	**0.02**

टिप्पणी 2: ''अन्य कर्मचारी लाभ में 31.03.2017 सेवा निवृत्ति के लिए 9.84 प्रतिशत की दर से 81.69 करोड़ रुपये कर्मचारी लाभ शामिल है।

टिप्पणी 3: वर्ष 01.01.2017 से वर्ष 31.03.2017 तक के लिए आकलित एक मुश्त प्रावधान/₹ 18000/- प्रति अधिकारी प्रतिमाह और कर्मचारियों के वेतन (नियोक्ता के पीएफ अंशदान सहित) के सभी घटकों पर कुल प्रभाव का विचार करते हुए तथा ग्रेच्यूटि आदि जैसे अन्य कर्मचारियों को लाभ तथा सेवानिवृत्ति लाभ के लिए ₹ 5-03 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, जो पीएसयू के अधिकारियों के लिए पे रिवीजन को अंतिम रूप देने के कारण लंबित है, को उपर्युक्त ''एक्जीक्यूटिव पे रीविजन'' में दर्शाया गया है।

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 22 : अन्य गैर चालू देयताएँ

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
स्थानांतरण और पुनर्वास कोष			
अथशेष (ओपेनिग बैलेंस)			
जोड़कर : निधि (टीडीएस का नेट) के निवेश से ब्याज			
जोड़कर : प्राप्त अंशदान			
घटाकर : वर्ष के दौरान अनुषंगी कंपनियों को जारी राशि			
	-	-	-
आस्थगित आय			
कुल	-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(करोड़ रू. में)

	निम्नलिखित वर्ष की समाप्ति के अनुसार आँकड़ें		
	31-03-2017 (अंकेक्षित)	31-03-2016 (अंकेक्षित) (पुनर्कथित)	01-04-2015 (अथशेष) (पुनर्कथित)
पूँजीगत व्यय			
वेतन, मजदूरी और भत्ते के लिए देयताएँ	**28.62**	28.62	28.96
संविदात्मक बकाया :			
बिक्री कर/वैट	**0.12**	0.04	0.02
प्रोविडेन्ट फंड एवं अन्य	**0.37**	0.35	0.68
सेंट्रल एक्ससाइज्ड डयूटि			
कोयले पर रायल्टी एवं उपकर			
स्टोईंग एक्सरसाइज डॅयूटि			
स्वच्छ ऊर्जा उपकर			
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट			
डिस्ट्रक्ट मिनरल फाउण्डेशन			
अन्य सांविधिक लेवी	**2.54**	1.95	1.56
स्रोत पर कटौती/एकत्रित आयकर	**1.56**	0.40	0.42
कोयला आयात हेतु अग्रिम			
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	**3.27**	3.15	5.31
सेस इक्यूलाइजेशन एकाउन्ट			
अन्य देयताएँ *	**139.36**	153.44	119.73
कुल	**175.84**	187.95	156.68

टिप्पणी-अन्य देयताएँ *

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
सीबीएम सेल	**2.35**	1.71	-
कर्मचारियों से एलआईसी की वसूली	**0.01**	0.01	0.01
क्लब सबक्रिप्सन	-	-	-
को-ओपरेटिव क्रेडिट सोसायटी	**0.09**	0.09	0.09
रिलिफ फंड	**0.01**	0.01	0.01
ईवीडब्ल्यूएफ	-	-	-
अन्य कटौती	**0.02**	0.09	0.10
स्टेल चेक हेतु क्रेडिट	**0.24**	0.17	0.23
एमईसी के लिए ओ/एस देयता	**31.22**	30.32	27.99
जीएसआई एवं अन्य के लिए ओ/एस देयता	**28.63**	14.02	20.61
इम्प्रेस्ट से अनपेड	**0.31**	0.31	0.13
विद्युत के लिए ओ/एस देयता	**1.11**	1.24	0.84
संविदात्मक ओ/एस देयता	**2.03**	1.78	1.10
आरईवी. के लिए ओ/एस देयताएँ	**24.66**	20.19	14.49
कैपिटल देयता आ/एस	**7.47**	11.35	2.97
खनन इलेक्ट्रोनिक अनुदान	**0.01**	0.01	0.01
परीक्षण प्रयोगशाला	**0.28**	0.28	0.28
यूएनडीपी फंड	**0.27**	0.27	0.27
सीआईएल सीआईएमएफआर फंड	**0.21**	0.21	0.21
संडरी क्रेडिटर-कैपिटल	**0.33**	0.13	0.77
परिसंपत्तियों की हानि पर प्रावधान	**0.01**	0.06	0.06
निधि	**40.10**	71.19	49.56
कुल	**139.36**	153.44	119.73

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

वर्ष के दौरान एसएंडटी, पीआरई, विस्तृत वेधन, आरएंडडी और प्रतिपूर्ति के तहत प्राप्त अनुदान/कोष नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रू. में)

विवरण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुदान	पीआरई अनुदान	सीसीडीए अनुदान	गैर-सीआईएल के लिए विस्तृत गवेषण	इस्पात मंत्रालय	सीआईएल आरएंडडी फंड
01.04.2016 को अथशेष	**4.36**	**2.41**	**0.23**	**56.44**	**0.26**	**7.59**
जोड़कर						
1. कोयला मंत्रालय	8.50	46.55	0.00	80.55	0.00	0.00
2. इस्पात मंत्रालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सीआईएल कोलकाता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40
4. समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. निधि पर बैंक का ब्याज	0.31	0.55	0.01	1.81	0.00	1.50
	13.17	**49.51**	**0.24**	**138.80**	**0.26**	**35.49**
घटाकर : वितरण/उपयोग	10.38	48.04	0.00	125.20	0.00	13.66
31.03.2017 को इतिशेष	**2.79**	**1.47**	**0.24**	**13.60**	**0.26**	**21.83**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 24 : परिचालन से राजस्व

(करोड़ रू. में)

		वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
(क)	**सेवाओं की बिक्री**	**1,072.46**	877.13
	घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी		
	रायल्टी		
	कोयले पर सेस		
	स्टोविंग एक्साइज ड्यूटि		
	सेंन्ट्रल सेल्स टैक्स		
	स्वच्छ ऊर्जा सेस		
	स्टेट बिक्री कर/वीएटी		
	अतिरिक्त रायल्टी		
	अन्य लेवी	**141.94**	117.86
	कुल लेवी	**141.94**	117.86
	निबल बिक्री (क)	**930.52**	759.27
(ख)	**अन्य परिचालन राजस्व**		
	कोयला आयात के लिए फैसिलीटेशन शुल्क	-	-
	बालू भराई एवं प्रोटेक्टिव कार्यों के लिए सबसिडी	-	-
	लदान एवं अन्य परिवहन शुल्क	-	-
	घटाकर : एक्साइज ड्यूटि	-	-
	घटाकर : अन्य सांविधिक लेवी	-	-
		-	-
	अन्य परिचालन राजस्व (ख)	**-**	**-**
	परिचालन से राजस्व (क+ख)	**930.52**	759.27

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
ब्याज पर आय		
बैंक के पास जमा	**1.03**	0.87
कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	**-**	0.01
निवेश	**-**	-
ऋण		
ग्रुप के भीतर फंड्स पार्क्ड		
अन्य (आयकर से)	**10.22**	-
लाभांश		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश		
म्युचुअल फंड में निवेश		
सरकारी प्रतिभूति में निवेश (8.5 प्रतिशत कर मुक्त स्पेशल बाँड्स)		
अन्य गैर-परिचालन आय		
एपेक्स शुल्क		
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.14**	0.35
विदेशी विनिमय लेनदेन पर प्राप्ति		
परिवर्तित दर विभिन्नता		
लीज रेंट		
बट्टे खाते में पापस लाया गया देयता/प्रावधान		
भंडार की कमी पर एक्साइज डयूटि		
विविध आय	**4.08**	3.85
कुल	**15.47**	5.08

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 26 : उपभोग किए गए सामग्रियों की लागत

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
विस्फोटक		
टिम्बर		
आयल एंड लुब्रिकेंट्स	**8.94**	7.42
एचईएमएम स्पेयर्स		
अन्य उपभोग भंडार एवं पाटपूर्जे	**17.71**	14.50
कुल	**26.65**	21.92

टिप्पणी 27 : फिनिश्ड गुड्स की वस्तु सूची में परिवर्तन, चालू कार्य, व्यवसाय में भंडार

(करोड़ रू. में)

		वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
	कोयले का ओपनिंग स्टॉक		
	जोड़कर : ओपनिंग स्टॉक का समायोजन	-	-
	घटाकर : कोयले में कमी	-	-
		-	-
	कोयले का क्लोजिंग स्टॉक	-	-
	घटाकर : कोयले में कमी	-	-
		-	-
(क)	**कोयल की वस्तु-सूची में बदलाव**	**-**	**-**
	वर्कशॉप में तैयार फिनिश्ड गुड्स का ओपनिंग स्टॉक और डब्ल्यूआईपी	-	-
	जोड़कर : ओपनिंग स्टाक का समायोजन	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
		-	-
	क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्कशॉप मेड फिनिश्ड गुड्स एंड डब्ल्युआईपी	-	-
	घटाकर : प्रावधान	-	-
		-	-
(ख)	**वर्कशॉप की वस्त-सूची में बदलाव**	**-**	**-**
	प्रेस ओपनिंग जॉब		
	i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
	ii) चालू कार्य	-	-
		-	-
	घटाकर : प्रेस क्लोजिंग जॉब		
	i) फिनिश्ड गुड्स	-	-
	ii) चालू कार्य	-	-
		-	-
(ग)	**प्रेस जॉब के क्लोजिंग स्टॉक के वस्तु-सूची में परिवर्त्तन**	**-**	**-**
	ट्रेड में स्टॉक की वस्तु-सूची में परिवर्त्तन (क+ख+ग) {डिक्रिशन/(एक्रीशन)}	**-**	**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 28 : कर्मचारी लाभ पर व्यय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस आदि	**262.08**	257.39
नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट (एनसीडब्ल्यूए) के लिए प्रावधान	**19.04**	
एक्जीक्यूटिव पे रीविजन	**5.03**	
कृपानुदान	**14.83**	14.98
कार्य निष्पादन संबंधी वेतन	**12.01**	12.43
पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	**32.66**	32.30
ग्रेच्यूटि	**20.00**	34.64
छुट्टी नकदीकरण	**38.85**	19.66
वीआरएस		
कर्मचारी क्षतिपूर्ति	**-**	0.14
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	**9.23**	8.36
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	**13.17**	2.01
स्कूलों एवं संस्थानों को अनुदान	**0.06**	0.09
खेलकूद एवं मनोरंजन	**0.78**	0.76
कैंटीन एवं क्रेच	**0.23**	0.23
पावर-टाऊनशिप	**2.78**	2.68
बस, एम्बुलेंस आदि का किराया शुल्क	**0.56**	0.51
अन्य कर्मचारी लाभ	**50.44**	48.90
कुल	**481.75**	435.08

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
सीएसआर व्यय	**1.02**	2.01
कुल	**1.02**	2.01

टिप्पणी : कंपनी अधिनियम के अनुसार सीएसआर के मद में ₹ 0.78 करोड़ व्यय किए जाने की आवश्यकता थी।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
भवन	**7.31**	7.26
संयंत्र एवं मशीनरी	**5.30**	4.30
अन्य	**10.57**	8.34
कुल	**23.18**	19.90

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
परिवहन शुल्क :		
- बालू		
- कोयला		
- स्टोर्स एवं अन्य		
वैगन लदान		
पीएंडएम का किराया		
अन्य संविदात्मक कार्य	**271.07**	205.09
कुल	**271.07**	205.09

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 32 : वित्तीय लागत

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
ब्याज पर खर्च		
उधारी		
भूमि का पुनरूद्धार/माइनक्लोजर व्यय		
एस्क्रो एकाउन्ट पर ब्याज		
डिसकाउन्ट्स का अन वाइडिंग		
फंड पार्क्ड विदिन ग्रुप		
अन्य	**0.31**	0.24
अन्य उधारी लागत		
ऋण (आईबीआरडी एवं जेबीआईसी) पर गांरटी शुल्क	-	-
कुल	**0.31**	0.24

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट ऑफ रिवर्सल)

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
(क) निम्नलिखित के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	**0.11**	-
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	**0.02**	0.20
भंडार एवं पाट पूर्जे		
अन्य		
कुल (क)	**0.13**	**0.20**
(ख) प्रोविजन रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	**-**	0.31
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे		
भंडार एवं पाट पूर्जे		
अन्य		
कुल (ख)	**-**	0.31
कुल (क+ख)	**0.13**	0.11

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डाला गया (गत प्रावधान का निबल)

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
संदिग्ध ऋण	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कोयले का स्टॉक	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
अन्य	-	-
घटाकर : पूर्व में उपलब्ध कराया गया	-	-
	-	-
कुल	**-**	**-**

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
यात्रा व्यय		
-घरेलु	**16.65**	17.50
-विदेशी	**0.54**	0.61
प्रशिक्षण खर्च	**1.28**	0.60
टेलीफोन एवं पोस्टेज	**1.07**	2.21
विज्ञापन एवं प्रचार	**2.44**	2.19
ढुलाई भाड़ा	**0.07**	-
डीमूरेज	**-**	-
डोनेशन/सबसक्रिप्सन	**-**	-
सिक्युरिटि व्यय	**9.47**	8.29
सीआईएल का सेवा शुल्क		
किराया शुल्क	**5.67**	4.55
सीएमपीडीआई शुल्क		
लीगल खर्च	**0.21**	0.18
बैंक शुल्क	**0.05**	0.06
गेस्ट हाऊस व्यय	**0.51**	0.63
परामर्शी शुल्क	**3.39**	1.41
अंडर लोडिंग शुल्क	**-**	-
सेल/डिसकार्ड/सर्वेड आफ एसेट पर हानि	**0.01**	-
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक एवं व्यय	**-**	-
- लेखा परीक्षण शुल्क के लिए	**0.04**	0.02
- कराधान मामले के लिए	**0.04**	0.01
- अन्य सेवाओं के लिए	**0.01**	0.05
- किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए	**0.11**	0.20
आन्तरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा पर व्यय	**0.53**	0.47
पुनर्वास शुल्क	**-**	-
रायल्टी एवं सेस	**-**	-
सेंट्रल एक्साइज डयूटि	**-**	-
किराया	**0.49**	0.82
दर एवं कर	**0.77**	0.79
स्वस्थय कर		
बीमा	**0.03**	-
विदेशी विनियम लेनदेन पर हानि		
विनियम दर में विभिन्नता पर हानि	**-**	-
लीज किराया	**-**	-
रेस्कयू/सुरक्षा व्यय	**-**	-
डेड रेंट/सर्फेस रेंट	**-**	-
साइडिंग मेंटेनेंस शुल्क	**-**	-
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	**0.01**	0.01
आरएंडडी पर व्यय	**-**	-
पर्यावरणिक एवं वनारोपण व्यय	**0.24**	0.44
विविध खर्च	**9.16**	7.89
कुल	**52.79**	48.93

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
चालू वर्ष	**40.09**	0.25
आस्थगिकत कर	**(15.15)**	5.96
मैट क्रेडिट इटाइटिलमेंट		
पूर्व वर्ष		
कुल	**24.94**	6.21

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियाँ

टिप्पणी 37 : अन्य विस्तृत आय

(करोड़ रू. में)

	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2017	वर्ष की समाप्ति पर आँकड़े (अंकेक्षित) 31.03.2016
(क) **(i) वैसे मद जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।**		
रिवैल्यूएशन सरप्लस में परिवर्तन		
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप	**(2.70)**	22.68
ओसीआई के जरिए इक्विटि इन्स्ट्रूमेंट		
एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयता की सेल्फ क्रेडिट जोखिम के संबंध में फेयर वैल्यू चेन्ज		
संयुक्त वेन्चर में ओसीआई का शेयर		
	(2.70)	22.68
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	**(0.93)**	7.85
परिभाषित लाभ योजना की पुनर्माप		
ओसीआई के जरिए इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट		
एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट वित्तीय देयता की सेल्फ क्रेडिट जोखिम के संबंध में फेयर वैल्यू चेन्ज		
	(0.93)	7.85
कुल (क)	**(1.77)**	14.83
(ख) **(i) वैसा मद जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुर्नवर्गीकृत किया जाएगा।**		
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनियम अन्तर		
ओसीआई के जरिए डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट		
कैश फ्लो हेज में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट पर प्राप्ति एवं नुकसान का प्रभावी भाग		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर		
	-	-
(ii) वैसे मद के संबंध में आयकर जिसे लाभ एवं हानि लेखा में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा।		
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण को परिवर्तित करने में विनियम अन्तर		
ओसीआई के जरिए डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट		
कैश फ्लो हेज में हेजिंग इन्स्ट्रूमेंट पर प्राप्ति एवं नुकसान का प्रभावी भाग		
ज्वाइन्ट वेन्चर में ओसीआई का शेयर		
	-	-
कुल (ख)	**-**	-
कुल (क+ख)	**(1.77)**	14.83

टिप्पणी - 1 निगमित सूचना (जानकारी)

सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) की स्थापना कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसकी सहायक कंपनियों तथा अन्य बाहरी कंपनियों भू–वैज्ञानिक, भू–भौतिकी, जलभू–वैज्ञानिक तथा पर्यावरणिक डाटा सृजन सहित कोयला एवं खनिज गवेषण में परामर्शी सहायता देने के लिए भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया। सीएमपीडीआई शिड्यूल ''बी''/मिनी रत्न कैट–।। सीपीएसई है जिसका प्रशासनिक नियंत्रण कोयला मंत्रालय के अधीन है। सीएमपीडीआईएल 100 प्रतिशत (पूर्णतः) कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका निबंधित कार्यालय गोंदवाना प्लेस, काँके रोड, राँची 834031, झारखंड भारत में स्थिति है। कंपनी की अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी 31 मार्च, 2017 के अनुसार क्रमशः 50 करोड़ रूपए तथा 19.04 करोड़ रूपए है।

टिप्पणी - 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति

2.1 तैयारी का आधार

कंपनी का वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंडएएस) के अनुरूप तैयार किया जाता है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष तक तथा सहित सभी अवधि के लिए कंपनी ने अपना वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमावली 2014 के अनुच्छेद के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानक के अनुसार तथा कंपनी (लेखा मानक) नियमावली 2006 (पूर्व में भारतीय जीएएपी) के अनुसार तैयार किया है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह वित्तीय विवरण इंड एएस के अनुरूप तैयार किया गया। कंपनी का पहला वित्तीय विवरण है। यह वित्तीय विवरण उचित मूल्य पर आँकी गई कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को छोड़कर ऐतिहासिक मूल्य लागत पर तैयार किया गया है। (देखें : अनुच्छेद 29में वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट पर लेखा नीति)।

2.1.1 रकम को पूर्णांक में बदलना (राउडिंग ऑफ)

यदि कोई अन्यथा उल्लेख नहीं किया गया हो, तो इस वित्तीय विवरण में रकम को दो दशमलव अंक तक करोड़ रूपए में राउन्ड ऑफ किया गया है।

2.2 करेंट एवं नन करेंट वर्गीकरण

कंपनी करेंट/नन करेंट वर्गीकरण के आधार पर तुलन–पत्र में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करता है।

किसी परिसंपत्ति को चालू (करेंट) के रूप में माना जाता है जब

क) इसे सामान्य परिचालन चक्र (सायकिल) में परिसंपत्तियों को वसूल (रियलाइज) करने की उम्मीद हो, इसे बिक्री या खपत करने का इरादा हो।

ख) व्यापार के उद्देश्य से प्रारंभिक तौर पर परिसंपत्ति को रखता (होल्ड करता) हो,

ग) प्रतिवेदित अवधि के बाद बारह माह के भीतर परिसंपत्ति को वसूल (रियलाइज) करने की संभावना हो, या

घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतूल्य होता है जब तक कि परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह माह के भीतर के लिए बदले जाने या दायित्व के निपटारा के लिए प्रयुक्त होने से प्रतिबंधित न हो। अन्य सभी परिसंपत्ति को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कोई इन्टिटी किसी देयता को चालू (करेंट) के रूप में वर्गीकृत करेगा जब

क) अपने सामान्य समय में देयता का निपटान की उम्मीद हो

ख) यह प्रारंभिक तौर पर व्यापार के उद्देश्य से देयता होल्ड करता हो,

ग) रिपोर्टिंग अवधि के बाद देयता का बारह माह के भीतर निपटाया जाना हो या

घ) इसके पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम–से–कम बारह माह के लिए देयता के निपटारे को आस्थगित करने के लिए बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्त, प्रति पक्ष (काउन्टर पार्टी) की राय में जिसके फलस्वरूप इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट को जारी कर निपटारा होता है, इसके वर्गीकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। देयता की शर्त, प्रतिपक्षी की राय मैं, जिसके परिणामस्वरूप इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट के इश्यू द्वारा सेटलमेंट किया जा सकता है, इसके वर्गीकरण पर प्रभाव नहीं डाल सकता है।

देयताओं का गैर–चालू (नन करेंट) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.3 राजस्व की पहचान

2.3.1 ब्याज

प्रभावी ब्याज प्रणाली का प्रयोग कर ब्याज आय की पहचान की जाती है।

2.3.2 सेवा प्रदान करना

जब लेन–देन का परिणाम जिसमें सेवा प्रदान शामिल है, विश्वसनीय ढंग से आकलित किया जा सकता है, लेन–देन से संबंधित राजस्व की पहचान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन–देन (ट्रांजेक्शन) पूरा होने की स्थिति के संदर्भ में की जाती है। लेन–देन के परिणाम को विश्वसनीय तौर पर आकलित किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा किया जाए।

(क) राजस्व की रकम को विश्वसनीय ढंग से मूल्यांकित किया जा सकता है।

ख) यह संभव है कि लेन–देन (ट्रान्जेक्शन) से संबद्ध आर्थिक लाभ का प्रवाह इंटिटी तक होगा।

ग) रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लेन–देन पूरा करने की स्थिति को सही ढंग से मूल्यांकित किया जा सकता है।

घ) ट्रान्जेक्शन के लिए व्यय की गई लागत तथा ट्रान्जेक्शन पूरा होने की लागत का मूल्यांकन विश्वसनीय हो,

सीएमपीडीआई, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी द्वारा परामर्शी सेवा से प्राप्त राजस्व

गवेषण, माइन प्लानिंग/परियोजना रिपोर्ट, पर्यावरणिक योजना तथा अन्य अभियंत्रण सेवाओं के लिए परामर्शी सेवा से उत्पन्न राजस्व की पहचान विभिन्न कोटि के ग्राहकों के लिए अपनाए गए सूत्र के आधार पर किया जाता है। होल्डिंग कंपनी एवं इसकी अन्य अनुषंगी कंपनियों को प्रदत्त सेवाओं का मूल्य निर्धारण लागत+पीएंडडी सेवाओं के लिए सेवा कर का 10%, विभागीय ड्रिलिंग के लिए 7.5%, आउट सोर्सिंग एजेंसी द्वारा किए गए ड्रिलिंग के लिए सेवा कर 7.5 से 20% तक एकरूपता के साथ किया जाता है। दिसम्बर 2016 तक प्र्यावरण मानिटरिंग कार्य का मूल्य निर्धारण 2009 के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 90% पर किया जाता है और जनवरी, 2017 से दर को संशोधित किया गया है तथा 2009 के आधार दर से 2016 तक दर को अद्यतन किया गया है तथा उस पर 2016 के संशोधित दर का 90% माना जाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदान की पहचान तब तक नहीं की जाती है जब तक यह पर्याप्त आश्वासन नहीं मिल जाता है कि कंपनी उनसे संबंधित शर्तों को पूरा करेगी तब अनुदान प्राप्त किया जाएगा। उस अवधि में लाभ एवं हानि लेखा में सरकारी अनुदान की पहचान योजनाबद्ध आधार पर की जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत को व्यय के रूप में पहचान करती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा होता है।

परिसंपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में अनुदान को स्थापित कर तुलन–पत्र में प्रस्तुत किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (यानि परिसंपत्तियों से इतर से संबंधित से संबंधित अनुदान) को सामान्य शीर्षक ''अन्य आय'' के तहत लाभ या हानि के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान की गई खर्च या हानि के लिए क्षतिपूर्ति के कारण प्राप्ति योग्य होता है, या किसी भावी खर्च के साथ इंटिटी के लिज तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) होता है उसकी उस अवधि के लाभ या हानि में पहचान की जाती ह जिस अवधि में वह प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) हो जाता है।

2.5 पट्टा (लीज)

वित्तीय लीज वह लीज है, जो किसी परिसम्पत्ति के स्वामित्व के आनुषंगिक सभी जोखिमों तथा प्रतिफलों (रिवार्ड) को प्र्याप्त ढंग से अंतरित (ट्रान्सफर) करता है।अंततः टाइटिल अंतरित (ट्रांसफर) किया जा सकता है या नहीं भी किया जा सकता है।

वित्तीय लीज को शुरूआत की तिथि में लीज के प्रारंभ होने पर लीज की हुई सम्पत्ति के फेयर वैल्यू पर या यदि कम हो, तो न्यूनतम लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है।

लीज भुगतान को वित्त चार्ज तथा लीज देयता के बीच बाँट दिया जाता है ताकि देयता के शेष बैलेंस पर ब्याज की स्थिर दर को प्राप्त किया जा सके। वित्त प्रभार (चार्ज) को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत की तब तक पहचान नहीं की जाती है। जब तक कि वह क्वालिफाईंग परिसंपत्ति पर सीधे तौर पर आरोपित (एट्रीब्यूटेड) नहीं करता हो, जिस मामले में उधारी (बौराईंग्स) लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुरूप उसे पूँजीकृत किया जाता है।

लीज्ड परिसंपत्ति को मूल्यहास उस परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर किया जाता है। तथापि, यदि कोई तार्किक अनिवार्यता नहीं हो कि कंपनी लीज अवधि (टर्म) के अंत तक स्वामित्व प्राप्त कर लेगा, तब यह परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन के न्यूनतम जीवन तथा जीज टर्म पर मूल्य ह्रासित किया जाता है।

परिचालित (आपरेटिंग) लीज वित्तीय लीज से अलग होता है।

2.6 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पीपीई)

भूमि को ऐतिहासिक लागत मूल्य पर वहन (कैरी) किया जाता है। ऐतिहासिक मूल्य में वैसा खर्च शामिल है, जो संबंधित विस्थापित व्यक्ति के लिए दिए जाने वाले रोजगार आदि के बदले में पुनर्वास खर्च, पुनर्स्थापना लागत तथा मुआबजा आदि वाले जमीन अधिग्रहण को प्रतयक्ष तौर पर प्रभावित करता है।

पहचान के बाद अन्य सभी संपत्तियों के मदों, संयंत्र एवं उपकरण संचित मूल्यहास तथा लागत में संचित इम्पेयरमेंट हानि को घटाकर इसकी लागत पर वहन (कैरी) किया जाता है। संपत्ति के किसी मद, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत में निम्नलिखित शामिल है :

क) इसकी खरीद मूल्य में व्यापार छूट एवं राहत को घटाने के बाद आयात कर तथा गैर वापसी योग्य क्रय कर शामिल है।

ख) किसी परिसंपत्ति को उचित स्थान तक लाने तथा प्रबंधन द्वारा इच्छित ढंग से परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति में लाने में प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करने वाली लागत।

ग) किसी मद को विखण्डित करने एवं हटाने तथा जिस स्थान पर वह स्थापित है उसके पुनरूद्धार करने की लागत का प्रारंभिक प्राक्कलन या जब आइटम खरीदा गया हो या उस अवधि के दौरान इन्वेटरी को उत्पादित करने के अलावा अन्य उद्देश्य के लिए किसी खास अवधि के दौरान उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले इंटीटी का दायित्व।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी की लागत सहित किसी आइटम का प्रत्येक भाग जो आइटम की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण हो, का मूल्यहास पृथक रूप से किया जाता है। तथापि, समान उपयोगी जीवन वाले प्रत्येक आइटम का प्रमुख भाग तथा मूल्यहास पद्धति को मूल्यहास चार्ज निर्धारित करने के लिए एक साथ समूहित किया जाता है।

''मरम्मत एवं रख–रखाव'' के लिए विहित दैनिक सर्विसिंग लागत को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसे अवधि में इसे यह हुआ है।

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के किसी मद को बदलने वाले भाग की परवर्ती लागत है उसके कैरिंग अमाउन्ट में पहचान की जाती है, यदि यह संभावना हो कि आइटम के साथ संबंधित भावी आर्थिक लाभ ग्रुप तक फ्लो करेगा और उस आइटम की लाग विश्वसनीय तौर पर आँकी जा सकती है। बदले गए पार्टों की कैरिंग रकम को नीचे दी गई डिरिकोग्नाइजेशन नीति के अनुसार डिरोकोग्नाइज किया जाता है।

जब कोई बड़ा (महत्वपूर्ण) निरीक्षण (इंसपेक्शन) किया जाता है तो संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के आइटम के कैरिंग रकम की पहचान प्रति स्थापन के रूप में की जाती है, यदि संभावना हो कि आइटम से सम्बद्ध भावी आर्थिक लाभ ग्रूप तक फ्लो करेगा और आइटम की लागत को विश्वसनीय तौर पर आँका जा सकता है। बचे हुए पूर्व निरीक्षण (इंस्पेक्शन) की लागत की कैरिंग रकम डिरोक्नाइज होता है।

संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के किसी आइटम को निपटान पर या परिसंपत्ति के सतत् उपयोग से कोई भावी आर्थिक लाभ की संभावना नहीं हो, पर डिरिकोग्नाइज किया जाता है। सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के किसी आइटम के इस डिरिकोग्निजीशन के फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ एवं हानि में पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है।

फ्री होल्ड जमीन को छोड़कर, सम्पत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी पर मूल्यहृास परिसंपत्ति के आकलित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट लाइन बेसिस पर लागत मॉडेल के अनुसार किया जाता है।

अन्य भूमि

(पट्टे वाली जमीन सहित)	:	परियोजना का जीवन काल या पट्टे की अवधि, जो भी कम हो
भवन	:	3–60 वर्ष
सड़क	:	3 से 10 वर्ष
दूर संचार	:	3 से 9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं मशीनरी	:	5 से 15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 से 6 वर्ष
फर्निचर एवं फिक्सर	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 से 10 वर्ष

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का अवशिष्ट को कोल टब, वाइडिंग रोप, हाउलेज रोप, स्टोविंग पाइप एवं सेफ्टी लैम्प आदि जैसी कुछ परिसंपत्ति के आइटम को छोड़कर परिसंपत्ति के मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है, जिसके लिए तकनीकी रूप से प्राक्कलित उपयोगी जीवन को शून्य अवशिष्ट मूल्य सहित एक वर्ष मान कर निर्धारित किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसम्पत्तियों के आकलित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है। विवेच्य वर्ष के दौरान परिसम्पत्तियों की वृद्धि / निपटान पर मूल्यहृास वृद्धि / निपटान से संबंधित माह के लिए प्रोराटा आधार किया जाता है।

''अन्य भूमि'' में कोयला वाहक (धारक) क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास)(सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत अधिगृहित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 भूमि अधिग्रहण में न्यायोचित मुआबजा (क्षतिपूर्ति) एवं पारदर्शिता, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल हैं जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार परिशोधन पर (एमोर्टाइज) किया जाता है तथा लीजहोल्ड जमीन के मामले में लीज होल्ड अवधि या परियोजना के जीवन, जो भी कम हो, के आधार पर परिशोधित किया जाता है।

पूर्णतः वैसी मूल्यह्रसित परिसंपत्ति जो सक्रिय इस्तेमाल लायक नहीं रह गया है, को सम्पत्ति, संयंत्र, उपकरण के तहत इसके रिसिड्यूअल मूल्य पर सर्वे आफ परिसंपत्ति के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्ति के निर्माण/विकास पर किए गए खर्च जो सामान के उत्पादन, आपूर्ति के लिए या कंपनी के विद्यमान परिसंपत्ति के मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक हो, को संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के तहत इनेबिंलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है।

इंड एएस में परिवर्त्तन (ट्रान्जीशन)

कंपनी को पूर्व के जीएएपी के अनुसार आकलित इंड एएस में परिवर्त्तन की तिथि तक लागत माडल (वित्तीय विवरण में पहचान की गई इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी) के अनुसार कैरिंग वैल्यू के साथ बने रहने के लिए चयनित किया गया है।

2.7 अप्रत्यक्ष (इन्टन्जिबुल) परिसम्पत्ति

पृथक रूप से अधिगृहित अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को लागत पर प्रारंभिक पहचान के आधार पर आँका जाता है। बिजनेस कंबिनेशन में प्राप्त अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति की लागत अधिग्रहण के समय उसका उचित मूल्य होता है। इनिशीयल रिकोग्निजेशन के अनुसरण में अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति का संचित परिशोधन (उनके उपयोगी जीवन पर स्ट्रेटलाइन आधार पर परिकलित) तथा संचित इम्पेयरमेंट हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर कैरी किया जाता है।

पूंजीकृत विकास लागत सहित आंतरिक सृजित परिसंपत्ति को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बदले में इससे संबंधित खर्च को लाभ या हानि विवरण में तथा जिस अवधि में खर्च किया जाता है उस अवधि में विस्तृत आय की पहचान की जाती है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवन को या तो सीमित (फाइनाइट) या इन्डेफिनिट के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है तथा जहाँ यह संकेत हो कि अप्रत्यक्ष परिसम्पत्ति इम्पेयर हो सकता हो वहाँ इसे इम्पेयरमेंट (हानि/क्षति) के लिए मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन अवधि वाली अप्रत्यक्ष परिसम्पति के लिए परिशोधित अवधि तथा परिशोधन पद्धति की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के कम–से–कम अंत में की जाती है। संभावित उपयोगी जीवन या भावी आर्थिक लाभ की खपत की संभावित पैटर्न जिसे परिसंपत्ति में मूर्त रूप दिया गया हो परिशोधन अवधि को रूपान्तरित करने पर विचार किया जाता है तथा उस`लेखा प्राक्कलन में परिवर्त्तन के रूप में माना जाता है। सीमित जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति पर परिशोधन व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में की जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति को परिशोधित नहीं किया जाता है लेकिन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इम्पेयरमेंट की पहचान की जाती है।

किसी अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के डिरिकोगनाइजेशन से उत्पन्न लाभ या हानि को नेट डिस्पोजल प्रोसिडिंग तथा परिसंपत्तियों के कैरिंग अमाउन्ट के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है तथा लाभ एवं हानि लेखा में इसकी पहचान की जाती है।

अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति के रूप में चिन्हित साफ्टवेयर की लागत उपयोग के लिए वैधानिक अधिकार की अवधि या तीन वर्ष, जो कम हो, पर स्ट्रेट लाइन पद्धति पर की जाती है।

2.8 परिसंपत्ति की हानि (इम्पेयरमेंट)

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी यह मूल्यांकित करती है कि क्या यह संकेत है कि परिसम्पत्ति को इम्पेयर किया जा सकता है। यदि ऐसा कोई संकेत है, तो कंपनी इस परिसंपत्ति की वसूली योग्य मात्रा का आकलन करती है।

परिसंपत्ति का वसूली योग्य रकम प्रयोग में लाई जा रही परिसंपत्ति से या केश जेनरेटिंग इकाई से ज्यादा है तथा इसका उचित मूल्य डिसपोजल की लागत से कम है तथा इसे व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्धारित किया जाता है।

जब तक कि परिसंपत्ति वैसा कैश सृजित नहीं करता हो जो अन्य परिसंपत्ति या परिसंपत्तियों के समूह से वैधानिक रूप से स्वतंत्र हो, जिस मामले में वसूली योग्य रकम कैश जेनरेटिंग इकाई जिसकी वह है, के लिए निर्धारित किया जाता है।

2.9 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट एक संविदा है जो किसी इंटिटी की वित्तीय परिसंपत्ति है तथा दूसरी इक्विटी के इन्टीटी इन्स्ट्रूमेंट या वित्तीय देयता को उत्थान प्रदान करता है।

2.9.1 वित्तीय परिसंपत्ति

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्निाश्न) एवं माप :

प्रारंभ में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की पहचान उचित मूल्य एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण में लगने वाली लागत को जोड़कर की जाती है, यदि वित्तीय परिसंपत्ति लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर दर्ज नहीं किया गया हो, वैसे वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद बिक्री जिसकी विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय–सीमा के भीतर सुपुर्दगी अपेक्षित हो, की पहचान व्यापार की तिथि, यानि जिस तिथि को कंपनी खरीदती या बेचती हो, पर की जाती है।

2.9.2 वित्तीय देयता की माप का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 कोटि के आधार पर की जाती है :

- परिशोधित लागत पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीओसीआई)
- लाभ एवं हानि के जरिए उचित मूल्य पर ऋण इन्स्ट्रूमेंट, ब्युतपन्न तथा इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट (एफवीटीपीएल)।
- अन्य विस्तृत आय के जरिए उचित मूल्य पर मापित इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट

2.9.2.1 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति (इम्पेयरमेंट)

क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण इंस्ट्रूमेंट है और जिसकी माप परिशोधित लागत यानि ऋण, डेब्ट सिक्यूरिटी डिपोजिट, ट्रेड रीरिवेबुल और बैंक बैलेंस आदि पर की जाती है डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट हैं।

ख) वित्तीय परिसंपत्यिाँ जो डेब्ट इन्स्ट्रूमेंट है उन्हें एफवीटीओसीआइ पर मापा जाता है।

ग) ए एस 17 के तहत प्राप्ति योग्य (रीसिवेबुल) लीज

घ) रीसिवेबुल ट्रेड या नकद या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार (राइट) जो ट्रान्जेक्शन के परिणाम स्वरूप हुआ हो, वे इंड एएस 11 तथा इंड एएस 18 के क्षेत्र में आता है।

कंपनी निम्नलिखित पर इम्पेयरमेंट हानि (लॉस) की पहचान के लिए ''सरलीकृत दृष्टिकोण (अप्रोच) का अनुसरण करती है :

- ट्रेड रीसिवेबुल या कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू रीसिवेबुल; तथा
- इंड एएस 17 के क्षेत्र के भीतर ट्रान्जक्ँान के परिणामस्वरूप सभी रीसिवेबुल लीज

1 कंपनी को सरलीकृत दृष्टिकोण के प्रयोग में कंपनी को क्रेडिट रिस्क में बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। बल्कि इसकी प्रारंभिक पहचान से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक लाइफटाइम ईसीएल के आधार पर यह इम्पेयरमेंट लॉस अलाउएन्स की पहचान करता है।

2.9.3 वित्तीय देयताएँ

2.9.3.1 प्रारंभिक पहचान एवं माप

कंपनी की वित्तीय देयता में ट्रेड एवं अन्य देय, हानि एवं बैंक क्रेडिट सहित उधारी।

सभी वित्तीय देयता की पहचान फेयर वैल्यू पर की जाती है, यदि लोन एवं वैरोईंग्स तथा देयता, प्रत्यक्षतः एट्रीब्यूटेबुल ट्रांन्जक्शन कास्ट का नेट हो।

2.9.3.2 परवर्ती माप

वित्तीय देयता की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है।

2.9.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयता

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताओं में ट्रेडिंग के लिए रखे गए वित्तीय देयताएँ तथा लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर प्रारंभिक पहचान पर नामित (डिजिग्नेटेड) वित्तीय देयता शामिल है।

वित्तीय देयता को ''ट्रेडिंग के लिए रखे गए'' के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट भविष्य में खरीद के उद्देश्य के लिए खर्च किए गए हैं। इस कोटि में कंपनी द्वारा की गई उत्पन्न वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट्स शामिल है जो इंड एएस 109 द्वारा परिभाषित हेड्ज रिलेशनशीप में हेड्ंिजग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित किया जाता है। सेपरेटेड इमवेडेड डेरिवेटिव्स (ब्युत्पन्न) को भी हेल्ड फार ट्रेडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जब तक कि उन्हें इफेक्टिव हेड्जिग इन्स्ट्रूमेंट के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

ट्रेडिंग के लिए रखे गए (हेल्ड फार ट्रेडिंग) देयता पर प्राप्ति (गेन) या हानि की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की गई है। लाभ या हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर इमिशीयल रिकोग्नाइजेशन पर डिजिग्नेट वित्तीय देयता को वास्तव में रिकोग्नाइजेशन की आरंभिक तिथि तथा इंड एएस 109 में दिए गए मानदंड को पूरा करने पर ही डिजिग्नेटेड किया जाता है। एफवीटीएल के रूप में डिजिग्नेटेड देयताओं के लिए अपने क्रेडिट रिस्क में बदलाव के कारण फेयर वैल्यू प्राप्ति (गेन)/हानि को ओसीएल में रिकोग्नाइज किया गया है। ये प्राप्ति(गेन/हानि पीएंडएल में स्थानांतरित करने के लिए पयाप्त नहीं है, तथा कंपनी संचित प्राप्ति (गेन) हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। इस प्रकार देयता के फेयर वैल्यू में अन्य सभी परिवर्त्तन की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है। कंपनी ने लाभ एवं हानि के जरिए फेयर वैल्यू पर किसी वित्तीय देयता को डिजीग्नेट नहीं किया है।

2.9.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीयदेयताएँ :

प्रारंभिक पहचान (रिकोग्नाइजेशन) के बाद, इन्हें प्रभावी व्याज दर पद्धति का प्रयोग कर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। प्राप्ति (गेन) तथा हानि की लाभ या हानि में तब पहचान की जाती है, जब देयता को डिरिकोग्नाइज के साथ–साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के जरिए किया जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी प्रकार की छूट या किस्त तथा प्रभावी व्याज दर के किसी अभिन्न हिस्से के रूप में लगे शुल्क या लागत/मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। प्रभावी व्याज दर परिशोधन को लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में वित्तीय लागत के रूप में शामिल किया जाता है। यह कोटि सामान्यतः उधारी में लागू होती है।

2.9.3.5 डिरिकोग्नाइजेज़न

किसी वित्तीय देयता को तब डिरिकोग्नाइज्ड किया जाता है, जब देयता के तहत दायित्व डिस्चार्ज या समाप्त हो जाता है। जब वर्तमान देयता को महत्वपूर्ण भिन्न शर्त या वर्तमान देयता की पर्याप्त ढंग से रूपान्तरित शर्त के आधार पर उस उधारदाता से दूसरे उधारदाता द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तब इस तरह के बदलाव या रूपान्तरण को मूल देयता तथा नया दायित्व की पहचान को डिरिकोग्नाइज्ड माना जाता है। समाप्त (इक्सटिग्विस्ड) वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के किसी भाग) या अन्य पार्टी को स्थानांतरित

तथा कन्सिडेरेशन पेड सहित गैर नकद परिसंपत्ति हस्तांतरित या मानी गई देयता के कैरिंग रकम के बीच के अंतर को लाभ या हानि में रिकोग्नाइज किया जाता है।

2.9.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनवर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक पहचान पर वित्तीय परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक पहचान के बाद उन वित्तीय परिसंपत्तियों के कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट तथा वित्तीय दायित्व हो। वित्तीय परिसंपत्तियों जो ऋण इन्स्ट्रूमेंट हो, के लिए पुनर्वर्गीकरण तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों को व्यवस्थित करने के लिए बिजनेस माडल में कोई बदलाव किया गया हो। बिजनेस मॉडेल में परिवर्त्तन शायद ही कभी (इन्फ्रीक्वेंट) होने की उम्मीद है। कंपनी के वरीय प्रबंधन कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हो, बाहरी या आंतरिक परिवर्त्तन के फलस्वरूप बिजनेस मॉडल में हुए परिवर्त्तन को निर्धारित करता है। ऐसा परिवर्त्तन बाहरी पार्टियों के साक्ष्य हैं। बिजनेस माडल में बदलाव तभी आता है, जब कंपनी वैसे क्रिया–कलाप या तो शुरू करती है या बंद कर देती है, जो उसके संचालन के लिए महत्वपूर्ण हों। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्यिों को पुनर्वर्गीकृत करती है तो यह पुनर्वर्गीकरण की की तिथि से परिप्रेक्ष्य रूप से पुनर्वर्गीकरण पर लागू होती है, बिजनेस मॉडल में बदलाव के बाद अगली रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल बाद का दिन पहला दिन होता है। ग्रुप किसी प्रकार के पूर्व का रिकोग्नाइज्ड प्राप्ति (गेन), हानि (इम्पेयरमेंट गेन या हानि सहित) या ब्याज को रिस्टेट नहीं करता है।

निम्नांकित तालिका अनेक पुनर्वर्गीकरण तथा वे कैसे इसकी गणना की जाती है, को दर्शाता है।

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखागत प्रतिपादन
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि से की जाती है। पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के अंतर की पहचान पीएंडएल में की गई है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया ग्रास कैरिंग रकम (अमाउन्ट) होता है। न्यू ग्रास कैरिंग रकम के आधार ईआईआर की गणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	फेयर वैल्यू की माप पुनर्वर्गीकरण की तिथि पर की जाती है पूर्व परिशोधित लागत तथा फेयर वैल्यू के बीच के अंतर को ओसीआई में पहचान की जाती है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण की तिथि को फेयर वैल्यू इसका नया परिशोधित लागत कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। तथापि, ओसीआई में संचित लाभ या हानि को फेयर वैल्यू के मुकाबले समायोजित की जाती है। उसके बाद परिसंपत्ति की माप ऐसे की जाती है मानो इसे परिशोधित लागत पर हमेशा मापा गया है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनर्वर्गीकरण की तिथि से फेयर वैल्यू इसका नया कैरिंग अमाउन्ट हो जाता है। कोई अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों की माप इसके फेयर वैल्यू पर जारी था। ओसीआई में पूर्व में चिहि्नत संचित प्राप्ति या हानि को पुनर्वर्गीकरण को तिथि को पीएंडएल के पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.9.5 वित्तीय इन्स्ट्रूमेंट का आर्फ सेटिंग

वित्तीय परिसंपत्ति तथा वित्तीय देयताएँ आफसेट होते हैं तथा नेट रकम को समेकित तुलन–पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है, यदि रिकोग्नाइज्ड रकम को आफसेट करने के लिए प्रवर्तनीय वैधानिक अधिकार हो तथा परिसंपत्तियों की वसूली तथा देयताओं का निपटारा साथ–साथ करने हेतु नेट आधार पर सेटल करने का इरादा हो।

2.10 कराधान :

आयकर व्यय, वर्तमान में देय कर तथा आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वह रकम है जो किसी अवधि के लिए (कर योग्य आय) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है। लाभ या हानि तथा अन्य विस्तृत आय के विवरण में की गई रिपोर्ट के अनुसार ''आयकर के पहले लाभ'' से कर योग्य लाभ में अंतर है क्योंकि इसमें आय एवं खर्च के वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो अन्य वर्ष में कटौती योग्य या कर

योग्य हैं। इसमें से भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है, जो कभी भी वैसे मदों को निकाल दिया गया है जो कभी भी कर योग्य या कटौती योग्य नहीं हो। वर्त्तमान कर के लिए कंपनी की देयता का परिकलन उस दर का प्रयोग कर किया जाता हे जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक इनेक्ट या पर्याप्त रूप से इनेक्ट किया गया है।

वित्तीय विवरण में आस्थगित कर की पहचान परिसंपत्ति की कैरिंग रकम तथा देयता और कर योग्य लाभ की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के बीच अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के आधार पर की जाती है। सामान्यतः आस्थगित कर देयता की पहचान सभी कर योग्य अस्थायी अंतर (डिफरेंस) के लिए को जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की पहचान सामान्यतः सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतर के लिए इस सीमा तक की जाती है कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरूद्ध उन कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की परिसंपत्तियों एवं देयताओं की पहचान नहीं किया जाती है। यदि अस्थयी अंतर (टेम्पोररी डिफरेंस) किसी ट्रान्जेक्शन में अन्य परिसंपत्तियों एवं देयताओं के प्रारंभिक पहचान (किसी बिजनेस कम्बिनेशन के अलावा) से या गुडविल से उत्पन्न हुआ हो जिसका प्रभाव न तो कर योग्य लाभ पड़ता है और न ही लेखा लाभ पर।

अनुषंगी कंपनी तथा सम्बद्ध कंपनियों के निवेश से संबंधित कर योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर देयता की पहचान उनको छोड़कर की जाती है, जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के रिवर्सल को नियंत्रित करने में सक्षम हो तथा यह संभव है कि निकट भविष्य में अस्थायी अंतर वापस नहीं होता हो। इस प्रकार के निवेश तथा ब्याज से सम्बद्ध कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर की पहचान इस सीमा तक की जाती है। यह संभव है कि र्प्याप्त कर योग्य लाभ होगा जिसके विरूद्ध अस्थायी अंतर के लाभ का उपयोग करना है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति कैरिंग रकम की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है तथा इस सीमा तक घटा दी जाती है कि लम्बे समय तक यह संभव है कि पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेगा जिससे परिसंपत्ति के पूरे या किसी भाग को वसूल (रिकवर) किया जा सकेगा।

अनरिकोग्नाइज्ड आस्थगित कर का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में की जाती है इस हद तक पहचान (रिकोग्नाइज) की जाती है कि यह संभव हो चुका है कि वसूली योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति को पूरे या किसी भाग का प्रबंध करने (अलाउ) के लिए पर्याप्त कर येाग्य लाभ उपलबध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा देयता की गणना उस टैक्स दर पर की जाती है, जिन्हें उस अवधि में उपयोग किए जाने की संभावना हो जिसमें देयता को निपटाया जाता है या परिसंपत्ति को वसूला (रियलाइज) किया जाता है, उस टैक्स दर (कर कानून) पर जो रिपोटिंग अवधि के अंत तक इनेक्टे या पर्याप्त ढंग से इनेक्टे किया जा चुका हो।

आस्थगित कर देयता एवं परिसंपत्ति की गणना (माप) कर परिणाम को दर्शाता है जो इस ढंग से अनुसरण करेगा कि कंपनी को रिपोटिंग अवधि के अंत में अपनी परिसंपत्ति तथा देयता के कैरिंग रकम को वसूल या निपटाने (सेटल) करने की उम्मीद हो।

लाभ या हानि में वर्त्तमान एवं आस्थगित कर की पहचान उस तिथि को छोड़कर की जाती है जब उन मदों से संबंधित हों जिन्हें अन्य विस्तृत आय या सीधे इक्विटी में चिहि्न्त (पहचान) की गई है जिस मामले में चालू एवं आस्थगित कर भी पहचान क्रमशः अन्य विस्तृत आय या प्रत्यक्षतः इक्विटी में की गई है। जहाँ किसी बिजनेस कंबिनेशन के लिए प्रारंभिक लेखा (अकाउटिंग) से चालू कर या आस्थगित कर उत्पन्न होता है, वहाँ बिजनेस कम्बिनेशन के लिए कर प्रभाव को लेखा (अकाउटिंग) में शामिल किया गया है।

2.11 कर्मचारियों के लाभ

2.11.1 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

सभी अल्पकालीन कर्मचारी लाभ की पहचान उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में वे खर्च हुए हों।

2.11.2 नियोजन के बाद लाभ तथा अन्य दीर्घकालीन कर्मचारी लाभ

2.11.2.1 परिभाषित (डिफाइन्ड) अंशदान योजना

भविष्य निधि तथा पेंशन के लिए परिभाषित अंशदान योजना नियोजन के उपरांत दी जाने वाली लाभ योजना हे जिसके तहत कानून के अधिनियम (इनएक्टमेंट) के तहत गठित पृथक सांविधिक निकाय (क्रोयला खान

भविष्य निधि) द्वारा मेनटेन किए जा रहे कोष में कंपनी निर्धारित अंशदान देती है तथा कंपनी के पास अतिरिक्त रकम को देना के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक बाध्यता नहीं होगी। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व की पहचान लाभ एवं हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में यह कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

2.11.2.2 *परिभाषित (डिफाइन्ड) लाभ योजना*

परिभाषित लाभ योजना नियोजन के उपरांत लाभ योजना है जो परिभाषित अंशदान योजना से अलग है। ग्रेच्यूटी, छुट्टी नकदीकरण परिभाषित लाभ योजना (लाभ पर सीमा (सिलिंग) है। परिभाषित लाभ योजना के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व (ओब्लिगेशन) की गणना भावी लाभ की रकम का आकलन कर की जाती है जिसे कर्मचारी ने वर्तमान एवं पूर्व की अवधि में अपने सेप के लिए अर्जित किया है। इस लाभ को इसके वर्तमान मूल्य निर्धारित करने के लिए डिसकाउन्ट कर दिया जाता है तथा प्लान परिसंपत्ति, यदि कोई हो, के फेयर वैल्यू तक घटा दिया जाता है। डिसकाउन्ट रेट रिपोर्टिंग तिथि को भारत सरकार के प्रतिभूति के प्रचलित बाजार उत्पादन पर आधारित होता है जिसकी परिपक्वता की तिथि कंपनी के दायित्व के समय आसपास तथा वह उसी करेंसी में डेनोमिनेटेड होता है जिसमें लाभ दिए जाने की संभावना रहती है।

एक्चुरियल वैल्यू के प्रयोग में डिस्काउन्ट दर,परिसंपत्तियों पर प्रतिफल का संभावित दर भावी वेतन वृद्धि, मोर्टालिटी दर आदि शामिल है। इन योजनाओं की दीर्घकालीन प्रवृत्ति के कारण ये आकलन अनिश्चित है। प्रतयेक तुलन पत्र में गणना प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड का प्रयोग कर अक्चुअरी द्वारा की जाती है। जब गणना का परिणाम कंपनी के लाभ में प्रतिफलित होता है, तब रिकोग्नाइज्ड परिसंपतित उस आर्थिक के लाभ के वर्तमान मूल्य तक सीमित होता है, जो योजना से किसी भावी रिफंड या योजना में भावी योगदान के रूप में उपलब्ध होता है। आर्थिक लाभ कंपनी को तभी होता है, जब यह योजना की जीवन अवधि में वसूलीयोग्य या योजना देयता के सेटलमेंट पर वसूलीयोग्य होता है। शुद्ध परिभाषित लाभ दायित्व की पुनर्माप में योजना परिसंपत्ति (व्याज को छोड़कर) पर रिटर्न पर विचार करते हुए अक्चुरियल प्राति (गेन) तथा हानि शामिल है तथा परिसंपत्ति की सीलिंग (सीमा) के प्रभाव की पहचान तत्काल अन्य विस्तृत आय में की जाती है।

तत्कालीन निबल परिभाषित अंशदान एवं लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी तरह के बदलाव को ध्यान में रखकर निबल ब्याज दर उस समय निबल परिभाषित देयल के प्रति वार्षिक अवधि के प्रारंभ मं परिभाषित लायदायित्व की माप करने के लिए प्रयुक्त विसकांडट दर को लागू कर निबल अवधि देयता पर निर्धारित की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व को माप करने के लिए प्रयुक्त डिस्काउन्ट दर को लागू कर अवधि के लिए निबल लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर निबल व्याज व्यय निर्धारित करती है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित निबल व्याज व्यय तथा अन्य व्यय की पहचान लाभ एवं हानि लेखा में की जाती है।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है तब कर्मचारी द्वारा की गई विगत की सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ के भाग की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में तत्काल की जाती है।

2.11.3 अन्य कर्मचारी लाभ

परिभाषित लाभ योजना के लिए एलटीए,एलटीसी, जीवन सुरक्षा योजना, ग्रूप पसर्नल एक्सीडेंट इन्श्योरेंस स्कीम, सेटलमेंट भत्ता, सेवा निवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना तथा खान दुर्घटना आदि में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआबजा आदि जैसे कुछ अन्य कर्मचारी लाभ की पहचान उसी आधार पर की जाती है जैसा कि दिए गए आधार पर की जाती गया है। इन लाभों के लिए अलग से कोई विशिष्ट फंड नहीं है।

2.12 विदेशी मुद्रा

जिस वातावरण में कंपनी काम करती है उस आर्थिक वातावरण के प्रमुख करेंसी होने के नाते कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी तथा इसके बड़े संचालन की कार्यकारी करेंसी भारतीय रूपया (आईएनआर) है।

ट्रान्जेक्शन तिथि को प्रचलित विनियम दर का प्रयोग कर विदेशी मुद्रा में ट्रान्जेक्शन को कंपनी की रिपोर्टेड करेंसी में बदल दिया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्रा में प्रभावी मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनियम दर पर परिवर्तित कर दिया जाता है। मैट्रिक परिसंपत्ति तथा देयता के निपटारा तथा मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता को परिवर्तित करने के फलस्वरूप उत्पन्न विनिमय अंतर को, उस अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरण में प्रारंभिक पहचान पर उन्हें परिवर्तित किया गया था, से अलग दर पर लाभ एवं हानि लेखा के विवरण में पहचान की जाती है जिस अवधि में वे उत्पन्न हुई हो।

2.13.1 स्टोर एवं स्पेयर्स

केंद्रीय तथा क्षेत्र में स्थित स्टोर एवं स्पेयर पार्ट के स्टॉक पर प्राइस्ड स्टोर लेजर में दिए गए बैलेंस के अनुसार विचार किया जाता है। तथा भारित औसत पद्धति (वेटेड अवरेज मेथड) के आधार पर परिकलित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/सबस्टोर्स/ड्रिलिंग कैम्पों/उपयोग केंद्रों पर पड़े स्टोर्स एवं स्पेयर पार्टों की वस्तुसूची पर विचार भौतिक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार वर्षांत में किया जाता है तथा लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

बेकार, क्षतिग्रस्त तथा अप्रयुक्त स्पेयर एवं पार्टों के लिए 100 प्रतिशत की दर पर प्रावधान किया जाता है तथा 5 वर्ष से उपयोग में नहीं लाए गए स्पेयर पार्टों के लिए 50 प्रतिशत की दर पर किया जाता है।

2.13.2 अन्य वस्तु सूची

स्टेशनरी के स्टॉक के मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण उन पर वस्तु सूची के लिए विचार नहीं किया जाता है।

2.14 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान की पहचान तब की जाती है, जब वर्तमान दायित्व पिछली घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ है तथा यह संभव है कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो के दायित्व सेटल करना अपेक्षित होगा तथा दायित्व की रकम का विश्वसनीय आकलन किया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण हो वहाँ प्रावधान दायित्व निपटाने के लिए संभावित व्यय को वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया जाता है।

सभी प्रावधान की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर की जाती है तथा वर्तमान सर्वोतम आकलन प्रतिबिम्बित करने के लिए इसे समायोजित किया जाता है। सभी प्रावधान की प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि में संवीक्षा की जाती है और करेंट बेस्ट आकलन को प्रतिभाषित करने के लिए समायोजित किया जाता है। जहाँ यह संभव नहीं है कि इकोनामिक बेनीफिट के लिए आऊटफ्लो की जरूरत होगी अथवा धन को आकलित नहीं किया जाता है का ओब्लिगेशन आकस्मिक देयता के रूप में उल्लेख किया जाता है, क्योंकि इकोनामिक बेनीफिट की आउटफ्लो की संभावना संभव (दूर) नहीं है। संभावित ओब्लिगेशन जिसका अस्तित्व एक या अधिक के आकूरेंस या नन–आकूरेंस द्वारा संपुष्ट करना होगा। भावी अनिश्चितता वाली घटना पूरी तरह कंपनी के नियंत्रण में नहीं होती है, को आकस्मिक देयताएँ में उल्लेख किया गया है, क्योंकि आर्थिक लाभ का आउटफ्लो की संभाव्यता न के बराबर (दूर) है।

आकस्मिक परिसंपत्ति को वित्तीय विवरण में नहीं माना गया है, हालाँकि जब रियलाइजेशन ऑफ इनकम वरचुअली निश्चित होता है तो संबंधित परिसंपत्ति आकस्मिक परिसंपत्ति में नहीं आता है और इसकी पहचान समुचित तरीके से की जाती है।

2.15 प्रति शेयर अर्जन (अर्निंग)

प्रति शेयर मूल अर्जन की अवधि के दौरान इक्विटि शेयर आउटस्टैण्डिंग के भारित औसत नंबर को कर के बाद निबल लाभ से भाग देकर गणना की जाती है। प्रतिशेयर डायलूटेड अर्निंग की गणना इक्विटि शेयर की

भारित औसत नंबर द्वारा कर पश्चात् लाभ से भाग देकर की जाती है और प्रतिशेयर डिराइविंग बेसिक पर विचार किया गया है ओर इक्विटि शेयर का भारित औसत संख्या को सभी को सभी डायलूटड पेटिंशियल इक्विटि शेयर में बदल कर जारी किया जाता है।

2.16 जजमेंटस, एस्टीमेट्स और एजम्पसन

आईएनडीएएस के अनुरूप वित्तीय विवरण की तैयारी में प्रबंधन को आकलन, जजमेंट्स और एजम्पसन बनाने की जरूरत होती है, जो वित्तीय विवरण में परिसंपत्ति और देयताओं के रिपोर्टड राशि और आकस्मिक परिसंपत्ति तथा रिपोर्टड अवधि के दौरान राजस्व और व्यय को प्रकट किया गया है। लेखा नीति को लागू करने में कमप्लेक्स और सबजेक्टिव जजमेंट्स को इस वित्तीय विवरण में एजम्पसन के उपयोग का उल्लेख किया गया है। लेखा आकलन समय–समय पर बदल सकता है। वास्तविक परिणाम उससे भिन्न हो सकता है। एस्टीमेट और अंडरलाईंग एजम्पसन की संवीक्षा आनगोईंग आधार पर की जाती है। लेखा आकलन का रिवीजन उस अवधि में की जाती है यदि महत्वपूर्ण हो तो जब आकलन को रिवाइज किया जाता है उसके प्रभाव को वित्तीय विवरण की टिप्पणी में उल्लेख किया गया है।

2.16.1 निर्णय

कंपनी लेखा नीति का लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन निम्नलिखित जजमेंट (निर्णय) करता है जो वित्तीय विवरण में रिकोगनाइज्ड राशि पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव को व्यक्त करता है।

2.16.2 लेखा नीति का का निर्माण

लेखा नीति इस प्रकार तैयार की जाती है कि लेनदेन के बारे में दी गई सूचना अन्य इवेन्ट्स और कंडीशन्स, जिसके लिए यह लागू है सम्बद्ध ओर विश्वसनीय है। इस नीति की आवश्यकता तब नहीं होती है जब उन्हें लागू करने का प्रभाव महत्वपूर्ण न हो।

आईएनडीएएस की अनुपस्थिति में जो विशेषकर लेनदेन अन्य इवेन्ट्स या परिस्थिति के लिए लागू होता है, प्रबंधन ने लेखा नीति के विकास और लागू करने के लिए अपने निर्णय (जजमेंट) का उपयोग किया है उसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित सूचना शामिल है :

क) उपयोगकर्त्ता की इकोनोमिक डिसीजन–मेकिंग आवश्यकता से सम्बद्ध हो तथा

ख) वह तथाकथित वित्तीय विवरण विश्वसनीय हो,

   (i) वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन और इनटीटी का कैशफ्लो को विश्वसनीय तरीके से प्रतिनिधित्व करता हो

   (ii) लेन–देन, अन्य इवेन्ट्स और स्थिति के इकोनामिक सबसटांस को बतलाता है, जो लीगल फार्म में नहीं होता है।

   (iii) यह न्यूट्रल अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त होता है।

   (iv) प्रेडेन्ट होता है तथा

   (v) कंसिसटेंट आधार पर सभी महत्वपूर्ण पहलूओं को पूरा करता है।

निर्णय करने में प्रबंधन घटते क्रम में निम्नलिखित के प्रयोज्यता पर विचार करता है :

क) आईएनडी एएस में समान और सम्बधित मुद्दे से निपटा जाता है।

ख) फ्रेम वर्क में परिसंपत्ति, देयता, आय और व्यय के लिए परिभाषा, रिकोगनिशन क्राइटेरिया और मेजरमेंट अवधारणा।

जजमेंट करने में प्रबंधन इन्टरनेशनल एकाउन्टिंग बोर्ड के मोस्ट रिसेन्ट प्रोनाउंसमेंट्स पर विचार करता है, और उसकी अनुपस्थिति में अन्य स्टैण्डर्ड सेटिंग बॉडीज जिसका उपयोग डेवलपमेंट एकान्टिंग स्टैण्डर्ड, अन्य एकाउन्टिंग लिटरेचर का विकास करने के लिए समान कंसेपचूअल फ्रेम वर्क का उपयोग करता हो और इंडस्ट्री प्रैक्टिस को स्वीकार उस सीमा तक करता है, जो उपर्युक्त पाराग्राफ के सोर्स का विरोधाभाषी न हो।

वह ग्रूप जो खनन के क्षेत्र में कार्य करता है (वैसा सेक्टर जहाँ प्रौन टू कंसटेंट चेंजेज और दशकों से चल रहे लीज की अवधि जो विभिन्न टोपोग्राफिकल और जियोमाइनिंग टेरेन के आधार पर गवेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरणों के विकास पर आधारित है) लेखा नीति जहाँ गत विभिन्न दशकों से इसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन को विभिन्न नियामकों द्वारा अनुमोदित और अनुसंधान समिति द्वारा समर्थित होता है। स्पेसिफिक एकाउन्टिंग लिटरेचर की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों जो इवोल्यूशन की प्रक्रिया में हो के दिशा–निर्देश और मानकों का पालन करता हो। एकाउन्टिंग लिटरेचर और उससे संबंधित विकास आईएनडी एएस 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार लेखे में लिया जाएगा।

लेखे के वास्तविक आधार का उपयोग कर ऑन गोईंग कंसर्न पर वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

2.16.3 मैटेरियलिटी (महत्वपूर्ण)

आईएनडी एएस वहीं लागू होता है जहाँ आइटम महत्वपूर्ण हो। प्रबंधन यह निर्णय करने में अपने जजमेंट का उपयोग वित्तीय विवरण में इंडीविजुअल आइटम अथवा ग्रूप ऑफ आइटम महत्वपूर्ण है या नहीं में करता है। महत्वपूर्णता का निर्णय आइटम के आकार और प्रकृति से होता है। डिसाइडिंग फेक्टर है कि या तो ओमिशन या मिस स्टेटमेंट निजी या सामूहिक रूप से आर्थिक निर्णय को प्रभावित करता है या नहीं तथा जिसे वित्तीय विवरण के आधार पर बनाया जाता है। प्रबंधन आईएनडीएस की अनुपूरक आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण (मेटेरियलिटि) का जजमेंट का उपयोग करता है। विशेष परिस्थिति में एक आईटम की राशि या प्रकृति या आइटमों का कुल योग डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है। प्रेजेन्ट सेपेटेली इमेहेरियल आइटमों के लिए इनटिटि की जरूरत हो सकती है जहाँ कानूनी रूप से जरूरी हो।

2.16.2 प्राक्कलन और एजम्पसन

अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्ति और देयताएँ केयरिंग राशि को मेटेरियल एजुजसटमेंट के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में एसटिमेशन अनसरटेंटी के अन्य की स्रोत और भावी संबंधि मुख्य छूट को नीचे दिया जा रहा है। पारामीटर पर ग्रूप आधारित इसमें छूट और आकलन तभी उपलबध होगा जब कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार किया गया हो। भावी विकास में छूट और वर्तमान परिस्थिति जो ग्रूप के नियंत्रण से परे मार्केट चेंजेज अथवा परिस्थिति के कारण बदल सकता है। ऐसे परिवर्त्तन एजम्पसन जिसका पता चलता है को दर्शाता है।

2.16.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्ति में छूट

यदि रिकवरेवल अमाउन्ट कैश जेनेरेटिंग यूनिट अथवा परिसंपत्ति का कैरिंग वैल्यू डिस्पेजल के न्यूनतम लागत और इसके उपयोग मूल्य का फेयर वैल्यू अधिक हो तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन होता है। इम्पेयरमेंट के परीक्षण के उद्देश्य से सेपरेट कैश जेनरेटिंग यूनिट्स के रूप में इंडिविजुअल खान पर ग्रुप विचार करता है। वैल्यू डीसीएफ मॉडल के आधार पर यूज में वैल्यू की गणना की जाती है। अगले पाँच वर्षों के लिए नकद प्रवाह बजट से होता है तथा इसमें रीस्ट्रकचरिंग एक्टिविटि शामिल नहीं होता है, जिसके लिए ग्रुप वचनबद्ध नहीं होता है अथवा महत्वपूर्ण भावी निवेश जिसका सीजीयू की परिसंपत्ति के कार्य निष्पादन, बढ़ाएगा का परीक्षण किया जाएगा। गवेषण के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त ग्रोथ रेट और एक्सपेक्टेड भावी कैश इनफ्लो के साथ–साथ डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त डिस्कांउट रेट के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट संवेदनशील होता है। यह आकलन अन्य माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा अनुकूल होता है। विभिन्न सीजीयू के लिए रिकवरेबल एमाउन्ट के निर्धारण के लिए प्रयुक्त की एजम्पसन होता है, उल्लेख किया जाता है और संबंधित टिप्पणी में उल्लेखित किया जाता है।

2.16.2.2 कर

आस्थगित कर परिसंपत्ति अनयूज्ड टैक्स लॉसेस के लिए उस सीमा तक रिकोगनाइज्ड किया जाता है, लॉस को यूटिलाइज्ड करने के विरूद्ध उपलब्ध कर लाभ संभव है। सिगनीफिकान्ट मैनेजमेंअ जजमेंट आस्थगित कर परिसंपत्ति की राशि को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है तथा भावी टैक्स स्ट्रेटजी के साथ भावी टैक्सेबुल लाभ के स्तर और संभावित टाइमिंग के आधार पर जाना जा सकता है।

2.16.2.3 परिभाषित लाभ योजना

डिफाइन्ड बेनीफिट ग्रेच्युटि प्लान की लागत और अन्य पोस्ट इम्पलायमेंट मेडिकल बेनीफिट तथा ग्रेच्युटि ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य को वास्तविक मूल्यांकन का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। वास्तविक मूल्यांकन में मेकिंग वेरियल एजम्पसन, भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकता है। इसमें डिसकांडट दर का निर्धारण, भावी वेतन में बढ़ोत्तरी तथा मोर्टालिटि दर शामिल है।

मूल्यांकन और इसके दीर्घकालीन प्रकृति में शामिल जटिलता के कारण डिफाइन्ड बेनीफिट ओवलिगेशन इन एजम्पसन में परिवर्त्तन से हाईली सेंसेटीव हो जाता है। सभी एजम्पसन की संवीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग डेट पर की जाती है। पारामीटर अधिकांशतः डिसकाउन्ट दर में परिवर्तित होता है। भारत में परिचालित प्लान के लिए समुचित डिस्काउंट दर के निर्धारण में पोस्ट इम्प्लायमेंट बेनीफिट ओबलिगेशन के करेंसी सहित करेंसी कंसीसटेंट में सरकारी बांड के ब्याज दर पर प्रबंधन विचार करता है।

मोर्टालिटि रेट देश में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मोर्टालिटि तालिका पर आधारित होता है। वह मोर्टालिटि टेबल डेमोग्राफिक बदलावों के रेसपोंस के इंटरवल में केवल बदलता है। भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और गेच्युटि में बढ़ोतरी अनुमानित भावी इनफलेशनदर पर होता है।

2.16.2.4 वित्तीय इंसट्रूमेंट्स का उचित मूल्य मापन

जब वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य तुलन पत्र में दर्ज हो जाता है तब डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करते हुए उसके मूल्य, सक्रिय बाजार में उल्लेखित मूल्य पर आधारित नहीं किया जा सकता है। इन मॉडल के लिए इनपुट, जहाँ संभव हो, ओबजरवेबल मार्केट से लिया जाता है, परंतु जहाँ संभव नहीं है वहाँ फेयर वैल्यू को संस्थापित करते हुए जजमेंट की डिग्री की आवश्यकता होती है। जजमेंट में तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और वोलाटिलिटि जैसे इनपुट पर विचार शामिल है। इन फैक्टर के एजम्पसन से परिवर्त्तन वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के रिपोर्टेड फेयर वैल्यू पर प्रभाव पड़ सकता है।

टिप्पणी 38 : 31 मार्च, 2017 (स्टेंडालोन) को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण पर अतिरिक्त टिप्पणी)

1. उचित मूल्य माप

(करोड़ रू. में)

क) कैटेगरी द्वारा वित्तीय इंस्ट्रूमेंट

	31मार्च, 2017			31 मार्च, 2016				1 अप्रैल, 2015		
	एफवीआई पीएल	एफवीआई ओसीआई	एमोटॉज्ड लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटीओ सीआई	एमोटॉज्ड लागत	लागत	एफवी टीपीएल	एफवीटीओ सीआई	एमोटॉज्ड लागत
वित्तीय परिसंपत्ति										
निवेश :										
प्रतिभूत बाण्ड										
सब्सिडी में प्रिफरेंस शेयर										
म्युचुअल फंड										
ऋण			0.02			0.03				0.06
जमा, प्राप्तियोग्य एवं अन्य			151.44			137.21				213.27
पेशागत वसूली			327.65			248.24				236.06
नकद एवं नकद समतुल्य			77.18			124.30				85.92
अन्य बैंक शेष										
वित्तीय देयताएँ										
उधारी										
पेशागत देय			1.13			0.99				0.77
सिक्युरिटि जमा एवं अर्नेस्ट मनी			9.69			7.36				6.42
ख) उचित मूल्य समूह			50.44			41.44				31.88

(ख) उचित मूल्य हाइआर्की

वित्तीय इंस्ट्रूमेंट के उचित मूल्य के निर्धारण में जजमेंट और प्राक्कलन को दर्शाने वाली तालिका में (क) उचित मूल्य पर रिकोगनाइज्ड और मेजरमेंट (ख) अमोर्टाइज्ड लागत पर माप जिसके लिए वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया उचित मूल्य है। फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त इनपुट्स के रिलिएविलिटी के बारे में सूचना (दिशा–निर्देश) उपलबध कराना है, ग्रूप को एकाउन्टिंग स्टैर्ण्डड के तहत निर्धारित तीन स्तरों मं इसके वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में वर्गीकृत करता है। प्रतयेक स्तर की व्याख्या नीचे की तालिका में दी गई है।

फेयर वैल्यू रेकरिंग फेयर वैल्यू मेजरमेंट पर मापा गया वित्तीय परिसंपतित और देयताएँ	31मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति									
निवेश :									
म्यूचुअल फंड									
वित्तीय देयताएँ									
यदि कोई आइटम हो	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(करोड़ रू. में)

वित्तीय परिसंपत्ति तथा देयता की माप एमोर्टाइज्ड लागत पर होती है जिसके लिए 31 मार्च, 2017 के फेयर वैल्यू में उल्लेख किया गया है।	31मार्च, 2017			31 मार्च, 2016			1 अप्रैल, 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्ति									
निवेश :									
जेवी में इक्विटि शेयर									
म्यूचुअल फंड									
ऋण			0.02			0.03			0.06
जमा, प्राप्य एवं अन्य			151.44			137.21			213.27
पेशागत प्राप्ति			327.65			248.24			236.06
नकद एवं नकद समतुल्य			77.18			124.30			85.92
अन्य बैंक शेष									
प्रिफरेंस शेयर									
उधारी									
पेशागत देय			1.13			0.99			0.77
सिक्युरिटि डिपाजिट एवं अर्नेस्ट मनी			9.69			7.36			6.42
अन्य देयताएँ			50.44			41.44			31.88

स्तर 1 : स्तर 1 हिमरारकी में वित्तीय इंस्ट्रूमेंट की माप उल्लेखित मूल्य का उपयोग कर मापा जाता है। इसमें म्यूचुअल फंड जिसका कोटेट मूल्य है और क्लोजिंग एनएवी का उपयोग कर मूल्यांकित किया जाता है।

स्तर 2 : वित्तीय इस्ट्रूमेंट की फेयर वैल्यू जिसे सक्रिय बाजार में ट्रेड नहीं किया जाता है को वैल्यूएशन तकनीक जो ओवरवेबल मार्केट डाटा का उपयोग मैक्सिमाइज कर तथा इनटिटि–स्पेसिफिक एस्टीमेंट पर कुछ संभव है, का निर्धारण किया जाता है। फेयर वैल्यू का इंस्ट्रूमेंट जो ओबजरवेसन है, को सभी महत्वपूर्ण इनपुट की आवश्यकता होती है वैसे इंस्ट्रूमेंट को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3 : यदि महत्वपूर्ण इंपुट का एक या अधिक ओवजरवेबल मार्केट पर आधारित नहीं है तो इंस्ट्रूमेंट को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। इक्विटि सिक्युरिटि, प्रिफरेंस शेयर, उधारी, सिक्युरिटि डिपाजिट, लोन, पेशागत प्राप्त, नकद एवं नकद तुल्य और अन्य देयताओं/परिसंपत्तियों का यह मामला है जिसे स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ग) फेयर वैल्यू के निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक :

वैल्यू फायनासियल इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक में शामिल है :

- ईस्ट्रूमेंट के उल्लेखित मार्केट मूल्य का उपयोग
- डिस्काउंटेड कैश फ्लो विशलेषण का उपयोग कर शेष वित्तीय इंस्ट्रूमेंट का फेयर वैल्यू का निर्धारण किया जाता है।

महत्वपूर्ण अन आवजरवेवल इंनपुट का उपयोग कर फेयर वैल्यू का मापन

वर्त्तमान में सिगनिफिकांट अन ओवजरवेन इनपुट का उपयोग कर फेयर वैल्यू मेजरमेंट नहीं है।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं की माप अमोर्टाइन्ड लागत पर किया जाता है।

(करोड़ रू. में)

	31मार्च, 2017		31 मार्च, 2016		1 अप्रैल, 2015	
	वहनीय राशि	फेयर वैल्यू	वहनीय राशि	फेयर वैल्यू	वहनीय राशि	फेयर वैल्यू
वित्तीय परिसंपत्ति						
ऋण	0.02	0.02	0.03	0.03	0.06	0.06
जमा एवं प्राप्तियोग	151.44	151.44	137.21	137.21	213.27	213.27
पेशागत वसूली	327.65	327.65	248.24	248.24	236.06	236.06
नकद एवं नकद समतुल्य	77.18	77.18	124.30	124.30	85.92	85.92
अन्य बैंक शेष						
वित्तीय देयताएँ						
उधारी						
पेशागत देय	1.13	1.13	0.99	0.99	0.77	0.77
सिक्युरिटि डिपॉजिट और अर्नेस्ट मनी	9.69	9.69	7.36	7.36	6.42	6.42
अन्य देयताएँ	50.44	50.44	41.44	41.44	31.88	31.88

- पेशागत वसूली, अल्पकालीन जमा, नकद और नकद समतुल्य, पेशागत देय का कैरिंग अमाउण्ट (वहनीय राशि) को उसके उचित मूल्य पर समान माना गया है, क्योंकि उसकी प्रकृति अल्पकालीन होती है।
- अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की गणना एमोर्टाइन्ड लागत पर केवल फेयर वैल्यू में नहीं की जाती है यदि ये महत्वपूर्ण न हो।
- लोन के लिए फेयर वैल्यू प्रीफरेस शेयर में सिक्यूरिटी डिपाजिट और निवेश की गणना चालू लेंडिंग दर का उपयोग कर कैश फ्लो (नकद प्रवाह) डिसकाउन्टेंट के आधार पर की जाती है। उन्हे फेयर वैल्यू हिरारकी में लेवल 3 फेयर वैल्यू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

महत्वपूर्ण आकलन : वित्तीय इंस्ट्रूममेंट का फेयर वैल्यू जिसे एक्टिव मार्केट में ट्रेड नहीं किया जाता है, को मूल्यांकन तकनीकी का उपयोग कर निर्धारण किया जाता है। कंपनी मेथड का चयन करने के लिए अपने जजमेंट का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त एजम्पसन बनाता है।

सिक्युरिटि डिपॉजिट

कंपनी का विचार है कि ''सिक्युरिटी डिपॉजिट'' को महत्वपूर्ण फाइनानसिंग कम्पोनेंट में शामिल नही किया गया है। कंपनी के कार्यनिष्पादन सहित माइन स्टोन पेमेंट (सिक्युरिटी डिपॉजिट) का समन्वय करता है और वित्त के प्रावधान के अलावे अन्य कारणें के लिए रिटेंड किए जाने वाली अपेक्षित राशि का करार करता है। प्रत्येक माइन स्टोन पेमेंट के स्पेसिफाइड प्रतिशत के विथहोल्डिंग के लिए करार के तहत अपने ओबलिगेशन को पूरा करने में ठेकेदार असमर्थ होता है तो कंपनी के हित के लिए माइल स्टोन पेमेंट किया जता है। तद्नुसार विक्युरिटी डिपॉजिट के लेनदेन की लागत को शुरूआती रिकोगनिशन के फेयर वैल्यू और अमोरटाइज्ड लागत माप पर फेयर वैल्यू पर विचार किया गया है।

2. जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन :

वित्तीय जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य और नीति :

कंपनी का सिद्धांत वित्तीय देयताएँ, कम्प्राइज लोन और उधारी, पेशा और अन्य देय है। इस वित्तीय देयता का मुख्य ध्येय कंपनी के परिचालन के लिए वित्त और इसके संचालन के सपोर्ट में गारंटी, उपलब्ध कराना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्ति में ऋण, पेशा और अन्य प्राप्ति तथा नकद एवं नकद तुलयमान शामिल है जो सीधे इसके परिचालन से संबंधित है।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट रिस्क और तरलता जोखिम को बतलाता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन इस जोखिम प्रबंधन की देख–रेख करता है। कंपनी के वरीय प्रबंधन को जोखिम समिति द्वारा सपोर्ट किया जाता है जो कंपनी के लिए उपर्युक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन फ्रेमवर्क तथा वित्तीय जोखिम पर सलाह और इंटर एलिया देता है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को यह आश्वासन देती है कि कंपनी का वित्तीय जोखिम कार्य–कलाप समुचित नीति और प्रक्रिया द्वारा शासित होती है तथा वित्तीय जोखिम कंपनी की नीति और जोखिम के उद्देश्य के अनुरूप चिन्हत मापित और मैनेज किया जाता है। निदेशक मंडल इसकी समीक्षा करता है और इन जोखिमों के प्रत्येक के लिए मैनेज करने की नीति पर सहमत होता है, जिसे नीचे दिया जा रहा है :

कंपनी मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क को बताता है। यह टिप्पणी जोखिम के स्रोतों को व्यक्त करता है, जिसे इनटिटि प्रकट होती है और यह बतलाती है कि इनटिटि जोखिम को कैसे मैनेज करता है और वित्तीय विवरण में हेगेड़ एकाउन्टिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा को बतलाता है।

जोखिम	निम्न से उत्पन्न एक्सपोजर	मेजरमेंट	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	एमोरटाइज्ड लागत पर नकद और नकद तुल्यमान, पेशागत वसूली वित्तीय एसेटमेजरड	एजिंग विश्लेषण	डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन इन्टरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन्स) बैंक डिपॉजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटिज को विविधिकरण
देयता जोखिम	उधारी एवं अन्य देयताएँ	पिरीओडिक कैश फ्लो	कमिटेड क्रेडिट लाइन्स और उधारी सुविधाओं की उपलबधता
बाजार जोखिम विदेशी विनियम	भावी व्यवसायिक लेनदेन, रिकोगनाइज्ड वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएँ आईएनआर में डिनोमिनेटेड नहीं है।	कैश फ्लो फोरकास्ट सेनसिटिविटी विश्लेषण	वरीय प्रबंधन और आडिट कमिटि द्वारा नियमित देखरेख और समीक्षा
बाजार जोखिम ब्याज दर	नकद और नकद समतुल्य, बैंक जमा और म्युचुअल फंड	कैश फ्लो फोर कास्ट सेनसिवीटी विश्लेषण	पब्लिक इंटरप्राइजेज (डीपीई गाइडलाइन) के विभाग का वरीय प्रबंधन और आडिट कमिटि द्वारा नियमित देखे और समीक्षा

कंपनी जोखिम प्रबंधन, भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई के निर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा संपन्न किया जाएगा। मंडल एक्सेस तरलता को शामिल करने की नीति के साथ–साथ समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत (प्रिंसिपल) उपलबध कराता है।

क. **क्रेडिट जोखिम :** क्रेडिट जोखिम आउटस्टैंडिग रीसिवेबल के साथ–साथ बैंक और वित्तीय संस्थानों के पास जमा और नकद तथा नकद समतुल्य से एराइज होता है।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

वित्तीय परिसंपत्ति के महत्वपूर्ण लागत और जजमेंट्स इम्पेयरमेंट

उपर्युक्त में दर्शित वित्तीय परिसंपत्ति के लिए इम्पेयरमेंट प्रावधान रिस्क ऑफ डिफाल्ट और संभावित हानि पर के जोखिम में छूट के आधार पर है। कंपनी इन छूट के लिए जजमेंट और इम्पेयरमेंट कलकूलेशन के इनपुट का चयन कंपनी के विगत इतिहास–वर्तमान बाजार की स्थिति तथा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर अग्रिम लागत पर आधारित होता है।

ख. तरतला जोखिम :

प्रुडेंट तरलता जोखिम प्रबंधन में आवलीगेशनस जब बकाया हो को पूरा करने के लिए कमिटेड क्रेडिट सुविधा के पर्याप्त राशि के द्वारा कमिटेड क्रेडिट सुविधा के पर्याप्त राशि के द्वारा कोष की उपलबधता और बाजारयोग्य सिक्यूरिटि तथा पर्याप्त नकद शामिल है। अंडर लाईंग व्यवसाय, ग्रुप ट्रेजरी की डायनमिक प्रकृति के कारण कमिटेड क्रेडिट लाइन्स के तहत उपलबधता को बनाकर कोष में फ्लेक्सिबिलिटि बनाए रखना है।

प्रबंधन भावी नकद प्रवाह के आधार पर नकद और नकद समतुल्य के कंपनी तरलता स्थिति (कम्प्राइजिंग द अंडर ड्रान बौरेविंग फेसिलिटि बिलो) के पूर्वानुमान का मानीटर करता है। यह ग्रुप द्वारा प्रैक्टिस और लिमिट सेट के अनुसार ग्रुप के कंपनियों परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर संपन्न किया जाता है।

(i) वित्तीय व्यवस्था

कंपनी ने रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित अनड्राउन बोरोविंग फेसिलिटिज का पता लगाया है।

(करोड़ रू. में)

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
एक वर्ष में एक्सपायर (बैंक ओवर ड्रफ्ट और अन्य फेसिलिटि)	शून्य	शून्य	शून्य
एक वर्ष से ज्यादा एक्सपायरिंग	शून्य	शून्य	शून्य

(ii) वित्तीय देयता की परिपक्वता

नीचे की तालिका से पता चलता है कि परिपक्वता ग्रुपिंग तथा उसके संविदात्मक परिपक्वता के आधार पर कंपनी वित्तीय देयताएँ का विश्लेषण होता है।

तालिका में दर्शाई गई राशि संविदात्मक अनडिसकाउन्टिंग कैश फ्लो है। 12 महीनों की बकाया राशि इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउन्टिंग के रूप में शेष राशि को कैरी करता है।

(करोड़ रू. में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.3.2017	तीन महीने से कम	तीन महीने से छह महीने	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	कुल
उधारी						
वित्तीय लीज के तहत आवलिगेशन						
पेशागत देय	0.79	0.00	0.25	0.08	0.01	1.13
अन्य वित्तीय देएताएँ	2.63	3.68	4.20	12.40	37.22	60.13
कुल	3.42	3.68	4.45	12.48	37.23	61.26

(करोड़ रू. में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.3.2016	तीन महीने से कम	तीन महीने से छह महीने	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	कुल
उधारी						
वित्तीय लीज के तहत आवलिगेशन						
पेशागत देय	0.88	0.00	0.08	0.00	0.03	0.99
अन्य वित्तीय देएताएँ	1.59	2.23	2.55	10.61	31.82	48.80
कुल	2.47	2.23	1.63	10.61	31.85	49.79

(करोड़ रू. में)

वित्तीय देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता 31.3.2015	तीन महीने से कम	तीन महीने से छह महीने	6 महीने से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 वर्ष से 5 वर्ष	कुल
उधारी						
वित्तीय लीज के तहत आवलिगेशन						
पेशागत देय	0.54	0.09	0.10	0.00	0.04	0.77
अन्य वित्तीय देएताएँ	1.36	1.90	2.18	8.21	24.65	38.30
कुल	1.90	1.99	2.28	8.21	24.69	39.07

बाजार जोखिम

क. विदेशी करेंसी जोखिम

कंपनी ने विदेशी करेंसी के लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम जोखिम को बताया है। विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी विनियम जोखिम को नगन्य माना गया है। कंपनी इम्पोर्ट्स भी करती है और नियमित रूप से इसे मैनेज भी करती है। कंपनी की एक नीति है जिसमें फोरेन करेंसी जोखिम हो और वह महत्वपूर्ण हो तब यह नीति क्रियान्वित होती है।

ख. नकद प्रवाह और फेयर वैल्यू इंटरेस्ट रेट रिस्क

कैशफ्लो इंटरेस्ट रेट जोखिम कंपनी के ब्याज दर में परिवर्त्तन के साथ ही बैंक डिपाजिट से होता है। कंपनी की पौलिसी फिक्सड रेट पर अधिकांश डिपोजिट को बनाए रखना है।

बैंक डिपाजिट क्रेडिट लिमिट और अन्य सिक्यूरिटी के विविधिकरण, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के दिशा–निर्देश का उपयोग कर जोखिम को मैनेज करता है।

पूँजीगत प्रबंधन :

कंपनी सरकारी इनटाइटी होने के कारण अपनी पूँजी को वित्त मंत्रालय के तहत पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ इनवेस्टमेंट के दिशा–निर्देश के अनुसार मैनेज करती है।

कंपनी की पूँजीगत संरचना इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
इक्विटी शेयर कैपिटल	19.04	19.04	19.04
प्रिफरेंस शेयर कैपिटल	शून्य	शून्य	शून्य
दीर्घकालीन ऋण	शून्य	शून्य	शून्य

3. कम्पनी सूचना

नाम	सीआईएल के साथ संबंध (नियंत्रक कंपनी)	मुख्य क्रिया.कलाप	इनकारपोरेशन का काउन्ट्री	इक्विटी इंटरेस्ट का प्रतिशत		
				01.04.2015	31.03.2016	31.03.2017
सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि.	कोल इंडिया की अनुषंगी कंपनी	प्लानिंग एंड डिजाइन, गवेषण पर्यावरणिक सेवाएँ	भारत	100 %	100 %	100 %

4. कर्मचारी लाभ : रिकोगनिशन एण्ड मेजरमेंट (आईएनडी एएस-19)

i) प्रोविडेंट फंड :

कंपनी कोल माईस प्रोविडेंट फंड (सीएमपीएफ) नामक ट्रस्ट जो फंड का निवेश परमिटेड सिक्यूरिटी में निवेश करती है, यह निवेश प्रोविडेंट फंउ और पेंशन फंड में पूर्व–निर्धारित दर पर अंशदान करती है। वर्ष के दौरान फंड में 32.66 करोड़ (32.30 करोड़ रू.) है। जिसे लाभ हानि (नोट 28) के विवरण में दिया गया है।

ii) कंपनी कुछ डिफाइन्ड बेनीफिट प्लान को चलाती है जिसका मूल्य एक्चूरियल आधार पर तय होता है:

क) निधित

- ग्रेच्युटि

ख) गैर-निधित

- छुट्टी नकदीकरण
- लाइफ कवर योजना
- सेटलमेंट भत्ता
- ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्यूरेंस
- लीव ट्रेवल कंसेसन
- चिकित्सा लाभ
- खान एक्सीडेंट बेनीफिट पर आश्रित को क्षतिपूति

एक्चयुअरी द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित 31.03.2017 कुल देयता 304.98 करोड़ है, जिसका विवरण नीचेदिया गया है

31.03.2017 को एक्च्यूरियल देयता :

(करोड़ रू. में)

शीर्ष	01.04.2016 को ओपनिंग एक्यूचिरियल	वर्ष के दौरान आंतरिक देयता	31.03.2017 को क्लोजिंग एक्यूचिरियल
ग्रेच्यूटी	111.81	5.40	117.21
अर्न लीव	57.54	16.48	74.02
हाफ पे लीव	23.35	6.25	29.60
लाइफ कवर योजना	0.68	0.03	0.71
सेटलमेंट अलाउंस एक्जीक्यूटिव	1.84	0.30	2.14
सेटलमेंट अलाउंस गैर–अधिकारी	1.04	0.06	1.10
ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट बीमा योजना	0.05	0.00	0.05
लीव ट्रेवल कंसेसन	13.78	3.67	17.45
चिकित्सा लाभ अधिकारी	48.79	11.45	60.24
चिकित्सा लाभ गैर–अधिकारी	0.68	1.78	2.46
खान एक्सीडेंटल मृत्यु के मामले में आश्रितों को क्षतिपूर्ति/मुआवजा	0.00	0.00	0.00
कुल	259.56	45.42	304.98

ग) वास्तविक प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

ग्रेच्युटि (निधित) और छुट्टी नकदीकरण (निधित) के लिए कर्मचारी बेनीफिट हेतु वास्तविक प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रकटीकरण :–.

31.03.2017 के अनुसार ग्रेच्युटि देयता का वास्तविक मूल्यांकन आईएनडी एएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान मूल्य में परिवर्त्तन	31.03.2017
121.38	गत मूल्यांकन के अनुसार आबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	111.81
10.63	करेंट सेवा लागत	13.35
9.35	इंटरेस्ट कॉस्ट	7.43
	पार्टिसीपेन्ट कंट्रीब्यूशन	
	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोरसन	
	योजना संशोधन : अवधि (गतसेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोरसन	
	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	5.82
	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
-20.46	अन एक्सपेक्टेड अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-2.64
	अन्य कारण से कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	विदेशी विनिमय दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	
9.09	प्रदत्त लाभ	18.56
	एक्यूजीशन समायोजन	
	ओबलिगेशन का निपटान/स्थानांतरण	
	करटेलमेंट लागत	
	सेटलमेंट लागत	
	अन्य (मूल्यांकन तिथि की समाप्ति पर अनसेटल्ड देयता	
111.81	मूल्यांकन तिथ पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान मूल्य	117.21
164.10	एक्रूएड ग्रेच्युटि	162.33

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्न के अनुसार योजना परिसंपत्ति को फेयर वैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2017
0.00	अवधि की शुरूआत में योजना परिसंपत्तियों का फेयर वैल्यू	23.22
0.00	ब्याज पर आय	1.68
30.08	नियोक्ता का अंशदान	23.12
	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	

	एक्वीजिशन/बिजनेस कम्बिनेशन	
	सेटमेंट कॉस्ट	
9.09	प्रदत्त लाभ	18.56
	एसेट सीलिंग का प्रभाव	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन का प्रभाव	
	एडमिनिस्ट्रेटिव व्यय तथा इंश्योरेंस प्रीमियम	
2.22	इंटरेस्ट इनकम को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	0.48
23.22	मापन अवधि के अंत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	29.94

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	तुलन पत्र के रीकानसिलिएशन दर्शाता हुआ	31.03.2017
-88.59	निधि की स्थिति	-87.27
	अनरीकोगनाइज्ड पास्ट सर्विस कॉस्ट	
	अवधि के दौरान अनरिकोगनाइज्ड एकच्यूरियल लाभ/हानि	
	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	
	अनफंडेड एक्रूएड/प्रीपेड पेंशन कॉस्ट	
23.22	परिसंपत्ति निधि	29.94
111.81	देयता निधि	117.21

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2016	प्लान एजम्पसन को दर्शाती तालिका	31.03.2017
8.00%	डिस्काउन्ट दर	7.25%
8.00%	प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	7.25%
6.25%	बढ़ी हुई क्षतिपूर्ति की दर (सैलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00% गैर–अधिकारी के लिए 6.50%
एन/ए	पेंशन वृद्धि दर	एन/ए
16	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15
16	देयताओं का औसत अवधि	15
	मोर्टालिटि तालिका	आईएमएलएम 2006-2008 अल्टीमेट
60	उम्र पर सेवा–निवृति पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा–निवृति महिला	60
1.00	पूर्व सेवा निवृति एवं डिसएबलमंट (सभी संयुक्त कारणों)	1.00%

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्नलिखित के अनुसार लाभ/हानि विवरण में रिकोगनाइज्ड व्यय	31.03.2017
10.63	चालू सेवा लागत	13.35
	पास्ट सर्विस कॉस्ट (वेस्टेड)	
	पास्ट सर्विस कॉस्ट (नन–वेस्टेड)	
9.35	निबल ब्याज लागत	5.75
	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	
	करटेलमेंट पर लागत (हानि/लाभ)	
	केबल गत वर्ष के लागू वास्तविक लाभ–हानि	
	कर्मचारियों का अनुमानित अंशदान	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन का नेट इफेक्ट	
19.98	लाभ का लागत (लाभ/हानि के विवरण में रिकोगनाइज्ड व्यय	19.10

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू. में)

31.03.2016	अन्य कम्प्रेहेन्सिव आय	31.03.2017
	वित्तीय एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	5.82
	डेमोग्राफिक एजम्पसन में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
-20.46	इन एक्सपेक्टेड एक्सीपीरिंयस के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-2.64
	अन्य कारण से कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
-20.46	**कुल वास्तविक (लाभ)/हानि**	3.18
2.22	सूद पर आय को छोड़कर, प्लान एसेट पर रिर्टर्न	0.48
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
-22.69	अवधि के दौरान शेष	2.70
-22.69	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल(आय)/व्यय	2.70

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू. में)

31.03.2016	मापक अवधि के अंत में प्लानएसेट का आवंटन दर्शाती तालिका	31.03.2017
-	नकद एवं नकद समतुल्य	-
-	निवेश निधि	-
-	डेरीवेटिव्स	-
-	एसेट–बैक्ड सिक्युरिटी	-
-	संरचनागत ऋण	-

-	रियल स्टेट	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार प्रतिभूति	-
-	भारत सरकार परिसंपत्ति	-
-	कॉरपोरेट बान्ड्स	-
-	प्रतिभूत ऋण	-
-	एनुइटी कंट्रेक्ट/इंश्योरेंस निधि	-
-	अन्य	-
-	कुल	-

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	मापन के अंत में प्लान एसेट कुल आवंटन को प्रतिज्ञत में दर्शाती हुई तालिका	31.03.2017
-	नकद एवं नकद समतुल्य	-
-	निवेश निधि	-
-	डेरिवेटिव्य	-
-	एसेट बैक्ड सिक्युरिटीज	-
-	संरचनात्मक ऋण	-
-	रियल स्टेट	-
-	विशेष जमा योजना	-
-	राज्य सरकार सिक्युरिटिज	-
-	भारत सरकार की परिसंपत्ति	-
-	कारपोरेट बांड	-
-	ऋण सिक्युटिज	-
-	एनेयुटि कंट्रेक्ट/इंश्योरेंस फंड	-
-	अन्य	-
-	कुल	-

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	**मोर्टालिटि (प्रतिवर्ष)**
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803

45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 10 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016		सेनसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2017	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
-	-	डिस्काउंटरेट(–/+05%)	113.85	120.82
-	-	सेनसिटिविटि के कारण बेस में परिवर्त्तन का प्रतिशत	-2.87%	3.08%
-	-	वेतन वृद्धि (–/+05%)	118.07	116.37
-	-	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्त्तन का प्रतिशत	0.72%	-0.72%
-	-	एट्रीशन दर (–/+05%)	117.31	117.12
-	-	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्त्तन का प्रतिशत	0.08%	-0.08%
-	-	मोरटालिटि दर(–/+10%)	117.86	116.57
-	-	सेनसिटिविटि के कारण आधार की तुलना में परिवर्त्तन का प्रतिशत	0.55%	-0.55%

तालिका 11 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

नकद प्रवाह सूचना दर्शाती तालिका	
अगले वर्ष का कुल (अनुमानित)	105.60
न्यूनतम निधि की आवश्यकता	104.03
कंपनी का विवेक	-

तालिका 12 : प्रकटीकरण आइटम

बेनीफिट इनफॉर्मेशन एस्टिमेटेड फ्यूचर पेमेंट (गत सेवा)	
वर्ष	करोड़ रू. में
1	29.49
2	16.93

3	14.74
4	13.33
5	14.51
6 से 10	47.99
10 वर्ष से अधिक	83.08
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	220.07
ब्याज के लिए घटा डिस्काउन्ट	102.86
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	117.21

तालिका 13 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

निबल आवधिक लाभ, लागत आगामी अवधि के आऊट लुक नेक्स्ट वर्ष घटकों को दर्शाती तालिका	
वर्त्तमान सेवा लागत (केवल नियोक्ता का भाग) आगामी अवधि	13.05
ब्याज लागत आगामी अवधि	7.43
प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न	2.17
अनरिकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	
अवधि की समाप्ति पर अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	
सेटलमेंट लागत	
करटेलमेंट लागत	
अन्य (वास्तविक लाभ/हानि)	
बेनीफिट लागत	18.31

तालिका 14 : निबल देयता का पृथक्करण (करोड़ रू. में)

31.03.2016	माप अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिर्टन दर्शाती हुई तालिका	31.03.2017
17.82	वर्तमान देयता	28.47
93.99	गैर–चालू देयता	88.74
111.81	निबल देयता	117.21

31.3.2017 के अनुसार छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) का वास्तविक मूल्यांकन आईएनडीएएस 19 (2015) के अनुसार प्रमाण-पत्र

तालिका 1 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्नलिखित के अनुसार ओबलिगेशन के वर्त्तमान वैल्यू में परिवर्तन	31.03.2017
81.18	गत मूल्यांकन के आधार पर ओबलिगेशन का वर्त्तमान वैल्यू	80.89
6.95	चालू सेवा लागत	10.44
5.92	ब्याज लागत	5.49
	पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूशन	
	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर वेस्टेड पोर्सन	
	प्लान संशोधन : अवधि (गत सेवा) की समाप्ति पर नन–वेस्टेड पोर्सन	
	वित्तीय पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	20.70
	डेमोग्राफिक पूर्वानुमान में परिवर्त्तन के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
1.24	असंभावित अनुभव के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	-3.58
	अन्य कारण के कारण ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन से प्रभाव	
14.39	प्रदत्त लाभ	10.33
	अर्जन समायोजन	
	ओबलिगेशन कानिपटान/स्थानांतरण	
	करटेलमेंट लागत	
	सेटलमेंट लागत	
	अन्य (मूल्यांकन तिथि के अंत में अनसेटल्ड देयता)	
80.89	मूल्यांकन तिथि के अनुसार ओवलिगेशन का वर्तमान वैल्यू	103.61
96.84	एक्रुएड छुट्टी नकदीकरण	99.93

तालिका 2 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्न के अनुसार प्लान एसेट के फेयर बैल्यू में परिवर्त्तन	31.03.2017
	अवधि की शुरूआत में प्लान एसेट का फेयर वैल्यू	
	ब्याज से आय	
	नियोक्ता का अंशदान	
	सहभागी अंशदान	
	अर्जन/व्यवसाय समन्वय	

	सेटलमेंट लागत	
	प्रदत्त लाभ	
	परिसंपत्ति की सीलिंग पर प्रभाव	
	विदेशी विनियम दर में परिवर्त्तन पर प्रभाव	
	प्रशासनिक व्यय और इंश्योरेंस प्रीमियम	
	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	
	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान परिसम्पत्ति का फेयर प्लान	

तालिका 3 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	तुलन पत्र के लिए रिकनसिलिएशन दर्शाती तालिका	31.03.2017
-80.89	निधि की स्थिति	-103.61
	अनरीकोगनाइज्ड गत सेवा लागत	
	अवधि के अंत में अनरिकोगनाइज्ड वास्तविक लाभ/हानि	
	पोस्ट मेजरमेंट डेट इम्पलायर कंट्रीब्यूशन (अनुमानित)	
	अनफंडेड एक्रुएड/प्री पेड पेंशन लागत	
	निधि परिसंपत्ति	
80.89	निधि की देयता	103.61

तालिका 4 : प्रकटीकरण आइटम

31.03.2016	प्लान एजम्पन दर्शाती तालिका	31.03.2017
8.00%	छूट दर	7.25%
एन/ए	प्लान परिसंपत्ति पर अनुमानित रिटर्न	एन/ए
6.25% प्रति वर्ष	बढ़ी क्षतिपूर्ति की दर (सेलरी इनफ्लेशन)	अधिकारी के लिए 9.00 प्रतिशत एवं कर्मचारी के लिए 6.50 प्रतिशत
एन/ए	पेंशन में वृद्धि दर	एन/ए
16	औसत अनुमानित भावी सेवा (शेष वर्किंग लाइफ)	15
16	देयताओं की औसत अवधि	15
	मोरटालिटि तालिका	आईएएलएम 2006-2008 अल्टीमेंट

60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–पुरूष	60
60	उम्र पर सेवा निवृत्ति–महिला	60
1.00% प्रति वर्ष	जल्दी सेवा निवृत्ति एव ंडिसएक्लमेंट(सभी कारण संयुक्त)	1.00% प्रति वर्ष
अपेक्षित	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति	अपेक्षित

तालिका 5 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	निम्न के अनुसार लाभ/हानि विवरण में चिन्हित व्यय	31.03.2017
6.95	चालू सेवा लागत	10.44
	गत सेवा लागत (वेस्टेड)	
	पास्ट सेवा लागत (नन–वेस्टेड)	
5.92	निबल ब्याज लागत	5.49
	सेटलमेंट पर लागत (हानि/(लाभ)	
	करटेलमेंट पर लागत(हानि/(लाभ)	
1.24	केवल गत वर्ष के लिए लागू वासतविक लाभ/हानि	17.12
	कर्मचारी का अनुमानित अंशदान	
	विदेशी विनियम दर में बदलाव का निबल प्रभाव	
14.11	लाभ लागत(लाभ/हानि) के विवरण में अनुमानित खर्च	33.05

तालिका 6 : प्रकटीकरण आइटम (करोड़ रू. में)

31.03.2016	अन्य कमप्रेहेनसिव आय	31.03.2017
	वित्तीय छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	डेमोग्राफिक छूट में परिवर्त्तन के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	असंभावित अनुभव के कारण ओवलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	अन्य के कारण से ओबलिगेशन पर वास्तविक लाभ/हानि	
	कुल वास्तविक (लाभ)/हानि	
	ब्याज पर आय को छोड़कर प्लान एसेट पर रिटर्न	
	एसेट सिलिंग का प्रभाव	
	अवधि के अंत में शेष	
	ओसीआई में रिकोगनाइज्ड अवधि के लिए निबल (आय)/व्यय	

तालिका 7 : प्रकटीकरण आइटम

मोरटालिटि तालिका	
उम्र	मोरटालिटि (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

तालिका 8 : प्रकटीकरण आइटम

(करोड़ रू. में)

31.03.2016		सेंसिटिविटि विश्लेषण	31.03.2017	
वृद्धि	कमी		वृद्धि	कमी
-	-	छूट की दर (–/+0.5 प्रतिशत)	99.51	108.08
-	-	बेसड्यू की तुलना में प्रतिशत में बदलाव	-3.96%	4.31%
-	-	वेतन वृद्धि (–/+0.5 प्रतिशत)	107.98	99.56
-	-	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	4.22%	-3.91%
-	-	एट्रीशन दर (–/+0.5 प्रतिशत)	103.70	103.52
-	-	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.09%	-0.09%
-	-	मोरटालिटि दर (–/+10 प्रतिशत)	104.15	103.07
-	-	सेंसिटिविटि के कारण बेस की तुलना में बदलाव प्रतिशत में	0.52%	-0.52%

तालिका 9 : प्रकटीकरण आइटम

बेनीफिट इनफोर्मेशन एस्टिमेटेड फ्यूचर पेमेंट	
उम्र	(करोड़ रू. में)
1	13.34
2	10.63

3	10.02
4	10.27
5	9.89
6 से 10	47.35
10 वर्ष से अधिक	126.90
गत एवं भावी सेवा के लिए कुल अनडिस्काउन्ट पेमेंट	
गत सेवा से संबंधित कुल अनडिस्काउन्टेड पेमेंट्स	228.40
ब्याज के लिए लेस डिस्काउन्ट	124.79
प्रोजेक्टेड बेनीफिट ओबलिगेशन	103.61

तालिका 10 : निबल देयता का बाईफरकेशन (करोड़ रू. में)

31.03.2016	मेजरमेंट अवधि के अंत में प्लान एसेट पर अनुमानित रिटर्न दर्शाती तालिका	31.03.2017
9.51	चालू देयता	12.88
71.74	गैर–चालू देयता	90.73
80.89	निबल देयता	103.61

5. मान्यतारहित आइटम

क) आकस्मिक देयता (आईएनडी एएस-37)

कंपनी के विरूद्ध दावे को ऋण के रूप में (ब्याज सहित, जहाँ लागू हो) नहीं माना गया है।

(करोड़ रू. में)

कंपनी के विरूद्ध दावे जिसे ऋण के रूप में नहीं माना गया			
		31.03.2017	**31.03.2016**
1	केंद्रीय सरकार आय कर सेवा कर रायल्टी सेंट्रल एक्साइज	 17.71 15.70	 22.97 6.75
2	**राज्य सरकार और स्थानीय अथारिटी** बिक्री कर प्रवेश कर		 0.17
3	**सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इन्टरप्राइजेज** लिटिगेशन के तहत कंपनी के विरूद्ध सुईट		
4	**अन्य**	6.23	4.44
	कुल	**39.64**	**34.33**

ख) वचनबद्धता (आईएनडीएएस-37)

पूँजीगत लेखे पर गणन किए जाने के लिए कंट्रेक्ट की शेष राशि की प्राकलित राशि जिसे अन्य को नहीं दिया गया है वह 16.57 करोड़ (25.48 करोड़ रूपए) है।

ग) गारंटी

कंपनी ने 0.14 करोड़ (0.14 करोड़ रू.) की बैंक गारंटी दी है जिसे कंपनी की चालू परिसंपत्तियों पर प्रभारित किया गया है।

घ) क्रेडिट पत्र

31.03.2017 के अनुसार क्रेडिट का आउटस्टैंडिग लेटर 0.09 करोड़ (शून्य करोड़) रू. है।

6. अन्य सूचना

क) प्रावधान

कर्मचारी लाभ से संबंधित उन विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और मूवमेंट जिसे 31.03.2017 के अनुसार वास्तविक रूप से मूल्यांकित किया गया है, को नीचे दिया जा रहा है :

(करोड़ रू. में)

प्रावधान	31.04.2016 के अनुसार अथशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान बट्टे खाता/ समलोजन	डिस्काउन्ट आर्फ अनवाईडंग	31.03.2017 के अनुसार इतिशेष
टिप्पणी 1:-प्रोपर्टी, संयंत्र एवं उपकरण: परिसंपत्तियों की क्षति :					
टिप्पणी 2:-पूंजीगत कार्य जारी : सीडब्ल्यूआईपी की तुलना में					
टिप्पणी 3:- गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति : प्रावधान एवं क्षति :					
टिप्पणी 1:- बिक्री के लिए रखा गया गैर चालू परिसंपत्तियाँ : प्रावधान :					
टिप्पणी 8:- ऋण : अन्य ऋण :					
टिप्पणी 9 :- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ: अनुषंगी कम्पनियों के पास चालू खाता : वसूली योग्य दावे : अन्य वसूली योग्य :					
टिप्पणी 10 :- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियाँ: गवेषणात्मक वेधन कार्य : यूटिलिटिज के लिए सिक्युरिटि जमा के अगेंस्ट :					

टिप्पणी 11:– अन्य चालू परिसंपत्तियाँ :					
राजस्व के लिए अग्रिम :	0.03				0.03
सांविधिक बकाये के अगेंस्ट अग्रिम भुगतान :					
अन्य जमा :	0.05				0.05
अन्य वसूली योग :					
टिप्पणी 12:– वस्तु सूची :					
कोयले का स्टॉक :	0.57	0.03			0.60
स्टोर एवं स्पेयर का स्टॉक:					
टिप्पणी 13:–पेशागत वसूली :					
डूबंत एवं संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान :	2.39	0.11			2.50
टिप्पणी 21:–गैर चालू एवं चालू प्रावधान :					
कार्यनिष्पादन से संबंधित वेतन :	181.14	12.01	-105.12		88.12
एनसीडब्ल्यूए :		19.04			19.04
अधिकारी वेतन रीविजन :		5.03			5.03
माइन क्लोजर :					
अन्य :	89.02	28.82	-17.17		100.67
टिप्पणी 23:– अन्य चालू देयताएँ :					

ख) प्रति शेयर अर्जन (आईएनएस एएस–33) :

क्र. सं.	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	इक्विटि शेयर धारक को देने के बाद कर पश्चात् निबल लाभ	40.59	9.14
ii)	इक्विटि शेयर बकाया की भारित औसत संख्या	190400	190400
iii)	प्रति शेयर बेसिक और डायलूटेड अर्निंग्स रुपये में (फेस वेल्यू रु. 1000/– प्रति शेयर)	2131.83	480.04

ग) संबंधित पार्टी सिक्लोजर (आईएनडी एएस–24)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

शेखर सरन, सीएमडी

बी.के.सिन्हा, निदेशक (तकनीकी)

बिनय दयाल, निदेशक (तकनीकी)

असीम कुमार चक्रवर्ती (03.08.2016 से निदेशक तकनीकी)

बी.एन.शुक्ला, निदेशक (तकनीकी)

अभिषेक मुँधरा, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निर्देशक

आर.के. मित्तल, स्वतंत्र निदेशक

राजेंदर प्रसाद, स्वतंत्र निदेशक

देबाशीष गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक

मुख्य प्रबंधकीय कर्मिकों का पारिश्रमिक

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	सीएमडी, पूर्ण अवधि के निदेशक एवं कंपनी सचिव का वेतन	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	**अल्पकालीन कर्मचारी लाभ**		
	सकल वेतन	1.64	1.31
	परक्यूजिटस	0.18	0.25
	चिकित्सा लाभ	0.06	0.21
ii)	**नियोजन पश्चात् लाभ** पीएफ एवं अन्य कोष में अंशदान	0.18	0.16
iii)	**टर्मिनेशन लाभ** (पृथक के समय प्रदत्त) छुट्टी नकदीकरण ग्रेच्युटि	शून्य	0.92
	कुल	**2.06**	**2.85**

टिप्पणी :

(i) परिभाषित लाभ के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर उपर्युक्त निदेशकों के पारिश्रमिक में विचार नहीं किया गया है।

(ii) उपर्युक्त के अलावे सेवा शर्तों के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों को 1000 कि.मी. की सलिंग तक निजी यात्रा के लिए कार का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	सिटिंग शुल्क	0.12	0.04

31.03.2017 को शेष बकाया

(करोड़ रू. में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	वसूली योग्य राशि	शून्य	शून्य

ग्रुप में संबंधित पार्टी लेनदेन :

कंपनी को सरकार से संबंधित इनटाइटी होने के कारण समान सरकार के तहत अन्य इनटाइटी के साथ शेष बकाया और संबंधित पार्टी लेनदेन से संबंधित सामान्य डिस्कलोजर की आवश्यकता से छूट है।

आईएनडी एएस 24, के अनुसार नेचर और लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण राशि को निम्नलिखित के अनुसार प्रकट किया गया है।.

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	संबंध की प्रकृति	वर्ष के दौरान लेनदेन की राशि	लेन देन की प्रकृति
इस्टर्न कोलफील्डस लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	110.75	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
भारत कोकिंग कोल लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	43.43	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
सेंट्रल कोलफील्ड्स लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	103.81	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	115.47	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
साउथ इस्टर्न कोलफील्ड लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	82.95	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	369.16	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
महानदी कोलफील्ड्स लि.	एक ही प्रबंधन के अंतर्गत	60.24	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस
कोल इंडिया लिमिटेड	100 प्रतिशत होल्डिंग	919.59	कर्मचारी से संबंधित सेलस एवं टीडीएस

घ) कराधान (आईएनडीएएस-12) :

चालू वर्ष के दौरान आय कर के एकान्ट्स में 39.16 करोड़ रूपये (8.10 करोड़ रू.) उपलब्ध कराया गया है।

इंस्टीच्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आईएनडी एएस–12 के अनुसार गणना के आधार पर कंपनी के पास आस्थगित कर परिसंपत्ति निबल है अथवा

आस्थगित कर की गणना :

(i) समान गवर्निंग टेक्सेशन नियम द्वारा लगाए गए आय पर कर से संबंधित होने कें कारण आस्थगित कर परिसंपतित और देयता को अफसेट किया गया है।

(ii) 31 मार्च, 2017 और 31 मार्च, 2016 को आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) इस प्रकार है :

(करोड़ रू. में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
आस्थगित कर देयता :		
स्थायी परिसंपत्ति से संबंधित	**8.95**	**7.61**
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
संदिग्ध ऋण, दावे आदि के लिए प्रावधान	0.90	0.87
कर्मचारी के पृथकरण और सेवा–निवृत्ति	123.46	107.01
अन्य	0.21	0.20
कुल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**124.57**	**108.08**
निबल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता)	**115.62**	**100.47**

- **कर व्यय (आय) और एकाउन्टिंग लाभ के बीच संबंध**

अंतर का अंकीय समन्वय

क्र. सं.	समायोजन की प्रकृति	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए
1	लाभ एवं हानि (कर पूर्व) के विवरण के अनुसार निबल लाभ	62.83
2	लागू होने योग्य कर दर	34.608%
	1*2	21.74
3	आयकर के अनुसार निबल लाभ	115.84
4	कर व्यय (आय)	40.09
5	अंतर	18.35
	अथवा	
1	औसत प्रभावी कर दर	63.807%
2	लागू होने योग्य कर दर	34.608%
3	अंतर	27.199%

ड.) लेखे के लिए बने प्रावधान

स्लोचल/अचल/आवसोलीट स्टोर, दावे वसूली योग्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण आदि को लेखे में बनाए गए प्रावधान में संभावित हानि को पर्याप्त माना गया है।

च) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार में अचल परिसंपत्ति और गैर–चालू निवेश के अलावे परिसंपत्ति सामान्य कार्यव्यवहार वाले व्यवसाय में होता है तथा जो कम–से–कम राशि (लेखे) के बराबर होता है, जिसका उल्लेख किया गया है।

छ) चालू देयताएँ

आकलित देयता वहाँ उपलबध कराया गया है, जहाँ वास्तविक देयता को मेजर नहीं किया गया है।

ज) शेष की सम्पुष्टि :

शेष की सम्पुष्टि/समाधान में नकद एवं बैंक शेष कुछ ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालीय देयता और चालू देयता शामिल है। सभी संदिग्ध अनकनफर्म्ड शेष के विरूद्ध प्रावधान किया गया है।

i) सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्य

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.032017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत सामान	3.35	0.27
(iii) भंडार, पूर्जे एवं कम्पोनेंट	0.01	7.20

झ) विदेशी करेंसी में खर्च :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.032017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	0.11	0.27
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	शून्य	शून्य
स्टोर्स एंड स्पेयर्स	शून्य	शून्य
पूँजीगत सामान	शून्य	शून्य
अन्य	3.37	7.44

ञ) विदेशी विनियम में अर्जन :

विवरण	31.032017 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
यात्रा खर्च	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण खर्च	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

त) स्टोर एवं स्पेयर (संदर्भ नोट संख्या-26) की कुल खपत :

(करोड़ रू. में)

विवरण	31.032017 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामग्री	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) स्वदेशी	26.65	100.00	21.92	100.00

थ) कंपनी अधिनियम, 2013 की यू/एस 186(4) के तहत दिए गए ऋण, किए गए निवेश और दी गई गारंटी का विवरण :

दिए गए ऋण और किए गए निवेश को संबंधित शीर्ष में दिया जा रहा है।

31.03.2017 को ऋण से संबंधित कंपनी द्वारा दिया गया कारपोरेट गारंटी

(करोड़ रू. में)

कंपनी का नाम	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
1. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (मेसर्स इंडियन पावर कारपोरेशन लिमिटेड (मेसर्स डीपीएससी लिमिटेड), सेंट्रल ऑफिस, संकतोरिया, पी.ओ. दिसरगढ़, जिला वर्दवान	0.14	0.14

द) महत्वपूर्ण लेखा नीति :

महत्वपूर्ण लेखा नीति (टिपपणी 2) को पूर्व अवधि में समुचित रूप से रूपांतरित/री ड्राफ्टेड किया गया है, क्योंकि कंपनी (भारतीय लेखा मानक) रूल 2015 के तहत मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (आईएनडीएएस) के अनुसरण में कंपनी द्वारा अंगीकृत नीति को स्पष्ट करना आवश्यक माना गया।

निबल लाभ में आईएनडी एएस के साथ पूरा करने के लिए लेखा नीति तथा अन्य बदलाव में परिवर्त्तन के प्रभाव को नीचे दर्शाया गया है :

आईएनडी एएस और पूर्व के भारतीय जीएएपी के बीच लाभ का रीकनसिलिएशन

(करोड़ रू. में)

क्र. सं.	समायोजन की प्रकृति	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए
	पूर्व भारती जीएएपी (कर बाद) के अनुसार	28.48
1	निबल लाभ आईएनडी एएस 16 (नेट ऑफ टैक्स) के अनुसार माइन क्लोजर प्रोविजन का रीमेजरमेंट	
2	''अन्य कमप्रेहनसिव इनकम (टैक्स का निबल) में रिकोगनाइज्ड आईएनडी एएस 19 के अनुसार इम्पलाई डिफाइन्ड बेनीफिट प्लान के मेजरमेंट पर वास्तविक हानि/लाभ	14.83
3	पूर्व अवधि (कर का निबल) से संबंधित समायोजन का प्रभाव	4.51
	इक्विटि शेयर होल्डरों के लिए एट्रीब्यूटेबल	**9.14**
	आईएनडी एएस (कर पश्चात्) के अनुसार निबल लाभ अन्य कम्प्रेहेंसिव आय (कर पश्चात्)	14.83
	इक्विटि शेयर होल्डरों के लिए अट्रेब्युटेबल आईएनडी एएस (कर पश्चात्) के अनुसार कुल कम्प्रेहेंसिव आय	**23.97**

7. प्रथम बार अंगीकृत आईएनडी एएस

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए इस वित्तीय विवरण में आइएनडी एएस के अनुसरण में कंपनी में पहली बार तैयार किया जा रहा हे। 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष सहित अब तक की अवधि के लिए कंपनी (लेखा) रूल 2014 (भरतीय जीएएपी) के अनुच्छेद के साथ पठित कंपनी अधिनियम 23 के सेक्शन 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों के अनुसरण में कंपनी ने अपना वित्तीय विवरण तैयार किया हे। तद्नुसार कंपनी ने वित्तीय विवरण तैयार किया है। इस वित्तीय विवरण की तैयारी में 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार कंपनी का अथशेष तुलन पत्र तैयार किया गया, जिसमें आईएनडीएएस की तिथ में बदलाव हुआ है। यह टिपपणी 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तथा को वित्तीय विवरण और 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार तुलन–पत्र सहित भारतीय जीएएपी वित्तीय विवरण को रीस्टेटिंग में कंपनी द्वारा प्रिसिंपल एडजसमेंट की व्याख्या करता है।

आइएनडी एएस के तहत कुछ जरूरतों के रेट्रोस्पेक्टिव अप्लीकेशन से प्रथम बार एडॉप्टर कुछ छूट को आईएनडी एएस 101 के अनुसार छूट प्रदान करता है। कंपनी ने निम्नलिखित छुट को लागू किया है :

वित्तीय परिसंपत्ति अथवा वित्तीय देयता (आईएनडीएएस 101.डी 20) के फेयर वैल्यू मेजरमेंट

महत्वपूर्ण लेखा नीति के सारांश में उल्लेखित के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तथा तुलनात्मक अवधि के आंकड़े सहित 31 मार्च, 2017 को समाप्त अवधि के लिए लागू होने योग्य आईएनडीएएस के साथ वित्तीय विवरण तेयार किया गया है। इस वित्तीय विवरण की तैयारी में 1 अप्रैल, 2015 के अनुसार कंपनी का अथशेष तुलन पत्र तेयार किया गया, जिसमें आईएनडीएएस की तिथि में कंपनी ने परिवर्त्तन किया है। फर्स्ट टाइम आईएनडीएएस में ट्रांजिशन की तिथि को अथवा के बाद पता चलने वाले लेन–देन के लिए क्रमशः लाभ या हानि को एएस 109 में माना

गया है। इसलिए चूँकि फर्स्ट टाइम अडाप्टर लाभ और हानि के लेन देन के लिए आईएनडीएएस 109 का चयन कर सकते हैं आईएनडीएएस के लिए लेन–देन की तिथ से पूर्व होता है तो उसे पुनः उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है।

आईएनडीएएस के प्रथम बार अडाप्टर होने के कारणग्रुप ने आईएनडीएएस 109 को लागू करने के लिए अंगीकार कर सकता है।

1 अप्रैल, 2015 (आईएनडीएएस में ट्रांजिशन की तिथि) को इक्विटि का समन्वय

(करोड़ रू. में)

	फुट नोट	इंडियन जीएएपी	समायोजन	आईएनडीएएस
परिसंपत्तियाँ				
गैर–चालू				
परिसंपत्तियाँ		76.30	0.75	77.05
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		29.44	3.66	33.10
ख. चालू पूंजीगत कार्य				
ग. गवेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ				
घ. निवेश संपत्ति		4.53		4.53
च. विकास के तहत इंटेनजिबल परिसंपत्ति				
छ. वित्तीय परिसंपत्ति				
1. निवेश				
2. ऋण		4.07		0.06
3. अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				1.60
ज. आस्थगित कर परिसंपत्ति (निबल)		106.43		106.43
झ. अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ		0.02		3.32
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति (क)		**220.79**		**226.09**
चालू परिसंपत्ति				
क) वस्तु सूची		6.10		6.10
ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
1. निवेश				
2. पेशागत प्राप्ति		236.36	-0.30	236.06
3. नकद एवं नकद समतुल्य		85.92		85.92
4. अन्य बैंक शेष				
5. ऋण		360.39		
6 अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				211.67
ग) चालू कर परिसंपत्ति (निबल)				
घ) अन्य चालू परिसंपत्ति		0.05		251.53
कुल चालू परिसंपत्तिया (ख)		**688.82**		**791.28**
कुल परिसंपत्ति (क+ख)		**909.61**		**1017.37**

इक्विटि और देयताएँ	फुट नोट	इंडियन जीएएपी	समायोजन	आईएनडीएएस
इक्विटि				
क) इक्विटि शेयर पूँजी		19.04		19.04
ख) अन्य इक्विटि		159.02	4.78	163.80
कम्पनी के इक्विटि धारक को एट्रिब्युटेवल इक्विटि		178.06		182.84
नन-कन्ट्रोलिंग इन्टेरेस्ट				
कुल इक्विटि		**178.06**		**182.84**
देयताएँ	**फुट नोट**	**इंडियन जीएएपी**	**समायोजन**	**आईएनडीएएस**
गैर चालू देयताएँ				
क) वित्तीय देयताएँ				
(i) उधारी				
(ii) पेशागत देय				
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ				32.86
ख) प्रावधान		225.74		225.78
ग) आस्थगित कर देयताएँ (निबल)				
घ) अन्य गैर चालू देयताएँ				
कुल गैर चालू देयताएँ (ख)		**225.74**		**258.64**
चालू देयताएँ				
क) वित्तीय देयताएँ				
1. उधारी				
2. पेशागत देय		0.77		0.77
3. अन्य वित्तीय देयताएँ				5.44
ख) अन्य चालू देयताएँ		195.63	-0.67	156.68
ग) प्रावधान		309.41		309.39
घ) चालू कर देयताएँ (निबल)				103.61
कुल चालू देयताएँ (ग)		**505.81**		**575.89**
कुल इक्विटी और देयताएँ (क+ख+ग)		**909.61**		**1017.37**

31 मार्च, 2016 (आईएनडी एएस में लेन-देन की तिथि) को इक्विटि का रिकनसिलिएशन

(करोड़ रू. में)

	फुट नोट	इंडियन जीएएपी	समायोजन	आईएनडीएएस
परिसंपत्ति				
गैर–चालू परिसंपत्तियाँ				
क) प्रापर्टी, संयंत्र एवं		97.14	0.27	97.41
ख) चालू पूंजीगत		61.44		61.44
ग) गवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ				
घ) निवेश प्रापर्टी				
ड.) इनटेलजिबल परिसंपत्ति		2.85		2.85
च) विकास के तहत इनटेनजिबल				
छ) वित्तीय परिसंपत्ति				
1.निवेश				
2.ऋण		11.02		0.03
3.अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ				1.32
ज) आस्थगित कर परिसंपतित (निबल)		100.47		100.47
(i) 1.अन्य चालू परिसंपत्तियाँ		0.02		10.29
कुल गैर-चालू परिसंपत्ति(क)		**272.94**		**273.81**
चालू परिसंपत्ति				
क) वस्तु सूची		7.41		7.41
ख) वित्तीय परिसंपत्ति				
1. निवेश				
2. पेशागत वसूली		248.24		248.24
3. नकद एवं नकद समतुल्य		124.30		124.30
4. अन्य बैंक शेष				
5. ऋण		308.23		
6. अन्य वित्तीय परिसंपत्ति				135.89
ग) चालू कर परिसंपत्तियाँ(ख)				
घ) अन्य चालू परिसंपत्ति		0.05		283.54
कुल चालू परिसंपत्ति (ख)		**688.23**		**799.38**
कुल परिसंपत्ति (क+ख)		**961.17**		**1073.19**

इक्विटि और देयताएँ	फुट नोट	इंडियन जीएएपी	समायोजन	आईएनडीएएस
परिसंपत्ति				
क) पूंजीगत इक्विटि		19.04		19.04
ख) अन्य इक्विटि		195.94	0.27	196.21
कंपनी के इक्विटि सेल्डरों को एट्रीब्यूटेबल इक्विटि		215.25		215.25
नन-कन्ट्रोलिंग इन्टेरेस्ट				
कुल इक्विटि(क)		215.25		215.25
देयताएँ				
गैर–चालू देयताएँ				
क) वित्तीय देयताएँ				
1) उधारी				
2) पेशागत देय				
3) अन्य वित्तीय देयताएँ				42.43
ख) प्रावधान		195.92		203.06
ग) अन्य गैर चालू देयताएँ				
कुल गैर–चालू देयताएँ (ख)		195.92		245.49
चालू देयताएँ				
क) वित्तीय देयताएँ				
1) उधारी				
2) पेशागत देय		0.99		0.99
3) अन्य वित्तीय देयताएँ				6.37
ख) अन्य चालू देयताएँ		236.72		187.95
ग) प्रावधान		312.56		305.43
घ) चालू कर देयताएँ (निबल)				111.71
कुल चालू देयताएँ (ग)		550.27		612.45
कुल इक्विटि और देयताएँ (क+ख+ग)		961.17		1073.19

31.03.2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ या हानि का समन्वय

(करोड़ रू. में)

	फुट नोट	इंडियन जीएएपी	समायोजन	आईएनडीएएस
परिचालन से राजस्व			-	
क)बिक्री(निबल)		759.27		759.27
अन्य परिचालन राजस्व(निबल)				
परिचालन से राजस्व(क+ख)				
अन्य आय		5.08		5.08
कुल आय(1+11)		764.35		764.35
व्यय				
खपत सामग्री की लागत		21.92		21.92
फिनिस्ड गुड/चालू कार्य एवं व्यवसाय का स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्त्तन				
कर्मचारी लाभ पर व्यय		412.40		435.08
विद्युत पर व्यय		3.55		3.55
निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय		2.01		2.01
मरम्मती		19.90		19.90
संविदात्मक व्यय		205.09		205.09
वित्त लागत		0.24		0.24
मूल्यहास/एमोरटाइजेशन/इम्पेयरमेंट व्यय		12.66	-0.27	12.39
प्रावधान		(0.11)		(0.11)
बट्टे खाता डाला गया				
स्ट्रीपिंग एक्टिविटि एडजस्टमेंट				
अन्य व्यय		48.93		48.93
कुल व्यय(4)		726.59		749.00
कर पूर्व लाभ(5–6)		37.76		15.35
पूर्व अवधि समायोजन {शुल्क/(आय)}		4.78	4.78	
कर पूर्व लाभ/(हानि)		42.54		15.35
कर व्यय		14.06		6.21
अवधि के लिए लाभ (9+12+13)		28.48		9.14
अन्य कमप्रेहेंसिव आय				
क)1. वैसा आइटम जिसे लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा				22.68
2.आइटम से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				7.85
ख)1.वैसा आइटम जिसे लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा				
2.आइटम से संबंधित आयकर जिसे लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया जाएगा।				
अन्य कुल कम्प्रेहेंसिव आय				14.83
अवधि (14+15) के लिए कुल कम्प्रेहेंसिव आय (अवधि के लिए कम्प्राइजिंग लाभ (हानि) एवं अन्य कम्प्रहेंसिव आय)		**28.48**	**-4.51**	**23.97**

त) अन्य

क) पूर्व अवधि के आँकड़े के जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ आईएनडीएएस के अनुसार पुनः कर्थित, रि–ग्रुप्ड और पुनःव्यवस्थित किया गया है।

ख) पूर्व अवधि के आँकड़े को नोट संख्या–1 से 38 तक ब्रेकेट में दिया गया है।

ग) 31 मार्च, 2017 के तुलन पत्र का टिप्पणी 1 से 23 तक का भाग तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि के विवरण का भाग 24 से 37 लेखे में टिप्पणी 1 एवं 2 महत्वपूर्ण लेखा नीति तथा टिप्पणी 38 वित्तीय विवरण में अतिरिक्त विवरण को बतलाता है।

टिप्पणी 1 से 37 तक के लिए हस्ताक्षरित

(ए. मुँधरा)	**(डी.के. राव)**	**(वी.के. सिन्हा)**	**(शेखर सरन)**
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक
		डीआईएन 0679377	डीआईएन 06607551

उसी तिथि को संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में

वास्ते के.सी. टॉक एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट
फर्म पंजीयन सं0–000216सी

(सीए अनिल जैन)
पार्टनर
सदस्य सं. 079005

तिथि : 24 मई, 2017

स्थान : दिल्ली